अनुक्रमणिका

क0	विषय	पृष्ठ संख्या
1	2	3
1-	जिला स्तरीय स्टैण्डिंग कमिटी की कार्यवाही- 20.3.2009	1-3
2-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-27.3.2009	4-10
3-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-28.3.2009	11-15
4-	सोनपुर अनुमण्डल के कन्फेन्स हॉल मे बैठक- 29.3.2009	16-19
5-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-29.3.2009	20-22
6-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-30.3.2009	23-26
7-	वाहन कोषांग के कार्यो की समीक्षा-30.3.2009	27-30
8-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-31.3.2009	31-34
9-	प्रेक्षकगण और कोषांगों के पदाधिकारियों के साथ बैठक-1.4.2009	35-37
10-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-2.4.2009	38-42
11-	प्रत्याशियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही-2.4.2009	43-50
12-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-3.4.2009	51-54
13-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-4.4.2009	55-57
14-	सभी अंचल अधिकारियों और कोषांग के पदाधिकारियों के साथ बैठक 5.4.2009	58-62
15-	प्रेक्षकगण के साथ पदाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक 5.4.2009	63-72
16-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-6.4.2009	73-75
17-	वाहन कोषांग के कार्यो की समीक्षा-7.4.2009	76-78
18-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-74.2009	79-81
19-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-8.4.2009	82-84
20-	Communication Plan की बैठक- 9.4.2009	85-86
21-	Communication Plan से संबंधित बाल विकास परियोजना की बैठक- 9.4.2009	87-89
22-	Service Providers के साथ बैठक दिनांक 10.4.2009	90-91
23-	Communication Plan से संबंधित बाल विकास परियोजना की बैठक- 10.4.2009	92-94
24-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-10.4.2009	95-99
25-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-11.4.2009	100-103
26-	Communication Plan से संबंधित बाल विकास परियोजना की बैठक- 11.4.2009	104-105
27-	Communication Plan से संबंधित बाल विकास परियोजना की बैठक- 12.4.2009	106-107
28-	Communication Plan संबंधी बैठक 13.4.2009	108-110
29-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-13.4.2009	111-114
30-	अर्द्ध सैनिक बल के पदाधिकारियों के साथ बैठक-14.4.2009	115-117
31-	मतदान के दिन गठित जोन और सेक्टर संबंधी आदेश- 16.4.2009	118-138
32-	विभिन्न सामग्रियों के आपूर्त्तिकर्त्ताओं के साथ बैठक दिनांक 20.4.2009	139-144
33-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-20.4.2009	145-146
34-	पदाधिकारियों के अनुभवों और कठिनाईयों संबंधी बैठक-21.4.2009	147-152
35-	अग्रिम के समायोजन और अतिरिक्त राशि प्रदान करने संबंधी बैठक- 21.4.2009	153-158
36-	प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ मतगणना संबंधी बैठक -21.4.2009	159-161
37-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-24.4.2009	162-163
38-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-25.4.2009	164-165
39-	मतगणना के दौरान भोजन व्यवस्था संबंधी आदेश-28.4.2009	166-170
40-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-27.4.2009	171-172
41-	विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ बैठक-30.4.2009	173

सारण समाहरणालय (निर्वाचन प्रशाखा), सारण, छपरा

दिनांक 20.03.2009 को 2 बजे अपराह्न में आयोजित जिला स्तरीय स्टैंडिग कमिटी की बैठक की कार्यवाही :–

आज दिनांक 20.03.2009 को 2 बजे अपराह्न लोक सभा आम निर्वाचन 2009 के निमित्त गठित जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमिटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें निम्नलिखित पदाधिकारी /राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव/प्रतिनिधि सम्मिलित हुए :–

उपस्थिति– पंजी के अनुसार

सर्वप्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण द्वारा एजेंडा क्रमांक– 1 पर भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली से प्राप्त निदेश के आलोक में 1600 से अधिक मतदाताओं वाले मतदान केन्द्रों में सहायक मतदान केन्द्र बनाने संबंधी निदेश के आलोक में प्रखण्डों के प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव पर चर्चा की गयी। सारण जिला के सभी 10 (दस) विधान सभा क्षेत्रों में निम्न मतदान केन्द्रों पर सहायक मतदान केन्द्र बनाने का प्रस्ताव विहित प्रपत्र में प्राप्त हुआ :–

क्र0	विधान सभा क्षेत्र की संख्या एवं नाम	मतदान केन्द्र संख्या एवं नाम	मतदाताओं की कुल संख्या	लोक सभा क्षेत्र की संख्या एवं नाम
01	02	03	04	05
	113–एकमा	96– प्राथमिक विद्यालय, कर्णपुरा	1632	19–महाराजगंज
	113–एकमा	157–प्राथमिक विद्यालय, ताजपुर (पूरब भाग)	1655	
	114–गांड़ी	165–मध्य विद्यालय, टड़वा, दक्षिण भाग	1643	
	115–बनियापुर	123–प्राथमिक विद्यालय, श्रीपुर, पुराना भवन	1646	
	116–तरैया	199–प्राथमिक विद्यालय, पचरौर नोनिया टोली	1641	
	118–छपरा	45–प्राथमिक विद्यालय, जैलशहर	1660	20–सारण
	118–छपरा	121–मध्य विद्यालय, अजायबगंज, प0 भाग	1660	
	118–छपरा	122–प्राथमिक विद्यालय, श्यामचक, पूर्वी भाग	1930	
	118–छपरा	135–प्राथमिक विद्यालय, शेखटोली	1886	
	118–छपरा	140–गांधी उच्च विद्यालय, दौलतगंज, दक्षिण भाग	1706	
	118–छपरा	142–गांधी मध्य विद्यालय, दौलतगंज (पूर्वी भाग)	2090	
	118–छपरा	162–राजकीय उच्च विद्यालय, पूर्वी भाग क0 नं0 9	1607	
	118–छपरा	166–जिला पशुपालन पदाधिकारी कार्यालय, दहियांवा	1623	
	118–छपरा	172–चन्द्रदीप मध्य विद्यालय, दहियांवा पश्चिम भाग	1645	
	118–छपरा	191–राधुलाल पृथ्वीचंद उ0 वि0 इमामगंज मध्य भाग	1767	
	118–छपरा	202–मध्य विद्यालय, गौना (दक्षिण भाग)	1803	
	118–छपरा	204–पुराना पुलिस लाईन क्लब, सलेमपुर दक्षिण भाग	1684	
	118–छपरा	207–आरक्षी बाल विद्यालय, आरक्षी केन्द्र, छपरा	1664	

(2) भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निदेश के आलोक में मतदान केन्द्रों के भौतिक सत्यापन के उपरान्त आवश्यक संशोधन प्रस्ताव मात्र दो प्रखण्डों से प्राप्त हुए जिसपर चर्चा की गई। 115–बनियापुर विधान सभा क्षेत्र के बनियापुर प्रखण्ड के मतदान केन्द्र संख्या 195– प्राथमिक विद्यालय हुरहरा खुर्द जो परिसीमन के पूर्व 36–बनियापुर विधान सभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 180–संस्कृत उच्च विद्यालय, हरिहरपुर बभारी से सम्बद्ध था जिसमें चार राजस्व ग्राम क्रमशः हुरहरा खुर्द, 142, हरिहरपुर बभारी–168 शेखपुरा–169 एवं हरिहरपुर– 198 सम्मिलित था। आयोग के पत्रांक 4471 दिनांक 15 जून 2008 द्वारा 300 से अधिक निर्वाचकों वाले राजस्व

ग्राम में भवन की उपलब्धता के आधार पर मतदान केन्द्र बनाने संबंधी निदेश के आलोक में हुरहरा खुर्द एवं शेखपुरा राजस्व ग्राम जो नदी के पार अवस्थित है को मिलाकर प्राथमिक विद्यालय, हुराहरा खुर्द में नया मतदान केन्द्र बनाया गया। भूलवश हरिहरपुर चमारी एवं हरिहरपुर ग्राम भी सम्बद्ध हो गया।

अतः हरिहरपुर चमारी में परिसीमन पूर्व अनुमोदित मतदान केन्द्र संस्कृत उच्च विद्यालय, हरिहरपुर चमारी में नया मतदान केन्द्र बनाने का प्रस्ताव भेजने का अनुमोदन सर्वसम्मिति से ली गई।

इसी प्रकार 116–तरैया विधान सभा क्षेत्र के पानापुर प्रखण्ड के मतदान केन्द्र संख्या 32–प्राथमिक विद्यालय लगुनी उत्तर टोला दक्षिण भाग अनुमोदित है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मढ़ौरा के जांच प्रतिवेदन पत्रांक 410 दिनांक 24.10.2008 द्वारा अनुशंसा की गई है कि उक्त प्राथमिक विद्यालय लगुनी उत्तर टोला दक्षिणी भाग में वास्तविक रूप से लगुनी ग्राम के ही मतदाता हैं, अतः इसे विलोपित किया जाय तथा इस मतदान केन्द्र के मतदाताओं को 116–तरैया विधान सभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 34–मध्य विद्यालय, धेनुकी से सम्बद्ध किया जए। सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा इस पर सहमति व्यक्ति की गई।

118–छपरा विधान सभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र संख्या 63–प्राथमिक विद्यालय, नयका लोहा टोला दक्षिणी भाग एवं 64–प्राथमिक विद्यालय नयका लोहा टोला उत्तरी भाग निजी भवन में होने के कारण इसे बगल के उपलब्ध सरकारी भवन क्रमशः कन्या मध्य विद्यालय, गोदना मोड़ उत्तर भाग तथा कन्या मध्य विद्यालय, गोदना मोड़ दक्षिणी भाग में स्थानांतरित करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

122–सोनपुर विधान सभा क्षेत्र के निम्न मतदान केन्द्रों को नए स्थान पर परिवर्तित करने संबंधी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सोनपुर के प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

मतदान केन्द्र संख्या 97, छपरा सिंचाई विभाग का डाकबंगला जीर्ण–शीर्ण होने के कारण उसी स्थल के बगल में प्राथमिक विद्यालय, शिकारपुर में, मतदान केन्द्र संख्या 164 पंचायत भवन चौसिया को बगल के प्राथमिक विद्यालय, सुलतानपुर अवस्थित चौरिया में, मतदान केन्द्र सं0 178 प्राथमिक विद्यालय, पहलेजा दियारा के प्रांगण में चलंत मतदान केन्द्र को प्राथमिक विद्यालय पहलेजा दियारा में मतदान केन्द्र संख्या 190 प्राथमिक विद्यालय रायपुर हसन दक्षिणी भाग के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय, अठाईस दियारा तथा मतदान केन्द्र संख्या 191 प्राथमिक विद्यालय, अठाईस दियारा के स्थान पर प्राथमिक विद्यालय रायपुर हसन दक्षिणी भाग, मुद्रण भूल के कारण परिवर्तित करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।

(3) दिनांक 23.03.2009 से 19–महाराजगंज एवं 20–सारण संसदीय क्षेत्र के लिए दाखिल किए जाने वाले नाम निर्देशन पत्रों के लिए सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई तथा नाम निर्देशन के साथ आवश्यक कागजात यथा प्ररूप 26 में तथा सम्पत्ति एवं देनदारी से संबंधित शपथ पत्र नाम निर्देशन की अंतिम तिथि यानि 30.03.2009 तक समर्पित किए जाने की सूचना दी गई।

(4) आदर्श आचार संहिता के अनुपालन पर चर्चा की गई। बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि द्वारा सभा करने हेतु हवाई अड्डा के बगल वाले मैदान में अनुमति लेने हेतु किए जा रहे प्रयास में आ रही कठिनाई का जिक्र किया गया। इस पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा विभागीय सचिव से वार्ता कर दो दिनों के अन्दर विधिसंगत आदेश निर्गत करने का आश्वासन दिया गया। सभी राजनैतिक दलों को उपलब्ध कराए गए Model Code of Conduct के सभी प्रावधानों को अच्छी तरह अध्ययन करने का अनुरोध किया गया।

राजनैतिक दलों द्वारा प्रचार के लिए वाहनों को अनुमति देने संबंधी चर्चा पर विधिपूर्वक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया।

(5) फोटोग्राफी कार्यक्रम हेतु विस्तृत प्रचार–प्रसार तथा राजनैतिक दलों से सहयोग का अनुरोध किया गया। प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों/अनुमण्उल पदाधिकारियों से कार्यक्रम का विस्तृत प्रचार–प्रसार तथा हाट बाजार में डुगडुगी पिटवा कर/ध्वनि विस्तारक यंत्र से कार्यक्रम का प्रचार करने का निदेश दिया गया।

अन्त में बैठक की कार्रवाई धन्यवाद समाप्त की गयी।

21/3/09

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा.

ज्ञापांक– 368 /निर्वाचन, छपरा दिनांक– 21.3.09

प्रतिलिपि– पुलिस अधीक्षक, सारण छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– निर्वाची पदाधिकारी, 19–महाराजगंज एवं 20–सारण संसदीय क्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी सहायक निर्वाची पंदाधिकारी, 19–महाराजगंज एवं 20–सारण संसदीय क्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सारण जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/सचिव, सारण जिला को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– सभी कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.09

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा

ज्ञापांक– 368 /निर्वाचन, छपरा दिनांक– 21.3.09

प्रतिलिपि– मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

21.3.09

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे दिनांक 27.3.2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी
3-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
4-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन कोषांग
5-	श्री सूर्य नारायण सिंह	जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
6-	श्री सांवर भारती	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा
7-	श्री सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग
8-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
9-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
10-	श्री सदीप शेखर प्रियदर्शी	अंचल अधिकारी, अमनौर
11-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग
12-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग
13-	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
14-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
15-	श्री सियाराम सिंह	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त सह प्रभारी पदाधिकारी व्यय लेखा कोषांग
16-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग
17-	श्री अनिल कुमार सिंह	विकास पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास कार्यक्रम प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग
18-	श्री विपिन बिहारी सिंह	सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल-1 छपरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग

बैठक का शुभारंभ करते हुये जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को सूचित किया कि यह बैठक प्रत्येक दिन संध्या 7.30 बजे जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण के कार्यालय प्रकोष्ठ मे आयोजित की जायेगी। इस बैठक मे विभिन्न कोषांगों के सभी वरीय पदाधिकारी एवं प्रभारी पदाधिकारी निश्चित रूप से भाग लेंगे। इस हेतु अलग से कोई सूचना निर्गत नहीं की जायेगी। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी। यदि किसी कारणवश वे उपस्थित नहीं रहते हैं तो बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त और उनकी अनुपस्थिति मे अपर समाहर्त्ता, तथा यदि वे भी अनुपस्थित रहते हैं तो श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव, निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण बैठक की अध्यक्षता करेंगी। बैठक का आयोजन निश्चित रूप से किया जायेगा और इसमे सभी पदाधिकारी अपरिहार्य रूप से भाग लेंगे। इन बैठकों मे प्रमुख रूप से निम्नलिखित विन्दुओं पर चर्चा की जायेगीः-

1- दिनांक 16 अप्रैल 2009 को होने वाले मतदान की तैयारियों की समीक्षा।
2- विभिन्न कोषांगों के दायित्वों के निर्वहन मे आने वाली कठिनाईयों का निराकरण।
3- कार्य प्रगति की समीक्षा।

Rajendra

4- निर्वाचन आयोग से प्राप्त होने वाले अद्यतन परिपत्रों से सभी कोषांगों को अवगत कराना।

5- सभी संपादित किये जाने वाले कार्यो की समय सीमा निर्धारित करना, निर्धारित समय के अंतर्गत इन्हें पूर्ण कराना, सही भावना मे कार्य कराना एवं सभी कोषांगों मे समन्वय स्थापित कराना।

2- आज की बैठक मे जो पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुये (जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण-सह- प्रभारी पदाधिकारी, आचार संहिता कोषांग, जिला अवर निबंधक, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण) उन्हें एक बार लिखित सूचना दी जाय ताकि अगली बैठक मे निश्चित रूप से भाग ले सकें।

विभिन्न कोषांगों के कार्यो की समीक्षा से निम्नलिखित तथ्य प्रकाश मे आयेः-

4- कार्मिक कोषांगः-

4.1 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग ने निम्नलिखित सूचना दियाः-

- सभी कार्मिकों का Data entry हो चुका है।
- पीठासीन पदाधिकारियों के प्रथम नियुक्ति पत्र मुद्रित करा कर उन्हें तामिला हेतु भेजा जा चुका है।
- मतदान पदाधिकारी सं0 1, मतदान पदाधिकारी सं0 2 और मतदान पदाधिकारी सं0 3 के नियुक्ति पत्र का मुद्रण कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा इसे दिनांक 28.3.2009 तक तामिला कराने हेतु भेज दिया जायेगा।

4.2 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र को निम्नलिखित निदेश दिये गयेः-

- पीठासीन पदाधिकारियों एवं मतदान पदाधिकारियों के प्रथम नियुक्ति पत्र के तामिला का प्रतिशत प्रत्येक दिन की बैठक मे लाना सुनिश्चित करेंगे।
- निर्वाचन ड्यूटी से विमुक्ति के लिये कितने लोगों ने आवेदन पत्र दिया है और जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उन्हे विमुक्त करने के आदेश के बाद उन्हें तदनुसार सूचित किया गया कि नहीं इसे भी प्रतिवेदित करेंगे क्योंकि इससे कार्य मे पारदर्शिता बनी रहती है।
- Patrolling Magistrates का Data entry हो चुका है। इससे संबंधित प्रतिवेदन भी दिनांक 28.3.2009 की बैठक मे लायेंगे।
- Micro Observers का Data entry हो चुका है। इसका भी आंकड़ा दिनांक 28.3.2009 को बैठक मे लायेंगे।
- Digital Camera के लिये नियुक्त किये जाने वाले कर्मियों की सूची भी दिनांक 28.3.2009 की बैठक मे लायेगे।
- पर्दानशीन महिलाओं को मतदान कराने वाले कर्मचारियों की सूची भी दिनांक 28.3.2009 की बैठक मे लायेगे।
- छपरा सदर प्रखंड मे सेक्टर पदाधिकारी के रूप मे नियुक्त कुछ कर्मियों को बदल दिया गया है। संशोधित सूची के पदाधिकारियों को नये सिरे से नियुक्ति पत्र निर्गत करने का आदेश प्रभारी पदाधिकारी को दिया जाता है।
- नगर परिषद, छपरा मे 7 नये सेक्टर पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं। कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद छपरा तदनुसार इनसे कार्य कराना सुनिश्चित करेंगे।
- दिनांक 28 मार्च 2009 से प्रारंभ होने वाले पीठासीन पदाधिकारियों तथा मतदान पदाधिकारियों के प्रशिक्षण मे सभी Participants का फोटोग्राफ ले कर इस आशय की सूचना उनके नियुक्ति पत्र मे दर्ज कर दी जाय। इसमे किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहनी चाहिये।
- सभी सेक्टर पदाधिकारियों/ डिजिटल केमरा कोषांग मे प्रतिनियुक्त होने वाले कर्मचारियों का एक दिन प्रशिक्षण आयोजित किया जाय ताकि सभी को निदेश दिया जा सके।

BBajandw

- अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा ने बताया कि जिन मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति मतदान कार्य हेतु है उनको मतदान करने के लिये मतपत्र उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 13.3.2009 थी। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रपत्र 6 के आवेदन पत्र निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार सुरक्षित रखे गये हैं और निर्वाचन कार्य संपन्न होने के बाद इन पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।
- श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि निर्वाचन कार्मिक कोषांग का दूरभाष संख्या 06152-245270 है। किसी भी प्रकार की सूचना इस नंबर से प्राप्त की जा सकती है।

4.3 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र को जिला निर्वाचन पदाधिकारी से निम्नलिखित अपेक्षायें हैं:-

- सभी अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारण जिला और कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद छपरा, नगर पंचायत दिघवारा, रिविलगंज, मढ़ौरा और सोनपुर से Patrolling Magistrate की संबद्धता की सूची प्राप्त नहीं हो सकी है। अतएव निदेश दिया जाता है कि कार्मिक कोषांग से जिला निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर से सभी संबंधित को एक पत्र लिखा जाय कि आज तक संबद्धता सूची नहीं समर्पित करना अत्यंत खेदजनक है अतएव कार्य की महत्ता को देखते हुये वे 24 घंटा के अंदर इसे भेजना सुनिश्चित करें।

5- प्रशिक्षण कोषांग:-

5.1 इस कोषांग के कार्यो की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निदेश श्री सुरेन्द्र झा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग को दिये गये:-

- प्रशिक्षण के दौरान जेनेरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
- राम जयपाल महाविद्यालय छपरा का अधिग्रहण कर लिया गया है। तदनुसार इस आशय का पत्र प्राचार्य को उपलब्ध करा देगे।
- राम जयपाल महाविद्यालय मे 10 या 12 कमरे ले कर उनमे समानुपातिक रूप से पीठासीन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।
- प्रत्येक कमरे के प्रतिभागियों (Participants) और Master Trainers की सूची भी समय पूर्व तैयार कर ली जाय। श्री सुरेन्द्र झा, इस आशय का आदेश अपने स्तर से निर्गत करेंगे और उसका अनुमोदन अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर लेंगे।
- श्री सुरेन्द्र झा, कमरावार फोटोग्राफी भी सुनिश्चित करायेंगे।
- श्री हरेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, सारण, पीठासीन पदाधिकारियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली ई वी एम की बैट्री जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर श्री सुरेन्द्र झा को समय पूर्व उपलब्ध करायेंगे।
- ई वी एम को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हॉल से राम जयपाल महाविद्यालय तक लाने और वापस जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हाल ले जाने हेतु वाहन की व्यवस्था श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव, जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण द्वारा की जायेगी। वे प्रातः 8 बजे श्री सुरेन्द्र झा को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कार्यालय मे वाहन उपलब्ध करा देंगी। मशीनो को लादने और उतारने हेतु दैनिक मजदूरों की मजदूरी का वहन जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
- प्रपत्र 12 ए और 12 बी का प्रारूप श्री सुरेन्द्र झा द्वारा श्री अंजनी कुमार सिन्हा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर छपरा को उपलब्ध करा दिया जायेगा। श्री अंजनी कुमार सिन्हा इन प्रपत्रों की 500 फोटोप्रतियां दिनांक 28.3.2009 तक श्री सुरेन्द्र झा को उपलब्ध करा देंगे। बाकी 10000 प्रतियां वे दिनांक 29.3.2009 तक श्री झा को उपलब्ध करायेंगे।
- पीठासीन पदाधिकारियों/ मतदान पदाधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके पदस्थापन प्रखंड मुख्यालय मे एवं तृतीय प्रशिक्षण उनके प्रतिनियुक्ति वाले प्रखंड मुख्यालय मे आयोजित किया जायेगा। श्री सुरेन्द्र झा अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त कर के इन सब प्रशिक्षणों के बारे मे सुस्पष्ट आदेश निर्गत करेंगे कि कौन सा प्रशिक्षण कहां आयोजित किया जायेगा, इन प्रशिक्षणों मे कौन प्रशिक्षण देगा, प्रशिक्षण की तिथि क्या होगी और इनमे कौन कौन कर्मी भाग लेगा।

- अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा ने बताया कि जिन मतदान कर्मियों की प्रतिनियुक्ति मतदान कार्य हेतु है उनको मतदान करने के लिये मतपत्र उपलब्ध कराने की अंतिम तिथि 13.3.2009 थी। इस तिथि के बाद प्राप्त होने वाले प्रपत्र 6 के आवेदन पत्र निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार सुरक्षित रखे गये हैं और निर्वाचन कार्य संपन्न होने के बाद इन पर यथोचित निर्णय लिया जायेगा।
- श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि निर्वाचन कार्मिक कोषांग का दूरभाष संख्या 06152-245270 है। किसी भी प्रकार की सूचना इस नंबर से प्राप्त की जा सकती है।

4.3 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र को जिला निर्वाचन पदाधिकारी से निम्नलिखित अपेक्षायें हैं:-

- सभी अंचल अधिकारी-सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारण जिला और कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद छपरा, नगर पंचायत दिघवारा, रिविलगंज, मढ़ौरा और सोनपुर से Patrolling Magistrate की संबद्धता की सूची प्राप्त नहीं हो सकी है। अतएव निदेश दिया जाता है कि कार्मिक कोषांग से जिला निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर से सभी संबंधित को एक पत्र लिखा जाय कि आज तक संबद्धता सूची नहीं समर्पित करना अत्यंत खेदजनक है अतएव कार्य की महत्ता को देखते हुये वे 24 घंटा के अंदर इसे भेजना सुनिश्चित करें।

5- प्रशिक्षण कोषांग:-

5.1 इस कोषांग के कार्यो की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निदेश श्री सुरेन्द्र झा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग को दिये गये:-

- प्रशिक्षण के दौरान जेनेरेटर की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।
- राम जयपाल महाविद्यालय छपरा का अधिग्रहण कर लिया गया है। तदनुसार इस आशय का पत्र प्राचार्य को उपलब्ध करा देगे।
- राम जयपाल महाविद्यालय मे 10 या 12 कमरे ले कर उनमे समानुपातिक रूप से पीठासीन पदाधिकारियों को प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।
- प्रत्येक कमरे के प्रतिभागियों (Participants) और Master Trainers की सूची भी समय पूर्व तैयार कर ली जाय। श्री सुरेन्द्र झा, इस आशय का आदेश अपने स्तर से निर्गत करेंगे और उसका अनुमोदन अधोहस्ताक्षरी से प्राप्त कर लेंगे।
- श्री सुरेन्द्र झा, कमरावार फोटोग्राफी भी सुनिश्चित करायेंगे।
- श्री हरेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, सारण, पीठासीन पदाधिकारियों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली ई वी एम की बैट्री जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर श्री सुरेन्द्र झा को समय पूर्व उपलब्ध करायेंगे।
- ई वी एम को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हॉल से राम जयपाल महाविद्यालय तक लाने और वापस जिला ग्रामीण विकास अभिकरण हाल ले जाने हेतु वाहन की व्यवस्था श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव, जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण द्वारा की जायेगी। वे प्रातः 8 बजे श्री सुरेन्द्र झा को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कार्यालय मे वाहन उपलब्ध करा देंगी। मशीनो को लादने और उतारने हेतु दैनिक मजदूरों की मजदूरी का वहन जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा किया जायेगा।
- प्रपत्र 12 ए और 12 बी का प्रारूप श्री सुरेन्द्र झा द्वारा श्री अंजनी कुमार सिन्हा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर छपरा को उपलब्ध करा दिया जायेगा। श्री अंजनी कुमार सिन्हा इन प्रपत्रों की 500 फोटोप्रतियां दिनांक 28.3.2009 तक श्री सुरेन्द्र झा को उपलब्ध करा देंगे। बाकी 10000 प्रतियां वे दिनांक 29.3.2009 तक श्री झा को उपलब्ध करायेंगे।
- पीठासीन पदाधिकारियों/ मतदान पदाधिकारियों का द्वितीय प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके पदस्थापन प्रखंड मुख्यालय मे एवं तृतीय प्रशिक्षण उनके प्रतिनियुक्ति वाले प्रखंड मुख्यालय मे आयोजित किया जायेगा। श्री सुरेन्द्र झा अधोहस्ताक्षरी से अनुमोदन प्राप्त कर के इन सब प्रशिक्षणों के बारे मे सुस्पष्ट आदेश निर्गत करेंगे कि कौन सा प्रशिक्षण कहां आयोजित किया जायेगा, इन प्रशिक्षणों मे कौन प्रशिक्षण देगा, प्रशिक्षण की तिथि क्या होगी और इनमे कौन कौन कर्मी भाग लेगा।

- श्री सुरेन्द्र झा, डिजिटल कैमरा संचालित करने वाले कर्मचारियों और सेक्टर पदाधिकारियों/ गश्ती दल दण्डाधिकारियों के प्रशिक्षण का Schedule भी निर्गत करेंगे।
- पूर्व मे प्रशिक्षण कोषांग का गठन ठीक प्रकार से नहीं किया गया था। श्री झा इस कोषांग मे कार्य करने हेतु पदाधिकारियों/ कर्मचारियों और स्टेशनरी इत्यादि का आकलन कर लें और उसकी स्वीकृति प्राप्त कर ठीक और समयबद्ध कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
- Postal Ballot Paper के संबंध मे भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुरूप श्री झा संबंधित कर्मियों को प्रशिक्षित करने की कार्रवाई करेंगे।

6- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) कोषांगः-

6.1 ई वी एम कोषांग द्वारा ई वी एम की First level checking की जा चुकी है। First level जांच के बाद EVM का Randomization कर उसकी सूचना C.D. और e-mail से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के पास भेज दी गयी है। प्रखंडो मे प्रशिक्षण हेतु 178 EVM भेज दी गयी है। श्री सूर्य नारायण सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, EVM कोषांग ने सूचित किया कि 12 प्रखंडो यथा एकमा, लहलादपुर, बनियापुर, जलालपुर, मशरख, पानापुर, परसा, अमनौर, मकेर, सोनपुर, गड़खा और दिघवारा अभी तक EVM नहीं ले गये हैं। श्री सिंह को संबंधित अंचल अधिकारियों को सूचित करने का निदेश दिया गया कि वे दिनांक 28.3.2009 को 12 बजे दिन तक EVM उठा लें।

6.2 सभी EVM को विधानसभा खण्डवार अलग अलग कर दिया गया है। इन EVM को विधानसभा खण्डवार अलग अलग कमरो मे रखने की आवश्यकता है जिसे दिनांक 29.3.2009 तक कर लिया जाय।

6.3 अधोहस्ताक्षरी द्वारा ऐसा पाया जा रहा है कि EVM कोषांग द्वारा अलग अलग संचिकाओं मे बिना कोई औचित्य दर्शाये अधिक राशि की मांग की जा रही है। यह उचित नहीं है। निदेश दिया गया कि राशि की अधियाचना के लिये एक ही संचिका परिचालित की जाय और जब भी राशि अधियाचित की जाय तो पूर्व मे आवंटित राशि और उसके व्यय का ब्योरा उसमे अवश्य अंकित किया जाय ताकि राशि आवंटित करने मे सुविधा हो सके। यह भी निदेश दिया गया कि जो राशि व्यय की जाय उसके प्रमाणक (Vouchers) का संधारण Properly किया जाय।

6.4 EVM सीलिंग के लिये प्रतिनियुक्त किये जाने वाले पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का आदेश दिनांक 28.3.2009 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया। समाहरणालय की अनेक शाखाओं मे कम्प्यूटर कार्यरत है। टंकण का कार्य इन्हीं शाखाओं के साथ साथ जिला सूचना विज्ञान केन्द्र से कराया जा सकता है। अत्यंत अपरिहार्य परिस्थिति मे यह कार्य अधोहस्ताक्षरी की गोपनीय शाखा से भी कराया जा सकता है।

6.5 श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा ने जानना चाहा कि 7 Control Unit औंर 8 Ballot Unit जो खराब है उसे कहां रखा जाय। इन्हें निदेश दिया गया कि इन यूनिटों को एक बाक्स मे सील कर उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को हस्तगत करा दें।

6.6 राजकीय कन्या विद्यालय, छपरा मे जहां वज्रगृह स्थापित है, उसे सील करने का कार्य दिनांक 28.3.2009 की संध्या तक अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

6.7 जिन पदाधिकारियों द्वारा ई वी एम की सीलिंग का कार्य किया जायेगा, सीलिंग के उपरान्त उनसे इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य ले लिया जाय कि उनके द्वारा ई वी एम की सीलिंग ठीक प्रकार से की गयी है और इसमे कोई त्रुटि नहीं है। इन प्रमाण पत्रों को संचिका मे संधारित किया जाय।

6.8 EVM कोषांग द्वारा दिनांक 28.3.2009 से 5.4.2009 तक प्रतिदिन संपादित किये जाने वाले कार्य की योजना (Micro planning) तैयार कर ली जाय और इसे टंकित करा कर दिनांक 28.3.2009 की संध्या तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत की जाय।

7- सामग्री कोषांगः-

7.1 श्री अंजनी कुमार सिन्हा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर छपरा-सह- प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग द्वारा अब तक उपलब्ध सामग्रियों का नमूना अधोहस्ताक्षरी को दिखाया गया।

BRajendra

7.2 मतदान दलों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले झोला की दर 23 रूपया प्रति झोला थी और इसकी गुणवत्ता भी ठीक नहीं थी अतएव इसके स्थान पर अन्य झोला की आपूर्त्ति करने का निर्णय करने हेतु कय समिति की बैठक मे निर्णय लेने की आवश्यकता है।

7.3 कुल 28 सामग्रियों मे से 10 सामग्रियां प्राप्त हो चुकी हैं। शेष 18 सामग्रियों को दिनांक 29.3.2009 तक प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय। श्री अंजनी कुमार सिन्हा ने बताया कि प्रपत्रों का मुद्रण कार्य दिनांक 29.3.2009 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

7.4 प्रभारी पदाधिकारी झोला प्राप्त होने के बाद सभी सामग्रियां इसमे भरवा दें।

7.5 पटना से प्राप्त होने वाली सामग्रियां दिनांक 4-5 अप्रैल 2009 तक प्राप्त होने की संभावना है। इसे प्राप्त कर व्यवस्थित करने हेतु पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी जाय ताकि कठिनाई नहीं हो।

7.6 मतदाता सूची की पुनरीक्षित प्रति दिनांक 31.3.2009 तक प्राप्त होने की संभावना है। यह प्राप्त होने के बाद इसके विखंडन की कार्रवाई प्रारंभ की जाय।

7.7 Dummy Ballot paper कार्ड बोर्ड पर मुद्रित कर सभी मतदान केन्द्रों पर भेजा जायेगा। यह Ballot paper मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के यहां से प्राप्त होना है। प्राप्त होने पर तदनुसार कार्रवाई की जाय।

7.8 सामग्री कोषांग दिनांक 28.3.2009 से 5.4.2009 तक अपने कोषांग की गतिविधियों का निम्नलिखित प्रपत्र मे Calendar तैयार कर दिनांक 28.3.2009 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेः-

क0	कार्य का विवरण	उत्तरदायी पदाधिकारी का नाम	कार्य संपन्न होने की तिथि
1	2	3	4

8- प्रेक्षक कोषांगः-

8.1 श्री अनिल कुमार सिंह, विकास पदाधिकारी, आई सी डी पी सह प्रभारी पदाधिकारी प्रेक्षक कोषांग को आदेश दिया गया कि वे जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण से समन्वय स्थापित कर दिनांक 28.3.2009 की संध्या तक प्रेक्षकगण के स्कोर्ट मे उपयोग किये जाने वाले वाहनों को उपलब्ध कर लें । उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि वे स्कोर्ट वाहन के चालकों की Briefing करने के साथ साथ उन्हें यथेष्ट अग्रिम राशि भी उपलब्ध करा दें ताकि उन्हें कार्य करने मे कोई कठिनाई नहीं होने पाये।

8.2 प्रेक्षकगण के उपयोग हेतु वाहनों को पटना से दिनांक 28.3.2009 की संध्या तक छपरा मंगवा लिया जाय और उनके चालकगण की भी Briefing कर दी जाय।

8.3 प्रभारी पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे दिनांक 31.3.2009 को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों मे 19-महाराजगंज और 20-सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रेक्षकगण से संबंधित सूचनायें यथा प्रेक्षक का नाम, संबंधित विधानसभा खण्ड का नाम, प्रेक्षक का आवासन स्थल, प्रेक्षक का दूरभाष, मोबाईल, फैक्स नंबर प्रेस विज्ञप्ति के रूप मे अवश्य प्रकाशित करा दें। इस कार्य मे श्री मुश्ताक अहमद नूरी, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सारण उन्हें सहयोग प्रदान करेंगे।

8.4 प्रभारी पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे प्रेक्षक के पटना हवाई अड्डा पर उतरते ही उन्हें उनका बिहार का मोबाईल नंबर और सेट उपलब्ध करा दें।

8.5 दिनांक 29.3.2009 को अपने वाले प्रेक्षकगण यदि पटना मे रूकना चाहते हैं तो पटना परिसदन मे कमरा आरक्षित करने हेतु जिलाधिकारी, पटना को संबोधित पत्र अधोहस्ताक्षरी से हस्ताक्षर करा कर समय पूर्व उसे फैक्स करवाना भी प्रभारी पदाधिकारी का दायित्व होगा।

8.6 छपरा परिसदन मे दो कमरो मे लगाया गया कम्प्यूटर टेबल ठीक नहीं है। प्रभारी पदाधिकारी इसे अविलंब बदलवाना सुनिश्चित करेंगे।

8.7 परिसदन के कुछ कमरों मे लगाया गया नया गद्दा की गुणवत्ता भी ठीक नहीं है। प्रभारी पदाधिकारी अविलंब इसे बदलवाना सुनिश्चित करेंगे।

8.8 परिसदन के कमरो के बाहर लगाये गये Mat भी जीर्ण शीर्ण हैं। इन्हें भी अविलंब बदलवा दिया जाय।

Rajendra

8.9 प्रेक्षकगण के आवासन के पूर्व सभी कमरो मे लगाये गये टेलीविजन, केबल, टेलीफोन, फैक्स, इण्टरनेट, कम्प्यूटर की जांच अवश्य कर संतुष्ट हो लिया जाय कि वे Properly function कर रहे हैं।

8.10 उप विकास आयुक्त, सारण यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रेक्षकगण के लिये प्रतिनियुक्त किये गये आशुलिपिक, कम्प्यूटर ऑपरेटर, अनुसेवी उपलब्ध हो गये हैं। वे इन कर्मियों की अपने स्तर से Briefing भी कर देंगे ताकि वे प्रेक्षकगण के साथ कार्य कर सकें।

8.11 आवश्यकतानुसार परिसदन मे कूलन और जेनेरेटर भाड़ा पर भी लेने का आदेश प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।

8.12 प्रभारी पदाधिकारी प्रेक्षक कोषांग ने बताया कि परिसदन मे स्थित एक हैण्ड पम्प का हेड खराब है। उप विकास आयुक्त सारण को निदेश दिया गया कि वे कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल छपरा से समन्वय कर इसे अविलंब बदलवा दें।

9- मीडिया कोषांगः-

श्री मुश्ताक अहमद नूरी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण ने बताया कि उनके कोषांग के सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। इन्हें निदेश दिया गया कि जिला प्रशासन द्वारा जो भी विज्ञप्तियां विभिन्न समाचार पत्रों मे प्रकाशनार्थ जनसंपर्क निदेशालय मे भेजी जाती हैं, वे उन्हे निर्धारित समय पर प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

10- अर्द्ध सैनिक बल कोषांगः-

10.1 श्री अजय कुमार, अंचल अधिकारी, गड़खा-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग ने बताया कि अर्द्ध सैनिक बलों की अब तक कुल 4 कंपनियां जिला को आवंटित की गयी हैं जिनमे से 2 जिला मे आ चुकी हैं। उपस्थित अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा को निदेश दिया गया कि इन कंपनियों का उपयोग विभिन्न छापामारी कार्य मे किया जाय। जैसे जैसे अन्य कंपनियां प्राप्त होती हैं, अन्य अनुमण्डल पदाधिकारी भी इनका उपयोग छापामारी मे करेंगे।

10.2 जिला परिवहन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अर्द्ध सैनिक बलों के उपयोग हेतु 1 कंपनी के लिये 3 मिनी बस उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगी।

10.3 अर्द्ध सैनिक बलों के आवागमन और उनकी गतिविधियों के संबंध मे आवश्यकतानुसार राशि संबंधित अंचल अधिकारियों को उपलब्ध करा दी जायेगी।

10.4 प्रभारी पदाधिकारी अर्द्ध सैनिक बल कोषांग को आदेश दिया गया कि वे विभिन्न सैन्य पदाधिकारियों के आने पर उनके आवासन हेतु शहर के विभिन्न होटलों मे समय पूर्व वांछित संख्या मे कमरे अधिग्रहित करें और अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें ताकि उनके आने पर उन्हें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

11- डिजिटल केमरा कोषांगः-

11.1 इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी श्री मोहन प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी, सारण हैं। इन्हें निदेश दिया गया कि वे अपने कोषांग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यो की Micro Planning तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनांक 28.3.2009 तक उपस्थापित करें।

11.2 प्रभारी पदाधिकारी ने सूचित किया कि केमरों को Operate करने के लिये इन्हें बैट्री की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि वे समुचित प्रस्ताव संचिका मे उपस्थापित करें।

12- व्यय लेखा कोषांगः-

12.1 श्री सियाराम सिंह, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, सारण को बताया गया कि इस निर्वाचन मे अलग से व्यय प्रेक्षक नहीं आ रहे हैं। सामान्य प्रेक्षक ही अभ्यर्थियों के व्यय लेखा की जांच करेंगे। श्री सिंह के पास अब तक विभिन्न सामग्रियों की बाजार दर तक उपलब्ध नहीं थी जो अत्यंत खेदजनक है। इन्हें निदेश दिया गया कि वे विभिन्न सामग्रियों की बाजार दर अविलंब प्राप्त कर लें ताकि अभ्यर्थियों के लेखा की जांच करने मे कठिनाई नहीं होने पाये।

12.2 उप विकास आयुक्त, सारण को निदेश दिया गया कि इस कोषांग को स्वयं Monitor करें और अभ्यर्थियों को जांच हेतु नोटिस इत्यादि निर्गत कराने की कार्रवाई अपनी देख रेख मे करवाना सुनिश्चित करेंगे।

13-मतपत्र लेखा कोषांगः-

13.1 इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी श्री गोपीचन्द सिंह, कोषागार पदाधिकारी, सारण हैं। इन्हें निदेश दिया गया कि दिनांक 28.3.2009 तक अपने कोषांग द्वारा किये जाने वाले कार्यो की Study कर Micro Management के साथ बैठक मे भाग लें।

Rajendra

13.2 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे Postal Ballot Pper की आवश्यकता का आकलन कर दिनांक 28.3.2009 को अवगत करायें।

13.3 इन्हें यह भी निदेश दिया गया कि Service Voters, Duty Voters की संख्या का आकलन कर भी प्रस्ताव उपस्थापित करें।

13.4 प्रभारी पदाधिकारी Challenged Votes के लिये मतपत्र की संख्या का आकलन उसे मुद्रित कराने का प्रस्ताव भी उपस्थापित करेंगे।

14- वाहन कोषांगः-

14.1 श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव, प्रभारी पदाधिकारी-सह- जिला परिवहन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे वाहनों की आवश्यकता का आकलन लें क्योंकि मुख्यतः प्रेक्षक, अर्द्ध सैनिक बल, गश्ती दल दण्डाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी, Polling personnels और EVM के Movement के लिये ही वाहनों की आवश्यकता है। यह कार्य दिनांक 28.3.2009 तक पूर्ण कर लिया जाय।

14.2 वाहन मालिकों/ पेट्रोल पम्प मालिकों को दिये जाने वाले अग्रिम का आकलन भी दिनांक 28.3.2009 तक कर लिया जाय।

14.3 वाहन कोषांग कार्य करने के स्थल, लॉग बुक खोलने, ईधन का कूपन काटने, वाहनों पर स्टिकर लगाने, वाहन पकड़ने की तिथि जैसे सभी छोटे बड़े कार्यो की Micro planning कद दिनांक 28.3.2009 तक टंकित प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय।

14.4 चालकों के मनोरंजन के लिये उनके आवासन स्थल पर दो टेलीविजन सेट भी लगवा दिये जांय।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

BRajendra 27.3.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1210 / सी
छपरा,दिनांक 27 मार्च,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ मीडिया कोषांग/ सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण/ अंचल अधिकारी, अमनौर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

BRajendra 27.3.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1210 / सी
छपरा,दिनांक 27 मार्च,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

BRajendra 27.3.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे दिनांक 28.3.2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी
3-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
4-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन कोषांग
5-	श्री सूर्य नारायण सिंह	जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
6-	श्री सांवर भारती	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा
7-	श्री महेन्द्र सिंह	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग
8-	श्री सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग
9-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
10-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
11-	श्री अजय कुमार	अंचल अधिकारी, गड़खा सह प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग
12-	श्री सदीप शेखर प्रियदर्शी	अंचल अधिकारी, अमनौर
13-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग
14-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग
15-	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
16-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
17-	श्री चन्देश्वर राम	कार्यपालक अभियन्त, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा
18-	श्री अजय कुमार	जिला अवर निबंधक, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, छपरा
19-	श्री सियाराम सिंह	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त सह प्रभारी पदाधिकारी व्यय लेखा कोषांग
20-	श्री प्रियदर्शी रंजन	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, सारण
21-	श्री विनोद कुमार	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, सारण
22-	श्री राजीव कुमार	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, सारण
23-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग
24-	श्री नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
25-	श्री अनिल कुमार सिंह	विकास पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास कार्यक्रम प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग
26-	श्री विपिन बिहारी सिंह	सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल-1 छपरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को दिनांक 27.3.2009 की बैठक मे दिये गये निदेशों और लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा किया। स्थिति निम्नवत् पायी गयीः-

1- कार्मिक कोषांग:-

1.1 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग ने निम्नलिखित सूचना दिया:-

- पीठासीन पदाधिकारियों के कुल निर्गत 2845 नियुक्ति पत्रों मे से 2062 का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है। शेष तामिला नहीं होने का कारण Duplicate नियुक्ति पत्र होना है। जिलाधिकारी ने अविलंब शेष कार्मिकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का आदेश दिया।
- मतदान पदाधिकारी सं0 1, मतदान पदाधिकारी सं0 2 और मतदान पदाधिकारी सं0 3 के नियुक्ति पत्र को तामिला प्रारंभ हो गया है। आज मतदान पदाधिकारी 1 के 347, मतदान पदाधिकारी सं0 2 के 38 और मतदान पदाधिकारी सं0 3 के 8 नियुक्ति पत्रों का तामिला प्राप्त हो चुका है।

1.2 जिलाधिकारी ने बताया कि विभिन्न कारणों से कर्मियों को Election duty से मुक्त करने का एकमात्र अधिकार जिलाधिकारी को है। यदि किसी कारणवश जिलाधिकारी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उप विकास आयुक्त अपने स्तर से संबंधित कर्मी को मुक्त कर जिलाधिकारी से अनुमोदन प्राप्त कर लेंगे। निर्वाचन कर्मियों के Exemption मे पूर्ण पारदर्शिता बरती जाय और विमुक्ति आदेश संबंधित कर्मी के पदस्थापन कार्यालय मे निश्चित रूप से भेज दिया जाय और इसका भी तामिला प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।

1.3 श्री मिश्र ने बताया कि नये सेक्टर पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया गया है। बैठक मे उपस्थित कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, छपरा ने बताया कि कुल 7 सेक्टर दण्डाधिकारियेां मे से 3 ने योगदान कर लिया है। प्रभारी पदाधिकारी शेष 4 का भी अविलंब योगदान सुनिश्चित करायें।

1.4 तरैया, एकमा और कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, छपरा ने गश्ती दल दण्डाधिकारियों की संबद्धता सूची अभी तक अप्राप्त है। इन्हें अविलंब कारण पृच्छा निर्गत की जाय और निदेश दिया जाय कि वांछित सूची दिनांक 29.3.2009 को 12 बजे दिन तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

1.5 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को निदेश दिया गया कि मतदान के दिन Polled EVM को प्राप्त करने के लिये विधानसभावार कम से कम 5 काउंटर खोले जांय। इनमे से 4 काउंटर नियमित होंगे और एक काउंटर विभिन्न समस्याओं यथा PS-05 प्रपत्र, पीठासीन पदाधिकारी की डायरी, Statutory & Non- Statutory packets मे भिन्नता/ अनुपलब्धता इत्यादि के निराकरण के लिये होगा। इसके लिये समय पूर्व सारी व्यवस्थायें और कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर ली जाय। उप निर्वाचन पदाधिकारी सारण के सुझाव पर यह निर्णय लिया गया कि गश्ती दल दण्डाधिकारीवार यह व्यवस्था की जाय। पीठासीन पदाधिकारी भी गश्ती दल दण्डाधिकारियों के साथ आयेंगे यह निदेश सभी संबंधित को दे दिया जाय।

1.6 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र को आदेश दिया गया कि 2nd Randomization के बाद कौन कर्मी किस प्रखंड मे जायेगा इसकी सूचना संबंधित प्रखंड और कर्मी के पदस्थापन प्रखंड मे भी अवश्य प्रेषित की जाय ताकि उस कर्मी के नियंत्री पदाधिकारी को यह ज्ञात हो सके कि उक्त कर्मी की ड्यूटी कहां लगायी गयी है।

1.7 गश्ती दल दण्डाधिकारी, सेक्टर मैजिस्ट्रेट, डिजिटल केमरा मे प्रतिनियुक्त किये जाने वाले पदाधिकारी और Micro Observers का नियुक्ति पत्र भी निकालने की कार्रवाई करने का निदेश श्री मिश्र को दिया गया।

2- प्रशिक्षण कोषांग:-

इस कोषांग के कार्यो की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निदेश श्री सुरेन्द्र झा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग को दिये गये:-

- प्रशिक्षण के दौरान विलंब से पहुँचने वाले कर्मियों से स्पष्टीकरण पूछा जाय।
- समाचार पत्रों मे इस आशय की प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित की जाय कि जो भी कर्मी प्रशिक्षण मे अनुपस्थित रहते हैं उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

- जो कर्मी प्रशिक्षण मे किसी कारण वे वंचित रह जाते हैं उनके लिये अलग से कमरा चिहित कर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय।
- राम जयपाल महाविद्यालय मे जेनेरेटर उपलब्ध है। इसमे ईधन दे कर कार्य करवाया जाय।
- नगर परिषद छपरा का प्रशिक्षण छपरा सदर अंचल मे और अन्य नगर पंचायतों यथा सोनपुर, दिघवारा, रिविलगंज और मढ़ौरा का प्रशिक्षण संबंधित अंचल मुख्यालयों मे आयोजित किया जायेगा। साथ ही चुनाव सामग्री भी संबंधित अंचलों मे ही वितरित की जायेगी।
- लोकसभा निर्वाचन-2009 के कार्यो के सम्यक निष्पादनार्थ लोक निर्माण विभाग निरीक्षण गृह मे एक कमरा श्री सुरेन्द्र झा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर छपरा और एक कमरा श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, अंचल अधिकारी, अमनौर को अगले आदेश तक आवंटित करने का आदेश दिया गया।
- श्री झा को आदेश दिया गया कि वे आवश्यकतानुसार स्टेशनरी निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर लें।
- श्री झा प्रशिक्षण सामग्री का भी Planning कर लें। पूरे जिला के लिये प्रशिक्षण की Planning प्रशिक्षण कोषांग से करने का आदेश दिया गया।
- श्री मोहन प्रसाद जिला योजना पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे डिजिटल केमरा संचालन का प्रशिक्षण जिला मुख्यालय मे ही आयोजित करने की कार्रवाई करें। वे इसके लिये Training material भी तैयार कर लेंगे। श्री सुरेन्द्र झा इस कार्य मे उनको सहयोग प्रदान करेंगे।

3- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) कोषांगः-

3.1 श्री सूर्य नारायण सिंह जिला कल्याण पदाधिकारी ने बताया कि सोनपुर प्रखंड सेअभी तक प्रशिक्षण हेतु EVM नहीं ले जाया गया है। अंचल अधिकारी सोनपुर से दूरभाष पर वार्त्ता हुयी। उन्होने बताया कि वे दिनांक 29.3.2009 को 11 बजे दिन तक इसे अवश्य प्राप्त कर लेंगे।

3.2 दिनांक 27.3.2009 की बैठक मे प्रभारी पदाधिकारी को कार्य योजना प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था। इनके द्वारा जो कार्य योजना प्रस्तुत की गयी उसमे Mind apply नहीं किया गया है और बिना सोचे समझे तैयार कर दिया गया है जो खेदजनक है। यदि इस प्रकार से कार्य किया गया तो निर्वाचन कार्य मे उत्पन्न होने वाली बाधा के लिये ये पदाधिकारी पूर्णरूपेण जिम्मेवार होंगे अतएव Micro planning कर दिनांक 29.3.2009 को प्रस्ताव उपस्थापित किया जाय। Micro planning प्रस्तुत नहीं करने के लिये उत्तरदायी श्री सूर्य नारायण सिंह, जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण और श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, सारण से इस लापरवाही के लिये स्पष्टीकरण भी पूछने का आदेश दिया गया।

3.3 प्रभारी पदाधिकारी द्वारा EVM सीलिंग के लिये जो सूची प्रस्तुत की गयी उसमे मात्र एक कर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया था जो सर्वथा अव्यवहारिक है। उन्को निदेश दिया गया कि EVM सीलिंग मे एक विधानसभाखण्ड मे कम से कम 10 कर्मियों के अतिरिक्त दफ्तरी, लिपिक और अनुसेवी भी दिये जांय।

3.4 EVM सीलिंग के लिये उप विकास आयुक्त से संपर्क स्थापित कर NREGS के अभियन्ताओं को प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया गया। इस कार्य के लिये उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य भी किया जाय।

3.5 EVM स्ट्रांग रूम को दिनांक 29.3.2009 तक अवश्य सील कर दिया जाय।

3.6 EVM सीलिंग मे इस बात का अवश्य ध्यान रखा जाय कि किसी उम्मीदवार के सामने का बटन दबाने पर मत उन्हीं के खाते मे दर्ज हो किसी अन्य के खाते मे नहीं।

3.7 EVM कोषांग की Overall performance संतोषप्रद नहीं पायी गयी। उप विकास आयुक्त, सारण और उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 29.3.2009 को EVM कोषांग का भ्रमण कर कार्यो की समीक्षा कर उसमे प्रगति लाने की कार्रवाई करें और फलाफल से अधोहस्ताक्षरी को संध्या बैठक मे अवगत करायें।

4- सामग्री कोषांगः-

4.1 श्री अंजनी कुमार सिन्हा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर छपरा-सह- प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग को निदेश दिया गया कि वे सामग्रियों का दर निर्धारण अविलंब कराना सुनिश्चित करें।

4.2 श्री सिन्हा को निदेश दिया गया कि वे प्रपत्रों का मुद्रण दिनांक 30.3.2009 तक निश्चित रूप से करवा लें।

4.3 श्री सिन्हा के अनुरोध पर सामग्री कोषांग की सुरक्षा की सुरक्षा हेतु गृहक्षकों को प्रतिनियुक्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक, सारण से अनुरोध करने का निदेश दिया गया।

4.4 सामग्री कोषांग द्वारा Micro planning प्रस्तुत किया गया जिसे संतोषप्रद पाया गया।

5- प्रेक्षक कोषांगः-

5.1 श्री अनिल कुमार सिंह, विकास पदाधिकारी, आई सी डी पी सह प्रभारी पदाधिकारी प्रेक्षक कोषांग ने बताया कि उन्हें निदेशित सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं।

5.2 श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, अंचल अधिकारी, अमनौर को आदेश दिया गया कि वे प्रेक्षकगण को दी जाने वाली Hand book तैयार कर दिनांक 29.3.2009 को 12 बजे दिन तक अवश्य प्रस्तुत करें।

5.3 कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल ने बताया कि परिसदन मे वे नया हैण्ड पम्प लगवा रहे हैं। यह कार्य अगले 2-3 दिनों मे पूर्ण कर लिया जायेगा।

6- मीडिया कोषांगः-

श्री मुश्ताक अहमद नूरी जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण ने बताया कि उनके कोषांग के सभी कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। इन्हें निदेश दिया गया कि जिला प्रशासन द्वारा जो भी प्रेस ब्रीफिग की जायेगी उसका Material समय पूर्व तैयार करा लेंगे ताकि उसे संवाददाता सम्मेलन मे वितरित किया जा सके।

7- अर्द्ध सैनिक बल कोषांगः-

7.1 श्री अजय कुमार, अंचल अधिकारी, गड़खा-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग को निदेश दिया गया कि वे अर्द्ध सैनिक बल के पदाधिकारियों के उपयोग हेतु BSNL के 555/- रूपये के Recharge vouchers उन्हें उपलब्ध करा दें।

7.2 अर्द्ध सैनिक बलों के उपयोग हेतु ईधन की आपूर्त्ति वे अंचल अधिकारी करेंगे जिनके क्षेत्राधिकार मे उनका आवासन है। भले ही अर्द्ध सैनिक बल अन्य क्षेत्रों मे भ्रमण करते हों।

7.3 अर्द्ध सैनिक बलों के उपयोग हेतु उन्हें Dedicated vehicle उपलब्ध करा दिये जांय। इनके ईधन इत्यादि का व्यय संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा किया जायेगा। जैसे ही सरकार से इस मद मे राशि प्राप्त होगी, उन्हें उपलब्ध करा दिया जायेगा।

7.4 प्रभारी पदाधिकारी अर्द्ध सैनिक बल कोषांग के अनुरोध पर निदेश दिया गया कि जिला नियंत्रण कक्ष मे स्थापित जेनेरेटर से उनके कक्ष मे भी कनेक्शन दे दिया जाय। प्रभारी पदाधिकारी को पेडस्टल पंखे भी उपलब्ध कराने का आदेश उप निर्वाचन पदाधिकारी सारण को दिया गया।

8- डिजिटल केमरा कोषांगः-

8.1 इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी श्री मोहन प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी, सारण ने अपने कोषांग द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्यो की Micro Planning तैयार कर उपस्थापित किया।

8.2 यदि डिजिटल कैमरा की संख्या कम हो तो श्री मोहन प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी इसे अन्य जिलों से मंगवाने की कार्रवाई करेंगे।

9- व्यय लेखा कोषांगः-

9.1 श्री सियाराम सिंह, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, सारण को निदेश दिया गया कि वे विभिन्न सामग्रियों का दर जिलाधिकारी से अनुमोदित करा लें।

9.2 जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सारण के हस्ताक्षर से सभी अभ्यर्थियों को पत्र निर्गत करने का आदेश दिया कि वे नियमित रूप से अपने लेखा की जांच करवाना सुनिश्चित करेंगे।

10- वाहन कोषांगः-

श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव, प्रभारी पदाधिकारी-सह- जिला परिवहन पदाधिकारी को आदेश दिया गया था कि वे वाहन कोषांग कार्य करने के स्थल, लॉग बुक खोलने, ईधन का कूपन काटने, वाहनों पर स्टिकर लगाने, वाहन पकड़ने की तिथि जैसे सभी छोटे बड़े कार्यो की Micro planning कर दिनांक 28.3.2009 तक टंकित प्रस्ताव उपस्थापित करें किन्तु उन्होने इसे नहीं किया। यह अत्यंत खेदजनक है। उनसे अपेक्षा की जाती है कि यह planning दिनांक 29.3.2009 को उपस्थापित की जाय।

11- विविधः-

11.1 उप निर्वाचन पदाधिकारी सारण के सुझाव पर निर्णय लिया गया कि श्री मोहन प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी, सारण को मतदाता कल्याण कोषांग का प्रभारी पदाधिकारी बनाने का निर्णय लिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को निदेश दिया जाता है कि वे इस कोषांग के कार्य संपादन हेतु समुचित संख्या मे अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करें।

11.2 इसी प्रकार वज्र गृह कोषांग का प्रभारी पदाधिकारी कोषागार पदाधिकारी को बनाने का निर्णय लिया गया। कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपनी सुविधानुसार वज्रगृह प्रभारी पदाधिकारियों का नाम दिनांक 30.3.2009 तक उपस्थापित करें।

11.3 उप निर्वाचन पदाधिकारी ने सारण जिला मे Videography की दर अपेक्षाकृत अधिक होने की बात बताया। उन्होने कहा कि समीपवर्त्ती सिवान जिला मे सारण जिला से लगभग आधी दर निर्धारित है। जिलाधिकारी ने संबंधित Vendor को बुला कर दर वार्त्ता (Negotiation) करने का निदेश दिया।

11.4 मतदान के दिन Polled EVM भण्डारित करने हेतु बाजार समिति परिसर की बैरकेडिंग, लाईट, माइक की समुचित व्यवस्था करने हेतु उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को निदेश दिया गया।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

28.3.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1219. / सी
छपरा,दिनांक 29. मार्च,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ मीडिया कोषांग/ सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण/ अंचल अधिकारी, अमनौर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28.3.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1219. / सी
छपरा,दिनांक 29. मार्च,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

28.3.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से.,जिला दण्डाधिकारी–सह– जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण छपरा की अध्यक्षता में सोनपुर अनुमण्डल कार्यालय के कॉन्फ्रेन्स हॉल में दिनांक 29.3.09 को 3.00 बजे अपराह्न में आसन्न लोक सभा निर्वाचन,2009 के समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:–

1– डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी–सह–जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण।
2– राजेन्द्र प्र0 गुप्ता	अनुमण्डल पदाधिकारी,सोनपुर।
3– दिनेशचन्द्र द्विवेदी	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,सोनपुर।
4– पी0 के0 दास	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी,सोनपुर।
5– राजयेनन्द बाडियार	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,सोनपुर।
6– चितरजन प्रसाद यादव	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,दरियापुर।
7– रविन्द्र कुमार	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,दिघवारा।
8– मनोज कुमार	थानाध्यक्ष,सोनपुर।
9– श्रीमती रागनी कुमारी	महिला प्रसार पदाधिकारी,दिघवारा।
10–श्रीमती रवि कुमारी	महिला प्रसार पदाधिकारी,दरियापुर।
11–वीरेन्द्र कुमार	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी,दरियापुर।
12–उदयनारायण प्रसाद	प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, दरियापुर।
13–राम सेवक सिंह	कनीय अभियंता,पथ प्रमण्डल,छपरा।
14–रघुनाथ तिवारी	अंचल निरीक्षक,दरियापुर।
15–सुरेश कुमार सिंह	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी,दिघवारा।
16–श्रीमती रेणु कुमारी सिन्हा	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी,दिघवारा।
17–सत्येन्द्र कुमार सिन्हा	प्रखण्ड पंचायत पदाधिकारी,दरियापुर।
18–चन्द्रभूषण सिंह	सांख्यिकी सहायक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, दरियापुर।
19–राजेन्द्र प्रसाद सिंह	पौधा संरक्षण पर्यवेक्षक,सोनपुर।
20–जगदीश प्रसाद सिंह	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी,सोनपुर।
21–जगदीश नारायण	अंचल निरीक्षक,सोनपुर।
22–राजेश्वर प्रसाद सिंह	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी,सोनपुर।
23–संजय कुमार	प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक,सोनपुर।
24–रविन्द्र कुमार पाण्डेय	कनीय अभियंता,सोनपुर।
25–औसाफ जुबैरी	कनीय अभियंता,सोनपुर।
26–विजय कुमार मंडल	प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी,सोनपुर।
27–अलख निरंजन	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी,दिघवारा।
28–अशोक कुमार चौधरी	अंचल निरीक्षक,दिघवारा।
29–असीत मजुमदार	प्रखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी दिघवारा।
30–कृष्णदेव सिंह	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी,दिघवारा।
31–राम कुमार राय	प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक,दिघवारा।
32–अरविन्द कुमार	प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी,सोनपुर।

बैठक के प्रारंभ मे जिलाधिकारी, सारण ने उपस्थित अंचल अधिकारियों और थानाध्यक्षगण से अंचलवार थाना और इन थाना के अंतर्गत अवस्थित मतदान केन्द्रों की जानकारी प्राप्त किया। स्थिति निम्नवत् पायी गयी:-

क0	अंचल का नाम	थाना का नाम	मतदान केन्द्रों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1-	दिघवारा	अकिलपुर	7	यह थाना पटना जिलान्तर्गत है किन्तु विकास और राजस्व संबंधी कार्य सारण जिला से संपादित किये जाते हैं।
		दिघवारा	48	
		अवतार नगर	12	
2-	सोनपुर	सोनपुर		
		नयागांव		
3-	दरियापुर	दरियापुर	98	
		डेरनी	51	
		अवतार नगर	9	

2- जिलाधिकारी ने बताया कि अकिलपुर थानान्तर्गत अवस्थित मतदान केन्द्रों के लिये पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु पटना जिला प्रशासन से अनुरोध किया गया है।

3- अंचल अधिकारी, सोनपुर ने बताया कि सोनपुर प्रखंड के 4 मतदान केन्द्र यथा 116-प्रा0 वि0 छित्तर चक गंगावार, 108 प्रा0 वि0 रमसापुर, 109-सामुदायिक भवन गरीबपट्टी एवं 79-सामुदायिक भवन सिंगहीपुर गंगा नदी के दूसरे किनारे पर स्थित हैं जहां जाने के लिये पीपा के पुल का रास्ता है। इन मतदान केन्द्रों की दूरी अधिक होने से इन पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। जिलाधिकारी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर को इन मतदान केन्द्रों की स्थिति का स्वयं अध्ययन कर इन समुचित गश्ती की व्यवस्था कराने का निदेश दिया।

4- अनुमण्डल पदाधिकारी सोनपुर ने बताया कि अनुमण्डल मे विधि व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण मे है और कहीं से भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रकाश मे नहीं आया है। जनसाधारण मे प्रशासन के प्रति विश्वास उत्पन्न करने हेतु जयगोविन्द उ. वि. दिघवारा मे आवासित अर्द्ध सैनिक बल की टुकड़ी का क्षेत्र मे Flag March करवाया जा रहा है। इस कम मे जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि सभी प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारी और थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र मे लगातार भ्रमण कर मतदाताओं के बीच आत्म विश्वास उत्पन्न करेंगे। सेक्टर पदाधिकारी अपने क्षेत्र में ऐसे मतदाताओं को चिन्हित करेंगे जिन्हें भय अथवा प्रलोभन से प्रभावित किये जाने की संभावना हो। सेक्टर पदाधिकारी ऐसे मतदाताओं सूची वरीय पदाधिकारियों को देंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर और उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सोनपुर सूचना प्राप्त होते ही कार्रवाई करेंगे और अर्द्ध सैनिक बलों और स्थानीय प्रशासन के माध्यम से मतदाताओं मे जागरूकता उत्पन्न करेंगे।

5- जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि उपलब्ध अर्द्ध सैनिक बलों को वारंटियों की गिरफ्तारी, अवैध शराब के अड्डों पर छापामारी, अवैध हथियार की बरामदगी, वाहन चेकिंग

BRajendra

इत्यादि कार्यो मे प्रभावकारी ढंग से उपयोग किया जाय जिससे मतदाताओं मे आत्म विश्वास उत्पन्न हो सके।

6- जिलाधिकारी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर और सभी थानाध्यक्षों/ अंचल अधिकारियों को निदेश दिया कि वे क्षेत्र मे सघन भ्रमण करें और चुनाव प्रचार पर अपनी पैनी नजर रखें। कहीं से भी आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रकाश मे आता है तो तुरन्त कानूनी कार्रवाई की जाय। आसूचना संग्रह मे चौकीदारों और दफादारों का भी उपयोग किया जाय ताकि आसन्न लोकसभा निर्वाचन को स्वच्छ एवं शान्तिपूर्ण वातावरण मे संपन्न कराया जा सके।

7- जिलाधिकारी ने उपस्थित सेक्टर पदाधिकारियों से उनके क्षेत्र भ्रमण के संबंध मे जानकारी मांगी गयी। श्री औसाफ अहमद जुबैरी, कनीय अभियन्ता सहित कई सेक्टर पदाधिकारी अपने द्वारा भ्रमण किये गये मतदान केन्द्रो के संबंध मे जानकारी नहीं दे सके। जिलाधिकारी ने उन्हें पुनः निदेश दिया कि वे अपने क्षेत्र का सघन भ्रमण करें और सभी मतदान केन्द्रों का कमांक और नाम, विधानसभा खण्ड का नाम स्पष्ट रूप से अंकित करवाना सुनिश्चित करेंगे।

8- सेक्टर पदाधिकारियों द्वारा संतोषप्रद कार्य नहीं किये जाने के कारण अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर को निदेश दिया गया कि वे सभी सेक्टर पदाधिकारियों/ अंचल अधिकारियों और थानाध्यक्षों की ब्रीफिंग दिनांक 1.4.2009 को करें ताकि वे अपने कार्य मे सुधार ला सकें।

9- अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर को निदेश दिया गया कि जो सेक्टर पदाधिकारी मोटर साइकिल से भ्रमण करते हैं उन्हें समुचित ईधन की आपूर्त्ति अपने स्तर से जांचोपरान्त करना सुनिश्चित करेंगे।

10- श्री असित मजूमदार, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, दिघवारा ने बताया कि विगत चुनाव मे मतदान केन्द्र संख्या 14-प्रा0 वि0 कुरैया मे कमजोर वर्ग के मतदाताओं को अपना मत डालने से रोका गया था। जिलाधिकारी ने अनुमण्डल पदाधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर को इस संबंध मे समुचित कार्रवाई करने का निदेश दिया।

11- अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर ने बताया कि मतदान के दिन असामाजिक तत्वों द्वारा पटना से गंगा नदी पार कर मतदान बाधित करने की संभावना है। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि वे क्षेत्र की भौगोलिक पृष्ठभूमि का आकलन कर घुड़सवार दस्ता और अन्य माध्यमों से सघन गश्ती करवाना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

BRajendra 1.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी, सारण-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

ज्ञापांक 1260 /निर्वाचन
छपरा, दिनांक 1 अप्रैल मार्च, 2009

प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर/ भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सोनपुर/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी अंचल अधिकारी, सोनपुर अनुमण्डल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

BRajendra 1.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी, सारण-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

19

ज्ञापांक 1260 / ~~निर्वाचन~~
छपरा,दिनांक 1 मार्च,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि सभी प्रेक्षकगण, 20- सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित।

BRajendra 1.4.2009
(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी, सारण-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे दिनांक 29.3.2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी
3-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
4-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन कोषांग
5-	श्री सूर्य नारायण सिंह	जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
6-	श्री सांवर भारती	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा
7-	श्री महेन्द्र सिंह	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग
8-	श्री सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग
9-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
10-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
11-	श्री अजय कुमार	अंचल अधिकारी, गड़खा सह प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग
12-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग
13-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग
14-	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
15-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
16-	श्री चन्देश्वर राम	कार्यपालक अभियन्त, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा
17-	श्री अजय कुमार	जिला अवर निबंधक, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, छपरा
18-	श्री सियाराम सिंह	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त सह प्रभारी पदाधिकारी व्यय लेखा कोषांग
19-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग
20-	श्री नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
21-	श्री अनिल कुमार सिंह	विकास पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास कार्यक्रम प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को दिनांक 27.3.2009 और 28.3.2009 की बैठकों मे दिये गये निदेशों और लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा किया। स्थिति निम्नवत् पायी गयीः-

1- वाहन कोषांगः-

1.1 श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव, जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण ने वाहन कोषांग के कार्यो के संचालन हेतु टाइपिस्ट की मांग किया। उप विकास आयुक्त, सारण को निदेश दिया गया कि वे इन्हें कम्प्यूटर ऑपरेटर और टाइपिस्ट उपलब्ध करा दें।

29.3.2009

1.2 श्रीमती श्रीवास्तव को निदेश दिया गया कि वे वाहनों को दूरी और उनके आकार के आधार पर ईंधन का कूपन निर्गत करें।

1.3 ईंधन आपूर्त्ति करते समय पेट्रोल पम्पों की संबद्धता को भी ध्यान मे रखा जाए।

1.4 राशि की आवश्यकता का आकलन करने का निदेश दिया गया।

1.5 जो भी आदेश निर्गत करने हों उनका प्रारूप उपस्थापित किया जाय।

1.6 वाहन कोषांग के कार्य प्रणाली की समीक्षा करने हेतु दिनांक 30.3.2009 को संध्या 4.30 बजे समाहरणालय सभागार मे एक समीक्षा बैठक आयोजित करने का निदेश दिया गया जिसमे वाहन कोषांग मे प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी/ कर्मचारी निश्चित रूप से भाग लेंगे।

1.7 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे EVM की बैट्री लाने हेतु एक पिकप वैन दिनांक 30.3.2009 को प्रातः काल श्री सूर्य नारायण सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, ई वी एम कोषांग को उपलब्ध करा देंगी।

2- व्यय लेखा कोषांगः-

इस कोषांग के कार्यो की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निदेश श्री सियाराम सिंह, वाणिज्य कर आयुक्त, सारण को दिये गयेः-

2.1 वाणिज्य कर कार्यालय मे पदस्थापित पदाधिकारियो के बीच दो दो विधानसभा खण्डवार व्यय लेखा की जांच का कार्य विभाजित कर दें। ये पदाधिकारी संबंधित प्रेक्षकगण को सभी संबंधित जानकारी/ दर तालिका यथासमय उपलब्ध करा देंगे।

2.2 उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे व्यय लेखा संबंधी सरकार से प्राप्त सभी परिपत्र श्री सियाराम सिंह को उपलब्ध करा दें।

2.3 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे इन परिपत्रों का अध्ययन कर उसका सारांश दिनांक 30.3.2009 को उपस्थापित करें।

2.4 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अपने कार्यालय का पता और दूरभाष नंबर सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दें।

2.5 प्रभारी पदाधिकारी द्वारा की गयी पृच्छा पर उन्हें निदेश दिया गया कि किसी भी प्रत्याशी द्वारा उपयोग किये जा रहे किसी भी प्रकार के वाहन का भाड़ा बाजार दर पर उनके व्यय लेखा मे अंकित किया जाय।

3- मतदानकर्मी कल्याण कोषांगः-

इस कोषांग के कार्यो की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निदेश श्री सियाराम सिंह, वाणिज्य कर आयुक्त, सारण को दिये गयेः-

3.1 इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी श्री मोहन प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी हैं। लिपिकीय भूल से दिनांक 1219/ सी दिनांक 29.3.2009 द्वारा निर्गत कार्यवाही मे इस कोषांग का नाम मतदाता कल्याण कोषांग टंकित हो गया है। तदनुसार इसे सुधार कर पढ़ा जाय।

3.2 उप निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि लोक निर्माण विभाग निरीक्षण गृह से हटने वाला एक टेलीफोन इस कोषांग मे लगवा दिया जाय।

3.3 प्रभारी पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे इस टेलीफोन पर Dedicated कर्मियों की duty लगवा दें।

3.4 उप निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे इस कोषांग के बारे मे निर्वाचन आयोग से प्राप्त सभी परिपत्र प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें। प्रभारी पदाधिकारी इन परिपत्रों का विश्लेषण कर दिनांक 30.3.2009 तक उपस्थापित करेंगे।

4- अर्द्ध सैनिक बल कोषांगः-

4.1 कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी श्री अजय कुमार, अंचल अधिकारी, गड़खा को निदेश दिया गया कि वे सभी अंचल अधिकारियों को संबोधित एक पत्र का प्रारूप उपस्थापित करें जिसमे उनके द्वारा संपादित किये जाने वाले सभी कार्यो यथा वाहन, ईंधन, खोराकी इत्यादि का विवरण दर्ज करते हुये यथोचित निदेश दिये जांय।

4.2 उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अर्द्ध सैनिक बलों से संबंधित सभी परिपत्र प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध करा दें। प्रभारी पदाधिकारी इन परिपत्रों के आलोक मे अग्रतर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

5- मीडिया कोषांगः-

5.1 श्री मुश्ताक अहमद नूरी, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग को निदेश दिया गया कि वे पत्रकार सम्मेलन की सामग्री समय पूर्व तैयार कर लें। यह सामग्री Qualitative और Pointed होनी चाहिये।

5.2 श्री नूरी ने बताया कि उनके कार्यालय के कुछ कर्मियों का दो दो नियुक्ति पत्र कार्मिक कोषांग द्वारा निर्गत कर दिया गया है। साथ ही जो कर्मी पटना मे कार्यरत हैं उनका नियुक्ति पत्र भी निर्गत कर दिया गया है। प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को निदेश दिया गया कि वे इस मामले की जांच कर लें और त्रुटि हो तो इसका निराकरण करा दें।

6-आचार संहिता कोषांगः-

इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी श्री महेन्द्र सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण ने बताया कि कोषांग द्वारा दैनिक प्रतिवेदन भेजा जाता है। उन्होने बताया कि आज मढ़ौरा मे आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला प्रकाश मे आया है जिसका उल्लेख प्रतिवेदन मे कर दिया गया है।

7- प्रेक्षक कोषांगः-

7.1 श्री अनिल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग ने बताया कि श्री गौतम घोष और श्री भाष्कर आनन्द, प्रेक्षक आज ही पटना से छपरा आ रहे हैं। उनके आवासन, भोजन, टेलीफोन, फैक्स, टेलीविजन इत्यादि की व्यवस्था कर दी गयी है।

7.2 लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन मे नया गद्दा, तकिया, मच्छरदानी इत्यादि की व्यवस्था करने का आदेश कार्यपालक अभियन्ता, पथ प्रमण्डल, छपरा को दिया गया।

7.3 लोक निर्माण विभाग निरीक्षण गृह के बगल मे स्थित कमरा को खाली करने का आदेश कार्यपालक अभियन्ता, भवन प्रमण्डल को दिया गया ताकि इसमे चालकगण के आवासन की व्यवस्था की जा सके।

7.4 उप निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे प्रेक्षकगण से संबंधित सभी परिपत्र श्री अनिल कुमार को उपलब्ध करा दें।

8- सामग्री कोषांगः-

8.1 श्री अंजनी कुमार सिन्हा, प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग को निदेश दिया गया कि वे सामग्री कोषांग के सभी सामानों की चेकलिस्ट तैयार कर लें ताकि कोई सामग्री छूटने नहीं पाये।

8.2 सभी सामान झोला मे डलवाने की व्यवस्था की जाय और इसके लिये उत्तरदायी कर्मचारी से प्रमाण पत्र ले लिया जाय कि कोई सामान छूटा नहीं है।

8.3 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि किस वाहन से प्रखंडों मे किस तिथि को सामान भेजा जायेगा, इसका निर्णय कर दिनांक 30.3.2009 की बैठक मे कार्य योजना प्रस्तुत करें।

8.4 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पटना से मंगवाये जाने वाले सामानों के लिये पत्र का प्रारूप उपस्थापित करें।

8.5 उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची की C.D. प्राप्त हो चुकी है। इसकी Hard copy निकलवाने की कार्रवाई की जा रही है।

9- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) कोषांगः-

9.1 EVM सीलिंग का कार्य पूर्व मे राजकीय कन्या उच्च विद्यालय मे निर्धारित किया गया था। समीक्षा मे पाया गया कि सभी 10 विधानसभा खण्डों के EVM की सीलिंग और मतदानकर्मियों तथा वाहनों के लिये वहां पर्याप्त स्थान नहीं है जिससे इन EVM को पीठासीन पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने मे कठिनाई होगी

और इसके कारण शहर मे यातायात भी अस्त व्यस्त होने की संभावना है। इन सब कठिनाईयों पर विचार कर यह निर्णय लिया गया कि कृषि उत्पादन समिति परिसर जहां मतदान के बाद EVM रखे जाने के लिये वज्रगृह का निर्माण किया गया है, उसी को अस्थायी वज्रगृह बना कर उसके सामने वाले हाल मे EVM की सलिंग का कार्य किया जाय। इससे EVM के वितरण का नियंत्रण करने मे आसानी होगी साथ ही बाजार समिति मे वाहनों की पार्किंग हेतु पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध है।

9.2 पूर्व मे भारत निर्वाचन आयोग को वज्रगृह और मतगणना केन्द्रों के निर्माण का जो प्रस्ताव प्रेषित किया गया था उस समय विधानसभा खण्डवार प्रेक्षकगण की संबद्धता नही थी। वर्तमान मे एक प्रेक्षक के साथ दो विधानसभा खण्ड संबद्ध किये गये हैं अतएव वज्रगृह और मतगणना केन्द्र के प्रस्ताव को संशोधित करने की आवश्यकता है। तदनुसार 118- छपरा और 119-गड़खा (अ0जा0) विधानसभा खण्ड के वज्रगृह को समीप रखने का संशोधित प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण तदनुसार अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

9.3 उपर्युक्त कंडिका 9.1 और 9.2 मे अंकित निर्णय उप विकास आयुक्त, सारण के विचार और सुझाव पर लिये गये जो अत्यंत प्रशंसनीय हैं।

9.4 यह भी निर्णय लिया गया कि सेक्टर पदाधिकारियों के लिये अलग से वज्रगृह बनवा दिया जाय ताकि वहीं से EVM का वितरण किया जा सके।

9.5 उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि EVM सीलिंग की संभावित तिथि 6 अप्रैल 2009 है किन्तु मतपत्र प्राप्त होने की तिथि को देखते हुये इस तिथि मे परिवर्तन भी हो सकता है। यह भी बताया गया कि EVM सीलिंग का कार्य एक ही दिन मे संपन्न कर लिया जायेगा। प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि एक EVM सीलिंग मे लगने वाले समय और कर्मियों की आवश्यकता का आकलन कर प्रस्ताव अविलंब समर्पित करें ताकि इस पर निर्णय लिया जा सके।

9.6 EVM सीलिंग करने वाले कर्मियों का प्रशिक्षण दिनांक 3.4.2009 को मजहरूल हक एकता भवन मे करने का निर्णय लिया गया।

9.7 EVM सीलिंग प्रशिक्षण की सामग्री उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण द्वारा तैयार की जायेगी।

9.8 EVM कोषांग द्वारा Micro planning प्रस्तुत किया गया है।

9.9 बाजार समिति के वज्रगृह मे EVM को दिनांक 1.4.2009 को सील करने के लिये सभी राजनीतिक दलों को सूचना निर्गत करने का निर्णय लिया गया।

10- प्रशिक्षण कोषांगः-

10.1 श्री सुरेन्द्र झा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकरी के अनुरोध पर श्री जयकिशुन सिंह, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, सारण को प्रशिक्षण कोषांग से संबद्ध करने का निर्णय लिया गया। कार्मिक कोषांग तदनुसार आदेश निर्गत करेगा।

10.2 उप विकास आयुक्त, सारण ने अपने आशुलिपिक,कम्प्यटर और अन्य आधारभूत सुविधाओं का उपयोग प्रशिक्षण कोषांग को करने के लिये अपनी सहमति व्यक्त किया।

11- विविधः-

11.1 उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण की पृच्छा पर यह निदेश दिया गया कि Patrolling Parties की Numbering सिवान जिला से ही प्रारंभ की जाय।

11.2 अंचल अधिकारियों को उनके क्षेत्र मे स्थित मतदान केन्द्रों की संख्या के अनुरूप आवंटन देने का निर्णय लिया गया।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

29.3

(डा0 बी राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1223. / सी
छपरा,दिनांक 29. मार्च,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ मीडिया कोषांग/ सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण/ अंचल अधिकारी, अमनौर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/2009
(डा0 बी राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1223. / सी
छपरा,दिनांक 29 मार्च,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

29/3/2009
(डा0 बी राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे दिनांक 30.3.2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी
3-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन कोषांग
4-	श्री सांवर भारती	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा
5-	श्री महेन्द्र सिंह	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग
6-	श्री सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग
7-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
8-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
9-	श्री अजय कुमार	अंचल अधिकारी, गड़खा सह प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग
10-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग
11-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग
12-	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
13-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
14-	श्री चन्देश्वर राम	कार्यपालक अभियन्त, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा
15-	श्री अजय कुमार	जिला अवर निबंधक, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, छपरा
16-	श्री सियाराम सिंह	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त सह प्रभारी पदाधिकारी व्यय लेखा कोषांग
17-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग
18-	श्री नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
19-	श्री अनिल कुमार सिंह	विकास पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास कार्यक्रम प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को विगत बैठकों मे दिये गये निदेशों और लिये गये निर्णयों के अनुपालन की समीक्षा किया। स्थिति निम्नवत् पायी गयीः-

1- वाहन कोषांगः-

1.1 इस कोषांग की विस्तृत समीक्षा आज ही अलग से की जा चुकी है अतएव इस बैठक मे इस कोषांग की समीक्षा नहीं की गयी।

2- व्यय लेखा कोषांगः-

इस कोषांग के कार्यो की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निदेश श्री सियाराम सिंह, वाणिज्य कर आयुक्त, सारण को दिये गयेः-

2.1 जिलाधिकारी-सह-निर्वाची पदाधिकारी 19- महाराजगंज और अपर समाहर्त्ता, सारण-सह- निर्वाची पदाधिकारी 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की ओर से

सभी प्रत्याशियों को पत्र लिखा जाय कि वे अपने व्यय लेखा की जांच प्रत्येक तीन दिन पर इसके लिये प्राधिकृत एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों से करवाना सुनिश्चित करेंगे। इस पत्र मे जांच की तिथि, समय, स्थान और जांच पदाधिकारियों का पदनाम/ दूरभाष संख्या का भी उल्लेख किया जाय।

2.2 प्रभारी पदाधिकारी, व्यय लेखा कोषांग को निदेश दिया गया कि वे प्रत्याशीवार सभी प्रत्याशियों की संचिका संधारित करें।

2.3 दिनांक 29.3.2009 को आयोजित बैठक मे प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया था कि वे व्यय लेखा संधारण के संबंध मे निर्वाचन आयोग से प्राप्त परिपत्रों का अध्ययन कर उसका सारांश दिनांक 30.3.2009 को उपस्थापित करें। किन्तु उन्होने प्रस्तुत नहीं किया। इन्हें पुनः इस बारे मे स्मारित करते हुये दिनांक 31.3.2009 को 3.30 बजे अपराह्न मे समीक्षा हेतु उपस्थित होने का निदेश दिया गया।

2.4 प्रभारी पदाधिकारी ने विभिन्न सामग्रियों की बाजार दर उपस्थापित किया। उन्हें निदेश दिया गया कि वे 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये प्रतिनियुक्त प्रेक्षक के लिये भी इसकी एक प्रति उपलब्ध करा दें।

3- मतदानकर्मी कल्याण कोषांगः-

3.1 इस कोषांग के कार्यो की समीक्षा के कम मे श्री मोहन प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी, सारण ने इस कोषाग के कर्त्तव्य एवं दायित्व के प्रति पूर्ण अनभिज्ञता व्यक्त किया। उन्होने बताया कि इस बारे मे दिशा निर्देश उन्हें प्राप्त नहीं हो सका है। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण ने उन्हें बताया कि इस कोषांग के कर्त्तव्यों मे पीठासीन पदाधिकारियों, मतदान पदाधिकारी सं0 1, 2 एवं 3 को विभिन्न जानकारियां उपलब्ध कराना, विकलांग, बीमार कर्मियों को duty से exempt करवाना। मतदान कर्मी जहां एकत्रित होते हैं वहां पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था करवाना इत्यादि प्रमुख हैं।

3.2 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे इस कोषांग के बारे मे व्यापक प्रचार प्रसाद करवायें, समाचार पत्रो मे विज्ञप्ति प्रकाशित करवायें ताकि सर्वसाधारण को इसके बारे मे जानकारी प्राप्त हो सके।

3.3 उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया कि वे इस कोषांग मे एक टेलीफोन लगवा दें और इसके नंबर का भी प्रचार प्रसार करवा दें। प्रभारी पदाधिकारी इस टेलीफोन पर Dedicated कर्मियों की duty भी लगवा दें।

4- डिजिटल केमरा कोषांगः-

4.1 जिलाधिकारी ने सूचित किया कि 761 Critical Booths जिन पर Digital Camera लगाया जायेगा, के बारे मे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को पत्र लिखा गया है। अभी तक वहां से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है। Digital camera के अतिरिक्त इन मतदान केन्द्रों पर Micro Observers प्रतिनियुक्त करने के साथ साथ Videography भी करवायी जायेगी। अतएव सभी स्थितियों का आकलन के उपरान्त ही अन्य जिलों से केमरा मंगवाने की कार्रवाई की जाय।

5- अर्द्ध सैनिक बल कोषांगः-

5.1 जिलाधिकारी ने सूचित किया कि अर्द्ध सैनिक बल मद मे सरकार से आवंटन प्राप्त हो गया है। इसे अंचल अधिकारियों को चेक के माध्यम से उपावंटित करने की कार्रवाई की जा रही है।

5.2 संबंधित अंचल अधिकारी उपावंटित राशि व्यय करने के 10 दिनों के अंदर इस राशि का DC Bill जिला निर्वाचन कार्यालय मे भेजना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

6- मीडिया कोषांगः-

BRajendra

25

श्री मुश्ताक अहमद नूरी, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग ने बताया कि उनके द्वारा पत्रकार सम्मेलन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गयी हैं।

7-आचार संहिता/ शिकायत कोषांगः-

7.1 उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को निदेश दिया गया कि इस कोषांग मे एक टेलीफोन लगवा दें।

7.2 इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी श्री महेन्द्र सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण को निदेश दिया गया कि वे स्थापित दूरभाष पर कर्मचारियों की Round the Clock duty लगवा दें और प्राप्त शिकायतों की एक पंजी मे प्रविष्टि भी करवायें जिसमे इन पर कृत कार्रवाई का विवरण भी दर्ज किया जाय।

7.3 श्री महेन्द्र सिंह को यह भी निदेश दिया गया कि अब तक प्राप्त शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गयी इसका विवरण दिनांक 31.3.2009 की बैठक मे उपस्थापित करें।

8- प्रेक्षक कोषांगः-

8.1 अनिल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग ने बताया कि एक प्रेक्षक को छोड़कर बाकी 4 प्रेक्षकगण छपरा आ चुके हैं और इनके आवासन, भोजन, टेलीफोन, फैक्स, टेलीविजन इत्यादि की व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य कर रही है।

8.2 लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन मे नया गद्दा, तकिया, मच्छरदानी इत्यादि की व्यवस्था कर दी गयी है।

8.3 श्री सिंह ने बताया कि परिसदन के सभी कमरों मे कूलर की व्यवस्था कर दी गयी है। साथ ही चालकगण के आवासन की व्यवस्था भी कर दी गयी है।

8.4 श्री अनिल कुमार को निदेश दिया गया कि वे सभी चालकगण के मोबाईल नंबर अपने पास अवश्य रखें ताकि किसी आकस्मिक स्थिति मे उन्हें बुलवाया जा सके।

9- सामग्री कोषांगः-

9.1 उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची की सभी प्रतियों पर अनुमण्डल पदाधिकारी/ ERO अपना हस्ताक्षर अंकित करेंगे।

9.2 यह निर्णय लिया गया कि Dummy Ballot paper सिवान जिला के दर पर ही तैयार करवाया जाय।

9.3 प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक सामग्री कोषांग मे गृहरक्षक उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। निदेश दिया गया कि अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर से पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पत्र लिखा जाय।

10- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) कोषांगः-

10.1 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मतदान दलों को दी जाने वाली EVM के साथ साथ उन्हें सामग्री वाला झोला भी EVM कोषांग द्वारा ही उपलब्ध कराया जायेगा।

10.2 दिनांक 29.3.2009 की बैठक मे वज्रगृह और मतगणना केन्द्र के संशोधित प्रस्ताव को निर्वाचन आयोग को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण ने अभी तक यह प्रस्ताव उपस्थापित नहीं किया है। उन्हें पुनः अविलंब कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

10.3 EVM सीलिंग का प्रशिक्षण दिनांक 3.4.2009 को 11 बजे दिन मे आयोजित करने का निदेश दिया गया। प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग से भी इस संबंध मे कार्रवाई अपेक्षित है।

11- प्रशिक्षण कोषांगः-

श्री सुरेन्द्र झा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकरी को निदेश दिया गया कि वे सभी प्रखंडो मे प्रशिक्षण हेतु कर्मियों की अविलंब प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करायें।

12- कार्मिक कोषांगः-

12.1 कार्मिक कोषांग की समीक्षा के कम मे यह पाया गया कि अभी तक नियुक्ति पत्रों का तामिला की प्रगति संतोषप्रद नहीं है। इसमे तेजी लाने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।

12.2 मो0 रिजवान, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण ने बताया कि उन्हें Genesis software के लिये PS-01, PS-02 तथा PS-03 का Data नहीं मिल सका है। निर्वाची पदाधिकारी के कोषांगों इसे अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

30/3/2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1239 / सी
छपरा,दिनांक 30 मार्च,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ मीडिया कोषांग/ सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण/ अंचल अधिकारी, अमनौर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/3/2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1239 / सी
छपरा,दिनांक 30 मार्च,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

30/3/2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे दिनांक 30.3.2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के अंतर्गत वाहन कोषांग के कार्यो की समीक्षा हेतु संपन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी
3-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन-सह- जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग
4-	श्री जवाहर प्रसाद	जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण
5-	श्री चन्द्रभूषण सिंह	जिला अभियन्ता, सारण
6-	श्री वकील सिंह	अचल निरीक्षक, छपरा सदर
7-	श्री कौशल कुमार	स्वास्थ्य निरीक्षक, छपरा
8-	श्री ब्रजमोहन सिंह	प्रधान सहायक, वाहन कोषांग
9-	श्री अजीत कुमार सिंह	सहायक, वाहन कोषांग
10-	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव	सहायक, वाहन कोषांग
11-	श्री कृष्ण मोहन शर्मा	सहायक, वाहन कोषांग
12-	श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह	सहायक, वाहन कोषांग
13-	श्री कन्हैया सिंह	सहायक, वाहन कोषांग
14-	श्री फुलमान अंसारी	सहायक, वाहन कोषांग
15-	श्री श्रीधर मुकुन्द	सहायक, वाहन कोषांग
16-	श्री अनिल कुमार सिन्हा	सहायक, वाहन कोषांग
17-	श्री दिवाकर सिंह	सहायक, वाहन कोषांग
18-	श्री विजय कुमार मिश्र	सहायक, वाहन कोषांग
19-	श्री विवेकानन्द सिंह	सहायक, वाहन कोषांग
20-	श्री नित्यानन्द पाण्डेय	सहायक, वाहन कोषांग

जिलाधिकारी ने बैठक के प्रारंभ मे सभी उपस्थित पदाधिकारियों/ सहायकों को वाहनों की आवश्यकता, ईधन आपूर्त्ति की व्यवस्था, लॉग बुक खोलने की प्रकिया इत्यादि से अवगत कराते हुये निम्नलिखित निदेश दियेः-

1- प्रेक्षको के लिये वाहन की व्यवस्थाः-

1.1 जिला मे आने वाले 5 प्रेक्षकगण के लिये वाहन की व्यवस्था बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा की गयी है। इन वाहनो के भाड़ा का भुगतान जिला निर्वाचन कार्यालय, छपरा द्वारा सीधे निगम को किया जायेगा।

1.2 प्रेक्षकों के स्कोर्ट के रूप मे चलने वाले 5 वाहन को जिला वाहन कोषांग उपलब्ध करायेगा। इन वाहनों के किराया, ईधन, अग्रिम, खोराकी की व्यवस्था वाहन कोषांग द्वारा की जायेगी।

2- अर्द्ध सैनिक बलों के लिये वाहन की व्यवस्थाः-

2.1 अर्द्ध सैनिक बलों के लिये Dedicated रूप मे 2 बड़ी बस, 2 ट्रक तथा 1 छोटा वाहन जिला वाहन कोषांग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही छापामारी के लिये एक कंपनी बल को 3 छोटे वाहनों/ मिनी बस पकड़ कर वाहन कोषांग द्वारा संबंधित अंचल अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

इन वाहनों के भाड़ा, ईधन, खोराकी, अग्रिम की व्यवस्था संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा की जायेगी। इसके लिये अर्द्ध सैनिक बल कोषांग द्वारा आवंटन सीधे अंचल अधिकारी को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

2.2 विभिन्न जिलों से सशस्त्र बल और गृह रक्षक लाने के लिये वाहन की आवश्यकता का आकलन वाहन कोषांग द्वारा परिचारी प्रवर (Seargent Major) के साथ विमर्श कर के किया जायेगा। विमर्शोपरान्त निर्धारित तिथि को वांछित संख्या मे वाहन पकड़ कर वाहन कोषांग द्वारा परिचारी प्रवर को उपलब्ध करा दिया जायेगा ताकि संबंधित जिला से बल को बुलाया जा सके। इन वाहनों के किराया, खोराकी, अग्रिम, ईधन आदि की व्यवस्था वाहन कोषांग द्वारा की जायेगी। इसके लिये आवश्यक राशि जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा वाहन कोषांग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

2.3 अर्द्ध सैनिक बलों को Critical Booth पर भ्रमण करने के लिये वाहन की व्यवस्था वाहन कोषांग द्वारा की जायेगी किन्तु इन वाहनों का भुगतान, खोराकी, अग्रिम इत्यादि की व्यवस्था अर्द्ध सैनिक बल कोषांग द्वारा की जायेगी।

<u>3- विभिन्न प्रखंडो मे एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड तक पीठासीन पदाधिकारियों/ मतदान पदाधिकारियों को भेजने के लिये रिंग सर्विस की व्यवस्थाः-</u>

3.1 प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग, प्रखंडवार पीठासीन पदाधिकारियों/ मतदान पदाधिकारियों की संख्या का आकलन कार्मिक कोषांग से विमर्श कर के कर लेंगे तथा तदनुसार वाहन संबंधित अंचल अधिकारी को उपलब्ध करा देंगे। इसके अतिरिक्त जिला स्कूल परिसर से विभिन्न प्रखंडो मे कार्मिकों को जाने के लिये पर्याप्त संख्या मे वाहन भी उपलब्ध रखे जायेंगे। इन सब वाहनो के लिये ईधन, अग्रिम, खोराकी इत्यादि की व्यवस्था वाहन कोषांग द्वारा की जायेगी।

3.2 गश्ती दल दण्डाधिकारियों के लिये वाहन की आवश्यकता का आकलन कर लिया जाय। इन वाहनों को कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर मे विधानसभा खण्डवार एकत्रित किया जायेगा इन वाहनों के लॉग बुक, ईधन, अग्रिम इत्यादि का कार्य वाहन कोषांग द्वारा किया जायेगा।

3.3 उपर्युक्त कंडिका 3.2 मे वाहनों को आपूरित किये जाने वाले ईधन की मात्रा उनके द्वारा तय की जाने वाली दूरी के अनुरूप ही रखी जाय। इस हेतु Route chart कार्मिक कोषांग द्वारा दिनांक 31.3.2009 तक वाहन कोषांग को उपलब्ध करा दिया जाय। इस Route Chart के अनुरूप जिन वाहनों को कम दूरी तय करनी है उन्हें कम और जिन्हें अधिक दूरी तय करनी है उन्हें आनुपातिक रूप से अधिक ईधन की आपूर्त्ति किया जाय। इसके लिये एक Scale बना लिया जाय ताकि ईधन आपूर्ति मे पारदर्शिता बनी रहे।

3.4 एक विधानसभा खण्ड मे कितने गश्ती दल गठित किये गये हैं, इसके अनुरूप वाहन चिन्हित करने, लॉग बुक खोलने, स्टिकर लगाने, ईधन का कूपन देने, अग्रिम देने, पंजी मे प्रविष्टि करने इत्यादि के लिये कार्मिकों को चिन्हित कर लिया जाय और समेकित प्रस्ताव दिनांक 31.3.2009 तक उपस्थापित किया जाय।

3.5 मतदान दलों के लिये वाहन की व्यवस्था संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा की जायेगी। इसके लिये अंचल अधिकारियों को Requisition form, एवं Log book दे दिया जाय। अंचल अधिकारियों को इस हेतु आवंटन सीधे जिला

29

निर्वाचन कार्यालय से दिया जायेगा। वाहन कोषांग द्वारा इस विषय का अनुश्रवण अपने स्तर से किया जायेगा।

3.6 सेक्टर पदाधिकारियों के लिये वाहन की व्यवस्था संबंधित अंचल अधिकारी करेंगे। इसके लिये उन्हें जिला स्तर से सीधे आवंटन उपलब्ध कराया जायेगा।

3.7 सेक्टर पदाधिकारी अपने वाहन से ही Micro Observers को संबंधित मतदान केन्द्रों पर drop कर देंगे।

4- विविधः-

4.1 प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग को निदेश दिया गया कि वे प्रतिदिन पकड़े गये और विभिन्न कोषांगों/ बलों को उपलब्ध कराये गये वाहनों का विवरण जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

4.2 पेट्रोल पम्प मालिकों को अग्रिम राशि उनकी क्षमता के अनुरूप समानुपातिक रूप से दी जाय ताकि सुविधा रहे।

4.3 वाहनों को ईधन आपूर्त्ति करते समय इस बात का ध्यान रखा जाय कि जिस दिशा मे उस वाहन को जाना है उसी दिशा के पेट्रोल पम्प का कूपन उसे दिया जाय ताकि अनावश्यक रूप से एक ही पेट्रोल पम्प पर बोझ नहीं पड़े और यातायात प्रभावित नहीं होने पाये।

4.4 वाहन मालिकों को अग्रिम उनके वाहन अधिग्रहण के दिनों की संख्या को ध्यान मे रखते हुये 50% दिया जाय। वाहन मालिकों को अग्रिम चेक द्वारा और चालकों को 100-200 रूपया नकद भुगतान किया जाय। Cash लेन देन को Discourage किया जाय।

4.5 वाहनों को सर्वप्रथम पकड़ कर जिला स्कूल/ राजकीय कन्या विद्यालय मे रखा जाय और बाद मे उन्हें समूह के रूप मे कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर मे स्थानान्तरित कर दिया जाय।

4.6 साक्षरता परिसर/ राजकीय कन्या उच्च विद्यालय परिसर को साफ सुथरा कराने और समतल कराने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, छपरा से आज की बैठक मे लिये गये निर्णय का हवाला देते हुये अनुरोध किया जाय।

4.7 कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल से अनुरोध किया जाय कि वे सभी स्थलों पर चापाकल/ अस्थायी शौचालय का निर्माण करा दें।

4.8 जिला निर्वाचन कार्यालय सभी स्थलों पर बिजली, जेनेरेटर, किरासन तेल इत्यादि की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु कार्रवाई करेगा।

4.9 वाहनों मे ईधन Low rate वाला ही आपूर्त्ति किया जायेगा। Premium quality के ईधन की आपूर्त्ति हेतु आदेश नहीं दिया जाय।

4.10 पुलिस अधीक्षक सारण को 6 सेक्शन सशस्त्र बल वाहन कोषांग को उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जाय।

4.11 कार्मिक कोषांग को आदेश दिया गया कि वे 10 सुयोग्य पर्यवेक्षकों की सेवा अविलंब वाहन कोषांग को उपलब्ध करा दे।

4.12 कार्मिक कोषांग को आदेश दिया गया कि यदि जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा अधियाचना की जाती है तो और लिपिकों की प्रतिनियुक्ति वाहन कोषांग मे दिनांक 6.4.2009 तक कर दी जाय।

4.13 वाहन कोषांग मे एक वीडियोग्राफर को भी रखा जाय जो भागने वाले वाहनों की वीडियोग्राफी करेगा।

30

4.14 वाहन कोषांग मे रात दिन कार्य करने वाले कर्मियों के लिये सरकार द्वारा निर्धारित दर पर नाश्ता/ नकद राशि का भुगतान करने हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय, सारण को कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

4.15 जिला परिवहन पदाधिकारी सारण के अनुरोध पर वाहनों को पकड़ने मे सुविधा के लिये एक चालक की प्रतिनियुक्ति करने का भी निदेश दिया गया।

4.16 जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान मे ई वी एम कोषांग राजकीय बालिका उच्च विद्यालय मे संचालित हो रहा है। इसे तुरन्त कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर मे स्थानान्तरित किया जायेगा। जैसे ही राजकीय कन्या उच्च विद्यालय के कमरे खाली होते हैं इनमे वाहन कोषांग को स्थानान्तरित कर कार्य संचालित कराया जाय।

4.17 जिलाधिकारी द्वारा संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपने कार्यो का निष्पादन करें ताकि किसी को शिकायत का मौका नहीं मिले।

4.18 वाहन कोषांग के कार्यो की समीक्षा दिनांक 3, 5 एवं 7 अप्रैल 2009 को संध्या 4.30 बजे समाहरणालय सभागार मे और 9.4.2009, 11.4.2009 तथा 13.4.2009 को संध्या 4.30 बजे वाहन कोषांग मे की जायेगी।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

30.3.2009

(डा0 बी. राजेन्द्र)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

1236 / सी
ज्ञांक 30 मार्च,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची री, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, ामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कर्मिक कोषांग/ सभी अंचल अधिकारी, सारण क्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषाांग/ कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु प्रेषित।

30.3.2009

(डा0 बी. राजेन्द्र)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

1236 / सी
क 30 मार्च,2009

लिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

30.3.2009

(डा0 बी. राजेन्द्र)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

का अध्यक्षता में दिनांक 31.3.2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ सपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी
3-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
4-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन कोषांग
5-	श्री सूर्य नारायण सिंह	जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
6-	श्री सांवर भारती	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा
7-	श्री महेन्द्र सिंह	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग
8-	श्री सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग
9-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
10-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
11-	श्री अजय कुमार	अंचल अधिकारी, गड़खा सह प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग
12-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग
13-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग
14-	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
15-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
16-	श्री चन्देश्वर राम	कार्यपालक अभियन्त, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा
17-	श्री अजय कुमार	जिला अवर निबंधक, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, छपरा
18-	श्री सियाराम सिंह	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त सह प्रभारी पदाधिकारी व्यय लेखा कोषांग
19-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग
20-	श्री नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
21-	श्री अनिल कुमार सिंह	विकास पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास कार्यक्रम प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग
22-	श्री विपिन बिहारी सिंह	सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल-। छपरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को विगत बैठकों मे दिये गये निदेशों के अनुपालन की समीक्षा किया। स्थिति निम्नवत् पायी गयीः-

1- मीडिया कोषांगः-

1.1 श्री मुश्ताक अहमद नूरी, जिला जनसम्पक पदाधिकारी,सारण ने पत्रकार सम्मेलन हेतु तैयार किया गया कोलेटर उपलब्धि किया। उनके अनुरोध पर प्रभारी

पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग को निदेश दिया गया कि वे अपने कोषांग से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करा दें ताकि उनका समावेश इस फोल्डर मे किया जा सके।

1.2 श्री नूरी को यह भी निदेश गया कि वे इस फोल्डर मे विधि व्यवस्था रो संबंधित प्रतिवेदन का भी समावेश कर दें।

1.3 श्री नूरी को बताया गया कि प्रेक्षकगण विभिन्न प्रत्याशियों के नामांकन की वीडियोग्राफी देखना चाहते हैं। इसकी तुरंत व्यवस्था करायी जाय।

- व्यय लेखा कोषांगः-

इस कोषांग के कार्यो की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निदेश श्री सियाराम सिंह, गिज्य कर सहायक आयुक्त सह प्रभारी पदाधिकारी को दिये गयेः-

2.1 अभी तक विभिन्न सामग्रियों की अनमोदित दर विवरणी प्रेक्षकगण को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इसे अविलंब उपलब्ध करा दें।

2.2 जिन प्रत्याशियों ने अभी तक व्यय लेखा की जांच नहीं करवाया है, उन्हें जिला निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से नोटिस निर्गत की जाय।

आदर्श आचार संहिता कोषांगः-

इस कोषांग के कार्यो की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निदेश श्री महेन्द्र सिंह, जिला अर्जन पदाधिकारी-सह- प्रभारी पदाधिकारी को दिये गयेः-

3.1 आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के विभिन्न मामलों की सूची जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण को उपलब्ध करा दी जाय।

3.2 विभिन्न शिकायतों यथा उम्मीदवारों से प्राप्त शिकायतों और आम जनता से प्राप्त शिकायतों का अलग अलग विवरणी दिनांक 1.4.2009 को आयोजित बैठक मे प्रस्तुत किया जाय।

3.3 शिकायत कोषांग का व्यापक प्रचार प्रसार विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से किया जाय जिसमे इस कोषांग का टेलीफोन नंबर भी प्रकाशित करवाया जाय।

डिजिटल केमरा कोषांगः-

इस कोषांग के कार्यो की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निदेश श्री मोहन प्रसाद, योजना पदाधिकारी, सह प्रभारी पदाधिकारी को दिये गयेः-

4.1 डिजिटल केमरा की आवश्यकता का तथ्यपरक आकलन कर लें और इसका औचित्य प्रदर्शित करते हुये अधियाचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पास प्रेषित की जाय।

मतदानकर्मी कल्याण कोषांगः-

इस कोषांग के कार्यो की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निदेश श्री मोहन प्रसाद, योजना पदाधिकारी, सह प्रभारी पदाधिकारी को दिये गयेः-

5.1 श्री प्रसाद द्वारा अपने कोषांग के कर्त्तव्य और दायित्व की विवरणी प्रस्तुत की गयी। यह अत्यंत प्रशंसनीय है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करायें।

5.2 मतदानकर्मियों के लिये पानी पीने का गिलास, घड़ा, दवा इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

ाहिन कोषांगः-

इस कोषांग के कार्यो की समीक्षा के उपरान्त निम्नलिखित निदेश श्रीमती पुजीता व, जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण-सह-सह प्रभारी पदाधिकारी को दिये गयेः-

6.1 इरकॉन कम्पनी द्वारा जिला मे विभिन्न विकास योजनाओं का कियान्वयन किया जा रहा है। इनके द्वारा अपने अधीन कुछ वाहनों को अधिग्रहण से मुक्त करने

का अनुरोध किया है। प्रभारी पदाधिकारी इन वाहनों को मुक्त कर इरकॉन को सूचित कर दें।

6.2 कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, छपरा को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 2.4.2009 तक वाहन कोषांग परिसर की पे-लोडर भेज कर सफाई करवा दें।

6.3 ववाहन कोषांग मे विभिन्न वाहनों को खड़ा करने के लिये स्थल Earmark करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग को दिया गया।

6.4 प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग के अनुरोध पर यह निर्णय लिया गया कि वाहनों के अधिग्रहण संबंधी प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रो मे प्रकाशित करवा दी जाय।

6.5 यह भी निर्णय लिया गया कि सभी अंचल अधिकारी अपने क्षेत्र से 25-25 वाहन अधिग्रहित कर वाहन कोषांग को उपलब्ध करवा दें।

7- सामग्री कोषांगः-

7.1 सामग्री कोषांग के कार्यो की समीक्षा के उपरान्त कार्य संतोषप्रद पाया गया। श्री अजय कुमार सिन्हा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 4.4.2009 को पटना जा कर सभी सामान लाना सुनिश्चित करें। वाहन कोषांग द्वारा इन्हें इस कार्य हेतु दो वाहन उपलब्ध करवाया जायेगा।

7.2 प्रभारी पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि वे EVM कोषांग के लिये आवश्यक सामान यथाशीघ्र उपलब्ध करा दें।

8- प्रशिक्षण कोषांगः-

8.1 श्री सुरेन्द्र झा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जो कर्मी किसी कारणवश प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर सके हैं उन्हें दिनांक 1.4.2009 को प्रशिक्षण दिलवाने की कार्रवाई करें।

8.2 दिनांक 3.4.2009 को EVM सीलिंग का प्रशिक्षण आयोजित किया जाय और इसी दिन अपराह्न मे मतदान के उपरान्त ई वी एम प्राप्त करने का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाय।

9- कार्मिक कोषांगः-

9.1 नियुक्ति पत्रों के तामिला की समीक्षा मे P2 का तामिला अत्यंत कम पाया गया। प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि 31 मार्च की तिथि होने के कारण ऐसा हुआ है। शीघ्र ही इसे अद्यतन कर लिया जायेगा।

9.2 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि Spare Polling personnels को विभिन्न प्रखंडो मे प्रतिनियुक्त कर दिया जाय ताकि यदि मतदान के दिन किसी मतदान केन्द्र पर मतदानकर्मी सफल नहीं हो पाते हैं तो वैसी स्थिति मे इनका उपयोग किया जा सके।

9.3 जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, ने बताया कि 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का Genesis Software मे आंकड़ा Upload नहीं हो पा रहा है। उन्होने बताया कि User ID & Password मे Problem होने के कारण Login नहीं हो पा रहा है। निदेश दिया गया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को वस्तुस्थिति से अविलंब अवगत कराया जाय।

9.4 उप निर्वाचन पदाधिकारी और प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को निदेश दिया गया कि वे दोनो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रत्येक विधानसभा खण्ड से एक एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त करने का आदेश निर्गत कर दें। इन सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ समुचित संख्या मे अंचल अधिकारी, 4 सहायक और 2 अनुसेवियों की भी प्रतिनियुक्ति किया जाय।

10- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) कोषांगः-

समीक्षा के क्रम मे इस कोषांग का कार्य संतोषप्रद पाया गया।

सैनिक बल कोषांग:-

प्रभारी पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि अर्द्ध सैनिक बलों के पदाधिकारियों को सरकार के निदेश के आलोक मे आवासन की सुविधा उपलब्ध करवायी जाय।

प्रभारी पदाधिकारी को यह भी निदेश दियां गया कि वे होटल मालिकों को उपयोग किये गये कमरों की संख्या के आधार पर ही भुगतान करने के आदेश से अवगत करा दें।

ते सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

1250 / सी
31 मार्च,2009

ी उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण रण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी हन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ मीडिया ग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ मतदान कर्मी कल्याण कोषांग/ बंधक, सारण/ अंचल अधिकारी, अमनौर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को वश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

1250 / सी
31 मार्च,2009

आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

की अध्यक्षता मे दिनांक 1.4.2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न प्रेक्षकगण और जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

बैठक मे विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारीगण के साथ साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 19- महाराजगंज और 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रेक्षकगण ने भी भाग लिया।

2- जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रेक्षकगण को प्रतिदिन की जाने वाली बैठक की प्रकिया और उद्देश्य से अवगत कराया। उन्होने बताया कि प्रत्येक कोषांग के प्रभारी को अगले दिन करने वाले कार्य के बारे मे बताया जाता है और दूसरे दिन इसके अनुपालन की समीक्षा की जाती है।

3- श्री गौरव गुप्ता, भा. प्र. से., प्रेक्षक, 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग विगत चुनावो मे घटित घटनाओं के परिप्रेक्ष्य मे वर्तमान चुनाव के दौरान काफी संवेदनशील है अतएव क्षेत्र मे कुछ भी असामान्य घटित होता है तो त्वरित कार्रवाई करने के साथ साथ उसकी सूचना निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकगण को भी अवश्य दी जाय।

4- श्री गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक, सारण, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा और चुनाव लड़ने वाले सभी अभ्यर्थियों के साथ दिनांक 2.4.2009 को संध्या 4 बजे एक बैठक आयोजित करने का निदेश दिया। उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

5- श्री गुप्ता ने बताया कि उन्होने क्षेत्र भ्रमण मे पाया है कि कतिपय मतदान केन्द्र मतदान हेतु तैयार नहीं हैं। उन्होने निदेश दिया कि अगले दो दिनों मे सभी मतदान केन्द्रों को मतदान के लिये तैयार कर लिया जाय।

6- श्री गुप्ता ने जानना चाहा कि मतदाता सूची प्रकाशन के बाद मतदान केन्द्रवार कितने मतदाताओं का नाम जोड़ने, घटाने और संशोधन करने की विवरणी प्रस्तुत की जाय। उप निर्वाचन पदाधिकारी दिनांक 2.4.2009 तक यह विवरणी प्रेक्षक महोदय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

7- श्री भाष्कर आनन्द, प्रेक्षक, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और श्री गौतम घोष, प्रेक्षक, 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी मामलों की जानकारी चाही। श्री महेन्द्र सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता कोषांग को निदेश दिया गया कि वे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार/ तिथिवार सभी मामलों को संकलित कर प्रेक्षक महोदय को दिनांक 2.4.2009 तक उपलब्ध करा दें।

8- श्री महेन्द्र सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग को निदेश दिया गया कि वे आचार संहिता उल्लंघन संबंधी सरकार को प्रतिदिन प्रेषित किये जाने वाले प्रतिवेदन की एक प्रति प्रेक्षकगण के पास भी अग्रसारित किया करें।

36

9- श्री गौरव गुप्ता, प्रेक्षक ने सभी प्रत्याशियों को वाहनों की अनुमति प्रदान करने संबंधी प्रतिवेदन की जानकारी चाहा। उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा और अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा को निदेश दिया गया कि वे संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार/ प्रत्याशीवार Allow किये गये वाहनों की विवरणी प्रेक्षक महोदय को दिनांक 2.4.2009 तक उपलब्ध करा दें।

10- श्री गौरव गुप्ता और श्री पी0 चन्द्रशेखर, प्रेक्षक ने प्रतिदिन समाचार पत्रों मे प्रकाशित/ न्यूज चैनलों पर प्रसारित विभिन्न समाचारों की जानकारी उपलब्ध कराने का निदेश दिया। श्री मुश्ताक अहमद नूरी, प्रभारी पदाधिकारी, मीडिया कोषांग को निदेश दिया गया कि वे प्रतिदिन प्रातः 10 बजे तक सभी वांछित जानकारी प्रेक्षकगण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

11- श्री गौरव गुप्ता ने दो दिनों के अंदर Vulnerability maping का कार्य पूर्ण कर लेने का निदेश दिया। सभी अनुमण्डल पदाधिकारीगण संबंधित अंचल अधिकारियों से इसका अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

12- श्री सुभाष बैन्स, प्रेक्षक ने बताया कि उन्होने क्षेत्र भ्रमण मे पाया है कि थानाध्यक्षगण, शस्त्रों को जमा कराने के बारे मे पूर्णतः जानकार नहीं हैं। श्री गौरव गुप्ता ने कहा कि Official offenders तथा Fugitive criminals के बारे मे वे पुलिस अधीक्षक, सारण से अलग से जानकारी चाहेंगे। पुलिस अधीक्षक, सारण इस बारे मे प्रतिवेदन प्रेक्षक महोदय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

13- जिलाधिकारी ने बताया कि जिला मे कुल मतदान केन्द्रों का 20% अर्थात 423 Micro Observers का चयन कर लिया गया है। निर्णय लिया गया कि इनका प्रशिक्षण दिनांक 9.4.2009 को मजहरूल हक एकता भवन मे आयोजित किया जाय और इस प्रशिक्षण की वीडियोग्राफी भी करवायी जाय।

14- प्रभारी पदाधिकारी, डिजिटल केमरा कोषांग को निदेश दिया गया कि वे इस कोषांग से संबंधित कार्मिकों का प्रशिक्षण दिनांक 6.4.2009 को आयोजित करने की कार्रवाई सुनिश्चित करें।

15- जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि दिनांक 9.4.2009 को EVM commissioning करने के लिये सभी प्रत्याशियों को नोटिस दे दी जाय। यह कार्य हर हाल मे दिनांक 2.4.2009 को पूर्ण कर लिया जाय।

16- श्री पी. चन्द्रशेखर, प्रेक्षक ने विभिन्न प्रत्याशियों को दिये गये व्यय पंजी का अवलोकन किया। उन्होने कहा कि इस पंजी की नियमित रूप से जांच की जानी चाहिये। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये 2-2 जांच पदाधिकारी नियुक्त किये गये हैं जिनके द्वारा जांच कार्य किया जा रहा है।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1263 / सी
छपरा,दिनांक 1 मार्च,2009

प्रतिलिपि सभी प्रेक्षकगण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ मीडिया कोषांग/ सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ मतदान कर्मी कल्याण कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण/ अंचल अधिकारी, अमनौर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

BRajendra 1.3.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1263 / सी
छपरा,दिनांक 1 मार्च,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

BRajendra 1.3.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे दिनांक 2.4.2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी
3-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
4-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन कोषांग
5-	श्री सूर्य नारायण सिंह	जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
6-	श्री सांवर भारती	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा
7-	श्री महेन्द्र सिंह	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग
8-	श्री सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग
9-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
10-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
11-	श्री अजय कुमार	अंचल अधिकारी, गड़खा सह प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग
12-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग
13-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग
14-	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
15-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
16-	श्री चन्देश्वर राम	कार्यपालक अभियन्त, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा
17-	श्री अजय कुमार	जिला अवर निबंधक, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, छपरा
18-	श्री सियाराम सिंह	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त सह प्रभारी पदाधिकारी व्यय लेखा कोषांग
19-	श्री प्रियदर्शी रंजन	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, सारण
20-	श्री विनोद कुमार	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, सारण
21-	श्री राजीव कुमार	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, सारण
22-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग
23-	श्री नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
24-	श्री अनिल कुमार सिंह	विकास पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास कार्यक्रम प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग
25-	श्री विपिन बिहारी सिंह	सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल-1 छपरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने दिनांक 1.4.2009 को प्रेक्षकगण द्वारा दिये गये निदेश और विगत बैठकों मे दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा किया। स्थिति निम्नवत् पायी गयीः-

39

1- कार्मिक कोषांग:-

1.1 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग ने बताया कि पीठासीन पदाधिकारियों की कमी हो रही है। यह निर्णय लिया गया कि प्रखंडो में पदस्थापित जनसेवकों को पीठासीन पदाधिकारी के रूप मे प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई की जाय। इस कारण प्रखंड कार्यालयों मे कर्मियों की कमी को हल्का कर्मचारियों/ पंचायत सेवकों/ पंचायत रोजगार सेवकों इत्यादि को प्रतिनियुक्त कर पूर्ण किया जाय। इन कर्मियों से प्रखंड कार्यालयों मे सामग्री वितरण, अग्रिम वितरण और निर्वाचन संबंधी अन्य कार्य संपादित कराये जा सकते हैं।

1.2 कार्मिक कोषांग को निदेश दिया गया कि मतदान कर्मियों का 2nd Randomization दिनांक 8.4.2009 को संध्या 5 बजे कराने हेतु प्रेक्षकगण से अनुरोध किया जाय।

1.3 इसी प्रकार 3rd Randomization दिनांक 10.4.2009 को करने हेतु प्रेक्षकगण से अनुरोध किया जाय।

1.4 तृतीय (अन्तिम) नियुक्ति पत्र मे Ballot Unit और Control Unit का क्रमांक अंकित किया जाना है। इसके लिये EVM का Randomization दिनांक 7.4.2009 को संध्या 4 बजे किया जायेगा। जैसे ही यह Randomization समाप्त हो जाय इसकी सूची जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को उपलब्ध करा दी जाय।

1.5 फोटोग्राफयुक्त नियुक्ति पत्रों पर निर्वाची पदाधिकारी की Facsimile और प्रभारी पदाधिकारी का हस्ताक्षर अंकित कर सभी संबंधित कार्यालयों मे दिनांक 10.4.2009 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय।

1.6 कार्मिक कोषांग को निदेश दिया गया कि जिन कर्मियों को चुनाव कार्य से Exempt किया गया है, उस Exemption letter का तामिला प्रतिवेदन दिनांक 3.4.2009 को आयोजित बैठक मे उपलब्ध करायें ताकि कोषांग के कार्यो मे पारदर्शिता बनी रहे।

1.7 प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि EVM सीलिंग के लिये कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। इन कर्मियों का प्रशिक्षण दिनांक 3.4.2009 को 11 बजे दिन मे एकता भवन मे आयोजित किया गया है। इसी प्रकार Polled EVM प्राप्त करने वाले कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। इनका प्रशिक्षण दिनांक 6.4.2009 को 2.30 बजे अपराह्न मे एकता भवन मे आयोजित किया गया है। प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग से समन्वय स्थापित कर प्रशिक्षण संपन्न करायेंगे।

1.8 कार्मिक कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि उनके कोषांग मे संध्या 5 बजे के बाद भी कार्य हो रहा है। जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण ने वित्त विभाग के परिपत्र के आलोक मे संध्या 5 बजे के बाद कार्य करे वाले कर्मियों को 25/ - रूपया प्रतिदिन और रविवार/ सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्य करने वाले कर्मियों को 60/ - रूपया की दर से नाश्ता का खर्च दिनांक 21.3.2009 के प्रभाव से भुगतान करने का आदेश दिया।

1.9 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे प्रत्येक प्रखंड मे प्रतिनियुक्त मतदान कर्मियों की कुल संख्या का 20% सुरक्षित कर्मी प्रतिनियुक्त करने हेतु अनुमति प्रदान करने के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को संबोधित पत्र का प्रारूप उपस्थापित करें । इन कर्मियों का उपयोग आकस्मिक स्थिति मे किया जायेगा।

1.10 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पर्दानशीन महिला मतदाताओं को पहचानने के लिये महिला कर्मियों को प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता है। निर्वाचन आयोग के परिपत्र के अनुसार सर्वप्रथम ऐसे मतदान केन्द्रों को चिन्हित किया जाय और इसके बाद इन मतदान केन्द्रों के समीपवर्त्ती विद्यालयों मे पदस्थापित शिक्षिकाओं को इन केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई की जाय। मतदान केन्द्रों को चिन्हित करने का कार्य दिनांक 6.4.2009 तक कर लिया

40

जाय और दिनांक 7.4.2009 तक इन कर्मियों का नियुक्ति पत्र निर्गत कर इनका प्रशिक्षण अविलंब आयोजित करने की कार्रवाई की जाय।

1.11 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे गश्ती दल दण्डाधिकारियों का Randomization भी करवाना सुनिश्चित करेंगे।

2- प्रशिक्षण कोषांग:-

2.1 प्रभारी पदाधिकरी, प्रशिक्षण कोषांग को निदेश दिया गया कि वे प्रशिक्षण संबंधी सभी फोटोग्राफ की CD निर्वाचन कोषांग के माध्यम से जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी सारण को उपलब्ध करा दें जिससे कि तृतीय (अन्तिम) नियुक्ति पत्र मे प्रतिनियुक्त कर्मियों का फोटोग्राफ भी आ सके।

2.2 Micro Observers का प्रशिक्षण दिनांक 9.4.2009 को पूर्वाह्न 11 बजेआयोजित करने की कार्रवाई की जाय।

2.3 P3 का प्रशिक्षण सभी प्रखंडो मे दिनांक 4.4.2009 को आयोजित करने की कार्रवाई की जाय। प्रभारी पदाधिकारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पत्र द्वारा इस संबंध मे दिशा निदेश निर्गत करने के साथ साथ फोटोग्राफर भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। वे दूरभाष द्वारा भी उनसे समन्वय स्थापित करेंगे।

2.4 प्रभारी पदाधिकारी सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह भी निदेश दें कि जो भी मतदान कर्मी EVM का प्रशिक्षण लेना चाहता है वे अविलंब उसे उपलब्ध करायें।

2.5 प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि उनके पास 90 EVM पड़ा हुआ है। प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, EVM कोषांग से समन्वय स्थापित कर लें कि किस प्रखंड को कितने EVM की आवश्यकता है। तदुपरान्त प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग से वाहन प्राप्त कर संबंधित प्रखंडो मे इसे अविलंब भेजवाना सुनिश्चित करेंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी सारण इस हेतु मजदूर की व्यवस्था करेंगे।

2.6 जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को बताया कि प्रशिक्षण कोषांग ने उत्कृष्ट कार्य किया है जिसके लिये इस कोषांग के पदाधिकारियों/ कर्मियों की प्रशंसा की जानी चाहिये। उन्होने आशा व्यक्त किया कि भविष्य मे भी यह कोषांग इसी प्रकार कार्य करता रहेगा।

3- इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) कोषांग:-

3.1 प्रभारी पदाधिकारी, EVM कोषांग, सारण को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 14.4.2009 को सभी प्रखंडों से EVM मंगवा कर उसे सील कर देंगे।

3.2 प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि Randomization की मानवीय भूल को ठीक कर दिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया कि दिनांक 7.4.2009 को होने वाले Randomization तथा 9.4.2009 को होने वाली EVM सीलिंग के बारे मे सभी राजनीतिक दलों को सूचित कर दें।

3.3 प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि कार्मिक कोषांग द्वारा 10 वज्रगृह प्रभारी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है।

3.4 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि गश्ती दल पदाधिकारियों को EVM का वितरण मतदान केन्द्रवार ही किया जाय ।

4- सामग्री कोषांग:-

4.1 जिलाधिकारी ने बताया कि सामग्री कोषांग का कार्य अच्छा चल रहा है। श्री अंजनी कुमार सिन्हा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर छपरा-सह- प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग ने बताया कि अभी तक उन्हें मतदाता सूची की प्रति नहीं मिली है। उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 6.4.2009 तक इसे उपलब्ध करा दें।

4.2 श्री सिन्हा ने बताया कि अभी तक उन्हें Dummy Ballot Unit नहीं प्राप्त हो सका है। उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 6.4.2009 तक इसे भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

4.3 सामग्री कोषांग को यह निदेश दिया गया कि वे अपने संसाधन से सभी सामगी प्रखंडो मे भेजवाना सुनिश्चित करेगा। इस हेतु वाहन की व्यवस्था वाहन कोषांग और मजदूर की व्यवस्था उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

4.4 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे सामग्री कोषांग की सुरक्षा हेतु गृह रक्षक प्रतिनियुक्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक को संबोधित अधोहस्ताक्षरी की ओर से पत्र का प्रारूप उपस्थापित करें।

4.5 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि मतदान दलों के साथ 2-2 स्टाम्प पैड प्रदान करने की कार्रवाई की जाय।

5- प्रेक्षक कोषांगः-

5.1 श्री अनिल कुमार सिंह, विकास पदाधिकारी, आई सी डी पी सह प्रभारी पदाधिकारी प्रेक्षक कोषांग को निदेश दिया गया कि वे कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत कार्य प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर को अधोहस्ताक्षरी की ओर से एक पत्र लिखें जिसमे परिसदन मे ए सी चलाने हेतु वायरिंग को बदलवाने का अनुरोध किया जाय।

5.2 श्री सिंह को यह भी निदेश दिया गया कि वे कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्त्ति प्रमण्डल पश्चिमी, छपरा को विद्युत आपूर्त्ति मे सुधार हेतु भी पत्र लिखना सुनिश्चित करें।

6- अर्द्ध सैनिक बल कोषांगः-

6.1 श्री अरूण कुमार सिंह, अंचल अधिकारी, छपरा सदर को निदेश दिया गया कि वे अर्द्ध सैनिक बलों के कमांडेंट के उपयोग हेतु BSNL का सिम कार्ड उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे। इस पर होने वाला व्यय की प्रतिपूर्त्ति जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा की जायेगी।

6.2 कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल को निदेश दिया गया कि बलों के आवासन स्थल पर लगाये जाने वाले चापाकलों की आवश्यकता का आकलन कर प्रस्तुत करें ताकि तदनुसार उन्हें आदेश दिया जा सके। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि बिना आदेश प्राप्त किये वे कोई भी कार्य नहीं करवायेंगे।

7- डिजिटल केमरा कोषांगः-

7.1 इस कोषांग का प्रभारी पदाधिकारी श्री मुश्ताक अहमद नूरी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण को बनाया गया। इन्हें निदेश दिया गया कि मतदान के दिन 250 वीडियोग्राफर की व्यवस्था करना सुनिश्चित करेंगे।

7.2 मतदान के दिन 12 कम्प्यूटर सेट और 12 ऑपरेटर की व्यवस्था जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण, उप विकास आयुक्त से समन्वय स्थापित कर के करेंगे।

7.3 जिला योजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे वांछित संख्या मे Memory Card प्राप्त करने का प्रस्ताव उपस्थापित करें।

7.4 यदि डिजिटल कैमरा की संख्या कम हो तो श्री मोहन प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी इसे अन्य जिलों से मंगवाने की कार्रवाई करेंगे।

8- व्यय लेखा कोषांगः-

श्री सियाराम सिंह, वाणिज्य कर सहायक आयुक्त, सारण को निदेश दिया गया कि वे प्रत्याशियों के व्यय लेखा की नियमित रूप से जांच करें और जो भी जांच नहीं करायें उन्हें जिला निर्वाचन पदाधिकारी के हस्ताक्षर से स्मार पत्र निर्गत करने की कार्रवाई करें।

9- वाहन कोषांगः-

9.1 श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव, प्रभारी पदाधिकारी-सह- जिला परिवहन पदाधिकारी को आदेश दिया गया था कि वे अर्द्ध सैनिक बलों को दी गयी बसों को अविलंब मुक्त कर दें। भविष्य मे जब आवश्यकता होगी, इनका उपयोग किया जायेगा।

9.2 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 4.4.2009 को प्रातः 8 बजे एक ट्रक और एक छोटा वाहन, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण को पटना जाने के लिये उपलब्ध करा दें।

9.3 प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि उन्हें रूट चार्ट मिल गया है। इस आधार पर वे ईधन का आकलन करवा रही हैं।

9.4 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अंचल अधिकारियों को dedicated vvehicle दे दें।

9.5 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सभी वाहन मालिकों को अग्रिम दे दें।

10- आदर्श आचार संहिता कोषांगः-

10.1 श्री महेन्द्र सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामलों की विवरणी सभी प्रेक्षकगण को उपलब्ध करा दी गयी है।

10.2 श्री सिंह ने बताया कि अभी तक कोषांग मे दूरभाष नहीं लगा है। उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अविलंब दूरभाष लगवा दें।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

2.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1272 / सी
छपरा,दिनांक 2 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषाांग/ मीडिया कोषांग/ सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण/ अंचल अधिकारी, अमनौर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1272 / सी
छपरा,दिनांक 2 मार्च,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

2.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी. राजेन्द्र, भा. प्र. से. जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता मे दिनांक 2.4.2009 को संध्या 4 बजे 19-महाराजगंज और 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशियों के साथ संपन्न बैठैक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	श्री गौरव गुप्ता, भा. प्र. से.	प्रेक्षक, 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
2-	श्री सुभाष बैन्स, भा. रा. से.	प्रेक्षक, 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
3-	श्री पी. चन्द्रशेखर, भा. रा. से.	प्रेक्षक, 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4-	श्री भाष्कर आनन्द, भा. प्र. से.	प्रेक्षक, 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
5-	श्री गौतम घोष, भा. प्र. से.	प्रेक्षक, 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
6-	श्री गणेश शंकर मिश्र, भा.प्र.से.	प्रेक्षक, 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
7-	श्री संजय सिंह, भा. पु. से.	पुलिस अधीक्षक, सारण
8-	श्री मदन जी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
9-	श्री प्रकाश कुमार,	उप विकास आयुक्त, सारण-सह-अधिकृत निर्वाची पदाधिकारी, 19-महाराजगंज
10-	श्री सांवर भारती	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा-सह-अधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
11-	सभी अभ्यर्थी/ अभ्यर्थियों के अधिकृत प्रतिनिधि।	

बैठक के प्रारंभ मे जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण ने उपस्थित प्रत्याशियों को निम्नलिखित जानकारी दियाः-

1- मतदान की तिथि एवं समयः-

19-महाराजगंज और 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर दिनांक 16.4.2009 को प्रातः 7 बजे से संध्या 5 बजे तक मत डाले जायेंगे।

2- मतदान केन्द्रों और मतदाओं की संख्याः-

19-महाराजगंज और 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे मतदान केन्द्रों और मतदाओं की विवरणी निम्नलिखित हैः-

क0	संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम	मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदाताओं की संख्या (सामान्य)	सेवा मतदाताओं की संख्या
1	2	3	4	5
1-	19-महाराजगंज	1350 + 5 प्रस्तावित	1310558	1861
2-	20-सारण	1257 +13 प्रस्तावित	1266612	1726

3- मतदाता सूचीः-

3.1 दिनांक 30.3.2009 के बाद से मतदाताओं की संख्या मे कोई परिवर्त्तन नहीं हुआ है। दिनांक 5.4.2009 को मतदाता सूची सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दी

जायेगी। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को यह सूची निःशुल्क दी जायेगी किन्तु अन्य अभ्यर्थियों को इसका मूल्य 0.80 रूपये प्रति पृष्ठ की दर से जमा करने पर दी जायेगी।

3.2 मतदाता सूची मे किसी प्रकार की त्रुटि होने यथा किसी मतदाता के नाम के आगे अन्य व्यक्ति का फोटो अंकित होने पर उस मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जायेगा। ऐसी स्थिति मे मतदान केन्द्र पर नियुक्त मतदान अभिकर्त्ता मतदाता का सत्यापन और उनकी पहचान (Identity) से संतुष्ट हो कर उन्हें मतदान करने देंगे।

3.3 यदि किसी मतदाता के को फोटो परिचय पत्र निर्गत कर दिया गया है किन्तु मतदान के दिन वे फोटो परिचय पत्र ले कर नहीं आये हैं, अथवा फोटो परिचय पत्र कहीं गायब हो गया है, वैसी स्थिति मे भी उन्हें मतदान से नही रोका जायेगा।

4- मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्तिः-

4.1 मतदान अभिकर्त्ता की नियुक्ति के लिये प्रपत्र जिला निर्वाचन कार्यालयं मे पर्याप्त मात्रा मे उपलब्ध है। संबंधित प्रत्याशी अपनी आवश्यकतानुसार इसे प्राप्त कर सकते हैं किन्तु इसका उल्लेख उन्हें अपनी निर्वाचन व्यय पंजी मे करना अनिवार्य होगा।

4.2 सभी मतदान अभिकर्त्ताओं से यह अपेक्षित है कि वे अपने से संबंधित मतदान केन्द्र पर प्रातः 6 बजे से 6.30 बजे के बीच अवश्य पहुँच जांय ताकि उनकी उपस्थिति में Mock poll करवा कर EVM को मतदान प्रारंभ करने हेतु सील किया जा सके।

5- Mock Poll की प्रकियाः-

मतदान प्रारंभ होने के पूर्व सभी मतदान अभिकर्त्ताओं के समक्ष Mock poll किया जायेगा। इसमे EVM का बटन दबा कर उसमे मत डाले जायेंगे तथा बाद मे इसे delete कर के शून्य करने के उपरान्त EVM को मतदान हेतु सील कर दिया जायेगा। इस पर सभी मतदान अभिकर्त्ताओं को हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।

6- अभ्यर्थी तथा क्रमांकः-

प्रपत्र 7 ए के अनुसार सभी अभ्यर्थियों का नाम और उनका क्रम बताया गया। अभ्यर्थियों को यह भी बताया गया कि यह सूची Provisional है और इसे अनुमोदन हेतु मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय मे भेजा जायेगा। वहां से इस सूची के क्रम मे कुछ परिवर्त्तन भी हो सकता है जिसकी सूचना बाद मे सभी अभ्यर्थियों को प्रेषित की जायेगी।

7- आदर्श आचार संहिताः-

7.1 वाहन की अनुमतिः-

दोनो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये एक एक सहायक निर्वाची पदाधिकारी यथा 19-महाराजगंज के लिये श्री प्रकाश कुमार, उप विकास आयुक्त, सारण और 20- सारण

के लिये श्री सांवर भारती, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा को वाहनों के उपयोग की अनुमति प्रदान करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। संबंधित अभ्यर्थी इनसे अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष के लिये संपूर्ण जिला मे भ्रमण की अनुमति प्रदान करने के लिये श्री सांवर भारती, अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा को प्राधिकृत किया गया है।

7.2 सभा के लिये अनुमतिः-

अनुमण्डल पदाधिकारीगण को सभा आयोजित करने की अनुमति प्रदान करने के लिये प्राधिकृत किया गया है। अभ्यर्थी संपूर्ण जिला मे जिस क्षेत्र मे सभा करना चाहते हैं वहां के अनुमण्डल पदाधिकारी से सभा आयोजित करने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। यह अनुमति प्रदान करने के लिये 24 घंटा कार्यालय खुला रहेगा। किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी (अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा, मोबाईल नं0 9431812500, अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा, मोबाईल नं0 9334227842 तथा अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर, मोबाईल न0 9431812580) या जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण (मोबाईल नं0 9431008346) से संपर्क किया जा सकता है। सभी प्रत्याशी सभा करने की सूचना संबंधित थानाध्यक्ष और व्यय लेखा कोषांग को भी देना सुनिश्चित करेंगे।

7.3 कार्यकर्त्ताओं के लिये अल्पाहार की व्यवस्थाः-

अभ्यर्थी अपने कार्यकर्त्ताओं के लिये अल्पाहार की व्यवस्था कर सकते हैं किन्तु इस पर हुये व्यय को उन्हें व्यय लेखा मे प्रदर्शित करना होगा।

7.4 स्थानीय स्तर पर प्रचार हेतु अस्थायी कार्यालय खोलने के संबंध मेंः-

अभ्यर्थी किसी निजी मकान मे मकान मालिक की अनुमति से प्रचार कार्यालय खोल सकते हैं किन्तु इस मकान पर मात्र एक झंडा और 4X8 फीट आकार का एक बैनर ही लगाने की अनुमति प्रदान की जायेगी। भारत निर्वाचन आयोग के पत्रांक 437/6/2007 दिनांक 12.11.2007 द्वारा कार्यालय खोलने की अन्य शर्त्ते निम्नलिखित निर्धारित की गयी हैंः-

1- यह कार्यालय किसी निजी या सार्वजनिक संपत्ति को अतिक्रमित कर नहीं खोला जायेगा।

2- यह कार्यालय किसी धार्मिक स्थल के भवन या परिसीमा मे नहीं खोला जायेगा।

3- यह कार्यालय किसी अस्पताल या शैक्षणिक संस्थान के समीप नहीं खोला जायेगा

46

3- यह कार्यालय किसी अस्पताल या शैक्षणिक संस्थान के समीप नहीं खोला जायेगा

4- यह कार्यालय वर्तमान मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि मे नहीं खोला जायेगा।

5- इस कार्यालय पर केवल पार्टी का झण्डा और बैनर (पार्टी के चुनाव चिन्ह और फोटोग्राफ सहित) ही प्रदर्शित किया जायेगा।

7.5 प्रचार हेतु अनुमति प्राप्त कोई भी वाहन जब प्रचार के लिये क्षेत्र मे भ्रमण करेगा तो उसके Wind screen पर मूल अनुमति पत्र को प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। अनुमति पत्र की फोटोकॉपी की मान्यता नहीं होगी।

7.6 वाहनों और सभा स्थल पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

7.7 संपत्ति विरूपण अधिनियम और बिहार म्यूनिस्पिल अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी परिस्थिति मे किसी निजी मकान पर लिखावट या प्रचार सामग्री नहीं लगायी जा सकती है।

7.8 किसी भी सभा मे कट आउट, बैनर, पोस्टर, झण्डा इत्यादि लगाया जा सकता है किन्तु सभा समाप्ति के उपरान्त इसे तुरंत हटवाना अनिवार्य होगा।

7.9 मतदान के दिन एक अभ्यर्थी को एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे कुल 8 वाहनों के प्रयोग की अनुमति दी जायेगी। यह अनुमति अभ्यर्थी द्वारा पूर्व मे प्रचार हेतु प्रयोग किये जा रहे वाहनों के अनुमति पत्र Surrender करने के उपरान्त ही दी जायेगी।

7.10 मतदान की तिथि के 48 घंटा पूर्व अर्थात दिनांक 14.4.2009 को संध्या 5 बजे के बाद लाउडस्पीकर से चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7.11 मतदान के दिन अभ्यर्थियों को अनुमति प्राप्त वाहनों और चुनाव कार्य मे लगे सरकारी वाहनों के अतिरिक्त क्षेत्र मे अन्य किसी भी प्रकार के वाहन के परिचालन की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7.12 अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक लाने और ले जाने के लिये वाहन का उपयोग नहीं करेंगे।

7.13 वर्तमान मे पूरे जिला मे दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू है अतएव कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र/ शस्त्र (चाहे वह लाइसेन्सी ही क्यों न हो) को ले कर सार्वजनिक रूप से क्षेत्र मे भ्रमण नहीं कर सकता है।

Rajendra

7.14 मतदान के दिन अभ्यर्थियों का शिविर मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि के बाहर होगा। इस शिविर मे एक मेज, दो कुर्सी और धूप/ वर्षा रोकने के लिये छोटी तिरपाल के अतिरिक्त अन्य कुछ भी रखना प्रतिबंधित रहेगा।

8- व्यय लेखा कोषांगः-

8.1 अभ्यर्थियों के व्यय लेखा की जांच हेतु संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गयी है। ये पदाधिकारी समाहरणालय परिसर मे स्थित वाणिज्य कर कार्यालय मे प्रत्येक कार्यालय दिवस मे उपलब्ध रहेंगे। सभी संबंधित अभ्यर्थी इनसे अपने व्यय लेखा की जांच करा सकते हैं। इनका नाम और दूरभाष संख्या निम्नलिखित हैः-

19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्रः-

श्री सियाराम सिंह	मोबाईल नं0 9470001705
श्री विनोद कुमार सिंह	मोबाईल नं0 9934890377

20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्रः-

श्री राजीव कुमार	मोबाईल नं0 9835065161
श्री प्रियदर्शी रंजन	मोबाईल नं0 9835277333

8.2 सभी जांच पदाधिकारी के पास सामानो की दर सूची है। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे प्रत्येक 3 दिन पर अपने व्यय लेखा की जांच इनसे करा लें। उप विकास आयुक्त, सारण इस कोषांग के वरीय पदाधिकारी हैं जिनका मोबाईल नं0 9431818362 है। किसी भी कठिनाई के लिये इनसे संपर्क किया जा सकता है।

8.3 यदि अभ्यर्थी द्वारा टेलीविजन पर प्रचार किया जाता है तो इसकी सूचना भी व्यय लेखा कोषांग को दी जाय ताकि इसे अभ्यर्थी के व्यय लेखा मे सम्मिलित किया जा सके।

9- निर्वाचन नियम और Electoral Offences की सूचीः-

इसकी सूची सभी अभ्यर्थियों को उपलब्ध करा दी जा रही है।

10- EVM की सीलिंगः-

EVM की सीलिंग दिनांक 9.4.2009 को कृषि उत्पादन बाजार समिति, छपरा के परिसर मे की जायेगी। इस आशय की सूचना सभी अभ्यर्थियों को दे दी गयी है। इस अवसर पर अभ्यर्थी स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि सीलिंग के दौरान उपस्थित रह सकते हैं तथा दिनांक 16.4.2009 (मतदान के दिन) तक अपने प्रतिनिधि को वहां रूकने के लिये प्राधिकृत कर सकते हैं।

11- इसके उपरान्त विभिन्न प्रत्याशियों अथवा उनके चुनाव अभिकर्त्तागण ने कतिपय विन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा। जिला दण्डाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उनका सम्यक उत्तर दिया।

Rajeev

11.1 श्री भोला राय, चुनाव अभिकर्त्ता, राष्ट्रीय जनता दल, 20-सारण ने जानना चाहा कि चुनाव कार्यालय पर सहयोगी दल का झंडा लगेगा या नहीं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कार्यालय पर झण्डा मात्र एक ही लगेगा, चाहे वह किसी भी दल का हो। श्री राय की पृच्छा पर उन्हें यह भी बताया गया कि वे बैनर पर अनेक फोटोग्राफ प्रदर्शित कर सकते हैं।

11.2 19-महाराजगंज के कांग्रेस (आई) प्रत्याशी के चुनाव अभिकर्त्त श्री अजीत सिंह ने जानना चाहा कि इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के जो दो विधानसभा खण्ड गोरेया कोठी और महाराजगंज, सिवान जिला मे आते हैं वहां के लिये अनुमति कौन प्रदान करेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि इस मामले मे भी संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी, महाराजगंज अनुमति पत्र निर्गत करेंगे।

11.3 श्री उमाशंकर सिंह, राष्ट्रीय जनता दल प्रत्याशी, 19-महाराजगंज ने निर्वाचन कार्य मे लगाये गये विश्वविद्यालय के कतिपय कर्मियों पर आपत्ति प्रकट किया। जिलाधिकारी ने उन्हें सूचित किया कि जिन कर्मियों के नाम पर उन्हे आपत्ति है, वे लिख कर दे दें, उन कर्मियों को चुनाव से हटा दिया जायेगा।

11.4 श्री चन्द्रभूषण पंडित, अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, छपरा ने बताया कि कतिपय मतदान केन्द्र, जहां कमजोर वर्ग के मतदाताओं की बहुलता है, वहां अर्द्ध सैनिक बल तैनात किया जाय ताकि वे भयमुक्त हो कर मतदान कर सकें। जिलाधिकारी ने स्वच्छ और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित कराने हेतु हर संभव उपाय करने का आश्वासन दिया।

11.5 चुनाव अभिकर्त्ता, भारतीय जनता पार्टी, 20- सारण ने सूचित किया कि अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा द्वारा उन्हें कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं प्रदान की जा रही है। जिलाधिकारी ने उन्हें अवगत कराया कि वे उपर्युक्त कंडिका 7.4 मे वर्णित मानदण्डों के अनुरूप चुनाव कार्यालय खोल कर उसकी सूचना अनुमण्डल पदाधिकारी को दे दें। इसके लिये पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

11.6 प्रो0 साधु शरण सिंह 'सुमन' चुनाव अभिकर्त्ता, जनता दल यूनाइटेड प्रत्याशी 19-महाराजगंज ने सूचित किया कि सिवान और छपरा जेल मे बन्द कतिपय अपराधकर्मियों द्वारा मोबाईल फोन से मतदाताओं को डराने धमकाने की कार्रवाई की जा रही है। उन्होने इस पर अंकुश लगाने की मांग किया। जिलाधिकारी, सारण ने सूचित किया कि वे इस बारे मे जिलाधिकारी, सिवान से बात करेंगे और अपने स्तर से भी समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

11.7 श्री संतोष पटेल, प्रत्याशी, लोकतांत्रित समता दल, 20- सारण ने सूचित किया कि अमनौर प्रखंड के मतदान केन्द्र संख्या 91 पर समुचित रूप से फोटोग्राफी नहीं

करायी गयी है। जिलाधिकारी ने उन्हें निदेश दिया कि वे एतद् विषयक शिकायत लिखित रूप मे दें ताकि जांच करा कर समुचित कार्रवाई की जा सके।

11.8 श्री रमेश कुशवाहा, प्रत्याशी, लोकतांत्रिक समता दल,19-महाराजगंज के प्रतिनिधि ने रोड शो की अनुमति प्रदान करने के प्रावधानों के बारे मे जानना चाहा। जिलाधिकारी ने बताया कि यह अनुमति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

12- प्रत्याशियों/ अभिकर्त्ताओं की पृच्छा के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकगण ने सभी उपस्थित को संबोधित किया।

12.1 श्री गौरव गुप्ता, प्रेक्षक, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने सभी प्रत्याशियों को भारत निर्वाचन आयोग की Guidelines और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करने की अपील किया। उन्होने सभी प्रत्याशियों ने व्यय लेखा की नियमित जांच कराने का अनुरोध किया तथा बताया कि ऐसा नहीं करने से उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। उन्होने कहा कि बिना अनुमति प्राप्त किये वाहनों/ लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करें। मतदाता सूची सभी अभ्यर्थियों को 5.4.2009 को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12.2 श्री गणेश शंकर मिश्र, प्रेक्षक, 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने बताया कि सभी Vouchers पर प्रत्याशी का हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है। इस पर सभी प्रेक्षक सहमत नहीं थे। जिलाधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों को बताया कि तत्काल सभी Vouchers पर अभ्यर्थी या उनके चुनाव अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर करने की प्रकिया जारी रहेगी। यदि इसमे इस प्रकिया मे कोई परिवर्त्तन होगा तो सभी संबंधित को अवगत करा दिया जायेगा।

12.3 श्री गौतम घोष, प्रेक्षक, 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने सभी प्रत्याशियों से स्वच्छ और शान्तिपूर्ण वातावरण मे मतदान संपन्न कराने हेतु सहयोग करने की अपील किया। उन्होने बताया कि सभी प्रेक्षक छपरा परिसदन मे उनकी सुविधा और मार्गदर्शन के लिये उपलब्ध रहेंगे। दूरभाष पर भी उनसे संपर्क किया जा सकता है।

12.4 श्री सुभाष बैन्स, प्रेक्षक, 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने स्वच्छ और शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने की अपील किया।

12.5 श्री पी. चन्द्रशेखर, प्रेक्षक, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने धर्म, जाति, क्षेत्रवाद और अन्य संकीर्ण भाव से उपर उठ कर चुनाव प्रचार करने और मत डालने की अपील किया। उन्होने प्रत्याशियों को बाहुबल और धनबल का प्रयोग करने से बचने की सलाह दिया ताकि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन किया जा सके।

करायी गयी है। जिलाधिकारी ने उन्हें निदेश दिया कि वे एतद् विषयक शिकायत लिखित रूप मे दें ताकि जांच करा कर समुचित कार्रवाई की जा सके।

11.8 श्री रमेश कुशवाहा, प्रत्याशी, लोकतांत्रिक समता दल,19-महाराजगंज के प्रतिनिधि ने रोड शो की अनुमति प्रदान करने के प्रावधानों के बारे मे जानना चाहा। जिलाधिकारी ने बताया कि यह अनुमति संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी।

12- प्रत्याशियों/ अभिकर्त्ताओं की पृच्छा के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकगण ने सभी उपस्थित को संबोधित किया।

12.1 श्री गौरव गुप्ता, प्रेक्षक, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने सभी प्रत्याशियों को भारत निर्वाचन आयोग की Guidelines और आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन करने की अपील किया। उन्होने सभी प्रत्याशियों ने व्यय लेखा की नियमित जांच कराने का अनुरोध किया तथा बताया कि ऐसा नहीं करने से उनके विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है। उन्होने कहा कि बिना अनुमति प्राप्त किये वाहनों/ लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करें। मतदाता सूची सभी अभ्यर्थियों को 5.4.2009 को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12.2 श्री गणेश शंकर मिश्र, प्रेक्षक, 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने बताया कि सभी Vouchers पर प्रत्याशी का हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर आवश्यक है। इस पर सभी प्रेक्षक सहमत नहीं थे। जिलाधिकारी ने सभी अभ्यर्थियों को बताया कि तत्काल सभी Vouchers पर अभ्यर्थी या उनके चुनाव अभिकर्त्ता के हस्ताक्षर करने की प्रकिया जारी रहेगी। यदि इसमे इस प्रकिया मे कोई परिवर्त्तन होगा तो सभी संबंधित को अवगत करा दिया जायेगा।

12.3 श्री गौतम घोष, प्रेक्षक, 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने सभी प्रत्याशियों से स्वच्छ और शान्तिपूर्ण वातावरण मे मतदान संपन्न कराने हेतु सहयोग करने की अपील किया। उन्होने बताया कि सभी प्रेक्षक छपरा परिसदन मे उनकी सुविधा और मार्गदर्शन के लिये उपलब्ध रहेंगे। दूरभाष पर भी उनसे संपर्क किया जा सकता है।

12.4 श्री सुभाष बैन्स, प्रेक्षक, 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने स्वच्छ और शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने की अपील किया।

12.5 श्री पी. चन्द्रशेखर, प्रेक्षक, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने धर्म, जाति, क्षेत्रवाद और अन्य संकीर्ण भाव से उपर उठ कर चुनाव प्रचार करने और मत डालने की अपील किया। उन्होने प्रत्याशियों को बाहुबल और धनबल का प्रयोग करने से बचने की सलाह दिया ताकि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन किया जा सके।

50

12.6 श्री भाष्कर आनन्द, प्रेक्षक, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने सभी प्रेक्षकगण पर विश्वास करने की अपील किया और कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य स्वच्छ एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराना है।

बैठक के अन्त मे जिला दण्डाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण ने उपस्थित प्रेक्षकगण के प्रति आभार व्यक्त किया तथा अन्य उपस्थित अभ्यर्थियों को धन्यवाद देते हुये बैठक की कार्यवाही समाप्त किया।

2.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

ज्ञापांक 512 / निर्वाचन
छपरा,दिनांक 2 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि सभी प्रेक्षकगण, भारत निर्वाचन आयोग, कैम्प छपरा परिसदन को सूचनार्थ प्रेषित।

2.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

ज्ञापांक 512 / निर्वाचन
छपरा,दिनांक 2 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि जिलाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह- निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छपरा/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा, सोनपुर और मढ़ौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

ज्ञापांक 512 / निर्वाचन
छपरा,दिनांक 2 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि सभी मान्यता प्राप्त. राजनीतिक दलों के अध्यक्ष/ सभी प्रत्याशी, 19-महाराजगंज और 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे दिनांक 3-4-2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
3-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन कोषांग
4-	श्री सूर्य नारायण सिंह	जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
5-	श्री महेन्द्र सिंह	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग
6-	श्री सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग
7-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
8-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
9-	श्री कमरूज्जमां	कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर छपरा
10-	श्री अजय कुमार	अंचल अधिकारी, गड़खा सह प्रभारी पदााधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग
11-	श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी	अंचल अधिकारी, अमनौर-सह-नोडल पदा0 विधि व्यवस्था कोषांग
12-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग
13-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग
14-	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
15-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
16-	श्री चन्देश्वर राम	कार्यपालक अभियन्त, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा
17-	श्री अजय कुमार	जिला अवर निबंधक, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, छपरा
18-	श्री सियाराम सिंह	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त सह प्रभारी पदाधिकारी व्यय लेखा कोषांग
19-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग
20-	श्री नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
21-	श्री अनिल कुमार सिंह	विकास पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास कार्यक्रम प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग
22-	श्री विपिन बिहारी सिंह	सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल-1 छपरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विगत बैठकों मे दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा किया। स्थिति निम्नवत् पायी गयीः-

52

1- कार्मिक कोषांग:-

1.1 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र, प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को निदेश दिया गया कि वे प्रखंडो मे 20% अतिरिक्त कर्मी प्रतिनियुक्त करने की कार्रवाई करें। यदि किसी मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त कर्मी कमजोर होते हैं या मतदान की प्रकिया धीमी चलती हो तो इन अतिरिक्त कर्मियों का उपयोग उन केन्द्रों पर किया जायेगा। यह प्रतिनियुक्ति करने के लिये संबंधित अंचल अधिकारी को प्राधिकृत किया जाय।

1.2 श्री कमरूज्जमा, कार्यपालक दण्डाधिकारी की पृच्छा पर जिलाधिकारी ने बताया कि सुरक्षित मतदान कर्मियों का नियुक्ति पत्र विधानसभा खण्डवार निकाला जायेगा। ये मतदान कर्मी विधानसभा खण्ड मुख्यालय के प्रखंड मे योगदान करेंगे और वहां से अन्य प्रखंडों की आवश्यकतानुसार इन्हें प्रतिनियुक्त किया जायेगा।

1.3 कार्मिक कोषांग को निदेश दिया गया कि दिनांक 4.4.2009 से 12.4.2009 की Micro planning जो उनके द्वारा प्रस्तुत की गयी है, उससे सभी अधीनस्थ कर्मियों को अवगत करा दें ताकि वे उसके अनुरूप कार्य कर सकें।

1.4 उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिस जिस कोषांग मे संध्या 5 बजे के बाद भी कार्य हो रहा है, उसके प्रभारी पदाधिकारी से लिखित रूप मे कार्य की प्रकृति दर्शाते हुये यदि कर्मियों की सूची प्राप्त होती है तो वहां कार्यरत कर्मियों को वित्त विभाग के परिपत्र के आलोक मे संध्या 5 बजे के बाद कार्य करे वाले कर्मियों को 25/ - रूपया प्रतिदिन और रविवार/ सार्वजनिक अवकाश के दिन कार्य करने वाले कर्मियों को 60/ - रूपया की दर से नाश्ता का खर्च का भुगतान दिनांक 21.3.2009 के प्रभाव से किया जाय।

1.5 जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि Genesis software में आंकड़ा तैयार नहीं होने की सूचना मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को डाकअ और E-mail के माध्यम से प्रेषित की जाय।

1.6 उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को कागज और Toner वांछित मात्रा मे उपलब्ध करा दें।

1.7 उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे मतदान केन्द्रों की Hard copy तथा मतदान केन्द्रवार मतदाताओं की संख्या जिला सूचना विज्ञान केन्द्र को यथाशीघ्र उपलब्ध करवा दें।

प्रशिक्षण कोषांग:-

2.1 प्रभारी पदाधिकरी, प्रशिक्षण कोषांग को निदेश दिया गया कि छपरा सदर प्रखंड मे P 3 कर्मियों की फोटोग्राफी के लिये फोटोग्राफर की संख्या बढ़ाना सुनिश्चित करें।

2.2 Micro Observers के प्रशिक्षण के लिये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार से Standard Training material प्राप्त है। इसकी छायाप्रति करा कर सभी को उपलब्ध करा दिया जाय। इसी के अनुरूप प्रशिक्षण आयोजित किया जाय। इसके अतिरिक्त इन्हें बताया जाय कि फोटोग्राफी की व्यवस्था कहां से होगी, योगदान कहां करना है, राशि कहां से मिलेगी तथा मतदान के दिन इन्हें कैसे प्रतिवेदन भेजना है, इससे अवगत करा दें।

2.3 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि गश्ती दल दण्डाधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ तिथिवार Micro planning की विवरणी उपलब्ध करायें।

अर्द्ध सैनिक बल कोषांग:-

3.1 प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल, कोषांग, सारण को निदेश दिया गया कि वें अर्द्ध सैनिक बलों के अधिकारियों को सिम कार्ड उपलब्ध करा दें।

3.2 प्रभारी पदाधिकारी की पृच्छा पर उन्हें बताया गया कि अर्द्ध सैनिक बल के अधिकारियों को मात्र आवासन की सुविधा प्रशासन द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। भोजन इत्यादि का व्यय वे स्वयं वहन करेंगे।

3.3 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पुलिस अधीक्षक, सारण से संपर्क स्थापित कर बलों के आवासन स्थल को चिन्हित कर लें।

4- सामग्री कोषांगः-

4.1 श्री अंजनी कुमार सिन्हा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर छपरा-सह- प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग ने बताया कि दिनांक 4.4.2009 से सामग्रियों की पैकेटिंग का कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा।

4.2 श्री अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि वे दिनांक 4.4.2009 को सामान लाने पटना जायेंगे जिसके लिये उन्हें वाहन प्राप्त हो गया है। सशस्त्र बल की व्यवस्था करने हेतु पुलिस अधीक्षक, सारण से अनुरोध किया गया है।

5- प्रेक्षक कोषांगः-

श्री अनिल कुमार सिंह, विकास पदाधिकारी, आई सी डी पी सह प्रभारी पदाधिकारी प्रेक्षक कोषांग को निदेश दिया गया कि वे प्रतिदिन होने वाले व्यय की स्वीकृति प्राप्त कर अभिश्रव पारित करा लिया करें और खर्च का दैनिक प्रतिवेदन भी उपस्थापित करें।

6- विविधः-

6.1 उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे सिवान जिला से प्राप्त हुये डाक मतपत्र वितरण करने हेतु कोषागार पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, मतपत्र कोषांग को उपलब्ध करा दें।

6.2 उप निर्वाचन पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे ई सी एम सीलिंग के दिन उपस्थित कर्मियों के नाश्ता और भोजन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

6.3 उप निर्वाचन पदाधिकारी सारण को निदेश दिया गया कि जिलाधिकारी सिवान द्वारा मांगी गयी सूचनायें अविलंब उन्हें उपलब्ध करा दें।

6.4 श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, अंचल अधिकारी, अमनौर -सह- नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे Vulnerability का प्रतिवेदन दिनांक 4.4.2009 तक तैयार कर उपस्थापित करें।

6.5 श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, अंचल अधिकारी, अमनौर -सह- नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे Communication Plan का प्रतिवेदन भी अविलंब तैयार करवा दें।

6.6 श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी को निदेश दिया गया कि वे विधि व्यवस्था का प्रतिवेदन यथासमय निर्वाचन आयोग को भेजना सुनिश्चित करेंगे।

6.7 उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे Data Entry Cell मे Broad Band Connection अविलंब उपलब्ध करवा दें।

6.8 सभी कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि Data Entry Cell द्वारा जो भी प्रतिवेदन मांगा जाय उन्हें अविलंब उपलब्ध करा दिया जाय।

श्री अनिल कुमार सिंह, विकास पदाधिकारी, आई सी डी पी सह प्रभारी पदाधिकारी प्रेक्षक कोषांग को निदेश दिया गया कि वे प्रतिदिन होने वाले व्यय की स्वीकृति प्राप्त कर अभिश्रव पारित करा लिया करें और खर्च का दैनिक प्रतिवेदन भी उपस्थापित करें।

10- आदर्श आचार संहिता कोषांगः-

10.1 श्री महेन्द्र सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि उनके कोषांग मे प्राप्त शिकायतों पर सम्यक कार्रवाई की जा रही है।

10.2 श्री सिंह ने बताया कि अभी तक कोषांग मे दूरभाष नहीं लगा है। उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अविलंब दूरभाष लगवा दें।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

54

ज्ञापांक 1291 / सी
छपरा,दिनांक 3 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ मीडिया कोषांग/ सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण/ अंचल अधिकारी, अमनौर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

B Rajender 3.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1291 / सी
छपरा,दिनांक 3 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

B Rajender 3.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता में दिनांक 4-4-2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सारण
3-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
4-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन कोषांग
5-	श्री महेन्द्र सिंह	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग
6-	श्री सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग
7-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
8-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
9-	श्री अजय कुमार	अंचल अधिकारी, गड़खा सह प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग
10-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग
11-	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
12-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
13-	श्री रमेश त्रिपाठी	परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, सारण
14-	श्री विमल शांडिल्य	जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, छपरा
15-	श्री चन्देश्वर राम	कार्यपालक अभियन्त, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा
16-	श्री अजय कुमार	जिला अवर निबंधक, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, छपरा
17-	श्री विनोद कुमार सिंह	वाणिज्य कर सहायक आयुक्त सह प्रभारी पदाधिकारी व्यय लेखा कोषांग
18-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग
19-	श्री नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
20-	श्री अनिल कुमार सिंह	विकास पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास कार्यक्रम प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग
21-	श्री विपिन बिहारी सिंह	सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल-। छपरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विगत बैठकों मे दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा किया। स्थिति निम्नवत् पायी गयीः-

1- मीडिया कोषांगः-

1.1 श्री मुश्ताक अहमद नूरी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, मीडिया कोषांग को निदेश दिया गया कि वे समाचार पत्रों मे प्रकाशित चुनाव संबंधी समाचारों की कतरन सभी प्रेक्षकगण को प्रेषित किया करें। इसी प्रकार विभिन्न टी. वी चैनलों पर प्रसारित विज्ञापनों के बारे मे भी सूचना वे प्रेक्षकगण को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1.2 श्री नूरी को यह भी निदेश दिया गया कि जिस दिन कोई समाचार नहीं हो उस दिन शून्य प्रतिवेदन प्रेषित किया जाय।

2- वीडियोग्राफी कोषांगः-

2.1 श्री मुश्ताक अहमद नूरी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि राजनीतिक दलों द्वारा की जा रही विभिन्न सभाओं की रिकार्डिंग की सी. डी. बनवा कर प्रेक्षकगण और अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

2.2 श्री नूरी को यह भी निदेश दिया गया कि इस हेतु वे पर्याप्त संख्या मे वीडियो केमरा लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

3- आचार संहिता-सह-शिकायत कोषांगः-

3.1 श्री महेन्द्र सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे सभी अनुमण्डल पदाधिकारीगण से आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों का प्रतिवेदन प्रतिदिन प्राप्त कर उपस्थापित करना सुनिश्चित करेंगे।

3.2 श्री सिंह को निदेश दिया गया कि निर्वाचन संबंधी जितनी भी शिकायतें प्राप्त होती हैं उन्हें आदेशार्थ जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नियमित रूप से उपस्थापित किया करें।

3.3 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि व्यय लेखा कोषांग के साथ समन्वय स्थापित कर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

3.4 प्रभारी पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक उनके कोषांग मे टेलीफोन नहीं लगा है। उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे अविलंब टेलीफोन लगवा कर इसके नंबर का समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार प्रसार करवा दें ताकि जनसाधारण इससे लाभान्वित हो सके।

4- अर्द्ध सैनिक बल कोषांगः-

4.1 श्री अजय कुमार, अंचल अधिकारी, गड़खा-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल, कोषांग, सारण ने सूचित किया कि उन्होने पुलिस अधीक्षक से अर्द्ध सैनिक बलों के आवासन स्थल के बारे मे विमर्श किया है। पुलिस अधीक्षक ने 10 आवास स्थलों पर व्यवस्था कराने का निदेश दिया है। उपस्थित कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल को आदेश दिया गया कि वे प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग से समन्वय स्थापित कर इन स्थलों पर चापाकल और शौचालय आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

4.2 कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल को निदेश दिया गया कि वे कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर मे वज्रगृहों के पास 3-4 चापाकल लगवा दें उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि वाहन कोषांग का भ्रमण कर वहां भी आवश्यकतानुसार 3-4 चापाकल लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

4.3 प्रभारी पदाधिकारी ने सूचित किया कि कतिपय मतदान केन्द्र नदी के उस पार अवस्थित हैं। जिलाधिकारी ने इन मतदान केन्द्रों तक आवागमन के लिये नावों को अधिगृहित करने का आदेश दिया।

4.4 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे पुलिस लाईन के समीप स्थित लोकमान्य उच्च विद्यालय सहित कतिपय अन्य विद्यालयों को चिन्हित कर अधिग्रहण की कार्रवाई करें ताकि इनका उपयोग बाहर से आने वाले गृह रक्षकों और अन्य बलों के आवासन हेतु किया जा सके। कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल इस विद्यालय मे आवश्यकतानुसार चापाकल और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

5- प्रशिक्षण कोषांगः-

5.1 श्री सुरेन्द्र झा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा-सह- प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग ने बताया कि दिनांक 6.4.2009 को गश्ती दल दण्डाधिकारियों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम निर्धारित है। उन्हें निदेश दिया गया कि इस प्रशिक्षण हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित कर लिया जाय। पाठ्यक्रम मे गश्ती दलों को किस मतदान केन्द्र पर, किस वाहन से जाना है, उन्हें अग्रिम कहां से मिलेगा, EVM खराब हो

56

जाने पर क्या करना होगा, वापसी मे पीठासीन पदाधिकारी को वज्रगृह तक लाना इत्यादि विषयों को शामिल किया जाय ताकि अन्तिम दल के पदाधिकारियों को किसी कठिनाई का सामना नही करना पड़े। श्री झा को निदेश दिया गया कि इस पाठ्यक्रम मे Electoral Offence से भी चर्चा की जाय। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि यह पाठ्यक्रम तैयार कर दिनांक 5.4.2009 की बैठक मे उपस्थापित करें।

5.2 दिनांक 6.4.2009 को ही डिजिटल केमरा का भी प्रशिक्षण निर्धारित है। प्रभारी पदाधिकारी, डिजिटल केमरा कोषांग को निदेश दिया गया कि वे इस हेतु भी पाठ्यकम तैयार कर लें।

5.3 प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग को बताया गया कि अभी EVM प्रेषित करने, EVM प्राप्त करने का प्रशिक्षण भी दिया जाना है। EVM प्राप्त करने वाले कर्मियों को मृदु व्यवहार करने का विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाय।

5.4 उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिस दिन EVM प्राप्त होगी (दिनांक 16.4.2009) उस दिन सभी कर्मियों के लिये भोजन की भी व्यवस्था रात्रि मे की जाय।

5.5 बैठक मे उपस्थित जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी के नेतृत्व मे भोजन कोषांग भी गठित करने का निर्णय लिया गया तथा उन्हें निदेश दिया गया कि इस हेतु पदाधिकारियों/ कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति कार्मिक कोषांग से समन्वय स्थापित कर के करवा लें।

5.6 सेक्टर पदाधिकारियों का भी प्रशिक्षण आयोजित करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी को दिया गया।

5.7 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अब तक आयोजित प्रशिक्षणों मे जितना भी पंखा, जेनेरेटर मद मे व्यय किया गया है, उसकी स्वीकृति प्राप्त कर भुगतान की कार्रवाई दिनांक 7.4.2009 तक करवाना सुनिश्चित करें। जो भी भुगतान किया जाय, उसका Payment order भी निर्गत किया जाय।

5.8 सभी जनसेवकों के लिये दिनांक 7 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच EVM का प्रशिक्षण आयोजित कराने का निर्णय लिया गया।

6- प्रेक्षक कोषांगः-

श्री अनिल कुमार सिंह, विकास पदाधिकारी, आई सी डी पी सह प्रभारी पदाधिकारी प्रेक्षक कोषांग को निदेश दिया गया कि वे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार से प्रेक्षकगण की मार्गदर्शिका का English Version प्राप्त करने हेतु पत्राचार करें और इस पत्र की प्रतिलिपि प्रेक्षकगण को भी प्रेषित करें।

7- सामग्री कोषांगः-

7.1 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे मतदान दलों के झोला को भरवाने का कार्य दिनांक 7.4.2009 से प्रारंभ करायें।

7.2 यह भी निर्णय लिया गया कि सामग्री का वितरण विधानसभा खण्डवार किया जायेगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि विधानसभा खण्ड के नाम वाले प्रखंड मुख्यालय से सामग्री का वितरण किया जायेगा। यदि उस विधानसभा खण्ड मे दो या तीन प्रखंड हैं तो वाहन, आकस्मिकता, ईधन इत्यादि का आवंटन मुख्यालय वाले अंचल अधिकारी को दिया जायेगा और अन्य प्रखंडों के अंचल अधिकारी उनको इस कार्य मे सहयोग करेंगे।

8- डिजिटल केमरा कोषांगः-

8.1 इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी श्री मोहन प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने पूर्व मे निर्गत दिशा निर्देशों मे संशोधन करते हुये डिजिटल केमरा के साथ Rechargeable Battery उपलब्ध कराने का निदेश दिया है। प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे इस प्रकार की बैटरी के उपयोग मे आने वाली व्यवहारिक कठिनाईयों यथा Charging सुविधा का अभाव इत्यादि का उल्लेख करते हुये मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को संबोधित पत्र का प्रारूप उपस्थापित करें।

9- ई. वी. एम कोषांगः-
प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे सुरक्षित EVM का [illegible] पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दें।

10- कार्मिक कोषांगः-
प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग को निम्नलिखित निदेश दिये गयेः-

10.1 Micro Observers का नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिया जाय।
10.2 पर्दानशीन महिलाओं की पहचान हेतु मतदान केन्द्रों को चिन्हित करने और समीपवर्त्ती शिक्षिकाओं को प्रशिक्षित करना।
10.3 ई वी एम प्राप्त करने वाले कार्मिकों का नियुक्ति पत्र निर्गत करना।
10.4 ई वी एम प्रेषित करने वाले कार्मिकों का नियुक्ति पत्र निर्गत करना।
10.5 कार्मिकों का Second Randomization दिनांक 7.4.2009 को संध्या 5 बजे आयोजित करना।
10.6 कार्मिकों का Third Randomization दिनांक 10-12.4.2009 को आयोजित करना।
10.7 नियुक्ति पत्रों का मुद्रण।
10.8 सेक्टर पदाधिकारियों की परिवर्द्धित (Modified) सूची तैयार करना।
10.9 कार्यालयवार फोटोग्राफ की छंटाई करना और संबंधित कार्यालयों मे प्रेषित करना।
10.10 सामग्री का विधानसभा खण्डवार वितरण करना।
10.11 Database के साथ फोटोग्राफ का Merger करना।
10.12 मतदान केन्द्रों की सूची को अंतिम रूप देना।
10.13 मतदान केन्द्रवार मतदाताओं की सूची को अंतिम रूप देना।
10.14 जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि Genesis software की कठिनाईयों तथा Communication plan के बारे मे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से पत्राचार करें।

11- वाहन कोषांगः-

11.1 प्रभारी पदाधिकारी को बताया गया कि मुख्यतः अर्द्ध सैनिक बलों के उपयोग हेतु, बाहर से बल लाने हेतु, पदाधिकारियों के उपयोग हेतु, गश्ती दल दण्डाधिकारियों हेतु और रिंग सर्विस के लिये वाहन की आवश्यकता होगी। तदनुरूप वाहन और ईधन की आवश्यकता का आकलन कर प्रतिवेदन दिनांक 5.4.2009 को प्रस्तुत करें।
11.2 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे प्रतिदिन वाहन का प्रकार, वाहनों की संख्या का Progressive Total, मदवार प्रतिदिन व्यय का उल्लेख करते हुये प्रतिवेदन प्रेषित किया करें।

12- विविधः-

12.1 उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे विधानसभा खण्डवार मुख्यालय के अंचल अधिकारी को वांछित मात्रा मे यात्रा भत्ता भुगतान हेतु राशि अविलंब उपलब्ध करा दें।
12.2 उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वाहनों के मुआवजा, ईधन व्यय और कार्मिकों के यात्रा भत्ता सहित आकस्मिकता मद मे अनुमानित राशि का आकलन कर राशि की मांग मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार से अविलंब करना सुनिश्चित करेंगे।
12.3 परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, सारण को निदेश दिया गया कि जिला परिषद परिसर मे स्थित सामग्री कोषांग मे 3 गृह रक्षक आज ही से उपलब्ध करा दें तथा उन्हें निदेश दे कि वे भण्डारित सामग्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे।
12.4 बाजार समिति परिसर मे ई वी एम का भण्डारण किया गया है। इस निमित परिचारी प्रवर को निदेश दिया गया कि वे 3 सेक्शन सशस्त्र बल वहां प्रतिनियुक्त करें। श्री हरेन्द्र सिंह, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा को निदेश दिया गया कि

वे इन बलों के प्रतिनियुक्ति स्थल के बारे में जरिचारी प्रवर से विमर्श कर स्थान नियत करा लेंगे।

12.5 परिचारी प्रवर को निदेश दिया गया कि वे दोनो निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय प्रकोष्ठ पर तैनात सशस्त्र बल को Close करना सुनिश्चित करेंगे।

12.6 जिला समारेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी छपरा को निदेश दिया गया कि वे बाहर से आने वाले गृहरक्षकों की संख्या ज्ञात कर उन्हे लाने और छपर मे आवासन, अग्रिम भुगतान इत्यादि हेतु सम्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

4.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1309 / सी
छपरा,दिनांक 4 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ मीडिया कोषांग/ सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण/ अंचल अधिकारी, अमनौर/ परिचारी प्रवर/ जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, छपरा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1309 / सी
छपरा,दिनांक 4 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

4.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा प्र. से., जिला दण्डधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता मे दिनांक 5.4.2009 को सभी अंचल अधिकारियों और विभिन्न कोषांगों के पदाधिकारीगण के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिला दण्डाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सारण
3-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण
4-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, सारण
5-	श्री महेन्द्र सिंह	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण
6-	श्री सांवर भारती	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा
7-	श्री अवधेश राम	अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा
8-	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा
9-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण
10-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी, सारण
11-	परिशिष्ट-1 पर संलग्न विवरणी के अनुरूप अंचल अधिकारीगण	

बैठक के प्रारंभ मे जिला दण्डाधिकारी ने उपस्थित अंचल अधिकारियों को बताया कि विधानसभा खण्ड के मुख्यालय वाले प्रखंड से मतदान सामग्रियों का वितरण किया जायेगा। उन्होने उपस्थित अंचल अधिकारियों से इस बारे मे प्रस्ताव देने का अनुरोध किया। संबंधित अंचल अधिकारी को कर्मियों के बैठने, अग्रिम प्रदान करने, वाहन से मतदान केन्द्रों पर पहुचाने की तैयारी करना होगा। विधानसभा खण्डवार स्थिति निम्नवत् स्थलों का चयन किया गयाः-

1- 113- एकमा विधानसभा खण्डः-

इस विधान सभा खण्ड मे एकमा प्रखंड के 1 से 128, लहलादपुर के 129 से 173 और मांझी (अंश) के 174 से 219 कमांक वाले मतदान केन्द्र आते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी, एकमा ने बताया कि प्रखंड परिसर सामग्री वितरण कार्य के लिये उपयुक्त है किन्तु उन्हें निदेश दिया गया कि किसी समीपवर्त्ती विद्यालय का नाम अविलंब प्रस्तावित करें ताकि समुचित निर्णय लिया जा सके।

अंचल अधिकारी एकमा को इस कार्य मे अंचल अधिकारी लहलादपुर अपने सहकर्मियो के साथ सहयोग प्रदान करेंगे।

2- 114- मांझी विधानसभा खण्डः-

इस विधान सभा खण्ड मे मांझी (अंश) प्रखंड के 1 से 106, जलालपुर प्रखंड के 126 से 213 और बनियापुर (अंश) प्रखंड के 107 से 125 मतदान केन्द्र आते हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी ने बताया सामग्री वितरण के लिये प्रखंड कार्यालय के समीप दलन सिंह उच्च विद्यालय, मांझी का चयन किया गया है।

अंचल अधिकारी मांझी को इस कार्य मे अंचल अधिकारी जलालपुर अपने सहकर्मियो के साथ सहयोग प्रदान करेंगे। अंचल अधिकारी, मांझी ने बताया कि इनके प्रखंड से संबंधित

Rourte chart परिवर्त्तित करना होगा। जिला दण्डाधिकारी ने निदेश दिया कि तदनुसार Rourte chart परिवर्त्तित कर दिया जाय।

3- 115-बनियापुर विधानसभा खण्डः-

इस विधान सभा खण्ड मे बनियापुर (अंश) प्रखंड के 101 से 222, और मशरख प्रखंड के 1 से 100 कमांक वाले मतदान केन्द्र आते हैं। अंचल अधिकारी, बनियापुर ने बताया कि वितरण के लिये उच्च विद्वालय कन्हौली मनोहर का चयन किया गया है किन्तु अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर ने बताया कि प्रखंड के समीप ही बनियापुर महाविद्यालय स्थित है। जिला दण्डाधिकारी ने अंचल अधिकारी को निदेश दिया कि वे स्वयं महाविद्यालय का अवलोकन कर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

अंचल अधिकारी बनियापुर को इस कार्य मे अंचल अधिकारी मशरख अपने सहकर्मियो के साथ सहयोग प्रदान करेंगे।

4- 116- तरैया विधानसभा खण्डः-

इस विधान सभा खण्ड मे पानापुर के 1 से 61, इसुआपुर के 62 से 145 और तरैया प्रखंड के 146 से 222 कमांक वाले मतदान केन्द्र आते हैं। अंचल अधिकारी, तरैया ने बताया कि वितरण के लिये प्रखंड परिसर मे टेन्ट लगवाना होगा अथवा प्रखंड कार्यालय से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उ. वि. गवन्द्री का चयन इस हेतु किया जा सकता है। अंचल अधिकारी तरैया और अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा को निदेश दिया गया कि वे स्वयं स्थल निरीक्षण कर समुचित प्रस्ताव दिनांक 6.4.2009 की संध्या तक समर्पित करें।

अंचल अधिकारी तरैया को इस कार्य मे अंचल अधिकारी इसुआपुर अपने सहकर्मियो के साथ सहयोग प्रदान करेंगे।

5- 117- मढ़ौरा विधानसभा खण्डः-

इस विधान सभा खण्ड मे मढ़ौरा प्रखंड के 1 से 26, 47 से 142, मढ़ौरा नगर पंचायत के 30 से 46 और नगरा प्रखंड के 143 से 205 मतदान कमांक वाले मतदान केन्द्र आते हैं। अंचल अधिकारी, मढ़ौरा ने बताया कि सामग्री वितरण के लिए उ0 वि0 सिल्हौड़ी का चयन किया गया है।

अंचल अधिकारी मढ़ौरा को इस कार्य मे अंचल अधिकारी नगरा अपने सहकर्मियो के साथ सहयोग प्रदान करेंगे।

6- 118- छपरा विधानसभा खण्डः-

इस विधान सभा खण्ड मे रिविलगंज प्रखंड के 1 से 45, नगर पंचायत रिविलगंज के 46 से 67, छपरा (अंश) के 80 से 119, 228 से 230 और नगर परिषदं छपरा के 120 से 227 कमांक वाले मतदान केन्द्र आते हैं। अंचल अधिकारी, सदर ने बतायां कि सामग्री वितरण के लिए राम जयपाल महाविद्यालय छपरा का चयन किया गया है।

अंचल अधिकारी सदर क. इस कार्य मे अंचल अ ाकारी रिविलगंज अपने सहकर्मियो के साथ सहयोग प्रदान करेंगे।

7- 119- गइखा (अ0जा0) विधानसभा खण्डः-

इस विधान सभा खण्ड ने छपरा (अंश) के 1 से 74 और गइखा के 75 से 209 मतदान कमांक वाले मतदान केन्द्र आते हैं। अंचल अधिकारी, गइखा ने बताया कि सामग्री वितरण के लिए राजकीय उ0 वि0 मुहम्मदपुर का चयन किया गया है।

8- 120- अमनौर विधानसभा खण्डः-

इस विधान सभा खण्ड मे अमनौर प्रखंड के 1 से 109, मकर के 110 से 164 और परसा (अंश) के 165 से 204 मतदान कमांक वाले मतदान केन्द्र आते हैं। अंचल अधिकारी, अमनौर ने बताया कि सामग्री वितरण के लिए होती लाल महाविद्यालय अमनौर का चयन किया गया है।

अंचल अधिकारी अमनौर को इस कार्य मे अंचल अधिकारी मकेर अपने सहकर्मियो के साथ सहयोग प्रदान करेंगे।

9- 121- परसा विधानसभा खण्डः-

इस विधान सभा खण्ड मे परसा (अंश) प्रखंड के 1 से 41, और दरियापुर के 42 से 199 मतदान कमांक वाले मतदान केन्द्र आते हैं। अंचल अधिकारी, परसा ने बताया कि सामग्री वितरण के लिए प्रभुनाथ महाविद्यालय परसा का चयन किया गया है।

अंचल अधिकारी परसा को इस कार्य मे अंचल अधिकारी दरियापुर अपने सहकर्मियो के साथ सहयोग प्रदान करेंगे।

10- 122- सोनपुर विधानसभा खण्डः-

इस विधान सभा खण्ड मे दिघवारा प्रखंड के 1 से 33, 48 से 67,ख नगर पंचायत दिघवारा के 34 से 47, सोनपुर प्रखंड के 68 से 138, 162 से 210 और नगर पंचायत सोनपुर के 139 से 161 मतदान कमांक वाले मतदान केन्द्र आते हैं। अंचल अधिकारी, सोनपुर ने बताया कि सामग्री वितरण के लिए एस पी एस सेमिनरी सोनपुर का चयन किया गया है।

अंचल अधिकारी सोनपुर को इस कार्य मे अंचल अधिकारी दिघवारा अपने सहकर्मियो के साथ सहयोग प्रदान करेंगे।

इसके उपरान्त अंचल अधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिये गयेः-

1- सभी मतदाताओं को मतदाता सूची मे अंकित उनके कमांक और फोटोग्राफ को सादा कागज पर लिखवा कर या मोटे कागज पर फोटोस्टेट करवा कर वितरित करवा दिया जाय ताकि मतदाता को संतुष्टि हो जाय और वे अपने मताधिकार का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकें। अंचल अधिकारी, मांझी ने ऐसा कर दिया है जिसके लिये उनकी सराहना की गयी।

2- अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अर्द्ध सैनिक बलों के वाहन और पुलिस विभाग के वाहनों पर ईंधन व्यय का लेखा अलग अलग संधारित करें।

3- जैसा कि पूर्व मे उन्हें निदेशित किया गया है, क्षेत्र मे घटित प्रत्येक महत्वपूर्ण घटना की वीडियोग्राफी निश्चित रूप से करवाई जाय।

4- अर्द्धसैनिक बलों, पुलिस, मतदान कर्मियों को मतदान केन्द्र पर पहुँचाने के लिये वाहन, वीडियोग्राफी इत्यादि के लिये राशि का आकलन कर लिया जाय और Logical proposal तैयार कर राशि अधियाचना का प्रस्ताव अविलंब प्रेषित किया जाय।

5- यदि सेक्टर पदाधिकारियों को बदलवाना हो या संख्या बढ़ाना हो तो तदनुसार अविलंब प्रस्ताव समर्पित किया जाय ताकि समय पूर्व आदेश दिया जा सके।

6- अंचल अधिकारी, मांझी ने बताया कि मांझी मे स्थित पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल नहीं है। जिला दण्डाधिकारी ने निदेश दिया कि ताजपुर मे स्थित पेट्रोल पम्प पर समुचित मात्रा मे पेट्रोल का भण्डारण करने हेतु अविलंब आदेश निर्गत कर दिया जाय।

7- सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 6.4.2009 तक नया रूट चार्ट कार्मिक कोषांग को उपलब्ध करा दें।

8- पर्दानशीन महिलाओं से संबंधित मतदान केन्द्रों का कमांक और नाम दिनांक 6.4.2009 को दोपहर तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि इन मतदान केन्द्रों के समीपवर्त्ती विद्यालयो मे पढाने वाली महिला शिक्षिकाओं का नाम भी प्रतिवेदित किया जाय।

9- जिला स्तर पर वाहनों की कमी को देखते हुये सभी अंचल अधिकारी न्यूनतम 25 वाहन जिला परिवहन पदाधिकारी, सह प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग को दिनांक 10.4.2009 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

10-श्री सुरेन्द्र झा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग ने बताया कि दिनांक 7.4.2009 को प्रातः 10 बजे से सेक्टर पदाधिकारियों का और अपराह्न 1.30 बजे से जनसेवकों का प्रशिक्षण मजहरूल हक एकता भवन मे आयोजित किया गया है। सभी संबंधित को इससे अवगत करा दिया जाय।

11- अनुमण्डल पदाधिकारी ने अंचल अधिकारियों को बताया कि प्रत्याशियों को प्रचार हेतु जो वाहन प्रयोग करने की अनुमति दी गयी है उनमे प्रत्येक वाहन मे चालक सहित 5 व्यक्ति ही बैठ सकते हैं।

12- जिला दण्डाधिकारी ने प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को निदेश दिया कि नगरा प्रखंड के जो सेक्टर पदाधिकारी, ई वी एम कोषांग मे मास्टर ट्रेनर के रूप मे प्रतिनियुक्त हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति अविलंब समाप्त कर उन्हें नगरा प्रखंड मे योगदान करने का निदेश निर्गत करें।

62

13- अंचल अधिकारियों को पुनः निदेशित किया गया कि अर्द्ध सैनिक बल जिस प्रखंड मे आवान्मित हैं उन्हें ईधन की आपूर्त्ति संबंधित अंचल अधिकारी ही करेंगे भले ही वे अन्य प्रखंडो मे भ्रमण करते हों।

14- सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Rajendra 5.4.2009
जिला दण्डाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
सारण,छपरा

ज्ञापांक 1316 / सी
छपरा,दिनांक 5 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग, छपरा/ वाहन कोषांग, छपरा/ सामग्री कोषांग छपरा/ ई वी एम कोषांग, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra 5.4.2009
जिला दण्डाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
सारण,छपरा

ज्ञापांक 1316 / सी
छपरा,दिनांक 5 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 5.4.2009
जिला दण्डाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
सारण,छपरा

62

13- अंचल अधिकारियों को पुनः निदेशित किया गया कि अर्द्ध सैनिक बल जिस प्रखंड मे आवासित हैं उन्हें ईधन की आपूर्त्ति संबंधित अंचल अधिकारी ही करेंगे भले ही वे अन्य प्रखंडो मे भ्रमण करते हों।

14- सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Rajendra 5.4.2009
जिला दण्डाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
सारण,छपरा

ज्ञापांक 1316 / सी
छपरा,दिनांक 5 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग, छपरा/ वाहन कोषांग, छपरा/ सामग्री कोषांग छपरा/ ई वी एम कोषांग, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra 5.4.2009
जिला दण्डाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
सारण,छपरा

ज्ञापांक 1316 / सी
छपरा,दिनांक 5 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 5.4.2009
जिला दण्डाधिकारी
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
सारण,छपरा

डा0 बी. राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता मे दिनांक 5.4.2009 को सभी माननीय प्रेक्षक, भारत निर्वाचन आयोग की उपस्थिति मे सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ पुलिस उपाधीक्षक/ सभी अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस निरीक्षक/ सभी थानाध्यक्ष के साथ लोकसभा निर्वाचन-2009 के परिप्रेक्ष्य मे 19-महाराजगंज और 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे मतदान के अवसर पर विधि व्यवस्था संबंधी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर,	जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
2-	श्री संजय सिंह	पुलिस अधीक्षक, सारण
3-	श्री गौरव गुप्ता	प्रेक्षक, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
4-	श्री सुभाष बैन्स	प्रेक्षक, 19- महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
5-	श्री पी0 चन्द्रशेखर	प्रेक्षक, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
6-	श्री भाष्कर आनन्द	प्रेक्षक, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
7-	श्री गौतम घोष	प्रेक्षक, 19- महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
8-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सारण
9-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण
10-	श्री सांवर भारती	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा
11-	श्री अवधेश राम	अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा
12-	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर
13-	पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं थानाध्यक्ष	संलग्न परिशिष्ट-1 के अनुसार
14-	सभी अंचल अधिकारी	संलग्न परिशिष्ट-2 के अनुसार

सभी उपस्थित पदाधिकारियों के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा के कम मे निर्वाचन के दिन स्वच्छ एवं शान्तिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिये निम्नलिखित निदेश दिये गयेः-

1- मतदान दिनांक 16 अप्रैल 2009 को प्रातः 7 बजे से संध्या 5 बजे तक संपन्न होगा।

2- मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री का वितरण संबंधित विधानसभा खण्ड के मुख्यालय वाले प्रखंड मे अवस्थित उच्च विद्यालय/ महाविद्यालय से किया जायेगा। इन उच्च विद्यालयों/ महाविद्यालयों की सूची अलग से दी जा रही है।

3- निष्पक्षताः-

निर्वाचन कार्य मे प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों/ पदाधिकारियों/ पुलिस पदाधिकारियों से यह अपेक्षा है कि निर्वाचन कार्य को निष्पक्ष ढंग से संपन्न करायें। किसी भी व्यक्ति विशेष/ राजनीतिक दल के प्रति झुकाव को अत्यंत गंभीरता से लिया जायेगा तथा संबंधित पदाधिकारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

4- कानून एवं निर्वाचन नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाईः-

नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाय तथा "Rule of Law" (कानून का राज) का परिचय दिया जाय।

5- आदर्श आचार संहिता का अनुपालनः-

अपने अपने क्षेत्र मे सभी सेक्टर पदाधिकारियों/ चौकीदार एवं अन्य तन्त्र से यह सूचना प्राप्त करें कि आदर्श आचार संहिता का कही उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यह सूचना प्राप्त करें कि बिना अनुमति प्राप्त किये क्षेत्र मे कोई प्रचार वाहन, लाउडस्पीकर, सभा इत्यादि का आयोजन तो नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर इसकी सूचना संबंधित अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष/ अनुमण्डल पदाधिकारी को दी जाय ताकि इस पर अनुश्रवण किया जा सके। प्रत्येक दल का कितना प्रचार कार्यालय खुला है इसकी सूचना प्राप्त करें। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिये सभी सेक्टर पदाधिकारी/ पुलिस निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/ अंचल अधिकारी और अनुमण्डल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। वे अपने अपने क्षेत्र मे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन कराने के लिये पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे और इसका उल्लंघन की घटनाओं की वीडियोग्राफी करा कर प्रेषित करेंगे। वीडियोग्राफी के व्यय के लिये अंचल अधिकारियों को अलग से आकस्मिकता मद मे राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

6- Booth Level Officers (BLO) द्वारा मतदाताओं को कमांक सूचित करनाः-

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार प्रत्येक Booth Level Officer अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सभी मतदाताओं का नाम और कमांक सादा कागज पर लिख कर या कागज के चौकोर टुकड़ों पर मतदातावार काट काट कर लिख कर उन्हें उपलब्ध करा देंगे ताकि मतदाताओं को अपने मतदान केन्द्र और कमांक का पता चल सके। इस पर होने वाले व्यय का भुगंतान आकस्मिकता मद से किया जायेगा इस कम मे अंचल अधिकारी, मांझी द्वारा किया गया कार्य अत्यंत सराहनीय और अनुकरणीय है। सभी अंचल अधिकारी इसका अनुकरण करेंगे।

7- सेक्टर पदाधिकारियों का अनुश्रवणः-

प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी के साथ साथ एक एक सहायक अवर निरीक्षक संबद्ध किया जायेगा। ये दोनो पदाधिकारी अपने से संबद्ध सभी मतदान केन्द्रों पर लगातार भ्रमणशील रह कर मतदाताओं मे प्रशासन के प्रति विश्वास उत्पन्न करेंगे ताकि निर्भीक हो कर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

8- कमजोर वर्ग के मतदाताओं को प्रशासन के प्रति विश्वास उत्पन्न करनाः-

सेक्टर पदाधिकारीगण ऐसे टोलों की पहचान करें जिसमे रह रहे मतदाताओं को मतदान करने मे कठिनाई है और कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें मतदान करने से रोका जाता है। सभी सेक्टर पदाधिकारी ऐसे मतदाताओं के मन मे प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा करें ताकि वे मतदान केन्द्र पर आ कर स्वतंत्रत रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

9- मतदान केन्द्रों का निरीक्षणः-

अभी भी अनेक मतदान केन्द्रों पर पीने के पानी, रेम्प तथा फर्नीचर की व्यवस्था तथा सहायक मतदान केन्द्रों (Auxilliary Booths) पर टेन्ट शामियाना की व्यवस्था आवश्यक है। सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे मतदान के पूर्व दिनांक 14.4.2009 को ही

5- आदर्श आचार संहिता का अनुपालनः-

अपने अपने क्षेत्र मे सभी सेक्टर पदाधिकारियों/ चौकीदार एवं अन्य तन्त्र से यह सूचना प्राप्त करें कि आदर्श आचार संहिता का कहीं उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यह सूचना प्राप्त करें कि बिना अनुमति प्राप्त किये क्षेत्र मे कोई प्रचार वाहन, लाउडस्पीकर, सभा इत्यादि का आयोजन तो नहीं किया जा रहा है। इस प्रकार की सूचना प्राप्त होने पर इसकी सूचना संबंधित अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष/ अनुमण्डल पदाधिकारी को दी जाय ताकि इस पर अनुश्रवण किया जा सके। प्रत्येक दल का कितना प्रचार कार्यालय खुला है इसकी सूचना प्राप्त करें। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिये सभी सेक्टर पदाधिकारी/ पुलिस निरीक्षक/ थानाध्यक्ष/ अंचल अधिकारी और अनुमण्डल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है। वे अपने अपने क्षेत्र मे आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन कराने के लिये पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे और इसका उल्लंघन की घटनाओं की वीडियोग्राफी करा कर प्रेषित करेंगे। वीडियोग्राफी के व्यय के लिये अंचल अधिकारियों को अलग से आकस्मिकता मद मे राशि उपलब्ध करायी जायेगी।

6- Booth Level Officers (BLO) द्वारा मतदाताओं को क्रमांक सूचित करनाः-

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार प्रत्येक Booth Level Officer अपने अपने क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले सभी मतदाताओं का नाम और क्रमांक सादा कागज पर लिख कर या कागज के चौकोर टुकड़ों पर मतदातावार काट काट कर लिख कर उन्हें उपलब्ध करा देंगे ताकि मतदाताओं को अपने मतदान केन्द्र और कमांक का पता चल सके। इस पर होने वाले व्यय का भुगतान आकस्मिकता मद से किया जायेगा इस कम मे अंचल अधिकारी, मांझी द्वारा किया गया कार्य अत्यंत सराहनीय और अनुकरणीय है। सभी अंचल अधिकारी इसका अनुकरण करेंगे।

7- सेक्टर पदाधिकारियों का अनुश्रवणः-

प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी के साथ साथ एक एक सहायक अवर निरीक्षक संबद्ध किया जायेगा। ये दोनो पदाधिकारी अपने से संबद्ध सभी मतदान केन्द्रों पर लगातार भ्रमणशील रह कर मतदाताओं मे प्रशासन के प्रति विश्वास उत्पन्न करेंगे ताकि निर्भीक हो कर अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।

8- कमजोर वर्ग के मतदाताओं को प्रशासन के प्रति विश्वास उत्पन्न करनाः-

सेक्टर पदाधिकारीगण ऐसे टोलों की पहचान करें जिसमे रह रहे मतदाताओं को मतदान करने मे कठिनाई है और कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा उन्हें मतदान करने से रोका जाता है। सभी सेक्टर पदाधिकारी ऐसे मतदाताओं के मन मे प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा करें ताकि वे मतदान केन्द्र पर आ कर स्वतंत्रत रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।

9- मतदान केन्द्रों का निरीक्षणः-

अभी भी अनेक मतदान केन्द्रों पर पीने के पानी, रेम्प तथा फर्नीचर की व्यवस्था तथा सहायक मतदान केन्द्रों (Auxilliary Booths) पर टेन्ट शामियाना की व्यवस्था आवश्यक है। सभी अंचल अधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे मतदान के पूर्व दिनांक 14.4.2009 को ही

मतदान केन्द्रों का निरीक्षण कर इन कार्यो को पूर्ण कर लें ताकि मतदान के दिन कठिनाई नहीं होने पाये। वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि मतदान केन्द्रों के ताला की चाभी उपलब्ध रहे।

10-बल पहुँचाने के लिये वाहन की व्यवस्थाः-

थाना से मतदान केन्द्रों से तक बल पहुचाने हेतु वाहन की व्यवस्था संबंधित थानाध्यक्ष करेंगे और इन वाहनों मे ईंधन संबंधित अंचल अधिकारी उपलब्ध करायेंगे। सभी बलों को प्रोत्साहित कर निर्वाचन कार्य सही प्रकार से संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाय।

11- सुरक्षित मतदान कर्मियों का उपयोगः-

प्रत्येक विधानसभा खण्ड मुख्यालय के प्रखंड पर 10% अतिरिक्त मतदान कर्मी उपलब्ध कराये गये हैं। कई मामलों मे ऐसा पाया जाता है कि कुछ मतदान केन्द्र पर प्रतिनियुक्त मतदान कर्मी अशक्त, बूढ़े और अल्पज्ञ होते हैं जिनके कारण मतदान की गति धीमी होती है। इस कारण मतदाताओं मे आक्रोश उत्पन्न होता है। अतः सेक्टर पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि अविलंब ऐसे मतदान केन्द्रों की पहचान कर सुरक्षित रखे गये मतदानकर्मियों को इन मतदान केन्द्रों पर प्रतिनियुक्त करेंगे और इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष और संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी को देंगे।

12- EVM खराब होने पर बदलने की व्यवस्थाः-

प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी के पास सुरक्षित EVM उपलब्ध हैं। जैसे ही किसी मतदान केन्द्र से EVM खराब होने या चालू नहीं होने की सूचना प्राप्त होती है, संबंधित सेक्टर पदाधिकारी अपने पास उपलब्ध EVM से उसे बदलना सुनिश्चित करेंगे और इसकी सूचना जिला नियंत्रण कक्ष/ संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/ सुपर जोनल पदाधिकारी को देगे। यदि किसी दूसरे सेक्टर मे मशीन खराब होती है तो अन्य सेक्टर के पदाधिकारी भी उसे बदल सकते हैं।

13- सेक्टर पदाधिकारी की शक्तियांः-

सभी सेक्टर पदाधिकारियों को जोनल दण्डाधिकारियों की भांति शक्तियां प्रदत्त हैं। प्रत्येक थाना पर सुपर जोन स्थापित किया गया है जिस पर अंचल अधिकारी और जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया गया है। जिस अंचल मे अंचल मुख्यालय के अतिरिक्त कोई अन्य सुपर जोन (थाना) है तो इस सुपर जोन पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को संबंधित अंचल अधिकारी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

14- Communication Plan:-

जिला स्तर पर जिला नियंत्रण कक्ष मे सभी 10 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिये अलग अलग टेलीफोन नंबर पर अलग अलग पदाधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे तथा अनुमण्डल स्तर पर भी अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिये एक एक पदाधिकारी और कर्मचारी प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। अंचल कार्यालय मे भी अलग नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा जहां पर एक पर्यवेक्षक/ कर्मचारी प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। थाना का फोन भी चालू हालत मे रखा जाय। इन केन्द्रों पर सभी सेक्टर

पदाधिकारी/ सुपर जोनल पदाधिकारी/ थानाध्यक्ष का मोबाईल नंबर रखा जाय ताकि उनसे लगातार संपर्क किया जा सके।

15- Mock poll:-

मतदान के दिन Mock poll करना अनिवार्य है। दिनांक 16.4.2009 को प्रातः 6 से 6.30 बजे के बीच सभी मतदान अभिकर्त्ताओं के समक्ष पीठासीन पदाधिकारी द्वारा Mock poll संपन्न किया जायेगा और तत्क्षण इसकी सूचना सेक्टर दण्डाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी और सुपर जोनल पदाधिकारी को दी जायेगी तो जिला नियंत्रण कक्ष को तदनुसार सूचित करेंगे।

16- मुख्यालय मे आवासनः-

सभी पदाधिकारियों/ कर्मियों को निदेश दिया जाता है कि वे अपने पदस्थापन स्थान के मुख्यालय मे ही निवास करें। अनुमण्डल पदाधिकारीगण इसका अनुश्रवण करेगे और अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

17- मतदान समाप्ति के उपरान्त सभी पीठासीन पदाधिकारी, गश्ती दल दण्डाधिकारियों के साथ छपरा मे कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर स्थित वज्रगृह मे निश्चित रूप से आयेंगे।

18- वाहन चेकिंगः-

सभी थानाध्यक्ष नियमित रूप से स्थान बदल बदल कर वाहनों की जांच करेंगे तथा मोटर वाहन अधिनियम अथवा दण्ड प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इसके लिये फाइन/ दण्ड देने का अधिकार सभी अनुमण्डल पदाधिकारी और अंचल अधिकारियों को प्राप्त है। थानाध्यक्षगण प्रतिदिन जांच किये गये वाहनों का प्रतिवेदन संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक, सारण/ जिलाधिकारी, सारण को उपलब्ध करायेंगे।

19- अवैध शराब की भटठियों का उद्भेदनः-

सभी थानाध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र मे अवैध शराब की भट्ठियों को ध्वस्त कर सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करेंगे और इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि प्रतिवेदन की तिथि को उनके क्षेत्र मे कोई भी अवैध शराब की भट्ठी कार्यरत नहीं है।?

20- शस्त्र जमा करवानाः-

थानाध्यक्षगण अपने स्तर से जिन व्यक्तियों को खतरा है, उनको छोड़कर मतदान के दिन व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास करने वाले तत्वों का हथियार जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।

21- निरोधात्मक कार्रवाईः-

21.1 प्रत्येक मतदान केन्द्र पर मतदान के दिन व्यवधान उत्पन्न करने वाले संभावित असामाजिक तत्वों के विरूद्ध प्रभावकारी निरोधात्मक कार्रवाई करते हुये दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई की जाय। संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी ऐसे असामाजिक तत्वो को नोटिस दे कर Bond करें और नियमानुसार स्वविवेक से Bond की राशि निर्धारित कर जमा करवायें।

Rajendra

21.2 इसी प्रकार धारा 113 और 116 के अंतर्गत भी कठोर कार्रवाई की जाय और मतदान बाधित करने का प्रयास करने वाले असामाजिक तत्वों की निरोधात्मक गिरफ्तारी भी की जाय।

21.3 अपने अपने क्षेत्र मे मतदान के दिन व्यवधान उत्पन्न करने वाले तत्वों को जिला बदर करने के अतिरिक्त उनके विरूद्ध Crime Control Act के अंतर्गत कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी समय पूर्व समर्पित किया जाय।

21.4 विगत दो निर्वाचन की Election Offences मे संलिप्त व्यक्तियों की सूची अविलंब जिला गोपनीय शाखा मे भेज दी जाय तथा History sheeters पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करें।

22- वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंधः-

मतदान के दिन दोपहिया, चार पहिया वाहनों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध मतदान कार्य मे संलग्न सरकारी कर्मचारियों और मरीजों को ढोने वाले तथा अशक्त व्यक्तियों द्वारा उपयोग किये जाने वाले वाहनों पर लागूनहीं होगा।

23- अर्द्ध सैनिक बल की टुकड़ियों का प्रभावकारी उपयोगः-

अपने अपने क्षेत्र मे आवासित अर्द्ध सैनिक बल की टुकड़ियों का छापामारी, वाहन चेकिंग इत्यादि मे प्रभावकारी उपयोग किया जाय ताकि जनसाधारण मे विश्वास उत्पन्न हो सके। फरार मुजरिमों, वांछित मुजरिम की गिरफ्तारी हेतु भी इनका उपयोग किया जाय तथा आवश्यकतानुसार फ्लैग मार्च भी करवाया जाय। प्रतयेक दिन इनके द्वारा किये गये कार्यो का विवरण जिला स्तर पर भी प्रेषित किया जाय।

24- पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आगमन के समय मंच की सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होने कहा कि कोई भी सभा प्रारंभ होने के पूर्व संबंधित थानाध्यक्ष का यह दायित्व होगा कि वे आयोजकों से मंच पर बैठने वाले महानुभावों की सूची पहले ही प्राप्त कर लें और आयोजकों मे से ही किसी को मंच के समीप खड़ा कर चढ़ने वालों की पहचान सुनिश्चित करा कर मंच पर चढ़ने की अनुमति प्रदान की जाय।

25- सभा आयोजन मे हुआ सारा व्यय संबंधित अभ्यर्थी को अपने व्यय लेखा मे दर्ज कराना अनिवार्य होगा।

26- पु0 नि0 सह थानाध्यक्ष नगर थाना ने सूचित किया कि नगर थानान्तर्गत मुहल्ला रौजा बिन्द टोली मे मतदान केन्द्र संख्या 225 और 226 के समीप सड़क निर्माणाधीन है जिससे इन मतदान केन्द्रों पर मतदान के दिन आवागमन कठिन होगा। जिलाधिकारी ने अनुमण्डल पदाधिकारी सदर और पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को अविलंब इस स्थल का निरीक्षण करने और सड़क का निर्माण कार्य दिनांक 10.4.2009 तक पूर्ण कराने हेतु संबंधित अभिकर्त्ता को निदेशित करने का आदेश दिया।

27- जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों का आह्वान किया कि वे आगन्न निर्वाचन को पूरी ईमानदारी और निष्ठ के साथ संपन्न करायें क्योंकि किसी भी प्रकार की शिथिलता, पक्षपात और कर्त्तव्यपालन मे लापरवाही को अत्यंत गंभीरता से लिया जायेगा। उन्होने कहा कि संभावित बूथ लुटेरों के साथ अत्यंत सख्ती से निबटा जाय ताकि कोई इसकी कल्पना भी नहीं कर सके।

इसके उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग से आये प्रेक्षकगण ने भी उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित किया:-

1- श्री गौरव गुप्ता, प्रेक्षक, 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने शान्तिपूर्ण, स्वच्छ, स्वतंत्र और बिना किसी शिकायत के मतदान संपन्न कराने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होने कहा कि प्रेक्षकगण और उपस्थित पदाधिकारियों का उद्देश्य Common है और सके लिये योजनाबद्ध रूप मे कार्य करना होगा। प्रेक्षकगण सारी स्थितियों पर नजर रखे हुये हैं और कर्त्तव्यपालन मे लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। उन्होने बताया कि इस निर्वाचन मे कुछ बातें पहली बार हुयी हैं यथा सेक्टर पदाधिकारियों और Micro observers की नियुक्ति। इन सबका प्रभावकारी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिये। सभी अंचल अधिकारी/ थानाध्यक्ष मतदान केन्द्रों का निरीक्षण आगामी 3-4 दिनों मे कर के वहां सारी व्यवस्था करा दें। सभी Critical Events की वीडियोग्राफी करवायी जाय। शस्त्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर रोक लगायी जाय। दुपहिया वाहनों पर Triple loading प्रतिबंधित किया जाय और मतदान के दिन 16.4.2009 को बैलगाड़ियों के परिचालन को भी प्रतिबंधित किया जाय।

2- श्री पी. चन्द्रशेखर, प्रेक्षक, 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने अ0जा0 और कमजोर वर्ग के प्रत्याशियों का स्वतंत्रत मतदान सुनिश्चित करने के लिये उनके मन से भय को दूर करने हेतु उचित व्यवस्था करने की बात कहा। उन्होने निर्वाचन व्यय की नियमित रूप से जांच करने का भी आदेश दिया।

3- श्री भाष्कर आनन्द, प्रेक्षक, 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया। उन्होने कहा कि शिकायतों की तुरन्त जांच कर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अविलंब विधिसम्मत् कार्रवाई की जानी चाहिये। क्योंकि कार्रवाई नहीं होने का सीधा असर मतदान के दिन देखने को मिलेगा और स्थिति को नियंत्रित करने मे कठिनाई होगी। यह सुनिश्चित किया जाय कि कमजोर वर्ग के मतदाता अपने मताधिकार का स्वतंत्र और बिना किसी भय के उपयोग कर सकें।

4- श्री गौतम घोष, प्रेक्षक, 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने बताया कि सबसे Critical date दिनांक 16.4.2009 है जिस दिन सभी पदाधिकारियें के लगातार भ्रमणशील रह कर मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर निर्भीक हो कर मताधिकार का प्रयोग करने हेतु प्रेरित किया जाना चाहिये। यदि मतदाता ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तो प्रजातंत्र का कोई महत्व नहीं रह पायेगा।

5- श्री सुभाष बैन्स, प्रेक्षक, 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र ने सभी पदाधिकारियों का उपलब्ध संसाधनों का शत प्रतिशत उपयोग करने का आह्वान किया।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।

7.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण,छपरा

ज्ञापांक 1339 / सी
छपरा,दिनांक 7 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा/ क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, सारण क्षेत्र, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि सभी प्रेक्षकगण को सूचनार्थ प्रेषित।

7.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण,छपरा

ज्ञापांक 1339 / सी
छपरा,दिनांक 7 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सिवान को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा/ पुलिस उपाधीक्षक प्रथम एवं द्वितीय, छपरा/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर और मढ़ौरा/ सभी पुलिस निरीक्षक, सारण जिला/ सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला/ सभी थानाध्यक्ष, सारण जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

7.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण,छपरा

अध्यक्षता मे सभी माननीय प्रेक्षक, भारत निर्वाचन आयोग की उपस्थिति मे सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ जिलेस उपाधीक्षक/ सभी अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस निरीक्षक/ सभी थानाध्यक्ष के साथ लोकसभा निर्वाचन-2009 के परिप्रेक्ष्य मे 19-महाराजगंज और 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे आयोजन के अवसर पर विधि व्यवस्था संबंधी बैठक की कार्यवाही। दि० 5-4-09

क्र०	पदाधिकारी का नाम	पदाधिकारी का पदनाम	हस्ताक्षर
1	प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सारण	
2	मदन जी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण	
3	अवधेश राम	अनुमण्डल पदाधिकारी, मढ़ौरा	5/4/09
4	सांवर भारती	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा	
5	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर	5.4.09
6	अंचल अधिकारी, अमनौर	संदीप शेखर प्रियदर्शी	
7	अंचल अधिकारी, बनियापुर	अनिल कुमार	
8	अंचल अधिकारी, दरियापुर	चितरंजन प्रसाद	
9	अंचल अधिकारी, दिघवारा	रविन्द्र कुमार	
10	अंचल अधिकारी, एकमा	संजय सिन्हा	5.04.09
11	अंचल अधिकारी, गड़खा	अजय कुमार	
12	अंचल अधिकारी, इसुआपुर	विनोद प्रसाद सिंह	5.4.9
13	अंचल अधिकारी, जलालपुर	मनोज कुमार	5/4/09
14	अंचल अधिकारी, लहलादपुर	परमानन्द प्रसाद	
15	अंचल अधिकारी, मकेर	अरविन्द्र कुमार	
16	अंचल अधिकारी, मांझी	राजीव रंजन	5.04.09
17	अंचल अधिकारी, मढ़ौरा	अनिता सिंह	5.4.09
18	अंचल अधिकारी, मशरख	सुखदेव सिंह प्रसाद	5/04
19	अंचल अधिकारी नगरा	लाल बाबू सिंह	5.4.09
20	अंचल अधिकारी, पानापुर	हीरामुनि प्रभाकर	5.4
21	अंचल अधिकारी परसा	~~रशिद अली~~ ओ० राशिद आलम	5/4/09
22	अंचल अधिकारी, रिविलगंज	विनय कुमार ठाकुर	
23	अंचल अधिकारी, छपरा	अरूण कुमार सिंह	5/4/9
24	अंचल अधिकारी, सोनपुर	राजयानन्द वाडियार	5/4/09
25	अंचल अधिकारी, तरैया	देवेन्द्र कुमार दर्द	

जनपदान्तर्गत में सभी माननीय प्रेक्षक, भारत निर्वाचन आयोग की उपस्थिति में सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ सदर उपाधीक्षक/ सभी अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस निरीक्षक/ सभी थानाध्यक्ष के साथ लोकसभा निर्वाचन-2009 के परिप्रेक्ष्य में 19-महाराजगंज और 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के अवसर पर विधि व्यवस्था संबंधी बैठक की कार्यवाही दिनांक 5.4.09

क्र.	पुलिस पदाधिकारी का नाम	पदनाम	हस्ताक्षर
1	मिथिलेश कुमार	पुलिस उपाधीक्षक, प्रथम	05/04/09
2	आर.के. कर्ण	पुलिस उपाधीक्षक, द्वितीय	05/04/09
3	चन्द्रशेखर सिह	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मढ़ौरा	5/4/09
4	प्राणतोष कु.दास	अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सोनपुर	5/4/09
5	विमल शांडिलय	समादेष्टा, गृ.र.वा. छपरा	
6	अंजनी कुमार सिंहा	पुलिस निरीक्षक, मुफसिल	05/04/09
7	गोविन्दजी सिंह	पुलिस निरीक्षक, सदर	05/4/09
8	अरुण कुमार तिवारी	पुलिस निरीक्षक, नगर	05/4/09
9	पोलेन्द्र सिंह	पुलिस निरीक्षक, मशरख	
10	मोहन राम	पुलिस निरीक्षक, एकमा	5/4/09
11	चन्द्रशेखर सिह	पुलिस निरीक्षक, मढ़ौरा	
12	उदय प्रताप सिंह	पुलिस निरीक्षक, सोनपुर	Absent Sick. 5/4/09
13	~~अरुण तिवारी~~	पु.नि. ~~सह थानाध्यक्ष, नगर थाना~~	
14	सोनेलाल सिंह	थानाध्यक्ष, भगवान बाजार	
15	वी कें पाण्डेय	थानाध्यक्ष, मुफसिल	5/4/09
16	विन्देश्वर प्रसाद	थानाध्यक्ष, डोगंज	
17	सुभाष प्रसाद	थानाध्यक्ष, खैरा	5/4/09
18	नो0 इस्लाम	ओ0पी0 प्रभारी, नगरा	
19	उपेन्द्र कुमार	थानाध्यक्ष,, जलालपुर	
20	बिनोद कुमार	थानाध्यक्ष, रिविलगंज	
21	युसूफ	थानाध्यक्ष, कोपा	
22	मनोज कुमार सिंह	थानध्यक्ष, बनियापुर	5/4/09
23	जगदीश महतो	थानाध्यक्ष, जनता बाजार	

प्रेक्षक, भारत निर्वाचन आयोग की उपस्थिति मे सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/ पुलिस उपाधीक्षक/ सभी अंचल अधिकारी/ अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस निरीक्षक/ सभी थानाध्यक्ष के साथ लोकसभा निर्वाचन-2009 के परिप्रेक्ष्य मे 19-महाराजगंज और 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे मतदान के अवसर पर विधि व्यवस्था संबंधी बैठक की कार्यवाही।

72

क्र.	पुलिस पदाधिकारी का		हस्ताक्षर
	नाम	पदनाम	
24	कपूर नाथ शर्मा	थानाध्यक्ष, एकमा	
25	कृष्ण बिहारी सिंह	थानाध्यक्ष, रसुलपुर	
26	मेराज हुसैन	थानाध्यक्ष, मांझी	
27	जय प्रकाश	थानाध्यक्ष, दाउदपुर	
28	सतेन्दु शरत	थानाध्यक्ष, मढ़ौरा	
29	महेश कुमार	थानाध्यक्ष, गरखा	
30	नरेश मोहन दास	थानाध्यक्ष, मकेर	
31	राम ठाकुर	थानाध्यक्ष, अमनौर	
32	आनन्द बिहा	थानाध्यक्ष, भेल्दी	
33	सत्येन्द्र कुमार	थानाध्यक्ष, मशरख	
34	कमलेश्वर कुमार	थानाध्यक्ष, पानापुर	
35	अभय कुमार	थानाध्यक्ष, तरैया	
36	राम दुलार प्रसाद	थानाध्यक्ष, इसुआपुर	
37	मनोज कुमार	थानाध्यक्ष, सोनपुर	
38	विद्या सिंह	ओ0पी0 प्रभारी पहलेजा	
39	लक्ष्मण राम	ओ0पी0 प्रभारी हरिहरनाथ	
40	बासुदेव राय	थानाध्यक्ष, दरियापुर	
41	राजगृही राम	थानाध्यक्ष, नयागांव	
42	ओम प्रकाश	थानाध्यक्ष, दिघवारा	
43	अशोक कुमार	थानाध्यक्ष, अवतारनगर	
44	सुरेन्द्र पासवान	थानाध्यक्ष, डेरनी	
45	अ.नि.अभिनन्दन मंडल	थानाध्यक्ष, परसा	
46	रमेश त्रिपाठी	परिचारी प्रवर	

प्रकाश कुमार, उप विकास आयुक्त, सारण की अध्यक्षता मे दिनांक 6-4-2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः-

1-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सारण
2-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
3-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन कोषांग
4-	श्री सूर्य नारायण सिंह	जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण
5-	श्री सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग
6-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
7-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
8-	श्री अजय कुमार .	अंचल अधिकारी, गड़खा सह प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग
9-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण
10-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग
11-	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
12-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
13-	श्री रमेश त्रिपाठी	परिचारी प्रवर, सारण
14-	श्री विमल शांडिल्य	जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, छपरा
15-	श्री चन्देश्वर राम	कार्यपालक अभियन्त, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा
18-	श्री अजय कुमार	जिला अवर निबंधक, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, छपरा
16-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग
17-	श्री नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
18-	श्री अनिल कुमार सिंह	विकास पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास कार्यक्रम प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी की अनुपस्थिति मे उप विकास आयुक्त, सारण ने विभिन्न कोषांगों को सौंपे गये कार्यो और उसकी प्रगति की समीक्षा किया। स्थिति निम्नवत् पायी गयीः-

1- श्री अनिल कुमार सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग ने बताया कि प्रेक्षकगण को अनुमान्य सुविधायें उन्हें उपलब्ध करा दी गयी हैं और कोई कठिनाई नहीं है।

2- कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा को निदेश दिया गया कि परिसदन मे अवस्थित चापाकल और कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर मे स्थित पानी के मोटर को अविलंब ठीक करवा दें।

3- श्री अंजनी कुमार सिन्हा, प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग ने बताया कि उनको कोषांग से संबंधित सामग्रियां प्राप्त हो गयी हैं। मात्र मतदाता सूची प्राप्त नहीं हो सकी है। उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को निदेश दिया गया कि दिनांक 7.4.2009 तक मतदाता सूची सामग्री कोषांग को उपलब्ध करा दें।

4- प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग को निदेश दिया गया कि जैसे ही पटना से सामग्रियां प्राप्त होती हैं, उन्हें एक पदाधिकारी के पर्यवेक्षण मे भण्डारित करवायें। संबंधित पदाधिकारी को लिखित और अनुसेवी सामग्रियां संलग्न कर उपलब्ध करा दें।

6- नेत्रहीनों के लिये Dummy ballot Unit छपवाने के बारे मे उप निर्वाचन पदाधिकारी सारण ने बताया कि मे0 संतोष प्रिंटर्स, छपरा की दर 14.50 रूपये पाया गया है। उप विकास आयुक्त, सारण ने निदेश दिया कि इस दर को नमूना के साथ जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया जाय। उनसे स्वीकृति प्राप्त होने पर इसे मुद्रित करवाने की कार्रवाई की जायेगी।

7- श्री मुश्ताक अहमद नूरी, जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, मीडिया कोषांग ने बताया कि उन्होने मतदान के दिन उपयोग हेतु 250 वीडियोग्राफरों की व्यवस्था पटना से कर लिया है जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण द्वारा निर्धारित दर पर कार्य करने के लिये तैयार हैं। किन्तु इन्हें इस दर के अतिरिक्त पटना से आने जाने के लिये किराया भाड़ा के रूप मे 100 रूपये प्रति वीडियोग्राफर अथवा तीन बस उपलब्ध कराने के साथ साथ सभी Consumables की भी आपूर्त्ति करना होगा। उप विकास आयुक्त ने निदेश दिया कि इस दर को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सारण के समक्ष अनुमोदनार्थ उपस्थापित किया जाय। अनुमोदन प्राप्त होने पर वीडियोग्राफरों को दिनांक 15.4.2009 को 10 बजे दिन तक छपरा मे जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित करवाया जाय।

8- श्री हरेन्द्र कुमार सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, EVM कोषांग को सूचित किया गया कि प्रशिक्षण EVM का 7% और सुरक्षित EVM का 3% Ballot unit भेजना है। इसका अविलंब आकलन कर समुचित कार्रवाई की जाय।

9- उप निर्वाचन पदाधिकारी के अनुरोध पर उप विकास आयुक्त ने प्रभारी पदाधिकारी, EVM कोषांग को निदेश दिया कि खराब EVM को वाहन कोषांग से जीप प्राप्त कर किसी पदाधिकारी को प्राधिकृत करते हुये अविलंब पटना भेज दिया जाय।

10- कार्मिक कोषांग के कार्यो की समीक्षा के कम मे पाया गया कि कोषांग की प्रगति संतोषप्रद है।

11- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, छपरा को आदेश दिया गया कि वे कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर मे पे-लोडर और मजदूर भेज कर अविलंब परिसर की सफाई करवा दें।

12- प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग को निदेश दिया गया कि वे प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग के सहयोग से पीठासीन पदाधिकारियों/ मतदान दलों/ गश्ती दल दण्डाधिकारियों के प्रशिक्षण और फोटोग्राफी संबंधी प्रेस विज्ञप्तियां जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर विभिन्न समाचार पत्रों मे प्रकाशित करवाना सुनिश्चित करें ताकि अधिकाधिक लोग इससे लाभान्वित हो सकें।

13- प्रभारी पदाधिकारी, मतपत्र कोषांग ने बताया कि दिनांक 7.4.2009 की रात्रि तक पोस्टर बैलट पेपर छप कर आ जायेगा। उन्हें निदेश दिया गया कि प्राप्त होते ही इन्हें वज्रगृह मे रखवा कर इनके विखंडन की कार्रवाई प्रारंभ की जाय। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि इस हेतु वांछित संख्या मे लिफाफा उप निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त कर लिया जाय।

14- कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल छपरा को आदेश दिया गया कि वे जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी के सहयोग से गृहरक्षकों के आवासन स्थलों पर समुचित संख्या मे चापाकल और शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करवायें। साथ ही परिचारी प्रवर से समन्वय स्थापित कर अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले बलों के आवासन स्थल पर भी समुचित व्यवस्था करवा दें।

15- वाहन कोषांग की समीक्षा के कम मे ऐसा महसूस किया गया कि इस कोषांग के क्रिया कलाप के गहन समीक्षा की आवश्यकता है। वर्णित परिस्थिति मे उप विकास आयुक्त ने इन तथ्यों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी के संज्ञान मे लाने का निदेश दिया ताकि समय पूर्व सारी तैयारियां की जा सकें।

16- परिचारी प्रवर ने बताया कि सारण जिला मे 4 कंपनी अर्द्ध सैनिक बल आ चुका है और 4 अन्य कंपनी के आने की सूचना प्राप्त हुयी है। इसके अतिरिक्त विभिन्न जिलों से बिहार सैन्य पुलिस, जिला बल और अन्य प्रकार के बल आने वाले हैं। उन्होने इन बलों को लाने के लिये वाहन उपलब्ध कराने हेतु प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग के पास 56 बस उपलब्ध कराने हेतु अधियाचना प्रेषित किया है किन्तु अभी तक इस संबंध मे कोई सूचना प्राप्त नही हुयी है। उन्होने बताया कि दिनांक 8.4.2009 को ही बलों को लाने हेतु वाहन भेजे जाने

है अतएव हर हाल मे उक्त तिथि वाहन उन्हें प्राप्त हो जाना चाहिये। जिला परिवहन पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग को निदेश दिया गया कि वे संक्षिप्त संख्या मे वाहन निर्धारित तिथि के पूर्व परिचारी प्रवर को उपलब्ध करा दें।

17- प्रभारी पदाधिकारी, डिजिटल केमरा कोषांग ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार Chargeable Battery तथा Alkaline Battery का क्रय किया जाना है। इन्हें निदेश दिया गया कि इस संबंध मे प्रस्ताव तैयार कर जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण के समक्ष अविलंब उपस्थापित करें।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(प्रकाश कुमार)
उप विकास आयुक्त
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1340 / सी
छपरा,दिनांक 7 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि जिला दण्डाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ मीडिया कोषांग/ सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण/ परिचारी प्रवर/ जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, छपरा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रकाश कुमार)
उप विकास आयुक्त
सारण, छपरा

ज्ञापांक 1340 / सी
छपरा,दिनांक 7 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रकाश कुमार)
उप विकास आयुक्त
सारण, छपरा

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे दिनांक 7.4.2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के अंतर्गत वाहन कोषांग के कार्यो की समीक्षा हेतु संपन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः-

	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
1-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी
2-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन-सह- जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग
	श्री जवाहर प्रसाद	जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण
4-	श्री चन्द्रभूषण सिंह	जिला अभियन्ता, सारण
5-	श्री वकील सिंह	अचल निरीक्षक, छपरा सदर
6-	श्री कौशल कुमार	स्वास्थ्य निरीक्षक, छपरा
7-	श्री ब्रजमोहन सिंह	प्रधान सहायक, वाहन कोषांग
8-	वाहन कोषांग के अन्य सहायकगण।	
9-		

जिलाधिकारी ने बैठक के प्रारंभ मे सभी उपस्थित पदाधिकारियों/ सहायकों को वाहनों की आवश्यकता, ईधन आपूर्त्ति की व्यवस्था, लॉग बुक खोलने की प्रक्रिया इत्यादि से अवगत कराते हुये निम्नलिखित निदेश दियेः-

2- अर्द्धसैनिक बलों के लिये, पुलिस बल के लिये, बिहार सैन्य पुलिस/ जिला बल को एक जिला से अन्य जिला से मंगवाने, मे आने के लिये, जिला मुख्यालय से विधानसभा खण्ड मुख्यालय और फिर वहां से मतदान केन्द्रों पर पहुँचाने के लिये वाहन की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त गश्ती दल दण्डाधिकारियों के लिये, मतदान पदाधिकारियों के लिये, विभिन्न कोषांगों मे उपयोग के लिये वाहन की आवश्यकता है। निदेश दिया गया कि इन सभी के लिये अलग अलग लेखा रखा जाय। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक मद मे कितने वाहन पकड़े गये, उन्हें कितना ईधन/ अग्रिम दिया गया इसका अलग अलग पंजी खोला जाय ताकि किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता नहीं होने पाये।

3- अर्द्ध सैनिक बलों के लिये वाहन की व्यवस्थाः-

अर्द्ध सैनिक बलों के उपयोग हेतु जिला वाहन कोषांग से वाहन पकड़ कर सर्वप्रथम उसका लॉग बुक खोल दिया जाय और संबंधित प्रखंड/ अंचल मे जाने योग्य ईधन की आपूर्त्ति कर उसे भेज दिया जाय। संबंधित प्रखंड मे जाने पर जिला स्तर से खोले गये लॉग बुक मे ही ईधन/ अग्रिम की प्रविष्टि की जाय। यदि वाहन को निर्वाचन समाप्ति के उपरान्त अन्य जिला मे भेजा जाना हो तो मूल लॉग बुक को जमा करवा कर उसकी फोटोकॉपी वाहन मालिक को दे देना है।हन कोषांग उपलब्ध करायेगा। इन वाहनों के किराया, ईधन, अग्रिम, खोराकी की व्यवस्था वाहन कोषांग द्वारा की जायेगी।

4- अर्द्ध सैनिक बलों को ईधन, कूपन अग्रिम राशि का भुगतान करने के लिये अलग पदाधिकारी और लिपिक कर्णाकित कर दिया जाय और इनके हस्ताक्षर का नमूना संबंधित पेट्रोल पम्पों पर भेज दिया जाय। कूपन पर पदाधिकारी का पूर्ण हस्ताक्षर अंकित करना अनिवार्य होगा।

5- पकड़े गये वाहनों के चालक/ खलासी को खोराकी भुगतान हेतु राशि प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। आवश्यकतानुसार छोटे वाहन चालकों को 100 रूपया प्रतिदिन, मध्यम वाहन चालकों को 150 रूपया प्रतिदिन और बड़े वाहन चालकों को 250

रूपया प्रतिदिन अग्रिम राशि का भुगतान करना है। इस राशि का सामंजन वाहन को अंतिम रूप से किये जाने वाले भुगतान से सामंजित कर लिया जायेगा।

6- वाहन मालिकों को देय राशि का भुगतान चेक द्वारा और चालकों को दी जाने वाली राशि नकद देने का आदेश दिया गया।

7- यह निदेश दिया गया कि जब तक कोई वाहन कोषांग परिसर मे प्रवेश नहीं करे, उसका लॉग बुक नहीं खोला जाय। गाड़ी अन्दर आने पर उसका प्रतिदिन का लेखा जोखा रखा जाय कि कितनी गाड़ियां आयी और कितनी गाड़ियां बाहर गयीं। यदि जांच मे पाया गया कि बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये कोई वाहन बाहर भेजा गया है तो दोषी पदाधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

8- अर्द्ध सैनिक बलों पर प्रतिदिन होने वाले व्यय का दैनिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाय।

9- पूर्णिया, कटिहार, लखीसराय आदि अन्य जिलों से आने वाले बलों को लाने के लिये जिला से एक पदाधिकारी और सहायक लॉग बुक, सशस्त्र बल और पर्याप्त अग्रिम राशि के साथ वहां जायेंगे ताकि ईधन भरवा करवा कर वहां से वाहनों को लाया जा सके। संबंधित जिलाधिकारी से अनुरोध कर वाहन वहीं से प्राप्त किया जायेगा अतएव उक्त वाहन से सभी बल छपरा आयेंगे।

10- प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग को निदेश दिया गया कि निर्वाचन कार्य संपन्न होते ही दिनांक 25.4.2009 तक सभी वाहन मालिकों के मुआवजा का भुगतान कर दिया जाय। इस कार्य मे थोड़ी भी ढिलाई बरदाश्त नहीं की जायेगी।

11- पेट्रोल पम्प मालिकों को 90% राशि अग्रिम प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि इनकी बैठक दिनांक 8.4.2009 को संध्या 4.30 बजे आयोजित की जाय।

12- प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वाहन खराब होने पर उसका अविलंब Replacement किया जाय।

13- प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे दूरी के आधार पर वाहनों को आपूर्त्ति किये जाने वाले ईधन की मात्रा का आकलन कर लें और तदनुसार ईधन की आपूर्त्ति किया जाय।

14- वाहनों मे ईधन का कूपन काटते समय उसकी टंकी मे उपलब्ध ईधन की मात्रा का अनुमान अवश्य लगा लिया जाय।

15- उप निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे वाहन कोषांग मे लाउडस्पीकर, माईक और चालकों के मनोरंजन हेतु टेलीविजन सेट लगवाना सुनिश्चित करें।

16- कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल छपरा को आदेश दिया गया कि वे वाहन कोषांग मे चापाकल की व्यवस्था कराने के साथ साथ 10 बोर होल शौचालय का भी निर्माण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

17- प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विभिन्न प्रखंडो मे मतदान कर्मियों को पहुँचाने के लिये वाहन की व्यवस्था के संबंध मे प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाय। इन वाहनों के मुआवजा और ईधन का भुगतान वाहन कोषांग द्वारा किया जायेगा।

18- वाहन कोषांग मे जेनेरेटर पर होने वाले ईधन व्यय का भुगतान आकस्मिकता मद से किया जायेगा। इसका हिसाब अलग रखा जाय।

19- NSG/ Security आदि के लिये जो भी ईधन दिया जाय उसका भुगतान आकस्मिकता की राशि से होगा और इसका हिसाब अलग रखा जाय।

20- प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वाहन कोषांग हेतु 2 सेक्शन सशस्त्र बल और 2 सेक्शन लाठी बल उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, सारण से अनुरोध करने का प्रारूप उपस्थापित करें।

रूपया प्रतिदिन अगिम राशि का भुगतान करना है। इस राशि का सामंजन वाहन को अंतिम रूप से किये जाने वाले भुगतान से सामंजित कर लिया जायेगा।

6- वाहन मालिकों को देय राशि का भुगतान चेक द्वारा और चालकों को दी जाने वाली राशि नकद देने का आदेश दिया गया।

7- यह निदेश दिया गया कि जब तक कोई वाहन कोषांग परिसर मे प्रवेश नहीं करे, उसका लॉग बुक नहीं खोला जाय। गाड़ी अन्दर आने पर उसका प्रतिदिन का लेखा जोखा रखा जाय कि कितनी गाड़ियां आयी और कितनी गाड़ियां बाहर गयीं। यदि जांच मे पाया गया कि बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये कोई वाहन बाहर भेजा गया है तो दोषी पदाधिकारी/ कर्मचारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

8- अर्द्ध सैनिक बलों पर प्रतिदिन होने वाले व्यय का दैनिक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाय।

9- पूर्णिया, कटिहार, लखीसराय आदि अन्य जिलों से आने वाले बलों को लाने के लिये जिला से एक पदाधिकारी और सहायक लॉग बुक, सशस्त्र बल और पर्याप्त अग्रिम राशि के साथ वहां जायेंगे ताकि ईंधन भरवा करवा कर वहां से वाहनों को लाया जा सके। संबंधित जिलाधिकारी से अनुरोध कर वाहन वहीं से प्राप्त किया जायेगा अतएव उक्त वाहन से सभी बल छपरा आयेंगे।

10- प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग को निदेश दिया गया कि निर्वाचन कार्य संपन्न होते ही दिनांक 25.4.2009 तक सभी वाहन मालिकों के मुआवजा का भुगतान कर दिया जाय। इस कार्य मे थोड़ी भी ढिलाई बरदाश्त नहीं की जायेगी।

11- पेट्रोल पम्प मालिकों को 90% राशि अग्रिम प्रदान करने का निर्णय लिया गया। यह भी निदेश दिया गया कि इनकी बैठक दिनांक 8.4.2009 को संध्या 4.30 बजे आयोजित की जाय।

12- प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वाहन खराब होने पर उसका अविलंब Replacement किया जाय।

13- प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे दूरी के आधार पर वाहनों को आपूर्त्ति किये जाने वाले ईंधन की मात्रा का आकलन कर लें और तदनुसार ईंधन की आपूर्त्ति किया जाय।

14- वाहनों मे ईंधन का कूपन काटते समय उसकी टंकी मे उपलब्ध ईंधन की मात्रा का अनुमान अवश्य लगा लिया जाय।

15- उप निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे वाहन कोषांग मे लाउडस्पीकर, माईक और चालकों के मनोरंजन हेतु टेलीविजन सेट लगवाना सुनिश्चित करें।

16- कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल छपरा को आदेश दिया गया कि वे वाहन कोषांग मे चापाकल की व्यवस्था कराने के साथ साथ 10 बोर होल शौचालय का भी निर्माण करवाना सुनिश्चित करेंगे।

17- प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि विभिन्न प्रखंडो मे मतदान कर्मियों को पहुँचाने के लिये वाहन की व्यवस्था के संबंध मे प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित कर दी जाय। इन वाहनों के मुआवजा और ईंधन का भुगतान वाहन कोषांग द्वारा किया जायेगा।

18- वाहन कोषांग मे जेनेरेटर पर होने वाले ईंधन व्यय का भुगतान आकस्मिकता मद से किया जायेगा। इसका हिसाब अलग रखा जाय।

19- NSG/ Security आदि के लिये जो भी ईंधन दिया जाय उसका भुगतान आकस्मिकता की राशि से होगा और इसका हिसाब अलग रखा जाय।

20- प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वाहन कोषांग हेतु 2 सेक्शन सशस्त्र बल और 2 सेक्शन लाठी बल उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, सारण से अनुरोध करने का प्रारूप उपस्थापित करें।

21- प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग को निदेश दिया गया कि वे 6 पर्यवेक्षक स्तर के पदाधिकारी वाहन कोषांग को उपलब्ध करा दें।

20- प्रभारी पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वाहन कोषांग मे दिनांक 8.4.2009 से जो भी कर्मी 5 बजे संध्या के बाद कार्य करेगा उसे प्रतिदिन 25 रूपया और अवकाश के दिनों मे कार्य करने पर 60 रूपया प्रतिदिन की दर से राशि का भुगतान करने के लिये प्रस्ताव भेंजें। उप निर्वाचन पदाधिकारी तदनुसार राशि का भुगतान सुनिश्चित करायेंगे।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

8.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1361 / सी
छपरा,दिनांक 8 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ सभी अंचल अधिकारी, सारण जिला/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ मीडिया कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1361 / सी
छपरा,दिनांक 8 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

8.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे दिनांक 7-4-2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सारण
3-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
4-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन कोषांग
5-	श्री महेन्द्र सिंह	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग
6-	श्री सूर्य नारायण सिंह	जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण
7-	श्री सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी, प्रशिक्षण कोषांग
8-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
9-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
10-	श्री अजय कुमार	अंचल अधिकारी, गड़खा सह प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग
11-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण
12-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग
13-	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
14-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
17-	श्री चन्देश्वर राम	कार्यपालक अभियन्त, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा
18-	श्री अजय कुमार	जिला अवर निबंधक, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, छपरा
19-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग
20-	श्री नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
21-	श्री अनिल कुमार सिंह	विकास पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास कार्यक्रम प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग
21-	श्री विपिन बिहारी सिंह	सहायक अभियन्ता, प्रेक्षक कोषांग प्रभारी

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विगत बैठकों मे दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा किया और उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिये गयेः-

1- प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग ने सूचित किया कि उनके कोषांग को सभी सामग्रियां (डमी बैलट यूनिट को छोड़कर) प्राप्त हो गयी हैं। मतदाता सूची भी प्राप्त हो गयी है जिसके विखंडन का कार्य दिनांक 9.4.2009 तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निदेश दिया कि दिनांक 11.4.2009 से सामग्रियों को विभिन्न विधानसभा खण्ड मुख्यालय मे भेजने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाय। इस हेतु 10 मध्यम आकार के वाहन प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।

2- प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रति विधानसभा खण्ड 20-20 बैग सामग्री Extra रूप मे प्रेषित की जाय तथा सारी सामग्री की प्राप्ति रसीद भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से प्राप्त कर लिया जाय।

3- Election duty certificate निर्गत करना सामग्री कोषांग का दायित्व होगा। वे इस कार्य को भी ससमय पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे।

4- प्रभारी पदाधिकारी, ई वी एम कोषांग को निदेश दिया गया कि सुरक्षित ई वी एम मे से 7% का वितरण कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर से ही सेक्टर दण्डाधिकारियों के बीच किया जाय। शेष ई वी एम प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया जाय।

5- सभी उपस्थित पदाधिकारियों को यह स्पष्ट किया गया कि यदि किसी मतदान केन्द्र पर ई वी एम खराब हो जाने से उसे Replace किया जाता है तो खराब ई वी एम पीठासीन पदाधिकारी के पास ही रहेगा। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि सेक्टर पदाधिकारियों को लाल रंग का रिबन दिया जायेगा। इसी रिबन मे खराब ई वी एम को बांध कर कृषि उत्पादन बाजार समिति लाया जायेगा जहां एक अलग कक्ष मे इसे रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त सुरक्षित ई वी एम जो जिनका उपयोग नहीं हो सका उसे भी बाजार समिति परिसर मे ही अलग कक्ष मे ही रखा जायेगा।

6- प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग को आदेश दिया गया कि वे सभी प्रेक्षकगण को दिनांक 9.4.2009 से ई वी एम की सीलिंग के बारे मे पत्र द्वारा सूचित कर दें।

7- जिला अग्निशाम पदाधिकारी, सारण और कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद छपरा को आदेश दिया गया कि वे कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर मे पानी का छिड़काव दिनांक 8.4.2009 से सुनिश्चित करायें ताकि वहां धूल नहीं उड़ने पाये।

8- उप निर्वाचन पदाधिकारी सारण को आदेश दिया गया कि ई वी एम सीलिंग के दौरान पर्याप्त संख्या मे दरी, मोमबत्ती प्रकाश और भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

9- प्रभारी पदाधिकारी, मीडिया कोषांग/ वीडियोग्राफी कोषांग को आदेश दिया गया कि वे पटना से वीडियोग्राफर की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित दर पर करना सुनिश्चित करें। इन वीडियोग्राफर को Consumables का भुगतान अलग से किया जायेगा और पटना से आवागमन की भी व्यवस्था की जायेगी।

10- प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग को आदेश दिया गया कि वे इस बात का ध्यान रखें कि बैंको का काम काज सुचारू रूप से चलता रहे। इस हेतु बैंक कर्मियों की संख्या का आकलन कर लें जिनको छोड़ देने से बैंक का कार्य प्रभावित नहीं होने पाये। श्री अजय कुमार, अंचल अधिकारी, गड़खा को इस कार्य मे प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषंग से समन्वय स्थापित करने का आदेश दिया गया।

11- प्रभारी पदाधिकारी, डिजिटल केम्रा कोषांग को आदेश दिया गया कि वे मतदान के उपरान्त एन आई सी मे ही 10 कम्प्यूटर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

81

12- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आदेश दिया कि सभी सेक्टर पदाधिकारियों को रिचार्ज कूपन हेतु 200/ - रूपया आकस्मिकता मद से भुगतान कर दिया जाय।

13- अंचल अधिकारी, अमनौर सह प्रभारी पदाधिकारी, Communication कोषांग को आदेश दिया गया कि वे दिनांक 8.4.2009 से प्रतिदिन Service providers यथा BSNL, AIRTEL, AIRCEL, RELIANCE इत्यादि की बैठक आयोजित कराना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(डा0 बी. राजेन्दर) 7.4.2009
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1351 / सी
छपरा,दिनांक 7 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषाांग/ मीडिया कोषांग/ सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण/ अंचल अधिकारी, अमनौर/ परिचारी प्रवर/ जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, छपरा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डा0 बी. राजेन्दर) 7.4.2009
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1351 / सी
छपरा,दिनांक 7 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 बी. राजेन्दर) 7.4.2009
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे दिनांक 8-4-2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सारण
3-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
4-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन कोषांग
5-	श्री महेन्द्र सिंह	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग
6-	श्री सूर्य नारायण सिंह	जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण
7-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
8-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
9-	श्री अजय कुमार	अंचल अधिकारी, गड़खा सह प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग
10-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण
11-	श्री रमेश त्रिपाठी	परिचारी प्रवर, सारण
12-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग
13-	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
14-		कमांडेन्ट, गृह रक्षा वाहिनी के प्रतिनिधि
15-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
16-	श्री चन्देश्वर राम	कार्यपालक अभियन्त, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा
17-	श्री अजय कुमार	जिला अवर निबंधक, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, छपरा
18-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग
19-	श्री नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विगत बैठकों मे दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा किया और उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिये गयेः-

1- प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग ने सूचित किया कि उनके कोषांग को सभी सामग्रियां (डमी बैलट यूनिट को छोड़कर) प्राप्त हो गयी हैं। मतदाता सूची भी प्राप्त हो गयी है किन्तु परसा विधानसभा खण्ड की सूची मे अनुमण्डल पदाधिकारी सदर की फैक्सिमिली लगी है हस्ताक्षर नहीं है। उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया कि वे अविलंब मतदाता सूची पर हस्ताक्षर करवा कर उपलब्ध करवा दें।

2- इस कार्यालय के ज्ञापांक 1351/ सी दिनांक 7.4.2009 मे भूल वश प्रति विधानसभा खण्ड 20-20 रिजर्व ई वी एम देना टंकित हो गया है। इसे प्रति विधानसभा खण्ड 10-10 ई वी एम पढ़ा जाय।

3- प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को आदेश दिया गया कि वे जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सारण के सहयोग से समाचार पत्रों मे कार्मिकों के विधानसभा खण्ड मुख्यालय पर योगदान करने अग्रिम प्राप्त करने और सामग्री प्राप्त करने संबंधी विज्ञप्ति अविलंब प्रकाशित करवा दें।

4- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे पीठासीन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी-1, मतदान पदाधिकारी-2 और मतदान पदाधिकारी-3 को वर्गीकृत (Classify) कर सूची प्रखंडवार निकाल दें और इसका प्रकाशन प्रखंड मुख्यालयों पर करवा दें ताकि जब भी कार्मिक योगदान करने प्रखंड मुख्यालयों पर जांय तो उन्हें कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

5- परिचारी प्रवर ने बताया कि पूर्णिया, लखीसराय और कटिहार से सशस्त्र बल लाने के लिये उन्हें दिनांक 9.4.2009 को इन जिलों मे वाहन भेजना है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि संबंधित जिलाधिकारीगण ने वार्त्ता हुयी है और उन्होने वाहन अपने स्तर से उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग को आदेश दिया गया कि वे परिचारी प्रवर से विमर्श कर वाहनों की संख्या का आकलन कर लें और प्रत्येक जिला मे एक पदाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी और एक लिपिक को लॉग बुक, ईधन के लिये राशि और प्रति वाहन 2,000/ - (दो हजार) रूपया मात्र अग्रिम राशि के साथ प्रतिनियुक्त करें जो संबंधित जिलाधिकारी से संपर्क कर वाहन प्राप्त कर उनका लॉग बुक खोलेगा, उन्हें यथेष्ट अग्रिम प्रदान करेगा और ईधन भरवा कर सशस्त्र बल को छपरा लाना सुनिश्चित करेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण संबंधित जिलाधिकारी को अधोहस्ताक्षरी की ओर से इस आशय का एक पत्र भी तैयार कर वहां जाने वाले पदाधिकारी को उपलब्ध करा देंगी।

6- गृह रक्षा वाहिनी के प्रतिनिधि ने बताया कि समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी से गृहरक्षक ट्रेन द्वारा छपरा आयेंगे। इनके आवासन की व्यवस्था एल एन बी उच्च विद्यालय, छपरा और लोकमान्य उच्च विद्यालय, छपरा मे की गयी है। उन्होने बताया कि कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा द्वारा इन विद्यालयों मे शौचालय निर्माण कराने/ हैण्ड पम्प लगवाने हेतु राशि की मांग की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इस पर खेद प्रकट करते हुये कहा कि कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा को आज तक निर्वाचन प्रकिया की मूलभूत बातों का ज्ञान तक नहीं है। उन्होने इस अज्ञानता के लिये कार्यपालक अभियन्ता,लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया और उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया कि वे अविलंब 3,00,000/ - (तीन लाख) रूपये कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा को उपलब्ध करा दें।

7- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक सरकार द्वारा गृहरक्षकों को भुगतान हेतु राशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है। राशि उपलब्ध होते ही इसे जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, छपरा को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

8- कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा को निदेश दिया गया कि सशस्त्र बल/ अर्द्ध सैनिक बलों के सभी आवासन स्थल की जानकारी प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक

बल कोषांग से प्राप्त कर उन स्थलों पर जेनेरेटर, पंखा, पानी, शौचालय इत्यादि मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

6- श्री महेन्द्र सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, आचार संहिता-सह-शिकायत कोषांग ने बताया कि उनके कोषांग मे टेलीफोन लग गया है और जनसाधारण इस पर अपनी शिकायतें भी दर्ज करा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उन्हें निदेश दिया कि टेलीफोन की लॉग बुक संधारित करें और प्राप्त होने वाली शिकायतों का विवरण यथा शिकायतकर्त्ता का नाम, शिकायत का संक्षिप्त विवरण और उस पर कृत कार्रवाई का विवरण एक अलग पंजी मे तिथिवार संधारित किया जाय।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

8.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1363 / सी
छपरा,दिनांक 8 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ मीडिया कोषांग/ सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण/ अंचल अधिकारी, अमनौर/ परिचारी प्रवर/ जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, छपरा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1363 / सी
छपरा,दिनांक 8 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

8.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी. राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता मे दिनांक 9-4-2009 को लोकसभा निर्वाचन-2009 के दौरान Communication Plan से संबंधित भारत संचार निगम सहित विभिन्न Service Providers के साथ हुयी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी. राजेन्दर, भा. प्र. से.	जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी
2-	अखिलेश्वर	दूरसंचार जिला अभियन्ता, सारण
3-	पी आर शर्मा	अनुमण्डल पदाधिकारी, दूरभाष, छपरा
4-	मो0 ताहिर आलम	
5-	नरोत्तम	टेरिटरी मैनेजर, रिलायंस कम्युनिकेशन्स
6-	राहुल कुमार	टेरिटरी मैनेजर, एयरटेल
7-	अमित कुमार	टेरिटरी मैनेजर, एयरटेल

बैठक के प्रारंभ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान लोकसभा निर्वाचन को स्वच्छ एवं शान्तिपूर्ण वातावरण मे संपन्न कराने हेतु Communication plan की महत्वूपर्ण भूमिका बतायी गयी है। अतः सभी Service providers से मतदान की तिथि के पूर्व, मतदान के दिन और मतदान के बाद विशेष रूप से निर्बाध और त्रुटिरहित सेवा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है।

2- श्री अखिलेश्वर, दूरसंचार जिला अभियन्ता ने बताया कि एयरटेल के साथ POI ठीक नहीं होने के कारण एक दूसरे के नेटवर्क से कॉल करने और प्राप्त करने मे कठिनाई होती है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निदेश दिया कि इस त्रुटि को अविलंब दूर कर लिया जाय ताकि निर्वाचन के दौरान कठिनाई नहीं होने पाये।

3- श्री अखिलेश्वर, दूरसंचार जिला अभियन्ता ने यह भी बताया कि छपरा भेल्दी मार्ग पर राष्ट्रीय उच्च के अभियन्ताओं द्वारा कार्य कराया जा रहा है जिससे कई स्थानों पर केबल कटने की घटनायें हुयी हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबंधित अभियन्तागण को समुचित कार्रवाई करने हेतु निदेशित करने का आश्वासन दिया।

4- श्री अखिलेश्वर दूरसंचार जिला अभियन्ता ने बताया कि निर्वाचन कार्य की महत्ता को देखते हुये उनके विभाग द्वारा नये विकास कार्य नहीं कराये जा रहे हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इसके लिये उनके विभाग को धन्यवाद दिया और सभी मोबाईल कंपनियों के प्रतिनिधियों से ऐसा ही सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया।

5- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी दूरसंचार प्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे अपने क्षेत्र के टावरों, जेनेरेटरों और अन्य उपकरणों की नियमित रूप से जांच करते रहें ताकि टावर फेल होने और अन्य गड़बड़ियां नहीं होने पायें।

6- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों से आग्रह किया कि निर्वाचन अवधि तक प्रतिदिन संध्या समय 6.30 बजे वे उनसे संपर्क स्थापित कर लिया करें ताकि किसी भी समस्या को तुरंत हल किया जा सके।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

9.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1373 / सी
छपरा,दिनांक 9 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि दूरसंचार जिला अभियन्ता, भारत संचार निगम लिमिटेड, छपरा सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अन्य दूरसंचार प्रतिनिधियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1373/ सी
छपरा,दिनांक 9 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

9.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी. राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता मे दिनांक 9-4-2009 को लोकसभा निर्वाचन-2009 के दौरान Communication Plan से संबंधित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के साथ बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1- डा0 बी. राजेन्दर, भा. प्र. से. जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी
2- रश्मि कुमारी — बा. वि .प. प. गड़खा-9308385560
3- आभा कुमारी — बा. वि .प. प. मढ़ौरा-9931542282
4- प्रभा रानी — बा. वि .प. प. बनियापुर-9006508674
5- लालती कुमारी — बा. वि. प. प. मांझी-9430286027
6- सुनैना कुमारी — बा. वि .प. प. लहलादपुर-9934645485
7- कुमारी अर्चना — बा. वि .प. प. सोनपुर-9934693056
8- रूपम रानी — बा. वि. प. प. परसा-9934899001
9- तरणि कुमारी — बा. वि .प. प. दिघवारा-9430928374
10- मोनिका कुमारी — बा. वि .प. प. दरियापुर-9431431839
11- मीरा मिश्रा — बा. वि .प. प. पानापुर-9931918106
12- हीरा कुमारी — बा. वि .प. प. रिविलगंज-9430249537
13- प्रतिमा कुमारी — बा. वि .प. प. अमनौर-9835233014
14- मंजू सिंह — बा. वि .प. प. मकेर-9934645415
15- रंजना गुप्ता — बा. वि .प. प. छपरा ग्रामीण-9334206995
16- ~~चंचला पाण्डेय~~ मीरा मिश्र — बा. वि .प. प. मशरख-9431223416
17- रीता सिन्हा — बा. वि .प. प. एकमा-9661256736

बैठक के प्रारंभ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी उपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारीगण को इस बैठक के उद्देश्य के बारे मे बताया और कहा कि दिनांक 16.4.2009 को सारण जिला के 19-महाराजगंज और 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्रो मे आयोजित मतदान को स्वच्छ एवं शान्तिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और क्षेत्र मे असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिये Communication Plan तैयार किया गया है। इस Plan के माध्यम से प्रत्येक मतदान केन्द्र से संबद्ध सेक्टर पदाधिकारियों और मतदान के समीप स्थित फोन से संपर्क स्थापित कर किसी भी कठिनाई को संबंधित पदाधिकारी के संज्ञान मे ला कर इस कठिनाई को दूर करने का कार्य प्रमुख रूप से बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को संपादित करना है।

2- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, लहलादपुर और तरैया की ड्यूटी सेक्टर पदाधिकारी के रूप मे लगायी गयी है, अतएव इन्हें इस कार्य से मुक्त करने का निदेश दिया गया।

3- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विधानसभा खण्ड मुख्यालय की बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उक्त विधानसभा खण्ड के प्रभार मे रहेंगी। इस प्रकार

88

विभिन्न विधानसभा खण्ड के लिये निम्न प्रकार बाल विकास परियोजना पदाधिकारीगण को दायित्व सौंपा गया:-

1- 113- एकमा विधानसभा क्षेत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, एकमा
2- 114- मांझी विधानसभा क्षेत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मांझी
3- 115- बनियापुर विधानसभा क्षेत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मांझी
4- 116- तरैया विधानसभा क्षेत्र बाल विकास परियोजना पदा0, बनियापुर
5- 117- मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरिआपुर
6- 118- छपरा विधानसभा क्षेत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मढ़ौरा
7- 119- गड़खा विधानसभा क्षेत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,ग्रामीण
8- 120- अमनौर विधानसभा क्षेत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गड़खा
9- 121- परसा विधानसभा क्षेत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमनौर
10- 122- सोनपुर विधानसभा क्षेत्र बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, परसा

4- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दिघवारा को सामग्री कोषांग मे ही प्रतिनियुक्त रहने का आदेश दिया गया।

5- उपर्युक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 10.4.2009 को छपरा आ कर अपने विधानसभा खण्ड मे स्थित मतदान केन्द्रों और प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों की सूची और टेलीफोन नंबर तथा सभी थानाध्यक्षगण, अनुमण्डल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, प्रेक्षक, जिला नियंत्रण कक्ष, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी के टेलीफोन नंबर प्राप्त कर लें।

6- उपर्युक्त कंडिका 4 मे वर्णित सूचनायें प्राप्त करने के बाद दिनांक 10.4.2009 से 14.4.2009 तक बाल विकास परियोजना पदाधिकारीगण जिला नियंत्रण कक्ष मे उपस्थित रह कर अपने से संबंधित विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी से उनके सेक्टर मे स्थित मतदान केन्द्रों की स्थिति, Vulnerability maping, मतदान केन्द्रों पर पानी की व्यवस्था आदि के बारे मे दिन मे कम से कम दो बार अवश्य बात करेगी और उनसे प्राप्त सूचना एक पंजी मे दर्ज करेंगी। सेक्टर पदाधिकारियों के अतिरिक्त मतदान केन्द्रों के समीप वाले नंबरों से भी वे संपर्क स्थापित करेंगी और ज्ञात करेंगी कि मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने मे कोई कठिनाई तो नहीं है।

7- दिनांक 10.4.2009 से 14.4.2009 तक प्रतिदिन संध्या समय उस दिन संपादित कार्य का विवरण अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थापित किया जाय।

8- मतदान के दिन दिनांक 16.4.2009 को प्रतिनियुक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रातः 6 से 6.30 बजे के बीच जिला नियंत्रण कक्ष मे आयेंगी और पूरे दिन विधानसभा खण्डवार प्राप्त शिकायतों का विवरण एक पंजी मे दर्ज करेंगी। प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग विधानसभा खण्डवार एक एक लिपिक की प्रतिनियुक्ति नियंत्रण कक्ष मे करना सुनिश्चित करेंगे जो इस कार्य मे बाल विकास परियोजना

पदाधिकारीगण को सहयोग प्रदान करेंगे। यदि किसी केन्द्र पर EVM खराब होता है तो वे तत्क्षण संबंधित सेक्टर पदाधिकारी को सूचित करेंगी।

9- उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया कि वे वांछित स्टेशनरी बाल विकास पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दें।

10- बाल विकास परियोजना पदाधिकारीगण को निदेश दिया गया कि वे अपने पदस्थापन मुख्यालय मे ही निवास करें और जिला निर्वाचन पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त किये बिना न तो मुख्यालय छोड़ें और न ही अवकाश मे प्रस्थान करें। किसी भी प्रकार का अवकाश जिला निर्वाचन पदाधिकारी ही स्वीकृत करेंगे।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

B Rajendra 9.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1372 / सी
छपरा,दिनांक 9 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, आचार संहिता सह शिकायत कोषांग, छपरा/ प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग, छपरा/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

B Rajendra 9.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1372 / सी
छपरा,दिनांक 9 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

B Rajendra 9.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी. राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता मे दिनांक 10-4-2009 को लोकसभा निर्वाचन-2009 के दौरान Communication Plan से संबंधित भारत संचार निगम सहित विभिन्न Service Providers के साथ हुयी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति:-

	डा0 बी. राजेन्दर, भा. प्र. से.	जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी
1-	अखिलेश्वर	दूरसंचार जिला अभियन्ता, सारण
2-	पी आर शर्मा	अनुमण्डल पदाधिकारी, दूरभाष, छपरा
3-	मो0 ताहिर आलम	
4-	नरोत्तम	टेरिटरी मैनेजर, रिलायंस कम्युनिकेशन्स
5-		

बैठक के प्रारंभ मे श्री अखिलेश्वर, दूरसंचार जिला अभियन्ता ने बताया कि परसा क्षेत्र के भेल्दी के आस पास पथ निर्माण विभाग के अभियन्ताओं की लापरवाही के कारण केबल कटने की घटनायें हुयी हैं जिससे संचार सेवा बाधित हुयी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अविलंब कार्यपालक अभियन्ता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल-102 को इस संबंध मे पत्र लिखने का आदेश दिया ताकि निर्वाचन के अवसर पर संचार सेवा बाधित नहीं होने पाये।

2- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित दूरसंचार जिला अभियन्ता को बताया कि परसा प्रखंड के आस पास Connectivity नहीं होने से संपर्क करने मे कठिनाई हो रही है। दूरसंचार जिला अभियन्ता ने इस संबंध मे त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

3- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों से आग्रह किया कि निर्वाचन अवधि तक प्रतिदिन संध्या समय 6.30 बजे वे उनसे संपर्क स्थापित कर लिया करें ताकि किसी भी समस्या को तुरंत हल किया जा सके।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

10-4

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1379 / सी
छपरा,दिनांक 10 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि दूरसंचार जिला अभियन्ता, भारत संचार निगम लिमिटेड, छपरा सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अन्य दूरसंचार प्रतिनिधियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1379 / सी
छपरा,दिनांक 10 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

10.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी. राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता मे दिनांक 10-4-2009 को लोकसभा निर्वाचन-2009 के दौरान Communication Plan से संबंधित सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों के साथ बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1- डा0 बी. राजेन्दर, भा. प्र. से.	जिला दण्डाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी
2- रीता सिन्हा	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, एकमा
3- लालती कुमारी	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मांझी
4- प्रभा रानी	बाल विकास परियोजना पदा0, बनियापुर
5- मोनिका कुमारी	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, दरियापुर
6- आभा रानी	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मढ़ौरा
7- रंजना गुप्ता	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,ग्रामीण
8- रश्मि कुमारी	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, गड़खा
9- प्रतिमा कुमारी	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अमनौर
10-रूपम रानी	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, परसा
11-कुमारी अर्चना	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनपुर

बैठक के प्रारंभ जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि उन्होने जिला नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया है और यह बैठ कर कार्य करने योग्य नहीं है। उन्होने निदेश दिया कि दिनांक 11.4.2009 से 17.4.2009 तक Communication Plan का नियंत्रण कक्ष उनके न्यायालय कक्ष मे कार्य करेगा। नजारत उप समाहर्त्ता को आदेश दिया गया कि वे इस कक्ष मे टेबल कुर्सी सहित अन्य सुविधायें आज ही उपलब्ध करायें। दूरसंचार जिला अभियन्ता, सारण को निदेश दिया गया कि वे नियंत्रण कक्ष के सभी दूरभाष आज ही इस कक्ष मे Shift करवाना सुनिश्चित करेंगे।

2- उपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों ने बताया कि उन्हें Communication plan के दूरभाष संख्या और संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के मतदान केन्द्रों की सूची प्राप्त नहीं हो सकी है। श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, प्रभारी पदाधिकारी, Data Cell को आदेश दिया गया कि वे दिनांक 11.4.2009 को प्रातः 10 बजे तक सारी सूचनायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया कि वे प्रतिदिन मतदान केन्द्र के समीप के दूरभाष नंबर, सेक्टर पदाधिकारियों के नंबर, थानाध्यक्ष, जोनल दण्डाधिकारी, सुपर जोनल दण्डाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक के टेलीफोन नंबरों पर कम से कम एक बार संपर्क कर यह जांच कर लें कि ये सभी नंबर कार्य कर रहे हैं या नहीं। यदि इनमे से कोई भी नंबर कार्य नहीं कर रहा हो तो इसकी सूचना संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/ सेक्टर पदाधिकारी को दी जाय ताकि समय रहते

Communication plan मे त्रुटि का निराकरण किया जा सके और मतदान के दिन कोई बाधा नहीं उत्पन्न होने पाये।

4- निदेश दिया गया कि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के उपयोग हेतु महिला हेल्प लाईन का कार्यालय भी प्रतिदिन खुला रहेगा। प्रभारी पदाधिकारी, महिला हेल्प लाईन इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेंगी।

5- उपर्युक्त बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 10.4.2009 को छपरा आ कर अपने विधानसभा खण्ड मे स्थित मतदान केन्द्रों और प्रतिनियुक्त सेक्टर पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों की सूची और टेलीफोन नंबर तथा सभी थानाध्यक्षगण, अनुमण्डल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक, प्रेक्षक, जिला नियंत्रण कक्ष, पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी के टेलीफोन नंबर प्राप्त कर लें।

6- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निदेश दिया कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को मुख्यतः निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त करनी हैं:-

6.1 आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला।

6.2 सभी मतदान केन्द्रों पर सामान्य सूचनायें अंकित कर दी गयी हैं।

6.3 Vulnerability maping के अनुसार सेक्टर पदाधिकारी सभी टोलो मे जा कर Vulnerable मतदाताओं से संपर्क स्थापित किये हैं या नहीं।

6.4 विधि व्यवस्था की सामान्य स्थिति क्या है।

6.5 यदि कोई टेलीफोन नंबर कार्य नहीं कर रहा है तो नया नंबर प्राप्त कर लें।

7- बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उनके द्वारा प्रतिदिन जितने व्यक्तियों से संपर्क स्थापित किया जाता है, उनका नंबर, प्राप्त सूचनाओं का विवरण और कृत कार्रवाई का व्योरा एक पंजी मे दर्ज करें और संध्या समय अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अवलोकनार्थ उपस्थापित करें।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

BRajendra 10.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1378 /सी
छपरा,दिनांक 10 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, आचार संहिता सह

94

शिकायत कोषांग, छपरा/ प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग, छपरा/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra 10.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1378 / सी
छपरा, दिनांक 10 अप्रैल, 2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 10.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे दिनांक 10.4.2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सारण
3-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
4-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन कोषांग
5-	श्री महेन्द्र सिंह	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग
6-	श्री सूर्य नारायण सिंह	जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण
7-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
8-	श्री सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग
9-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
10-	श्री अजय कुमार	अंचल अधिकारी, गड़खा सह प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग
11-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण
12-	श्री रमेश त्रिपाठी	परिचारी प्रवर, सारण
13-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग
14-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
15-	श्री चन्देश्वर राम	कार्यपालक अभियन्त, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा
16-	श्री अजय कुमार	जिला अवर निबंधक, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, छपरा
17-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग
18-	श्री नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विगत बैठकों मे दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा किया और उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिये गयेः-

1- सामग्री कोषांगः-

1.1 प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग ने सूचित किया कि उनके कोषांग को सभी सामग्रियां प्राप्त हो गयी हैं किन्तु सबसे प्रमुख समस्या मतदाता सूची की है जो त्रुटिपूर्ण है। गड़खा विधानसभा खण्ड और नगर परिषद, छपरा की सूची मे सबसे अधिक कठिनाई हो रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद, छपरा-सह- अंचल अधिकारी, गड़खा के किया कलाप के प्रति रोष व्यक्त करते हुये उन्हें सख्त चेतावनी निर्गत करने का आदेश देते हुये कहा कि दिनांक 11.4.2009 तक हर हाल मे सही मतदाता सूची सामग्री कोषांग को उपलब्ध करा दें अन्यथा उनके विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

1.2 प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग को आदेश दिया गया कि दिनांक 11.4.2009 की संध्या तक 5 विधानसभा खण्डों और दिनांक 12.4.2009 को 12 बजे दिन तक सभी विधानसभा खण्डों की सामग्री संबंधित प्रखंड मुख्यालय में निश्चित रूप से भेज दी जाय ताकि समय रहते प्रखंड विकास पदाधिकारी इसका मिलान चेक लिस्ट से कर सकें।

1.3 नेत्रहीन मतदाताओं की सुविधा के लिये बैलट यूनिट और सामान्य मतदाताओं के लिये 13 वैकल्पिक दस्तावेजों की सूची भी अलग से सभी विधानसभा प्रखंड मुख्यालयों में भेज दी जाय।

1.4 सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अलग से पत्र भेजा जाय कि वे मतदाता सूची की जांच कर संतुष्ट हो लें कि इसमें कोई त्रुटि नहीं है। उन्हें पुनः अपने स्तर से जांच कराने का प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

1.5 प्रभारी पदाधिकारी, सामगी कोषांग ने बताया कि मतदाता सूची की Paging में गड़बड़ी है। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे मतदाता सूची के एक एक पृष्ठ की सूक्ष्मता से जांच कर लें और गड़बड़ी पाये जाने पर उसे उप निर्वाचन पदाधिकारी सारण के संज्ञान में लाया जाय ताकि त्रुटि का निराकरण किया जा सके।

2- प्रशिक्षण कोषांगः-

2.1 श्री सुरेन्द्र झा, प्रभारी पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग ने बताया कि दिनांक 13.4.2009 को Micro observers को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस हेतु चेक लिस्ट मुद्रित करा ली गयी है। दिनांक 13.4.2009 को ही उन्हें अग्रिम राशि दी जायेगी और फोटोग्राफी की जायेगी। प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे फोटोग्राफी हेतु 10 डिजिटल केमरा की व्यवस्था करने के साथ साथ Flexi Board पर प्रशिक्षण का विवरण सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित कर लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

2.2 मजहरूल हक एकता भवन में दिनांक 15.4.2009 को पुनः सभी Micro observers एकत्रित होंगे जहां उनके बीच फोटोग्राफ का वितरण किया जायेगा और उसी दिन उन्हें यह ज्ञात होगा कि उन्हें किस मतदान केन्द्र पर जाना है।

2.3 दिनांक 15.4.2009 को मजहरूल हक एकता भवन में प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग प्रखंडवार वाहन उपलब्ध रखेंगे तथा Micro observers को सीधे यहां से संबंधित प्रखंड मुख्यालय में भेज दिया जायेगा।

2.4 विधानसभा प्रखंड मुख्यालय पर Micro observers के पहुँचने पर संबंधित सेक्टर पदाधिकारी उन्हें उनसे संबद्ध मतदान केन्द्रों पर ले जायेंगे।

2.5 दिनांक 16.4.2009 को मतदान समाप्ति के बाद सभी Micro observers कृषि उत्पादन बाजार समिति में संबंधित सेक्टर पदाधिकारी के साथ आयेंगे।

2.6 प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग, उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण से समन्वय स्थापित कर बाजार समिति परिसर में विधानसभा खण्डवार काउंटर चलवायेंगे जहां पर सभी Micro observers अपना प्रतिवेदन समर्पित करेंगे।

सभी को अवगत करा दें कि वे पीठासीन पदाधिकारी के नियंत्रण मे और उनके आदेशानुसार कार्य संपादित करेंगे।

3- आचार संहिता/ शिकायत कोषांगः-

3.1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया श्री महेन्द्र सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी, शिकायत कोषांग को बताया कि प्रेक्षकगण के माध्यम से बहुत सी शिकायतें प्राप्त हुयी हैं। उन्होने निदेश दिया कि इन शिकायतों का नियिमत रूप से अनुश्रवण किया जाय और कृत कार्रवाई का विवरण प्रेक्षकगण को भी उपलब्ध कराया जाय।

4- कार्मिक कोषांगः-

4.1 प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को निदेश दिया गया कि वे सभी प्रखंडो मे वहां पदस्थापित कर्मियों की सूची अविलंब प्रकाशित करा दें ताकि संबंधित कर्मियों को यह ज्ञात हो सके कि उनकी duty किस विधानसभा खण्ड मे लगी हुयी है।

4.2 जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे 3rd Randomization के लिये प्रेक्षकगण से अनुरोध का प्रारूप प्रस्तुत करें।

4.3 जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे मतदान पदाधिकारीवार Ascending order मे सूची दिनांक 11.4.2009 तक प्रस्तुत करें ताकि मतदान कर्मियों को अपना नाम खोजने मे कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े।

4.4 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 13.4.2009 से विधानसभा खण्डवार दो दो कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कार्मिक कोषांग से करें जो संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र वितरण/ Replacement कार्य मे सहयोग प्रदान करेंगे।

5- वाहन कोषांगः-

5.1 प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग को आदेश दिया गया कि वे कम से कम 600 छोटे/ मध्यम आकार के वाहन दिनांक 14.4.2009 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ट्रकों की कोई विशेष उपयोगिता निर्वाचन मे नहीं है अतएव ट्रक सीमित संख्या मे और आवश्यकतानुसार ही पकड़े जांय। यदि इस कार्य मे कोई कठिनाई हो तो समीपवर्त्ती वैशाली और अन्य जिलों से भी वाहन उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया जा सकता है।

5.2 प्रभारी पदाधिकारी को पुनः निदेश दिया गया कि वे अधोहस्ताक्षरी की ओर से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियें को आदेश दें कि वे प्रति प्रखंड न्यूनतम 25 वाहन अविलंब वाहन कोषांग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

5.3 प्रभारी पदाधिकारी को वाहन पकड़ने हेतु अतिरिक्त 3 सेक्शन पुलिस बल उपलब्ध कराने हेतु पुलिस अधीक्षक, सारण को पत्र लिखने का निदेश दिया गया।

5.4 प्रभारी पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे दिनांक 14.4.2009 को 4 बस जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सारण को उपलब्ध करा दें ताकि वीडियोग्राफरों को पटना लाया जा सके और उन्हीं बसों से संबंधित विधानसभा खण्ड मुख्यालय मे भेजा जा सके।

6- विविध:-

6.1 उप निर्वाचन पदाधिकारी,सारण को आदेश दिया गया कि वीडियोग्राफरों के पटना से आने पर उनके रहने की व्यवस्था राम जयपाल महाविद्यालय मे की जाय।

6.2 प्रभारी पदाधिकारी, मतपत्र कोषांग को आदेश दिया गया कि दिनांक 15.4.2009 को सभी विधानसभा खण्ड मुख्यालय मे मतपत्र निश्चित रूप से भेजने की जिम्मेवारी उनकी होगी।

6.3 कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा को आदेश दिया गया कि वे अर्द्ध सैनिक बलों के आवासन स्थल पर समुचित मात्रा मे ब्लीचिग पाउडर का छिड़काव सुनिश्चित करायें।

6.4 प्रभारी पदाधिकारी, ई वी एम कोषांग को निदेश दिया गया कि वे 6 Control Unit और 1 Ballot unit खराब होने की सूचना संबंधित प्रत्याशियो को उपलब्ध करा दें ताकि उनका Replacement किया जा सके।

6.6 प्रभारी पदाधिकारी, मतकर्मी कल्याण कोषांग ने बताया कि सोनपुर मे मतदान कर्मियों के ठहराव स्थल पर पर्याप्त चापाकल नहीं हैं। कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा को अविलंब चापाकल लगवाने का निदेश दिया गया।

6.7 जिला दण्डाधिकारी ने बताया कि उन्होने मतदानकर्मियों के गड़खा स्थित ठहराव स्थल उ. वि. मुहम्मदपुर का स्वयं निरीक्षण किया है और पाया है कि यहां के परिसर की न तो सफाई की गयी है और न ही कोई आधारभूत सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। उन्होनें अंचल अधिकारी, गड़खा को निदेश दिया गया कि वे समय पूर्व सभी व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

6.8 प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग ने बताया कि बेगूसराय जिला से 111 केमरा प्राप्त हो गये हैं। इन्हें निदेश दिया गया कि वे दिनांक 14.4.2009 को मजहरूल हक एकता भवन मे इन पर प्रतिनियुक्त कर्मियों को बुलायें ताकि इन्हें आवश्यक प्रशिक्षण दिया जा सके।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

10.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1380 /सी
छपरा,दिनांक 10 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ अंचल अधिकारी, गड़खा/ कार्यपालक

पदाधिकारी, नगर निगम, छपरा, अर्द्ध सैनिक कोषांग, मीडिया कोषांग, राजकीय कोष, ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण/ अंचल अधिकारी, अमनौर/ परिचारी प्रवर/ जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, छपरा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10.4.

(डा0 बी राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक / सी
छपरा, दिनांक अप्रैल, 2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

10.4.

(डा0 बी राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्द्र, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण छपरा की अध्यक्षता में दिनांक 11-4-2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सारण
3-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र।
4-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन कोषांग
5-	श्री महेन्द्र सिंह	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग
6-	श्री सूर्य नारायण सिंह	जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण
7-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
8-	श्री सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग
9-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
10-	श्री कमरूज्जमां	कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर छपरा
11-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण
12-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग
13-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
14-	श्री चन्देश्वर राम	कार्यपालक अभियन्त, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा
15-	श्री अजय कुमार	जिला अवर निबंधक, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, छपरा
16-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग
17-	श्री नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विगत बैठकों मे दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा किया और उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिये गयेः-

1- प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग को निदेश दिया गया कि प्रभारी पदाधिकारी, आदर्श आचार संहिता-सह- शिकायत कोषांग से समन्वय स्थापित कर अब तक प्रेक्षकगण के माध्यम से प्राप्त शिकायतों को जिन पदाधिकारियों के पास जांच हेतु भेजा गया है उनसे प्रतिवेदन 24 घंटा के अंदर मांग लिया जाय और इसे जिला दण्डाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी के मंतव्य के साथ संबंधित प्रेक्षक महोदय के पास भेंज दिया जाय।

2- प्रभारी पदाधिकारी, वज्रगृह कोषांग को निदेश दिया गया कि वे अपनी Micro planning अविलंब उपस्थापित करें।

3-प्रभारी पदाधिकारी मतपत्र कोषांग को यह भी निदेश दिया गया कि 19- महाराजगंज और 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिये मुद्रित Tender Ballot paper और Postal Ballot paper के अतिरिक्त 2 मतपत्र रद्द करके निर्वाचन आयोग को अविलंब भेजवाना सुनिश्चित करेंगे।

4- प्रभारी पदाधिकारी, Digital Camera कोषांग ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिला से केमरा और आयुक्त महोदय के यहां से कुल 10 केमरा दिनांक 12.4.2009 तक प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुयी है। इनको मिलाकर जिला मे लगभग 260 केमरा मतदान केन्द्रों पर भेजने के लिये उपलब्ध हो जायेंगे।

5- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निदेश दिया कि Digital Camera Operators, Videographers तथा Micro Observers को अग्रिम संबंधित प्रखंड स्तर से दिया जायेगा।

6- प्रभारी पदाधिकारी, Digital Camera कोषांग को निदेश दिया गया कि वे केमरा के लिये चार्जर और Memory Card अविलंब मंगवा लें। उन्हें यह बताया गया कि दिनांक 15.4.2009 को राम जयपाल महाविद्यालय, छपरा मे Digital Camera operators को प्रशिक्षण दे कर सभी से संबंधित प्रखंड मुख्यालयों मे भेज दिया जायेगा।

7- श्री अजय कुमार शर्मा, प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग ने बताया कि कुल 8 कंपनी अर्द्ध सैनिक बल जिला मे आ चुके हैं। सभी आवासन स्थलों पर आवश्यक सुविधायें यथा चापाकल, जेनेरेटर, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर दी गयी है।

8- प्रभारी पदाधिकारी, बिहार गृह रक्षा वाहिनी ने बताया कि एल एन बी स्कूल और लोकमान्य उ. वि. के प्रधानाध्यापक विद्यालय का ताला नहीं खोल रहे हैं। श्री शर्मा, प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग को आदेश दिया गया कि वे अविलंब विद्यालय उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करें।

9- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि अर्द्ध सैनिक बलों के लिये जेनेरेटर की व्यवस्था संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा और बिहार सैन्य बल तथा गृहरक्षकों के लिये जेनेरेटर की व्यवस्था उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी।

10- उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को पूर्व मे आदेश दिया गया था कि वे 3.00 लाख रूपये कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा को उपलब्ध करा दें किन्तु यह राशि उन्हें प्राप्त नहीं हो सकी है। उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया कि वे दिनांक 12.4.2009 को निश्चित रूप से यह राशि उपलब्ध करा दें।

11- प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग ने बताया कि मतदाता सूची की त्रुटियों का निराकरण करने के उपरान्त संशोधित मतदाता सूची उन्हें प्राप्त हो चकी है। आज 19-महाराजगंज लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के सभी 4 विधानसभा खण्डों और 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के 06 विधानसभा खण्ड की सामग्री प्रखंड मुख्यालयों मे भेजी जा चुकी है। शेष सामग्री भी दिनांक 12.4.2009 तक संबंधित प्रखण्ड मुख्यालयों मे भेज दी जायेगी।

12- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने प्रभारी पदाधिकारी, सामगी कोषांग को आदेश दिया कि दिनांक 12.4.2009 को सभी सामग्री प्रेषित करने के उपरान्त वे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से दूरभाष पर वार्त्ता कर पता करें कि मतदाता सूची मे कोई त्रुटि तो नहीं है। यदि किसी प्रखंड से किसी प्रकार की त्रुटि की सूचना प्राप्त होती है तो अविलंब उसे दूर कराने की कार्रवाई की जाए। यह कार्य जिला नियंत्रण कक्ष मे प्रतिनियुक्त बाल विकास

परियोजना पदाधिकारियों द्वारा भी किया जायेगा और वे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों से जानकारी कर प्रतिवेदन सांध्य बैठक मे उपस्थापित करेंगी।

13- उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को निम्नलिखित निदेश दिये गये:-

13.1 ई वी एम सीलिंग के दिन लगाये गये जेनेरेटर, लाईट, पंखा, कुर्सी, टेबल इत्यादि के विपत्र तुरंत संचिका मे उपस्थापित कर उनकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

13.2 अब तक सरकार से प्राप्त राशि और संभावित व्यय का आकलन कर लें और अतिरिक्त राशि की अधियाचना सरकार के पास अविलंब प्रेषित की जाय।

13.3 पर्दानशीन महिलाओं की पहचान करने वाले कार्मिकों, Digital Camera Operators, Micro observers, Video graphers, Voters Booth Assistants को कितनी राशि का भुगतान करना है, इसका निर्णय करा लें।

13.4 मतदानकर्मियों को अग्रिम प्रदान करने हेतु राशि जिला स्तर से प्रखंडो मे भेजी जायेगी। इस हेतु प्रखंड से कर्मी जिला मे नहीं बुलाये जायेंगे। उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि दिनांक 14.4.2009 को सभी प्रखंडो मे अग्रिम राशि भेजने हेतु पदाधिकारियों और 3 सेक्शन बल की व्यवस्था अविलंब कर ली जाय।

13.5 पेट्रोल पम्प मालिकों को ईधन मद मे अग्रिम राशि उपलब्ध करा दें। पम्प मालिकों को यह बतायें कि इस राशि के अतिरिक्त और भी राशि अग्रिम स्वरूप दी जायेगी।

14- प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग ने सूचित किया कि वाहन कोषांग मे पकड़े गये वाहनों के चालकों द्वारा खाना बनाने के लिये किरासन तेल की मांग की जा रही है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा को निदेश दिया कि चूँकि अर्द्ध सैनिक बलों के उपयोग हेतु सरकार से आवंटित किरासन तेल का कोई उपयोग नहीं हो रहा है अतएव यदि वाहन कोषांग द्वारा किरासन तेल की मांग की जाती है तो सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर उपलब्ध कराने की कार्रवाई करें।

15- अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा-सह-विशेष पदाधिकारी, कृषि उत्पादन बाजार समिति, छपरा (विघटित) को निदेश दिया गया कि वज्रगृहों के जिन दरवाजों की कुंडी टूटी हुयी है, उसकी मरम्मत दिनांक 15.4.2009 के पूर्व करवाना सुनिश्चित करें।

16- प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग को निदेश दिया गया कि मतदान कर्मियों को विभिन्न प्रखंडो मे भेजने हेतु वाहनों की व्यवस्था दिनांक 14.4.2009 को राजेन्द्र स्टेडियम के पास करना सुनिश्चित करेंगे।

17- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कम से कम 25 वाहन अविलंब वाहन कोषांग को उपलब्ध कराने हेतु पुनः स्मारित करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग को दिया गया।

18- श्री कमरूज्जमा, कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष को आदेश दिया गया कि सभी Micro observers को जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, अन्य जिला

...पदाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, सेक्टर पदाधिकारी, ...कगण तथा अन्य ... चपूर्ण
...क्रमांक नम्बर संकलित कर उपलब्ध करा दें।

अन्त में धन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(डा0 बी. राजेन्दर) 11.4.2009
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1397 / सी
छपरा, दिनांक 11 अप्रैल, 2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ जिला नियंत्रण कक्ष/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ मीडिया कोषांग/ सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ जिला प्रवर निबंधक, सारण/ अंचल अधिकारी, अमनौर/ परिचारी प्रवर/ जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी, छपरा एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डा0 बी. राजेन्दर) 11.4.2009
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1397 / सी
छपरा, दिनांक अप्रैल, 2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 बी. राजेन्दर) 11.4.2009
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता मे दिनांक 11.4.2009 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारीगण के साथ संपन्न Communication plan की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1- डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से. जिला दण्डाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी
2- कमरूज्जमा कार्यपालक दण्डाधिकारी-सह-प्रभारी नियंत्रण कक्ष
3- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी छपरा ग्रामीण
4- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एकमा
5- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मांझी
6- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनियापुर
7- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परसा
8- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अमनौर
9- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सोनपुर
10- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दरियापुर
11- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गड़खा

जिला दण्डाधिकारी-सह- निर्वाचन पदाधिकारी ने बैठक मे निम्नलिखित निदेश दियाः-

1- दिनांक 12.4.2009 से नियंत्रण कक्ष मे Tracking team अवश्य उपलब्ध रहनी खहिये ताकि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष के सहयोग से उक्त सूचना की जांच की जा सके।

2- बाल विकास परियोजना पदाधिकारीगण को निदेश दिया गया कि प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये कम से कम 2 टेलीफोन नंबर अवश्य होना चाहिये।

3- बाल विकास परियोजना पदाधिकारीगण को निदेश दिया गया कि वे प्रातः 9.30 बजे अवश्य अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित हो जाया करें।

4- यह भी निदेश दिया गया कि दिनांक 13.4.2009 तक सभी मतदान केन्द्रों सेक्टर पदाधिकारियां और BLO के टेलीफोन नंबर का अवश्य सत्यापन कर लिया जाय।

5- दिनांक 14.4.2009 को इस बात की जांच कर ली जाय कि संबंधित मतदान केन्द्रों पर मतदान दल पहुँचे हैं या नहीं।

6- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश निर्गत किया जाय कि वे अपने प्रखंड मे नियंत्रण कक्ष का संचालन प्रारंभ कर दें।

7- श्री रवीन्द्र सिंह, सहायक गोदाम प्रबंधक, इसुआपुर, श्री हीरा लाल गुप्ता, कनीय अभियन्ता, इसुआपुर और श्री राम लखन पूर्वे, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, मशरख के मोबाईल नंबर बन्द पाये गये। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया।

8- महिला हेल्प लाईन के कक्ष को साफ सुथरा कराने का निदेश दिया गया।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1396 / सी
छपरा,दिनांक 11 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1396 / सी
छपरा,दिनांक 11 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता मे दिनांक 12.4.2009 को बाल विकास परियोजना पदाधिकारीगण के साथ संपन्न Communication plan की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1- डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से. जिला दण्डाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी
2- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी छपरा ग्रामीण
3- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एकमा
4- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मांझी
5- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बनियापुर
6- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परसा
7- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी अमनौर
8- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सोनपुर
9- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी दरियापुर
10- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गड़खा
11- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मढ़ौरा

जिला दण्डाधिकारी-सह- निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों से आज कृत कार्यो के विवरण की जानकारी प्राप्त किया। स्थिति निम्नवत पायी गयीः-

1- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी गड़खा, छपरा, परसा, बनियापुर, दरियापुर ने बताया कि उनके Communication plan मे अंकित लगभग सभी व्यक्तियों से बात करने का प्रयास किया गया किन्तु अनेक नंबर गलत पाये गये। बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों ने सेक्टर पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि इन नंबरों के बदले अन्य नंबर उपलब्ध कराये जांय। सेक्टर पदाधिकारियों ने दिनांक 13.4.2009 तक अन्य नंबर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

2- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मढ़ौरा ने बताया कि 119 मे से 73 लोगों ने फोन नही उठाया। यह अविश्वसनीय प्रतीत होता है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 13.4.2009 को पुनः प्रयास करें।

3- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सोनपुर ने बताया कि 135 मे से 27 नंबर सही नहीं पाये गये और इन्हें बदलने की आवश्यकता है। उन्होने बताया कि सेक्टर पदाधिकारियों से सही नंबर प्रदान करने का अनुरोध किया गया है तथा कुछ नंबर प्राप्त भी हो चुके हैं और इन्हें सुधार दिया गया है।

4- बाल विकास पदाधिकारी अमनौर ने बताया कि 40 नंबर गलत थे। सेक्टर पदाधिकारियो से अनुरोध किया जाय कि वे सही नंबर उपलब्ध करा दें।

5- Communication plan से संबंधित पदाधिकारियों की एक Briefing दिनांक 13.4.2009 को प्रातः 10 बजे से करने का निर्णय लिया गया।

6- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को निदेश दिया कि गलत नंबरों को सही नंबरों से Replace कर सूचित करें ताकि इन आंकड़ों को Upload किया जा सके।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

(डा0 बी0 राजेन्दर) 12.4.2009
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1425 / सी
छपरा,दिनांक 12 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि सभी संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डा0 बी0 राजेन्दर) 12.4.2009
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1425 / सी
छपरा,दिनांक 12 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 बी0 राजेन्दर) 12.4.2009
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से. जिला दण्डाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदधिकारी, सारण की अध्यक्षता मे दिनांक 13.4.2009 को संपन्न 19-महाराजगंज और 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के Communication Plan संबंधी बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिला दण्डाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
2-	प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सारण
3-	मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण
4-	पुनीता श्रीवास्तव	जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण
5-	महेन्द्र सिंह	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण
6-	सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा
7-	वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण
8-	कमरूज्जमा	कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर छपरा
9-	नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
10-	प्रभाकर प्रसाद सिंह	जिला लेखा पदाधिकारी, सारण
11-	श्री एस एन पाठक	पंजाब नैशनल बैंक, छपरा
12-	मुकुल कुमार सिंह	भारतीय जीवन बीमा निगम, छपरा
13-	विष्णु कान्त झा	कार्यपालक अभियन्ता, सारण नहर प्रमण्डल छपरा
14-	राजेश चन्द्रा	बैंक ऑफ इंडिया, छपरा
15-	विभूति नारायण शर्मा	भारतीय स्टेट बैंक, छपरा
16-	मुस्तफा जमाल	प्रोग्राम पदाधिकारी, मशरख
17-	शशि शेखर सिंह	प्रोग्राम पदाधिकारी, दिघवारा
18-	आभा कुमारी	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मढ़ौरा
19-	रूपम रानी	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, परसा

2- जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण ने उपस्थित पदाधिकारियों को Communication Plan की महत्ता और संपादित किये जाने वाले कार्यो से अवगत कराया। उन्होने बताया कि मतदान के दिन के पहले दो घंटे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों को मतदान के दिन 16.4.2009 को प्रातः 6 बजे नियंत्रण कक्ष मे योगदान करना होगा तथा संबंधित सेक्टर दण्डाधिकारियों से निम्नलिखित सूचनायें अविलंब प्राप्त करनी होंगीः-

2.1 उनके क्षेत्र के सभी मतदान केन्द्रों पर Mock Poll प्रारंभ हुआ या नहीं।
2.2 Mock Poll के समय कितने अभिकर्त्ता उपस्थित थे।
2.3 मतदान कितने बजे प्रारंभ हुआ।
2.4 EVM चालू हुयी या नहीं।

3- प्रतिनियुक्त पदाधिकारी सेक्टर पदाधिकारियों से उपर्युक्त चार विन्दुओं पर सूचना प्राप्त कर जिला नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकारी कमरूज्जमा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर छपरा को अवगत करायेंगे और श्री कमरूज्जमा इसे निर्वाचन आयोग और अन्य पदाधिकारियों के पास प्रातः 7.30 बजे पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे।

4- यदि जिला के सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान प्रारंभ होने की सूचना 7.30 बजे के पूर्व नहीं प्राप्त हो पाती है तो भी जितनी सूचना प्राप्त हुयी है उसे ससमय भेज दिया जाय। शेष मतदान केन्द्रों के बारे मे सूचना प्राप्त होने पर बाद मे प्रेषित किया जाय।

5- उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया कि वे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को वितन्तु प्रेषित कर सूचित करें कि सभी Micro observers तथा पीठासीन पदाधिकारियों का मोबाईल नंबर वे अवश्य प्राप्त कर लेंगे।

6- उप निर्वाचन पदाधिकारी को यह आदेश भी दिया गया कि वे जिला नियंत्रण कक्ष मे एक फैक्स मशीन और एक WLL फोन अविलंब लगवा दें।

7- उप निर्वाचन पदाधिकारी को जिला नियंत्रण कक्ष मे 10 अन्य फोन भी लगवाने का आदेश दिया गया।

8- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को निदेश दिया कि वे शिकायतें प्राप्त होने पर उनके निराकरण हेतु भी त्वरित कार्रवाई करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निदेशित करेंगे।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Mejendra 13.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

ज्ञापांक 1440 / सी
छपरा,दिनांक 13. अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा/ श्री कमरूज्जमा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी Communication Team पदाधिकारीगण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Mejendra 13.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

ज्ञापांक 1440 / सी
छपरा,दिनांक 13. अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

Mejendra 13.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

जिला में उड़ान चेकरों की आवश्यकता के संबंध में
13/4/09 को सायंकाल स.नि.प. तथा निर्वाचन ड्यूटी
कर्मचारियों की बैठक की उपस्थिति -

1- जिलाधिकारी -
2- मुख्य विकास अधिकारी - 13/4
3- अपर कलक्टर -
4- जिला परिवहन पदा० - 13.4.09
5- जिला भू-अर्जन पदा० - 13.4.09
6- मुख्य कोषाधिकारी, भू. गु. प्रकोष्ठ - 13/4/09
7- जिला पंचायत राज पदा० - 13/4/09
8- [illegible] - 13/4/09
9- मुख्य निर्वाचन पदा० - 13/4/09
10- जिला लेखा पदा० - 13.4.09
11- श्री एल. एन. पाठक - [illegible]
12- " मुकुल कुमार सिंह - 13/4/09
13- श्री बी. के. झा, कार्य० अधि० - 13/4/09
14- श्री रोजश चन्द्रा - B.O. - 13.4.09
15- " बी. पी. शर्मा - 13/4/09
16- मुख्य नगर दण्डाधिकारी - P.O. मजिस्ट्रेट
17. शशि शेखर सिंह - P.O. सिधवारा 13/04/09

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिला दण्डाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे दिनांक 13-4-2009 को लोक सभा निर्वाचन-2009 के विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही

उपस्थितिः-

	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
1-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त,सारण
2-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण
3-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, परिवहन कोषांग
4-	श्री महेन्द्र सिंह	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता कोषांग
5-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
6-	श्री सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा सह प्रभारी पदाधिकारी प्रशिक्षण कोषांग
7-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
8-	श्री कमरूज्जमां	कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर छपरा
9-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण
10-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी मीडिया कोषांग
11-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
12-	श्री चन्देश्वर राम	कार्यपालक अभियन्त, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा
13-	श्री अजय कुमार	जिला अवर निबंधक, सारण-सह-प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग, छपरा
14-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी डिजिटल केमरा कोषांग
15-	श्री अनिल कुमार	प्रेक्षक कोषांग
16-	श्री विपिन बिहारी सिंह	प्रेक्षक कोषांग
17-	श्री नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
18-		

जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने विगत बैठकों मे दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा किया और उपस्थित पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिये गयेः-

1- प्रेक्षक कोषांगः-

1.1 श्री अनिल कुमार, प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग को बताया गया कि श्री भाष्कर आनन्द, प्रेक्षक दिनांक 15.4.2009 की रात्रि मे सोनपुर मे विश्राम करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर को निदेश दिया गया कि वे जिला परिषद डाकबंगला मे प्रेक्षक महोदय के आवासन, जेनेरेटर, भोजन इत्यादि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। श्री अनिल कुमार को निदेश दिया गया कि अनुमण्डल पदाधिकारी सोनपुर से समन्वय स्थापित कर सारी व्यवस्था ससमय पूर्ण करायेंगे।

1.2 श्री गणेश शंकर मिश्र, प्रेक्षक, महाराजगंज भी दिनांक 16.4.2009 को छपरा मे विश्राम करेंगे। प्रभारी पदाधिकारी, प्रेक्षक कोषांग को लोक निर्माण विभाग निरीक्षण गृह मे सारी तैयारियां ससमय पूर्ण करने का निदेश दिया गया।

1.3 पुलिस अधीक्षक, सारण से अनुरोध किया गया कि मतदान के दिन यदि प्रेक्षकगण द्वारा पुलिस स्कोर्ट की मांग की जाती है तो तदनुसार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

1.4 प्रभारी पदाधिकारी प्रेक्षक कोषांग को निदेश दिया गया कि जो भी व्यय उनके द्वारा किया जाता है, उसका विपत्र अविलंब पारित करवा लिया करें।

2- सामग्री कोषांगः-

2.1 श्री अंजनी कुमार सिन्हा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सह प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग ने बताया कि आज दिनांक 13.4.2009 को उन्होने एकमा, मांझी, बनियापुर, श्री अजय कुमार सिन्हा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सोनपुर, गड़खा, परसा तथा श्री ओम प्रकाश मण्डल अधीक्षक उत्पाद ने अमनौर, मढ़ौरा और तरैया प्रखंडो का भ्रमण कर सामग्रियों की जांच किया है। यह पाया गया कि बनियापुर और गड़खा मे 5-6 मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची ठीक नहीं है। इसे अविलंब ठीक करा लिया जाय।

2.2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सामग्री कोषांग द्वारा योजनाबद्ध रूप मे ससमय कार्य संपन्न करने के लिये सामग्री कोषांग मे प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/ कर्मचारियों की सराहना की और इसके लिये उन्हें विशेष रूप से धन्यवाद दिया।

3- अर्द्ध सैनिक बल कोषांगः-

श्री अजय कुमार शर्मा, प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोषांग ने बताया कि सारण जिला मे बाहर से आने वाले सभी बल आ चुके हैं। इनके लिये सारी व्यवस्थायें यथा जेनेरेटर, चापाकल, शौचालय इत्यादि की व्यवस्था कर दी गयी है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निदेश दिया गया कि अर्द्ध सैनिक बलों को सरकार द्वारा निर्धारित सारी सुविधायें अवश्य उपलब्ध करायी जांय। इसमे किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जायेगा।

4- आदर्श आचार संहिता- सह- शिकायत कोषांगः-

श्री महेन्द्र सिंह, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी ने अब तक प्राप्त शिकायतों के निष्पादन और उनकी अद्यतन स्थिति का कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया जब कि इसके लिये इन्हें कई बार निदेश दिये गये है। जिलाधिकारी ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया और उन्हें पुनः निदेश दिया कि अब तक प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर लें और आज ही प्रतिवेदित करें कि प्राप्त शिकायतों पर उनके कोषांग द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है और ये निष्पादन हेतु किस स्तर पर लंबित हैं।

5- विविधः-

5.1 श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग को निदेश दिया गया कि वे जिला परिवहन पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग और जिला निर्वाचन कार्यालय से समन्वय स्थापित कर दिनांक 14.4.2009 को मतदानकर्मियों को विभिन्न प्रखंडो मे भेजने हेतु राजेन्द्र स्टेडियम मे बस, लाउडस्पीकर की व्यवस्था करायें ताकि मतदानकर्मियों को वाहन हेतु इधर उधर भटकना नहीं पड़े।

5.2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि अब तक निर्वाचन का कार्य ठीक चल रहा है किन्तु गड़खा प्रखंड की स्थिति अच्छी नहीं है। उन्होने श्री सुरेन्द्र झा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा को आदेश दिया कि वे दिनांक 14.4.2009 को गड़खा जा कर वहां पर निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा कर स्थिति मे सुधार लाने हेतु कदम उठाते हुये संध्या समय कृत कार्रवाई से अवगत करायें।

5.3 जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने श्री हरेन्द्र सिंह, प्रभारी पदाधिकारी, ई वी एम कोषांग को आदेश दिया कि वे रिजर्व ई वी एम को वाहन द्वारा संबंधित प्रखंडो मे अविलंब भेजवा दें और प्रशिक्षण हेतु उन्हें दिया गया ई वी एम वापस मंगवा लें।

5.4 जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निदेश दिया कि मतदान के दिन 16.4.2009 को प्रेस प्रतिनिधियों के सम्पूर्ण जिला मे वाहन परिचालन की अनुमति अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा द्वारा प्रदान की जायेगी। पूर्व मे इस संबंध मे निर्गत आदेश को इस अंश तक संशोधित समझा जाय।

5.5 यह निर्णय लिया गया कि मतदान की समाप्ति के पश्चात वीडियोग्राफी मे प्रयुक्त सभी वीडियो केमरे श्री मुश्ताक अहमद नूरी, जिला जसंपर्क पदाधिकारी-सह-प्रभारी पदाधिकारी, द्वारा मीडिया कोषांग मे प्राप्त किया जायेगा जो इसकी सी डी बनवा कर दिनांक 17.4.2009 को उपस्थापित करेंगे।

5.6 यह निर्णय लिया गया कि दिनांक 16.4.2009 को मतदान के दिन Communication Plan के प्रभार मे श्री सुरेन्द्र झा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा और श्री कमरूज्जमा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर छपरा रहेंगे।

5.7 प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग को निदेश दिया गया कि वीडियोग्राफरों को पटना से लाने और विभिन्न विधानसभा खण्ड मुख्यालयों मे पहुँचाने तथा डिजिटल केमरा संचालन करने वालों को विभिन्न विधानसभा खण्ड मुख्यालयों मे पहुँचाने हेतु समुचित बस उपलब्ध करा दें।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

13.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1438 / सी
छपरा,दिनांक 13. अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ आदर्श आचार संहिता कोषांग/ डिजिटल केमरा कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ व्यय लेखा कोषांग/ सामग्री कोषांग/ जिला नियंत्रण कक्ष/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ मीडिया कोषांग/ सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ जिला

अवर निबंधक, सारण/ अंचल अधिकारी, अमनौर/ परिचारी प्रवर एवं अन्य संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1438 / सी
छपरा,दिनांक 13. अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से. जिला दण्डाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदधिकारी, सारण की अध्यक्षता मे दिनांक 13.4.2009 को अर्द्धसैनिक बल के पदाधिकारियों के सथ संपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिला दण्डाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
2-	संजय सिंह	पुलिस अधीक्षक, सारण
3-	प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सारण
4-	मकिना सिंह राय	सहायक कमांडेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल
5-	कंपनी कमाण्डर	होमगार्ड, गगानगर
6-	एस एस चटर्जी	निरीक्षक, पश्चिम बंगाल पुलिस
7-	बाबू राम	सहायक कमांडेन्ट, सीमा सुरक्षा बल
8-	एल पी उपाध्याय	सहायक कमांडेन्ट, एस एस बी
9-	आर पी एस राठी	सहायक कमांडेन्ट, सीमा सुरक्षा बल
10-	एस एन सिंह	निरीक्षक, पश्चिम बंगाल पुलिस
11-	प्लाटून कमांडर	होम गार्ड गंगानगर
12-	रवीन्द्र	पश्चिम बंगाल सीमा रक्षक
13-	राकेश	सहायक कमांडेन्ट
14-	उदय शंकर	

अर्द्ध सैनिक बलों के अन्य पदाधिकारीगण

2- श्रीमती राय, सहायक कमांडेन्ट, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी को बताया कि तरैया उनकी कंपनी का आवासन मध्य विद्यालय तरैया मे हैं किन्तु वहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां पर शौचालय भी एकमात्र है जिससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कार्यपालक अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य प्रमण्डल, छपरा को निदेश दिया कि वे तुरंत स्थल पर जांय और आज ही सभी आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- सहायक कमांडेन्ट, सी आर पी एफ ने बताया कि बताया कि अंचल अधिकारी मढ़ौरा द्वारा उनके वाहन मे ईधन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी, मढ़ौरा को अविलंब ईधन उपलब्ध कराने का निदेश दिया।

4- जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को बताया कि यथासंभव उनके आवासन स्थल से समीप के मतदान केन्द्र पर ही उनकी प्रतिनियुक्ति की गयी है। Deployment Plan दिनांक 14.4.2009 को उन्हें उपलब्ध करा दिया जायेगा।

5- उपस्थित पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निम्नलिखित निदेश दियाः-

5.1 मतदान प्रारंभ होने के बाद उन्हें लगातार भ्रमणशील रहना है ताकि स्वच्छ और शान्तिपूर्ण मतदान संपन्न कराया जा सके।

5.2 संवेदनशील मतदान केन्द्रों की सूची संबंधित थानाध्यक्ष द्वारा अर्द्ध सैनिक बल के कमांडर को उपलब्ध करा दी जायेगी।

5.3 यदि किसी भवन मे दो मतदान केन्द्र स्थित हैं तो वहां प्रतिनियुक्त बल को इन दोनो मतदान केन्द्रों पर नजर रखना होगा।

6- जिन प्रखंडो मे अर्द्ध सैनिक बल आवासित हैं उनके प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे सभी आवश्यक टेलीफोन/ मोबाईल नंबर यथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, गृह सचिव, आयुक्त, क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्त्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी, सेक्टर पदाधिकारी, थानाध्यक्ष इत्यादि के नंबर संबंधित अर्द्धसैनिक बल के कमांडेन्ट को अविलंब उपलब्ध करा दें।

7- जिलाधिकारी, सारण ने अपना मोबाईल नंबर 9431008346 और पुलिस अधीक्षक, सारण ने अपना मोबाईल नंबर 9431822989 सभी उपस्थित पदाधिकारियों को बताते हुये कहा कि किसी भी कठिनाई और आकस्मिक स्थिति मे वे इस पर संपर्क कर सकते हैं।

6- सभी उपस्थित पदाधिकारियों को बताया कि उन्हें द्वितीय चरण के मतदान वाले जिलो मे जाने के लिये दिनांक 17.4.2009 को प्रातः वाहन उपलब्ध करा दिया जायेगा।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

13.4

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

ज्ञापांक 1439 / सी
छपरा,दिनांक 13. अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, अर्द्ध सैनिक बल कोष्ससंग, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी कमांडेन्ट, अर्द्ध सैनिक बल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13.4

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

ज्ञापांक 1439 / सी
छपरा,दिनांक 13. अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

13.4

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिला दण्डाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

को CPMF के पदाय के लाभ देने के संबंध में

सूचना (कार्य) :-

1- जिलाधिकारी,

2- पुलिस अधीक्षक,

3- उप विकास आयुक्त - 13/4

4- अन्य पदाय गण - 13/4/09

5- [illegible]

6- [illegible]

7- [illegible]

8. L. P. Upadhyay — 13/4/09
AAC. SSR.

9 RPS RATHEE, AC
J-I, BSF 13/04/09

10 Ramesh
11 [illegible]
12 [illegible]
13 [illegible]
14 [illegible]
15 [illegible] 13.4.09
16 Sib Shankar Chatterji
M.M - 9874691987 Inspector of Weights Bengal Police 13.4.09.
17 Babu Ram AC
128 NDRF (BSF) 13/4/09

सारण समाहरणालय,छपरा
(कार्मिक कोषांग)

आ दे श -

लोकसभा निर्वाचन-2009 के अवसर पर 19-महाराजगंज और 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे दिनांक 16.4.2009 को मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है। 19-महाराजगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे 113-एकमा, 114-मांझी, 115-बनियापुर और 116-तरैया तथा 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे 117-मढ़ौरा, 118- छपरा 119-गड़खा (अ.जा.), 120-अमनौर 121-परसा और 122- सोनपुर विधानसभा खण्ड आते हैं। सभी मतदान केन्द्रों पर स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण वातावरण मे मतदान संपन्न कराने हेतु संलग्न परिशिष्ट के अनुसार सुपर जोन का गठन किया जाता है। इन सुपर जोनल दण्डाधिकारियों के निम्नवत् कर्त्तव्य होंगेः-

1- सभी सुपर जोनल दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि वे दिनांक 14.4.2009 को 2 बजे अपराह्न तक संबंधित सुपर जोन मे अपना योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। योगदान के पश्चात आवंटित क्षेत्र के संबंध मे संयुक्त रूप से भ्रमण करना एवं प्रत्येक मतदान केन्द्र का निरीक्षण करना इनका दायित्व होगा। वे यह भी देखेंगे कि प्रत्येक मतदान केन्द्र पर पेयजल की व्यवस्था और फर्नीचर की व्यवस्था हो गयी है। यदि मतदान केन्द्र के पास कोई दूरभाष हो तो उसका नंबर भी नोट कर लेंगे। इसके अतिरिक्त दिनांक 15.4.2009 को क्षेत्र का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मतदान दल मतदान केन्द्रों पर पहुँच चुके हैं तथा जिला नियंत्रण कक्ष को संध्या 7 बजे तक इसकी सूचना दूरभाष पर देंगे।

2- EVM की सुरक्षा और प्रबंधनः-

1- मतदान केन्द्रो पर भेजी जा रही सभी मशीनो की जांच यद्यपि की जा चुकी है और सामान्यतः इनमे कोई खराबी आने की संभावना नहीं है परंतु अपरिहार्य स्थिति मे यदि मशीन चालू नहीं हो अथवा मतदान प्रकिया के दौरान खराब हो जाय या अन्य किसी कारण से मशीन से मतदान की प्रकिया को आगे चालू रखना संभव नहीं हो तो इस आकस्मिक स्थिति मे प्रत्येक सेक्टर पदाधिकारी को सुरक्षित EVM उपलब्ध कराई जा रही है। सुपर जोनल पदाधिकारी अविलंब संबंधित सेक्टर दण्डाधिकारी को निदेशित करेंगे कि वे संबंधित मतदान केन्द्र पर पहुँच कर खराब EVM को Replace करवा दें। मशीन ठीक नहीं होने की स्थिति मे वे आधे घंटे के अंदर अपने पास रखी सुरक्षित मशीन से उसको प्रतिस्थापित करेंगे किन्तु इसके पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि मतदान केन्द्र पर पूर्व से आवंटित मशीन कार्य करने की स्थिति मे नहीं है। मशीन प्रतिस्थापित करने के बाद वे संबंधित पीठासीन पदाधिकारी से इसकी रसीद प्राप्त कर लेंगे। इसके

अतिरिक्त सुपर जोनल पदाधिकारीगण को भी सुरक्षित EVM उपलब्ध कराये जा रहे हैं जिनका उपयोग वे अपने विवेक और आवश्यकतानुसार करेंगे। सुपर जोनल दण्डाधिकारीगण का यह दायित्व होगा कि दिनांक 14.4.2009 को EVM वज्रगृह से सुरक्षित मशीनो को प्राप्त कर लें एवं अपनी अभिरक्षा मे रखें। इसकी सूचना सेक्टर दण्डाधिकारी और सुपर जोनल पदाधिकारी अविलंब संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी/ जिला निर्वाचन पदाधिकारी को भी देंगे ताकि वज्रगृह मे मशीन जमा करने के समय कोई कठिनाई नहीं उत्पन्न होने पाये। किसी भी स्थिति मे मतदान 30 मिनट से अधिक बाधित नहीं होना चाहिये।

3- संचार व्यवस्थाः-

जिले के सभी वितन्तु संवाद केन्द्र दिनांक 14.4.2009 से EVM के वज्रगृह मे जमा होने तक लगातार खुले रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक जोन/ सबजोन/ सेक्टर क्षेत्र मे दूरभाष केन्द्र अवस्थित है। संलग्न परिशिष्ट मे सुपर जोनल दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी के मोबाईल नंबर दिये गये हैं। जोन/ सबजोन/ सेक्टर प्रभारी का यह दायित्व होगा कि वे एक दिन पूर्व मतदान केन्द्रो के आस पास अवस्थित दूरभाष केन्द्रो को चिन्हित कर उनका नंबर नोट कर लें तथा मतदान के दिन इन उपलब्ध दूरभाष पी0 सी0 ओ0 के माध्यम से अपने सेक्टर के सभी मतदान केन्द्रो के प्रबंधन का पर्यवेक्षण करेंगे। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी मतदान केन्द्र पर प्रबंधन के फलस्वरूप मतदान प्रकिया बाधित नहीं हो।

4- मतदान के लिये दिशा निर्देशः-

1- मतदान प्रातः 7 बजे से संध्या 5 बजे तक होगा।

2- 5 बजे संध्या तक लाईन मे खड़ा होने वाले सभी व्यक्तियों को मतदान का अधिकार होगा।

3- मतदाता के पास फोटो परिचय पत्र उपलब्ध नहीं होने की स्थिति मे भी समुचित पहचान पर मतदाता को मताधिकार का प्रयोग करने दिया जायेगा।

4- मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि मे काई भी मोबाईल फोन, कार्डलेस फोन का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।

5- मतदान गर्मी के मौसम मे हो रहा है अतएव मतदाताओं को सुझाव दिया जाय कि वे अपने साथ नम तौलिया ले जांय तथा महिलायें अपने साथ यथासंभव छोटे बच्चो को न ले जाय।

5- सुरक्षा व्यवस्था/ आदर्श आचार संहिताः-

1- कोई भी प्रत्याशी,मतदाता या एजेंट सुरक्षा गार्ड ले कर मतदान केन्द्र मे प्रवेश नहीं करेंगे।

2- प्रत्याशी का कैम्प मतदान केन्द्र से 200 मीटर की दूरी पर होगा जिसमे एक टेबल और दो कुर्सी और गर्मी बरसात से बचान हेतु तिरपाल के अलावा और कुछ नहीं होगा।

3- प्रत्याशी के कैम्प मे कोई झण्डा पोस्टर नहीं होगा और इसमे भीड़ इकट्ठा नहीं होने दिया जायेगा।

5- मतदाता पर्ची मे किसी पार्टी का नाम नहीं होगा।

6- कोई मंत्री/ सांसद (यदि वे दस मतदान केन्द्र से संबंधित मतदाता नहीं है) मतदान केन्द्र के भीतर नहीं जायेंगे।

7- मतदान केन्द्रों के पास लाउडस्पीकर नहीं बजेगा।

8- चुनाव से संबंधित पदाधिकारियों और प्रेस से जुड़ी गाड़ियों (जिनका परमिट जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, सारण अथवा श्री कुमार अंशुमाली, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा निर्गत किया गया हो) के अतिरिक्त अन्य कोई गाड़ी नहीं चलेगी ।

6- मतदान के दिन वाहनो का परिचालनः-

1- मतदान के दिन सभी प्रत्याशी पूरे निर्वाचन क्षेत्र के लिये एक वाहन, निर्वाचन अभिकर्त्ता के लिये एक वाहन और उनके समर्थक प्रत्येक विधानसभा खण्ड के लिये एक वाहन का उपयोग कर सकते हैं। इन वाहनो के लिये निर्गत परमिट को वाहन के अगले शीशे पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।

2- एक वाहन मे चालक के अतिरिक्त एक ही अधिकृत व्यक्ति बैठ सकते हैं। अगर इन व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति को विधिवत् सुरक्षा बल मिला है तो वे भी वाहन मे बैठ सकते हैं परंतु इसके अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति वाहन मे नहीं बैठ सकता है।

3- कोई भी वाहन मतदाताओं को मतदान केन्द्र पर वोट दिलाने के लिये ले जाने एवं ले आने के लिये उपयोग नहीं किया जायेगा। परमिट के बिना निम्नाकित वाहनो को छोड़कर अन्य गाड़ी का परिचालन निर्वाचन के दिन अर्थात 16.4.2009 को बन्द रहेगाः-

Brajesh

(i) आवश्यक सेवायें यथा अस्पताल की गाड़ी, एम्बुलेंस, डेयरी, पानी का टैंकर, आपातकालीन विद्युत संबंधी वाहन,कर्त्तव्य पर पुलिस वाहन तथा चुनाव कर्त्तव्य पर लगे सरकारी सेवक की गाड़ी।

(ii) यात्रियों के यातायात के लिये निश्चित स्थान से निश्चित स्थान पर जाने वाली गाड़ी, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, अस्पताल जाने के लिये गाड़ी,बीमार एवं असहाय को ले जाने वाली गाड़ियां।

उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य किसी भी गाड़ी का परिचालन दिनांक 16.4.2009 को बन्द रहेगा। यदि कोई ऐसा दृष्टान्त पाया जाय कि उपर्युक्त प्रावधानो का उल्लंघन हो रहा है तो संबंधित वाहन को जब्त कर वाहन मालिक के विरूद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

7- मतदान के दिन शराब की बिक्री पर प्रतिबंधः-

भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार सारण जिले मे 14 अप्रैल 2009 की संध्या 5 बजे से 16 अप्रैल की संध्या 5 बजे तक की अवधि को शराब बिक्री के लिये शुष्क दिवस घोषित किया जाता है। इस अवधि मे कोई भी व्यक्ति, होटल,शराब दूकानदार,क्लब आदि किसी भी प्रकार का शराब न तो बेंचेगा और न ही उपलब्ध करायेगा।

8- जिला नियंत्रण कक्षः-

जिला नियंत्रण कक्ष मे विधानसभा खण्डवार दस दूरभाष कार्यरत रहेंगे जिनके नंबर 113- एकमा के लिये- 245360, 114- मांझी के लिये- 245361, 115- बनियापुर के लिये- 245362, 116- तरैया के लिये- 245363, 117- मढ़ौरा के लिये- 245364, 118- छपरा के लिये- 245365, 119- गड़खा के लिये-245366, 120- अमनौर के लिये- 248462, 121- परसा के लिये- 248451 और 122- सोनपुर के लिये 248450 है। मढ़ौरा अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06159-231212 और सोनपुर अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06158-221170 रहेगा । इसके अतिरिक्त छपरा सदर अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष भी दूरभाष संख्या उपर्युक्त दस दूरभाषों पर ही कार्य करेगा। प्रत्येक नियंत्रण कक्ष मे विधानसभा खण्डवार एक एक शिकायत पंजी रहेगी जिसमे प्राप्त होने वाली शिकायतों और उस पर कृत कार्रवाई का ब्योरा अंकित किया जायेगा। इन नियंत्रण कक्षो मे रोस्टर के अनुसार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कार्मिक कोषांग/ संबंधित अनुमण्डल दण्डाधिकारी द्वारा की जायेगी। यहां प्रतिनियुक्त कर्मी ध्यान देंगे कि यदि EVM मशीन से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वे संबंधित

सेक्टर प्रभारी को अविलंब इस बारे मे सूचित करेंगे जहां से तकनीकी विशेषज्ञ अविलंब उक्त मतदान केन्द्र पर पहुॅच कर मशीन ठीक करने अथवा उसे बदलने की कार्रवाई करेंगे।

अनुमण्डल नियंत्रण कक्ष की यह जिम्मेवारी होगी कि सुपर जोन/ सेक्टर से प्राप्त प्रतिवेदन संकलित कर जिला नियंत्रण कक्ष को देंगे । जिला नियंत्रण कक्ष प्रत्येक 2 घंटे पर खैरियत प्रतिवेदन सेक्टर प्रभारी व जोनल दण्डाधिकारी से प्राप्त करेगा। **जिला नियंत्रण कक्ष के वरीय प्रभार मे श्री कमरूज्जमा, कार्यपालक दण्डाधिकारी, सदर छपरा रहेंगे। श्री कमरूज्जमा, मतदान के दिन निर्धारित सभी प्रतिवेदन संकलित कर यथासमय प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे।**

जिला नियंत्रण कक्ष सभी मतदान दलो के मतदान केन्द्रो पर पहुॅचने और वापस वज्रगृह मे आने तक की सूचना यथासमय प्राप्त कर निर्वाचन कार्यालय को अवगत करायेगा।

8- सामान्यः-

1- सभी सुपर जोनल/ सेक्टर मैजिस्ट्रेट अपने साथ एक डायरी का संधारण करेंगे । किसी भी प्रकार की असामान्य घटना होने पर वे अविलंब इसमे उसकी प्रविष्टि करेंगे तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी को सूचित करेंगे। इसके अलावा वे अपने क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न मतदान केन्द्रो का भ्रमण कर स्वच्छ, शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करायेंगे। इस डायरी मे वे अपने द्वारा भ्रमण किये गये मतदान केन्द्रो का व्योरा भी अंकित करेंगे।

2- क्षेत्र भ्रमण के दौरान किसी भी प्रकार का दंगा,बूथ कब्जा,मतदाताओं को धमकाना,मतदाताओं को लालच देना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर परिधि के अंदर चुनाव प्रचार करना, कट आउट्स का प्रदर्शन करना इत्यादि दृश्य देखे जाने पर अविलंब इसकी वीडियोग्राफी करवाई जाय।

3- बूथ कब्जा, गंभीर आरोप,विधि व्यवस्था भंग होने की सूचना प्राप्त होते ही लॉग बुक मे उसकी प्रविष्टि कर घटना स्थल पर पहुॅच कर अविलंब उसका निराकरण कराना सुनिश्चित करेंगे।

4- मतदान समाप्त होने के उपरान्त ये पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र के सारे गश्ती दल सह EVM संग्रहण दण्डाधिकारी ससमय वज्रगृह के लिये प्रस्थान कर जांय।

5- सुपर जोनल/ सेक्टर पदाधिकारी अपने सुपर जोन/ सेक्टर के सभी मतदान केन्द्रो पर सतत निगरानी रखेंगे तथा पीठासीन पदाधिकारियों द्वारा संधारित की जाने वाली डायरी

मे समय समय पर मिलने वाले आरोप प्रत्यारोप की जांच अविलंब कर नियमानुसार उसका निष्पादन करना सुनिश्चित करेंगे।

6- सेक्टर पदाधिकारी अपने अधीनस्थ गश्ती दल दण्डाधिकारियों के संपर्क मे रह कर कार्य करेंगे और कहीं से किसी अप्रिय घटना की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल घटना स्थल के लिये प्रस्थान करेंगे।

8- जिला दण्डाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सारण का मोबाईल नं0 9431008346 और पुलिस अधीक्षक,सारण का मोबाईल नं0 9431822989 है। किसी भी असामान्य परिस्थिति मे इन नंबरो पर संपर्क किया जा सकता है।

12.4.2009

पुलिस अधीक्षक
सारण,छपरा

जिला दण्डाधिकारी
सह
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

अनु0:- परिशिष्ट
ज्ञापांक 867 / कार्मिक कोषांग
छपरा,दिनांक 12 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह- निर्वाची पदाधिकारी, 20-सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, छपरा/ अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारण जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी प्रतिनियुक्त सुपर जोनल दण्डाधिकारी/ सेक्टर दण्डाधिकारी/ पुलिस पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग/ वाहन कोषांग/ सामग्री कोषांग/ उप निर्वाचन पदाधिकारी,सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.4.2009

पुलिस अधीक्षक
सारण,छपरा

जिला दण्डाधिकारी
सह
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

ज्ञापांक 867 / कार्मिक कोषांग
छपरा,दिनांक 12 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त,सारण प्रमण्डल,छपरा/ क्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक,सारण क्षेत्र,छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी प्रेक्षक 19-महाराजगंज और 20-सारण संसदीय क्षेत्र को सूचनार्थ प्रेषित।

पुलिस अधीक्षक
सारण,छपरा

जिला दण्डाधिकारी
सह
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा

	Zonal Officer	Police Officer	Sector Officer	Block	Police Station	Booths Tagged
13-एकमा	श्री परमानन्द कुमार, अंचलाधिकारी, लहलादपुर, मो. -9431818540	श्री जगदीश महतो, थानाध्यक्ष, जनता बाजार, मो.-9431822426	श्री शैलेश कुमार ओझा अंचल निरीक्षक लहलादपुर मो0-9430458027	लहलादपुर	जनता बाजार	139,140,141,142,143,144, 145,146,147,148,149,150, 151,152,153,
			श्री ददन जी पाण्डेय प्र0 उ0 प्रसार पदाधिकारी, लहलादपुर मो0-9471039118	लहलादपुर	जनता बाजार	154,155,156,157,157क, 163,164,165,166,167,168, 169,170,171,172, 173
			श्री अयोध्या भारती , प्र0 क0 पदा0 लहलादपुर। मो0-9430481252	लहलादपुर	जनता बाजार	129,130,131,132,133,134, 135,136,137,138,158,159,160,161,162,
	श्री राधिका रमण चौबे, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल-3, छपरा, मो. -9431062238	श्री जयप्रकाश, थानाध्यक्ष, दाउदपुर, मो. -9431822443	श्री कल्याण कुमार पाण्डेय, क0 अभियंता, माँझी मो0-9801944928	मांझी	दाउदपुर	214
			श्री अशोक कुमार सिंह, प्र0 आपूर्ति पदा0, मांझी मो0-9931682204	मांझी	दाउदपुर	215,216,217,218,219
	श्री राजीव रंजन, अंचलाधिकारी, मांझी, मो. - 9431818168	श्री मेराज हुसैन, थानाध्यक्ष, मांझी, मो. 9431822441	श्री कल्याण कुमार पाण्डेय, क0 अभियंता, माँझी मो0-9801944928	मांझी	मांझी	190,192,193,194,195,196,197, 198,199,207,208,213
			श्री रामेश्वर राम, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, मांझी मो0-9431630635	मांझी	मांझी	174,175,176,177,178,179,180, 181,182,183,184,185,186, 187,188,189,191
			श्री जहीर अहमद, हेल्थ एजुकेटर, प्रा. स्वास्थ्य केन्द्र, मांझीए युनीक नं0-	मांझी	मांझी	200,201,202,203,204,205, 206,209,210,211,212
	श्री संजय कुमार, अंचलाधिकारी, एकमा, मो.- 9431818175	श्री कपूर नाथ शर्मा, थानाध्यक्ष, एकमा, मो. -9431822442	श्री बिनोद कुमार चौधरी,हेल्थ एजुकेटर,प्रा0 स्वा0 केन्द्र,एकमा	एकमा	एकमा	48,49,50,51,52,53,54,56,57,58,60
			श्री धर्मपाल बैठा, कनिय अभि0 पी.एच.ई.डी., एकमा मो0-9430671971	एकमा	एकमा	76,77,78,79
			श्री कमरूद्दीन अंसारी, प्र0 शि0 प्र0 पदाधिकारी, एकमा मो0-9430089766	एकमा	एकमा	59,67,100,120,121,122,123, 124,125,126,127, 128
			श्री जयनन्दन कुमार, क0 अभि0 एकमा मो0-9430402447	एकमा	एकमा	73,92,93,96,96क,97,114,115, 116,117,118,119
			श्री अरूण कुमार सिंह, क0 अभि0 एकमा मो0-9431626369	एकमा	एकमा	55,61,62,63,64,65,66,68,69,70,71,72

113-एकमा	श्री संजय कुमार, अंचलाधिकारी, एकमा, मो.- 9431818175	श्री कपूर नाथ शर्मा, थानाध्यक्ष, एकमा, मो. -9431822442	श्रीमती वीणा सिंह, म0 प्र0 पदाधिकारी, एकमा मो0-9431265543	एकमा	एकमा	98,99,101,102,103,104,105, 106,107,108,109,110,111,112,113
			श्रीमती नीरा वर्मा, श्रम प्रवर्तक पदा0, एकमा मो0-9304722541 5	एकमा	एकमा	38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,74,75
	श्री जगतपति चौधरी, जिला शिक्षा अधीक्षक, सारण, मो.- 9334325395	श्री कृष्ण बिहारी सिंह, थानाध्यक्ष, मो. 9431822440	श्री विनय कुमार सिंहा,हेल्थ एजुकेटर,प्रा0 स्वा0 केन्द्र,एकमा	एकमा	रसूलपुर	6,9,10,12,13,14,15,16,17,18,19,28,29
			श्री धर्मपाल बैठा, कनिय अभि0 पी.एच.ई.डी., एकमा मो0-9430671971	एकमा	रसूलपुर	26,27,32,33,34,36,37,80,81,82,83
			श्री इन्द्रजीत राणा, प्र0शि0प्र0 पदाधकारी, एकमा मो0-9334887556	एकमा	रसूलपुर	20,21,22,25,30,31,35,84,85,86,87,88,89,90
			श्री शमीम अहमद अंसारी, प्र0 कृषि पदा0 एकमा मो0-9304575514	एकमा	रसूलपुर	1,2,3,4,5,7,8,11,23,24
			श्री जयनन्दन कुमार, क0 अभि0 एकमा मो0-9430402447,	एकमा	रसूलपुर	91,94,95
114-मांझी	श्री मनोज कुमार, अंचलाधिकारी, जलालपुर, मो. 9431818177	श्री उपेन्द्र कुमार, थानाध्यक्ष, जलालपुर, मो. 9431822445	श्री शिव कुमार मिश्रा, सहायक अभियंता, सारंण नहर प्रमण्डल, छपरा मो0-9973932102	जलालपुर	जलालपुर	142,143,144,145,146,151,152,153,154,155
			श्री उमेश चन्द्र उपाध्याय, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, जलालपुर, मो0-9431456362	जलालपुर	जलालपुर	147,148,149,150,202,203,204, 205,206,207,208,209,210,211,212,213
			श्री उमेश नारायण पर्वत, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जलालपुर, मो0-9431692837	जलालपुर	जलालपुर	156,157,162,163,198,199,200,201
			श्री अनिल कुमार चौबे, अंचल निरीक्षक, जलालपुर, मो0-9430402346	जलालपुर	जलालपुर	131,132,133,134,135,136, 137,138,139,140,141
	श्री राधिका रमण चौबे, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल-3, छपरा, मो. -9431062238	श्री जयप्रकाश, थानाध्यक्ष, दाउदपुर, मो. -9431822443	श्री मो0 जियाउल्लाह श्रम प्रवर्तन पदा0, मांझी मो0-9470451858	मांझी	दाउदपुर	19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,60,61,68,69, 70,71,72,73

14-मांझी	श्री राधिका रमण चौबे, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल-3, छपरा, मो.	श्री जयप्रकाश, थानाध्यक्ष, दाउदपुर, मो. -9431822443	श्री प्रभात कुमार, अंचल निरीक्षक, अंचल मांझी मो0-9431645352	मांझी	दाउदपुर	57,58,59,63,64,65
			श्री सूर्यनाथ सिंह, कनीय अभियंता, मांझी मो0-94306538842	मांझी	दाउदपुर	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,30,31
			श्री अशोक कुमार सिंह, प्र0 आपूर्ति पदा0, मांझी मो0-9931682204	मांझी	दाउदपुर	32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43
			श्रीमती सविता सिंह म0 प्र0 पदाधिकारी, माँझी मो0-9931808280.	मांझी	दाउदपुर	66,67
	श्री रंजीव रंजन, अंचलाधिकारी, मांझी, मो. - 9431818168	श्री मेराज हुसैन, थानाध्यक्ष, मांझी, मो. 9431822441	श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी माँझी मो0-9930229087	मांझी	मांझी	48,50,51,52.53,54,55,56,96,101
			श्री ब्रजेश कुमार पाण्डेय सहकारिता प्रसार पदाधिकारी माँझी मो0-99302290873	मांझी	मांझी	85,86,88,89,90,91
			श्री प्रभात कुमार, अंचल निरीक्षक, अंचल मांझी मो0-9431645352	मांझी	मांझी	62,74,75,76,77,78,79,80,,81,82,84
			श्री जहीर अहमद,हेल्थ एजुकेटर,प्राथमिक स्वा0 केन्द्र,मांझी	मांझी	मांझी	44,45,46,47,49
			श्रीमती सविता सिंह म0 प्र0 पदाधिकारी, माँझी मो0-9931808280	मांझी	मांझी	83,87,92,93,94,95,97,98,99, 100,102,103,104, 105,106
	श्री अनिल कुमार, कार्यपालक अभियंता, एन.आर.ई.पी., छपरा, मो. - 9431287907	म. युसूफ, थानाध्यक्ष, कोपा, मो. 9431822446	श्री विरेन्द्र कुमार मिश्र, कनीय अभियंता जलालपुर, मो0-9835647837	जलालपुर	कोपा	158,159,160,161,164,165,165क, 166,167,168,169,170,171,172,173
			श्री शशिभूषण मिश्र, प्र0स0प्र0पदा0 जलालपुर मो0-9431679955,	जलालपुर	कोपा	174,175,176,177,178,179,180, 181,182,183,184,185,186,187,188,189
			श्री उमेश नारायण पर्वत, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, जलालपुर, मो0-9431692837	जलालपुर	कोपा	190,191,192,193,194,195,196,197
			श्री अनिल कुमार चौबे, अंचल निरीक्षक, जलालपुर, मो0-9430402346	जलालपुर	कोपा	126,127,128,129,130

127

114-मांझी	श्री अनिल कुमार, अंचलाधिकारी, बनियापुर, मो.- 9431831672	श्री मनोज कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, बनियापुर, मो. - 9431822444	श्री हरिश्चंद्र ,प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बनियापुर मो0-9973613029	मांझी	बनियापुर	113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123, 124,125
			श्रीमती इंदू कुमारी,प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बनियापुर मो0-9199320108	मांझी	बनियापुर	107,108,109,110,111,112
115-बनियापुर	श्री मनोज कुमार, अंचलाधिकारी, जलालपुर, मो. 9431818177	श्री उपेन्द्र कुमार, थानाध्यक्ष, जलालपुर, मो. 9431822445	श्री मो0 आलम,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बनियापुर मो0-9930013807	बनियापुर	जलालपुर	200,201,
	श्री परमानन्द कुमार, अंचलाधिकारी, लहलादपुर, मो. -9431818540	श्री जगदीश महतो, थानाध्यक्ष, जनता बाजार, मो.-9431822426	श्री धर्मवीर प्रसाद यादव प्रखंड आपूर्ति पदा0 मो0-9430253495	बनियापुर	जनता बाजार	101,102
	श्री सुखदेव प्रसाद, अंचलाधिकारी, मशरख, मो.- 9431818173	श्री सत्येन्द्र कुमार, थानाध्यक्ष, मशरख, मो.- 9431822434	श्री संजय कुमार रजनीश, प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मशरक। मो0-9431853753	मशरक	मशरख	30,31,32,33,34,35,36,37,38, 39,40,41,42,73,77,78
			श्री प्रभुनाथ प्र0 सिंह,अनुदेशक,आई.टी.आई. ,मढ़ौरा, मो0-9430461031	मशरक	मशरख	18,19,20,21,22,23,24,25,26,27, 28,29,43,44,45,46,47
			श्री राम लखन पूर्वे,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी ,मशरक	मशरक	मशरख	62,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 74,75,81,84,85,86,87,88
			श्री रेवती रमण,अनुमण्डल कृषि पदाधिकारी,मढ़ौरा मो0- 943169417	मशरक	मशरख	79,80,82,83,89,90,91,92,93,94, 95,96,97,98,99,100
			श्री आलोक कुमार प्रखंड कृषि पदाधिकारी मशरक मो0-9905042698	मशरक	मशरख	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17
			श्री गेना लाल राय , कनीय अभियंता,कार्या0 अभि0,सारण नहर प्रमण्डल,गंडक योजना मढ़ौरा। मो0-9939262775	मशरक	मशरख	48,49,50,51,52,53,54,55,56,57, 58,59,60,61,72, 76
	श्री अनिल कुमार, अंचलाधिकारी, बनियापुर, मो.- 9431831672	श्री मनोज कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, बनियापुर, मो. - 9431822444	श्री धर्मवीर प्रसाद यादव प्रखंड आपूर्ति पदा0 मो0-9430253495	बनियापुर	बनियापुर	103,104,105,106,107,108,109, 110,155,156,157,158,159

115-बनियापुर	श्री अनिल कुमार, अंचलाधिकारी, बनियापुर, मो.- 9431831672	श्री मनोज कुमार सिंह, थानाध्यक्ष, बनियापुर, मो. - 9431822444	श्री कपिल देव राम ,प्रखंड पंचायत पदाधिकारी, बनियापुर मो0-9939591524	बनियापुर	बनियापुर	147,148,149,150,151,152,153, 154,202,203,204,210,211,212,213, 214,215, 216
			श्री मो0 आलम,श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, बनियापुर मो0-9930013807	बनियापुर	बनियापुर	192,193,194,195,195क,196,197, 198,199,217,218,219,220,221,222
			श्री हरिश्चंद्र ,प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, बनियांपुर मो0-9973613029	बनियापुर	बनियापुर	178,179,180,181,182
			श्री उमेश कुमार सिंह,कनीय अभियन्ता बनियापुर मो0-9431424299	बनियापुर	बनियापुर	129,130,131,132,133,134,135, 136,137,138,139,140,141,142, 143,144,145, 146
			श्री चांद बिहारी शरण,अंचल निरीक्षक-सह कानूनगो,विशेष भू-अर्जन कार्यालय,विशेष गंडक,छपरा।	बनियापुर	बनियापुर	111,112,113,114,115,116,117,118, 119,120,121,122,123,123क,124,125, 126, 127,128
			श्रीमती इंदू कुमारी,प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, बनियापुर मो0-9199320108	बनियापुर	बनियापुर	160,161,162,163,164,165,166,172, 173,174,175,176,177
			श्रीमती सुनैना कुमारी,बाल बिकास परियोजना पदा0,लहलादपुर	बनियापुर	बनियापुर	167,168,169,170,171,183,184,185, 186,187,188,189,190,191,205,206,207, 208,209
116-ईसुआपुर	श्री विनोद प्रसाद सिंह, अंचलाधिकारी, ईसआपुर, मो.- 9431818539	श्री राम दूलार प्रसाद, थानाध्यक्ष, ईसुआपुर , मो. -9431822432	श्री महम्मूद आलम,कनीय अभियंता,नहर प्रमंडल,इसुआपुर, सढ़वारा, मो0-9006406098	इसुआपुर	ईसुआपुर	102,106,107,108,109,112,113,114, 115,126,127,128,129,130,131,132
			श्री मो0 अख्तर हुसैन,कनीय अभियंता, मो0-9431284279	इसुआपुर	ईसुआपुर	91,92,94,95,96,97,99,103,104,135, 137,138,144,145
			श्री हीरालाल गुप्ता,कनीय अभियंता,इसुआपुर,सारण	इसुआपुर	ईसुआपुर	75,87,88,89,90,93
			श्री रविन्द्र सिंह, सहायक गोदाम प्रबंधक,इसुआपुर,सारण	इसुआपुर	ईसुआपुर	116,117,118,119,120,121,122, 123,124,125,139,140,141,142,143
			श्री राजेन्द्र प्रसाद,कनीय अभियंता,नहर भवन प्रमंडल,इसुआपुर, सढ़वारा, मो0-9431455647	इसुआपुर	ईसुआपुर	62,63,64,65,66,67,68,69,70,71, 72,73,100,101,105,110,111

	श्री हीरा मुनि प्रभाकर, अंचलाधिकारी, पानापुर, मो.- 9431818538	श्री कमलेश्वर कुमार, थानाध्यक्ष, पानापुर, मो.- 9431822429	श्री महेश प्रसाद,कनीय अभियंता,पी.एच.ई.डी.,मशरक	पानापुर	पानापुर	
			श्री पवन कुमार ओझा ,निरीक्षक माप तौल,मढ़ौरा	पानापुर	पानापुर	51,53,54,55,56,57,58,59,60,61
			श्री रामबहादुर चौधरी (प्र0 क0 पदा0,पानापुर)	पानापुर	पानापुर	25,26,27,28,31,32,33,34,35,48,49,50
			श्री शम्भूनाथ केसरी, कनीय अभियंता, मो0-9771039439	पानापुर	पानापुर	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
			श्री असरूद्दीन मियां, अंचल निरीक्षक, पानापुर/मशरक, मो0-9931406430	पानापुर	पानापुर	36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,52
	श्री देवेन्द्र कुमार दर्द, अंचलाधिकारी, तरैया, मो. - 9431632552	श्री अभय कुमार, थानाध्यक्ष, तरैया, मो. 9431822433	श्री मो0 मोइज अंसारी मार्केटिंग ऑफिसर, मो0-9931747693	तरैया	तरैया	156,157,158,159,160,161,162,164, 165,166,167,168,169,172,173
			श्री मो0 अख्तर हुसैन,कनीय अभियंता, मो0-9431284279	इसुआपुर	तरैया	98,133,134,136,
			श्री हीरालाल गुप्ता,कनीय अभियंता,इसुआपुर,सारण	इसुआपुर	तरैया	74,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86
			श्री सुबोध कुमार, आइ.टी.आई. अनुदेशक, मढ़ौरा मो0-9835441621	तरैया	तरैया	146,147,148,149,150,151,152, 153,154,155,163,177,178,179,180
			श्री आशुतोष शरण,अनुमण्डल कल्याण पदाधिकारी,मढ़ौरा	तरैया	तरैया	170,171,174,175,176,181,182, 183,184,185,186,187,188,189,190,196
			श्री लक्ष्मी नारायण बी. सी. ओ. तरैया, मो. -9431347581	तरैया	तरैया	195,197,198,199,199क,200,201,202,203,204, 205,206,218, 219,220,221,222
			श्रीमती मीनाक्षी कुमारी,बाल विकास परियोजना पदा0 तरैया, मो0-9771164324	तरैया	तरैया	191,192,193,194,207,208,209,210,211,212, 213,214,215,216,217
	श्री डी.के.सिंह, कार्यपालक अभियंता, गाछा, छपरा, मो.- 9431366662	श्री सुभाष प्रसाद, थानाध्यक्ष, खैरा, मो. 9431822423	श्री ब्रह्मदेव सिंह, प्रखण्ड कृषि पदा0 रिविलगंज, मो0-9471827781	नगरा	खैरा	182,183,184,185,186,187,188,189, 190,191,192,193,194

श्री बी.के.सिंह, कार्यपालक अभियंता, गाड़ा, छपरा, मो.-	श्री सुभाष प्रसाद, थानाध्यक्ष, खैरा, मो. 9431822423	श्री राम सागर दास, कनीय अभियंता, नगरा, मो0-9801475687	नगरा	खैरा	156,157,158,159,160,161,195,196, 197,198,199,200,201,202,203,204,205
		श्री लक्ष्मी नारायण दास, प्रखण्ड आपूर्ति पदा0 रिविलगंज, मो0-9430482953	नगरा	खैरा	168,169,170,171,172,173,174, 175,176,177,178,179,180, 181
श्री लाल बाबू सिंह, अंचलाधिकारी, नगरा, मो. 9431818537	म. इस्लाम, थानाध्यक्ष, नगरा, मो. -9430945332	श्री आलोक कुमार, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, नगरा, मो0-9430653811	नगरा	नगरा	143,144,145,146,147,148,149,150, 151,152,153,154,155,162,163,164,165, 166,167
श्रीमति अनिता सिंह, अंचलाधिकारी, मढ़ौरा, मो.- 9431818171	श्री सतेन्द्र शरत, थानाध्यक्ष, मढ़ौरा, मो. -9431822439	श्री धनुषधारी मॉझी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,मढ़ौरा, मो0-9431092955	मढौरा	मढ़ौरा	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21
		श्री यदुनन्द मांझी, प्र0 स0 प्र0 पदा0 मढौरा, मो0-9939051545	मढौरा	मढ़ौरा	101,102,103,104,105,106,107, 108,109,110,111,112,113, 114,115,116,117,118,119,120,121
		श्री मृत्युजय प्रसाद सिंह,कनीय अभियंता मढ़ौड़ा, मो0-9934262611	मढौरा	मढ़ौरा	22,23,24,25,26,27,28,29,47,48, 49,50,51,52,53, 54,55,56,57,58
		श्री सुनिल कुमार मिश्रा प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी मढ़ौड़ा. मो0-9939875170	मढौरा	मढ़ौरा	59,60,61,62,63,64,65,66,67,68, 69,70,71,72,73, 74,75,76,77,78
		श्री सुरेश प्र0 गुप्ता, कनीय अ0 मढ़ौरा, मो0-9931211997	मढौरा	मढ़ौरा	122,123,124,125,126,127,128, 129,130,131,132,133,134, 135,136,137,138,139,140,141,142
		श्री नंदकिशोर सिंह, अंचल निरीक्षक मढौरा, मो0-9931473681	मढौरा	मढ़ौरा	30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40, 41,42,43,44, 45,46
		श्री अनिल कुमार वर्णवाल, श्रम पर्वतन पदा0 मढौरा, मो0-9431597305	मढौरा	मढ़ौरा	80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, 90,91,92,93,94, 95,96,97,98,99,100
श्री विनय कुमार ठाकुर, अंचलाधिकारी, रिविलगंज, मो.- 941818170	श्री विनोद कुमार, थानाध्यक्ष, रिविलगंज, मो. - 9431822447	श्री शशि भूषण वर्मा, प्रभारी प्रखण्ड कृषि पदा0 रिविलगंज, मो0-9430979668	रिविलगंज	रिविलगंज	68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79
		श्री सुरेन्द्र सिंह प्र0 स0 प्र0 पदा0 रिविलगंज। मो0-9931864771	रिविलगंज	रिविलगंज	46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 57,58,59,60, 61,62,63,64,65,66,67

श्री विनय कुमार ठाकुर, अंचलाधिकारी, रिविलगंज, मो.-	श्री विनोद कुमार, थानाध्यक्ष, रिविलगंज, मो. - 9431822447	श्री सैयद एजाज अली रिजवी प्रखण्ड पंचायत राज पदा0 रिविलगंज,	रिविलगंज	रिविलगंज	7,8,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30
		श्री नागेन्द्र शर्मा कनीय अभियंता रिविलगंज। मो0-9835055638	रिविलगंज	रिविलगंज	18,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44, 45,45क
		श्री अमीरुल्लाह अंसारी अंचल निरीक्षक रिविलगंज। मो0-9934153093	रिविलगंज	रिविलगंज	1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,14,15
श्री रामचन्द्र तिवारी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल-2,, छपरा, मो. - 9835422244	श्री बिन्देश्वर प्रसाद, थानाध्यक्ष, डोरी गंज, मो. - 9431822448	श्री रामाकान्त सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी मो0- 9430292568	सदर	डोरीगंज	228,229,230
श्री राजेश दामियान कुजूर, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा, मो.- 9431154208	श्री बी.के. पाण्डेय, थानाध्यक्ष, मुफ़स्सिल, मो. - 9431822450	श्री राकेश कुमार, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, सदर, छपरा, मो0-9631357267	सदर	मुफ़स्सिल	80,81,82,83,84,85,86,98,99,100,101,102,103, 104,105,106, 107,108,109
		श्रीमती नीलम कुमारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, मो0-9431479192	सदर	मुफ़स्सिल	87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,110, 111,112,113,114,115,116,117,118, 119
श्री सुधीर कुमार, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, छपरा, मो.- 9835449430	श्री सोनेलाल सिंह, थानाध्यक्ष, भगवान बाजार, मो.- 9431822449	श्री विनोद शंकर सिंह, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, सारण, छपरा, मो0-	छपरा नगर परिषद, सारण	भगवान बाजार	120,121,121क,122,122क,123,124,125, 126,127, 128,129,130, 131,132,133,134,135,135क
		श्री रणविजय सिंह, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, जिला उद्योग केन्द्र, सारण, छपरा, मो0-9431694267	छपरा नगर परिषद, सारण	भगवान बाजार	136,137,138,139,140,140क,141,142,142क, 143, 144,145,146, 147,148,149,150, 151,158
		श्री नन्द कुमार झा, सहायक अभियंता सिचाई सारण, नहर प्रमण्डल, बाढ़ नियंत्रण, मो0-	छपरा नगर परिषद, सारण	भगवान बाजार	152,153,154,155,156,157,159,160,161, 162,162क,163,164,165
श्री अरूण कुमार सिंह, अंचलाधिकारी, सदर, छपरा मो.- 9431818167	श्री अरूण कुमार तिवारी, थानाध्यक्ष, नगर थाना, मो.- 9431822451	श्री योगेन्द्र दुबे, अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ कॉपरेटिव विभाग, छपरा	छपरा नगर परिषद, सारण	नगर थाना	212,213,214,215,216,217,218,219,220, 221,222,223,224, 225,226,227
		श्री विनोद कुमार, सहायक अभियंता सिचाई सारण, नहर प्रमण्डल, बाढ़ नियंत्रण, मो0-9431282811	छपरा नगर परिषद, सारण	नगर थाना	167,168,169,170,171,172,172क,173,174,175, 176,177,178,179,180,181,182, 183

	श्री अरूण कुमार सिंह, अंचलाधिकारी, सदर, छपरा मो.- 9431818167	श्री अरूण कुमार तिवारी, थानाध्यक्ष, नगर थाना, मो.- 9431822451	श्री हरिहर प्रसाद सिंह, अनुमण्डल अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ कॉपरेटिव विभाग, छपरा	छपरा नगर परिषद, सारण	नगर थाना	201,202,202क,203,204,205,206,207,207क, 208, 209,210,211
			श्री जफीर अहसन, सहायक अभियंता सिचाई सारण, नहर प्रमण्डल, बाढ़ नियंत्रण, मो0-9431493629	छपरा नगर परिषद, सारण	नगर थाना	184,185,186,187,188,189,190,191,191क,192, 193,194,195, 196,197,198,199, 200
			श्री नन्द कुमार झा, सहायक अभियंता सिचाई सारण, नहर प्रमण्डल, बाढ़ नियंत्रण, मो0-	छपरा नगर परिषद, सारण	नगर थाना	166,166क
	श्री धनन्जयपति त्रिपाठी, संयुक्त कृषि निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा, मो.- 9431818724	श्री अशोक कुमार, थानाध्यक्ष, अवतार नगर, मो.- 9431824427	श्री रामईश्वर प्रसाद, बी.ए. ओ. गरखा, मो0-9934853284	गरखा	अवतार नगर	121,122,123,124,125,195,196,197,198, 199,200,201,202, 203,204,205,206,207,208,209
			श्री रामाधार प्रसाद यादव कनीय अभियंता, गरखा, मो0-9430824251	गरखा	अवतार नगर	115,116,117,118,119
			श्री अमानतुल्लाह खाँ, मार्केटिंग ऑफिसर, गरखा, मो0-9801271174	गरखा	अवतार नगर	184,185
	श्री रामचन्द्र तिवारी, कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल-2,, छपरा, मो. - 9835422244	श्री बिन्देश्वर प्रसाद, थानाध्यक्ष, डोरी गंज, मो. - 9431822448	श्री राम नन्दन प्र0 सिंह, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदा0, मो0-9931756013	सदर	डोरीगंज	31,33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45, 46,47,48, 49
			श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, मो0-9971234728	सदर	डोरीगंज	67,68,69,70,71,72,73,74
			श्री दीपक कुमार वर्मा, प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी मो0-9852117979	सदर	डोरीगंज	50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61, 62,63,64, 65,66
	श्री राजेश दामियान कुजूर, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा, मो.- 9431154208	श्री वी.के. पाण्डेय, थानाध्यक्ष, मुफ्स्सिल, मो. - 9431822450	श्री शिव कुमार सिंह, कनिय अभियन्ता, मो0- 9431347552	सदर	मुफ्स्सिल	17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30

119-गरखा	श्री राजेश दामियान कुजूर, क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सारण	श्री बी.के. पाण्डेय, थानाध्यक्ष, मुफस्सिल, मो. - 9431822450	श्री राम कुमार सिंह, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मो0-9431487434	सदर	मुफस्सिल	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16
			श्री राम नन्दन प्र0 सिंह, प्रखंड सहकारिता प्रसार पदा0, मो0-9931756013	सदर	मुफस्सिल	32,34,35
	श्री अजय कुमार, अंचलाधिकारी, गरखा, मो.- 9431818174	श्री महेश कुमार, थानाध्यक्ष, गरखा, मो.- 9431822437	श्री भीना व्यास, एल.इ.ओ. गरखा, मो0-9430070876	गरखा	गरखा	75,76,77,78,79,80,81,82,153,154,155, 156,157,158,159,160,165,166,167,168, 169,170,171
			श्री विजय कुमार सिंह, मो0-9431262176	गरखा	गरखा	148,149,150,151,152,161,162,163, 164,172,173,174,175, 176,177
			श्री भीम सिंह, बी.इ.इ. ओ. मो0-9973225946	गरखा	गरखा	98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108, 109,126,127, 128,129,130,131
			श्री रामाधार प्रसाद यादव कनीय अभियंता, गरखा, मो0-9430824251	गरखा	गरखा	110,111,112,113,114,120
			श्री सुनिल कुमार सिंह, बी.सी. इ. ओ. गरखा, मो0-9006805305	गरखा	गरखा	83,84,85,86,87,137,138,139,140,141,142,143, 144,145,146,147
			श्री सुगली सेठ, मो0-9934545682	गरखा	गरखा	88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,132,133,134, 135,136
			श्री अमानतुल्लाह खाँ, मार्केटिंग ऑफिसर, गरखा, मो0-9801271174	गरखा	गरखा	178,179,180,181,182,183,186,187, 188,189,190,191,192, 193,194
120-अमनौर	म. राशिद अली, अंचलाधिकारी, परसा, मो. 9431818171	श्री अभिनन्दन मंडल, थानाध्यक्ष, परसा, मो.- 9431824436	श्री सिया शरण प्रसाद, बी.इ.इ. ओ. मकेर, मो0-9798981544	मकेर	परसा	159
			श्री राजीव रंजन,प्रखण्ड कनीय अभियंता,परसा, मो0-9431407561	परसा	परसा	166,167,168,169,170,171,172,173, 174,175,176
			श्री चन्द्रमा राम,प्रखण्ड अंचल निरीक्षक,परसा, मो0-9939706773	परसा	परसा	178,179,180,182,183
	श्री राम सिंह, कार्यपालक अभियंता, नहर प्रमण्डल, मढ़ौरा, मो.- 9431630823	श्री आनन्द बिहारी, थानाध्यक्ष, भेल्दी, मो.- 9431822424	श्री राजेश कुमार सुधांशु, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी,,अमनौर, मो0-9931867052	अमनौर	भेल्दी	43,45,49,50,74,77,78
			श्री बलिराम सिंह, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, अमनौर, मो0-9471040105	अमनौर	भेल्दी	70,71,72,73,76,79,80,81,82,83,84,85,86

श्री राम सिंह, कार्यपालक अभियंता, ग्रह प्रमण्डल, मधौरा.	श्री आनन्द बिहारी, थानाध्यक्ष, भेल्दी, मो.- 9431822424	श्री महेश्वर मांझी प्र0 स0 प्र0, अमनौर, मो0-9470848821	अमनौर	भेल्दी	75,87,88,89,90,91,92,93,94,95,105,106,107, 108
		श्री मुस्लिम मियां, उद्योग प्रसार पदाधिकारी, मो0-9835233426	अमनौर	भेल्दी	37,38,39
		श्री रामसेवक राम,प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,परसा, मो0-9430296350	परसा	भेल्दी	191,192,193,194,195,196,197,198,199, 200,201,202,203, 204
		श्री राजीव रंजन,प्रखण्ड कनीय अभियंता,परसा, मो0-9431407561	परसा	भेल्दी	165
		श्री सच्चितानंद सिंह, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी अमनौर, मो0-9430292570	अमनौर	भेल्दी	96,97,98,99,100,101,102,103,104,109
		श्री चन्द्रमा राम,प्रखण्ड अंचल निरीक्षक,परसा, मो0-9939706773	परसा	भेल्दी	177,181,184,185,186,187,188,189,190
श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, अंचलाधिकारी, अमनौर, मो. 9431050050	श्री राम ठाकुर, थानाध्यक्ष, अमनौर, मो.- 9431822438	श्री राजेश कुमार सुधांशु, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी,,अमनौर, मो0-9931867052	अमनौर	अमनौर	40,41,42,44,46,47,48
		श्री मान सिंह, प्र0 शि0 प्र0 पदाधिकारी अमनौर, मो0-9431416174	अमनौर	अमनौर	12,13,14,15,16,17,18,19
		श्री मुस्लिम मियां, उद्योग प्रसार पदाधिकारी, मो0-9835233426	अमनौर	अमनौर	28,32,33,34,35,36
		श्री सिया शरण प्रसाद, बी.इ.इ. ओ. मकेर, मो0-9798981544	मकेर	अमनौर	152,153,154,155,156,157,158
		श्री राजदेव गहलौत, कनीय अभियंता, अमनौर, मो0-9471041548	अमनौर	अमनौर	51,52,53,54,55,56,57,60,61,62
		श्री सलिक ग्राम सिंह, कनीय अभियंता पी0 एच0 डी0, अमनौर, मो0-9431465394,	अमनौर	अमनौर	58,59,63,64,65,66,67,68,69
		श्री सतीश चन्द्र झा, सेनेटरी इंस्पेक्टर, मो0-9430287478	अमनौर	अमनौर	20,21,22,23,24,25,26,27,29,30,31

	श्री प्रदीप शेखर प्रियदर्शी, अंचलाधिकारी, अमनौर, मे.	श्री राम ठाकुर, थानाध्यक्ष, अमनौर, मो.- 9431822438	श्री आश्विनी कुमार, सांख्यिकी पदा0 अमनौर, मो0-9798219442			
	श्री अरविन्द कुमार, अंचलाधिकारी, मकेर, मो. - 9431818179	श्री नरेश मोहन दास, थानाध्यक्ष, मकेर, मो.- 9431822435	श्री योगेन्द्र राम, बी.पी.आर.ओ., मकेर, मो0-9973359564	मकेर	मकेर	131,132,133,134,135,136,137,138, 139,140,141,142,143, 144,145,146,147
			श्री इन्द्रदेव प्रसाद यादव, कनीय अभियंता मकेर, मो0-9931442114	मकेर	मकेर	110,111,112,113,114,115,116,117, 118,119,120,121,122, 123
			श्री सिया शरण प्रसाद, बी.इ.इ.ओ. मकेर, मो0-9798981544	मकेर	मकेर	160,161,162,163,164
			श्री अनिल प्रसाद, बी.डब्ल्यू. ओ. मकेर, मो0-9631026515	मकेर	मकेर	124,125,126,127,128,129,130,148, 149,150,151
121-परसा	म. राशिद अली, अंचलाधिकारी, परसा, मो. 9431818171	श्री अभिनन्दन मंडल, थानाध्यक्ष, परसा, मो.- 9431824436	श्री मनोरंजन प्रसाद,प्रखण्ड उधोग प्रसार पदाधिकारी,परसा, मो0-9430079041	परसा	परसा	27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41
			श्री सतीश कुमार शर्मा,प्र0 सहकारिता प्रसार पदाधिकारी,परसा, मो0-9931183239	परसा	परसा	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
			श्री अरूण कुमार पासवान श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी,परसा, मो0-9931547146	परसा	परसा	11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22., 23,24,25, 26
			श्री आसीत मजुमदार बी.सी.ई.ओ. दिघवारा, मो0-9430217887	दिघवारा	परसा	13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26
	श्री धनन्जयपति त्रिपाठी, संयुक्त कृषि निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा, मो.- 9431818724	श्री अशोक कुमार, थानाध्यक्ष, अवतार नगर, मो.- 9431824427	श्री विरेन्द्र कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, दरियापुर। मो0-9430830042	दरियापुर	अवतार नगर	127, 129, 130
			श्रीमति रागीनी कुमारी महिला प्रसार पदाधिकारी दिघवारा मो0-9470019957	दरियापुर	अवतार नगर	131,132,133,134,135,136
	श्री चितरंजन प्रसाद, अंचलाधिकारी, दरियापुर, मो - 9431818176	श्री वासुदेव राय, थानाध्यक्ष, दरियापुर, मो. - 9431824428	विजय कुमार मण्डल, प्र0 कृशि पदा0, सोनपुर, मो0-9835812236	दरियापुर	दरियापुर	182,183,184,185,186,187,188,189,190,191, 192,193,194,95,196,197,198,199

अंचलाधिकारी, दरियापुर, मो.- 9431818176	श्री बाबुदेव राय, थानाध्यक्ष, दरियापुर, मो. - 9431824428	श्री विरेन्द्र कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, दरियापुर। मो0-9430830042	दरियापुर	दरियापुर	154,155
		श्री रघुनाथ तिवारी, अंचल निरीक्षक, दरियापुर। मो0-9939247696	दरियापुर	दरियापुर	163,164,165,166,167,168,169,176, 177,178,179,180,181
		श्री रामसेवक सिंह कनीय अभियंता, पथ प्रमंडल छपरा। मो0-9431003557	दरियापुर	दरियापुर	74,75,76,77,78,79,87,88,89,90,91,92,93,94
		श्री चन्द्रभूशण सिह, सांख्यिकी सहायक, बा0वि0 परियोजना कार्यालय, दरियापुर। मो0-9430090095	दरियापुर	दरियापुर	95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106
		श्री अजय कुमार सिह, कनीय अभियंता प्रखण्ड कार्यालय, दिघवारा, मो0-9430063897	दरियापुर	दरियापुर	80,81,82,83,84,85,86
		श्रीमति रागीनी कुमारी महिला प्रसार पदाधिकारी दिघवारा मो0-9470019957	दरियापुर	दरियापुर	137,138,139,140,141
		श्रीमती रवि कुमारी, महिला प्रसार पदाधिकारी, दरियापुर। मो0- 9835652885	दरियापुर	दरियापुर	107,108,109,110,111,112,113,170,171, 172,173,174,175
		श्रीमती रेणु कुमारी, प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, दिघवारा। मो0-	दरियापुर	दरियापुर	142,143,144,145,146,147,148,156, 157,158,159,160,161, 162
श्री रामायण चौबे, संयुक्त निदंधक, सहयोग समितियाँ, शारण प्रमण्डल, छपरा, मो.-9430908915	श्री सुरेन्द्र पासवान, थानाध्यक्ष, डेरनी, मो.- 9801876336	श्री विरेन्द्र कुमार, सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, दरियापुर। मो0-9430830042	दरियापुर	डेरनी	125,126,128,149,150,151,152,153
		श्री सुरेश कुमार सिंह, प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी, प्रखण्ड कार्यालय दिघवारा, मो0-9931713709	दरियापुर	डेरनी	42,43,44,45,46,47,119,120,121,122,123,124

	श्री रामायण राय, संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमण्डल, छपरा,	श्री सुरेन्द्र पासवान, थानाध्यक्ष, डेरनी, मो.- 9801876336	श्री सत्येन्द्र कु0 सिंह, प्रखण्ड पंचायत राज पदाधिकारी, दरियापुर, मो0-9431420653	दरियापुर	डेरनी	48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60
			श्री उदय नारायण प्रसाद, प्र0 स0 पर्यवेक्षक, दरियापुर। मो0-9470280514	दरियापुर	डेरनी	61,62,63,64,65,66,114,115,116,117,118
			श्री अजय कुमार सिंह, कनीय अभियंता प्रखण्ड कार्यालय, दिघवारा, मो0-9430063897	दरियापुर	डेरनी	67,68,69,70,71,72,73
	श्री धनञ्जयपति त्रिपाठी, संयुक्त कृषि निदेशक, सारण प्रमण्डल, छपरा, मो.- 9431818724	श्री अशोक कुमार, थानाध्यक्ष, अवतार नगर, मो.- 9431824427	श्री राम कुमार राय, बी.एस. एस. दिघवारा, मो0-9430623819	दिघवारा	अवतार नगर	53,54,58,59,60,,61,62,63,64,65,66,67
	श्री रवि भूषण सिन्हा, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, छपरा, मो. - 9431082944	श्री राजगृही राम, थानाध्यक्ष, नयागांव, मो. - 9431824424	श्री यूसुफ अहमद जुबेरी, कनीय अभियंता, मो0-9334990846	सोनपुर	नयागांव	87,88,89,90,91,92,93,94,95,96
			श्री प्रभाश चंद्र कनीय अभियंता, मो0-9852174687	सोनपुर	नयागांव	68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,80, 81,82,83, 84,85,86
	श्री रविन्द्र कुमार, अंचलाधिकारी, दिघवारा, मो.- 9431818169	श्री ओम प्रकाश, थानाध्यक्ष, दिघवारा, मो.- 9431824430	श्री कृष्ण देव सिंह, बी.पी.आर. ओ. दिघवारा, मो0-9431670466	दिघवारा	दिघवारा	34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47
			श्री राम कुमार राय, बी.एस. एस. दिघवारा, मो0-9430623819	दिघवारा	दिघवारा	48,49,50,51,52,55,56,57
			श्री अशोक कुमार चौधरी, सी. आई दिघवारा, मो0-9905212045	दिघवारा	दिघवारा	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
			श्री अलख निरंजन, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, दिघवारा, मो0-9431456282	दिघवारा	दिघवारा	27,28,29,30,31,32,33
	श्री राजयनन्द वाडियार, अंचलाधिकारी, सोनपुर, मो.- 9431818536	श्री मनोज कुमार, थानाध्यक्ष, सोनपुर, मो.- 9431822431	श्री यूसुफ अहमद जुबेरी, कनीय अभियंता, मो0-9334990846	सोनपुर	सोनपुर	107,110,111

122-सोनपुर	श्री राजवनन्द वाडियार, अंचलाधिकारी, सोनपुर, मो.- 9431818536	श्री मनोज कुमार, थानाध्यक्ष, सोनपुर, मो.- 9431822431	श्री रविन्द्र नाथ पाण्डेय कनीय अभियंता, मो0-9430401855	सोनपुर	सोनपुर	189,190,191,192,193,194,195,196, 197,198,199,200,201, 202,203,204,205
			श्री राजेश्वर प्रसाद सिंह सहकारिता प्रसार पदाधिकारी, मो0-9430021398	सोनपुर	सोनपुर	127,128,129,130,131,132,206, 207,208,209,210
			श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह प्लांट प्रोटेक्सन सुपरवाईजर, मो0-9905274952	सोनपुर	सोनपुर	102,103,104,105,106,117,118, 119,120,121,122,123,124, 125,126
			श्री संजय कुमार कनीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक, मो0-9430648855	सोनपुर	सोनपुर	112,113,114,115,162,163,164, 165,166,167,168,169,170, 171,172
			श्री जगदीश प्रसाद प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, मो0-9334294491	सोनपुर	सोनपुर	97,98,99,100,101,133,134,135,136,137,138
			श्री जगदीश नारायण, अंचल निरीक्षक, मो0-9835084834	सोनपुर	सोनपुर	79,108,109,116
			श्री अरविन्द कुमार प्रखंड पंचायत राज पदाधिकरी, मो0-9430965672	सोनपुर	सोनपुर	139,140,141,142,143,144,156, 157,158,159,160,161
			श्री गोपाल कृष्ण प्रसाद प्रखंड आपूर्ति पदाधिकरी, मो0-9430001751	सोनपुर	सोनपुर	173,174,175,176,177,178,179, 180,181,182,183
			श्रीमति छाया कुमारी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सोनपुर, मो0-9771767208	सोनपुर	सोनपुर	145,146,147,148,149,150,151,152, 153,154,155,184,185, 186,187,188

पुलिस अधीक्षक
सारण, छपरा।

12.4.2009
जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी
सारण, छपरा।

दिनांक 20.4.2009 को डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से. जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे लोकसभा चुनाव-2009 के अवसर पर विभिन्न कोषांगों मे आपूर्त्ति की गयी सामग्रियों के आपूर्त्तिकर्त्ताओं के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
2-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	निदेशक, डी आर डी ए सह प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग, छपरा
3-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
4-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण
5-	श्री जवाहर प्रसाद	जिला सहकारिता पदाधिकारी, सारण
6-	श्री चन्द्रभूषण सिंह	जिला अभियन्ता, जिला परिषद, सारण

1- इसके अतिरिक्त विभिन्न सामग्रियों के आपूर्त्तिकर्त्तागण, पेट्रोल पम्प मालिकों और वाहन कोषांग के सहायकों ने भी बैठक मे भाग लिया।

2- बैठक के प्रारंभ मे जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने इस बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुये सभी उपस्थित पदाधिकारियों और आपूर्त्तिकर्त्ताओं को बताया कि पूर्व के अनुभवों से ऐसा पाया गया है कि प्रशासन द्वारा निर्वाचन के दौरान अनेक प्रकार की सामग्रियों, कम्प्यूटर, जेनेरेटर और ईधन की आपूर्त्ति ली जाती है, आवश्यकतानुसार टेन्ट शामियाना लगवाये जाते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रपत्र मुद्रित करवाये जाते हैं किन्तु इनका भुगतान ससमय नहीं हो पाता है। ससमय भुगतान नहीं हो पाने के मुख्यतः दो कारण हैं, प्रथम गलत मंशा और द्वितीय ससमय निर्णय नहीं ले पाना। ससमय भुगतान नहीं होने के कारण आपूर्त्तिकर्त्ताओं मे असंतोष व्याप्त होता है। बाद मे उनके द्वारा बढ़ा चढ़ा कर विपत्र समर्पित किया जाता है जिसकी विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह लग जाता है और इस कारण कार्यालय द्वारा उन्हें Black mail किये जाने से भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलता है। इन सब तथ्यों के परिप्रेक्ष्य मे समय पर भुगतान करना नितान्त आवश्यक है। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि जब सरकार से प्रचुर मात्रा मे आवंटन उपलब्ध है तब संबंधित पदाधिकारी को भुगतान करने मे कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये। ऐसे भी मामले प्रकाश मे आये हैं जब पदाधिकारी के स्थानान्तरण के उपरान्त दूसरे पदाधिकारी का पदस्थापन होता है तब आपूरित सामग्रियों का वास्तविक आकलन और विश्लेषण इस प्रकार किया जाता है कि आपूर्त्तिकर्त्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इन्हीं सब बातों के परिप्रेक्ष्य मे आज की बैठक आहूत की गयी है। इसके उपरान्त सामग्रीवार निम्न प्रकार समीक्षा कर आदेश दिये गयेः-

Rajender

3- पेट्रोल पम्पः-

3.1 बैठक मे श्री कमलेश चन्द्र अग्रवाल (मे0 अग्रवाल सर्विस स्टेशन), श्री अजय कुमार (मे0 शिवम् पेट्रोलियम), श्री राजीव कुमार (मे0 फ्यूचर प्वाइंट) और श्री विनीत कुमार (मे0 प्रसाद एण्ड सन्स) उपस्थित थे। चौथे पेट्रोल पम्प मालिक मे0 बी0 बी0 बनर्जी छपरा उपस्थित नहीं थे। जिलाधिकारी ने इन सभी को निदेश दिया कि निर्वाचन मद मे ईधन की आपूर्त्ति तत्काल प्रभाव से बन्द कर दी जा रही है अतएव निर्वाचन मद मे अब तक आपूर्त्ति किये गये ईधन का विपत्र वे आज ही संध्या तक जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण के यहां समर्पित कर दें।

3.2 जिलाधिकारी ने जिला परिवहन पदाधिकारी सारण को निदेश दिया कि वे पेट्रोल पम्पवार संचिका खोल कर पेट्रोल पम्प मालिकों द्वारा समर्पित विपत्रों की जांच दिनांक 21.4.2009 तक संपन्न कर इनको भुगतेय राशि का चेक तैयार कर लें। सभी पेट्रोल पम्प मालिकों को निदेश दिया गया कि वे दिनांक 22.4.2009 को 12.30 बजे अपराह्न सभाकक्ष मे आ कर अपने पम्प से आपूर्त्ति किये गये ईधन के मूल्य का चेक प्राप्त कर लें। इस बैठक की वीडियोग्राफी भी करवाने का निदेश उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिया गया।

4- सामग्री कोषांगः-

4.1 श्री सतीश कुमार (नारायण इण्टरप्राइजेज), मे0 शशि स्टेशनरी के प्रतिनिधि, मे0 संतोष प्रिंटर्स के प्रतिनिधि, मे0 चित्रगुप्त प्रेस के प्रतिनिधि, मे0 गुड्डू ट्रेडिंग के प्रतिनिधि, मे. नैलेश प्रिंटर्स के प्रतिनिधि और मे0 मजदूर प्रेस के प्रतिनिधि बैठक मे उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि सामग्री कोषांग मे जो सामग्री अप्रयुक्त पड़ी है, उसे आपूर्त्तिकर्त्ता उठा ले जांय क्योंकि इसका भुगतान नहीं किया जायेगा। उपस्थित सभी आपूर्त्तिकर्त्ताओं ने बताया कि उन्होने अपनी फर्म द्वारा आपूरित सामग्रियों का विपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय मे दे दिया है। जिलाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया कि वे इन विपत्रों की जांच का कार्य दिनांक 24.4.2009 तक संपन्न कर चेक तैयार करा दें। इन सभी आपूत्तिकर्त्ताओं को चेक का भुगतान दिनांक 25.4.2009 को अपराह्न 12.30 बजे सभागार मे किया जायेगा।

4.2 जिलाधिकारी ने उप निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया कि संचिका मे लिखी जाने वाली टिप्पणी कम्प्यूटराइज्ड होनी चाहिये। उप निर्वाचन पदाधिकारी अपनी टिप्पणी मे इस बात का अवश्य उल्लेख करेंगे कि ''इस संचिका मे मे0.....फर्म को उनके द्वारा आपूरित सामग्रियों के मूल्य का भुगतान करने पर विचार किया जा रहा है। इस फर्म द्वारा जिन सामग्रियों की आपूर्त्ति की गयी है, उनकी अनुमोदित दर

Rajendra

संचिका के कमांक.....पर स्थित है। जिन सामग्रियों की आपूर्त्ति इस फर्म ने विभिन्न कोषांगों मे किया है, वहां की प्राप्ति रसीद कमांक.....पर अवलोकनीय है। इस प्रकार फर्म द्वारा आपूरित मात्रा X दर के हिसाब से इन्हें भुगतेय राशि.....रूपये होती है जिसका भुगतान किया जा सकता है।''

5- फोटोस्टेट एवं मतदाता सूची का मुद्रणः-

मतदाता सूची का मुद्रण मे0 डाटाप्रो सिस्टम, छपरा, मे0 अंकुर ट्रेडिंग, छपरा, मे0 नैलेश प्रिंटिंग प्रेस, छपरा तथा मे0 संतोष प्रिंटर्स, छपरा द्वारा किया गया है। इन सभी फर्मो ने बताया कि उन्होने अपना विपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय मे समर्पित कर दिया है। उप निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे इन विपत्रों की जांच दिनांक 24.4.2009 की संध्या तक कर के चेक तैयार कर लें और इन सभी का भुगतान भी दिनांक 25.4.2009 को अपराह्न 12.30 बजे किया जायेगा।

6- वीडियोग्राफीः-

वीडियोग्राफी के संवेदक ने बताया कि उन्होने अपना विपत्र जिला निर्वाचन कार्यालय मे समर्पित कर दिया है। उप निर्वाचन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे इनका भी चेक द्वारा भुगतान दिनांक 25.4.2009 को ही करवाना सुनिश्चित करेंगे।

7- कम्प्यूटर सिस्टमः-

कम्प्यूटर सिस्टम के आपूर्त्तिकर्त्ता को आदेश दिया गया कि वे कम्प्यूटर के साथ साथ Consumables का विपत्र भी आज ही दे दें। उप निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे इनका भुगतान भी 25.4.2009 को चेक द्वारा करवाना सुनिश्चित करेंगे।

8- टेन्ट शामियानाः-

उपस्थित ठेकेदारों द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पुलिस लाईन, वज्रगृह, प्रशिक्षण कोषांग और वाहन कोषांग मे शामियान लगाया गया था। जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि वे लगाये गये शामियाना का वर्गफीट के हिसाब से और बांस बल्ला की बैरिकेडिंग की मजदूरी का विपत्र दिनांक 21.4.2009 को 12.30 बजे दिन तक जिला निर्वाचन कार्यालय मे निश्चित रूप से समर्पित कर दें ताकि इनके विपत्र का सत्यापन करा कर शीघ्र भुगतान की कार्रवाई की जा सके।

9- लाउडस्पीकर/ जेनेरेटर/ पंखा/ लाईटः-

उपस्थित संवेदकों को निदेश दिया गया कि वे कार्मिक कोषांग से जेनेरेटर हटवा लें। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र मे जेनेरेटर चलता रहेगा। जिलाधिकारी ने इन्हें निदेश दिया कि दिनांक 20.4.2009 तक विभिन्न कोषांगों/ स्थलों पर लगाये गये जेनेरेटर

142

पंखा, लाउडस्पीकर इत्यादि का विपत्र वे दिनांक 21.4.2009 को 12.30 बजे दिन तक समर्पित कर दें। उप निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे इनका भुगतान भी दिनांक 25.4.2009 को चेक द्वारा करवाने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

10- वाहन कोषांगः-

10.1 जिलाधिकारी ने प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग को बताया कि 561 गश्ती दल दण्डाधिकारी, विभिन्न कोषांगों, स्कोर्ट, जोनल दण्डाधिकारियों को वाहन की व्यवस्था कोषांग द्वारा की गयी है। प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग को आदेश दिया गया कि वे वाहनों के लॉग बुक के आधार पर वाहन के प्रकार, निबंधन संख्या, मालिक का नाम, अधिग्रहण की तिथि, उपयोग किये गये दिनों की संख्या, आपूरित ईधन की मात्रा, कुल चली गयी दूरी, भुगतान किये अग्रिम इत्यादि का विवरण दर्ज करने हेतु एक चेकलिस्ट तैयार कर लें और इसमे गणना कर वाहन मालिक को शुद्ध भुगतेय राशि का आकलन कर लें। प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि यह कार्य निश्चित रूप से दिनांक 25.4.2009 तक पूर्ण कर लिया जाय।

10.2 उप निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे वाहन मालिको के मुआवजा राशि का चेक दिनांक 26.4.2009 तक तैयार करवा दें और उन्हें सूचित कर दें कि उनकी मुआवजा राशि के चेक का भुगतान दिनांक 27.4.2009 को मजहरूलहक एकता भवन मे किया जायेगा।

10.3 उप निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे वाहनो के मुआवजा की गणना करने हेतु वाहन कोषांग के संबंधित लिपिकों को एक एक Calculator उपलब्ध करा दें ताकि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्य पूर्ण किया जा सके।

10.4 उप निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे प्रमुख समाचार पत्रों मे प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित करवा दें कि लोकसभा चुनाव मे सारण जिलान्तर्गत अधिगृहित वाहनों के सभी मालिक अपना अपना लॉगबुक अविलंब वाहन कोषांग मे जमा करवा दें ताकि उनके मुआवजा का शीघ्र भुगतान किया जा सके।

10.5 प्रेक्षकगण के उपयोग मे और उनके स्कोर्ट मे प्रतिनियुक्त वाहनों के मुआवजा का भी भुगतान करने का निदेश प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग को दिया गया।

10.6 जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों के उपयोग हेतु जो वाहन अधिगृहित किये गये हैं, उनके सारण जिला मे रहने की अवधि के मुआवजा का भुगतान कर दिया जाय। यदि वे अन्य जिलों मे गये हैं तो संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी से मुआवजा भुगतान हेतु अनुरोध किया जाय।

10.7 प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग के अनुरोध पर जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि वाहन कोषांग के जिन कर्मियों ने Peak period मे निर्धारित कार्य अवधि के उपरान्त भी कार्य किया है, उन्हें सरकार द्वारा अनुमान्य दर पर नाश्ता की राशि का भुगतान किया जाय।

10.8 जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि वाहन कोषांग मे प्रतिनियुक्त सभी कर्मचारी दिनांक 25.4.2009 तक अपना कार्य संपादित करेंगे। इस अवधि मे वाहन कोषांग ढाई आखर भवन मे ही कार्य करेगा। कोषांग मे स्थापित कम्प्यूटर वहां पूर्ववत् कार्यरत रहेगा। उप निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि वे वहां आवश्यकतानुसार जेनेरेटर भी लगवा दें।

10.9 जिलाधिकारी ने वाहन कोषांग मे प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे वाहनों के लॉगबुक, Calculation sheet के साथ दिनांक 25.4.2009 को संध्या 5 बजे समाहरणालय सभागार मे आयोजित बैठक मे अवश्य भाग लें।

10.10 प्रभारी पदाधिकारी वाहन कोषांग को आदेश दिया गया कि वे इलाहाबाद बैंक, छपरा मे स्थित वाहन कोषांग का बैंक खाता तत्काल प्रभाव से बन्द कर उसमे संधारित राशि जिला निर्वाचन नजारत, छपरा मे जमा करवाना सुनिश्चित करेंगे।

10.11 जिला सहकारिता पदाधिकारी के अनुरोध पर जिलाधिकारी ने आदेश दिया कि सहकारिता निर्वाचन कार्य को देखते हुये उनके कर्मचारी को तत्काल प्रभाव से वाहन कोषांग से विरमित कर दिया जाय।

जिलाधिकारी ने सभी उपस्थित पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को आह्वान किया कि वे निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत निर्दिष्ट सभी कार्य संपन्न कर एक नया इतिहास कायम करें ताकि वाहन मालिकों और आपूर्त्तिकर्त्ताओं का प्रशासन के प्रति विश्वास उत्पन्न हो।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

BRajendra 20.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक / सी
छपरा,दिनांक अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन-सह-जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण / उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर

छपरा/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1497 / सी
छपरा,दिनांक 20 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

20.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

दिनांक 20.4.2009 को डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे लोक सभा निर्वाचन-2009 की मतगणना के परिप्रेक्ष्य मे विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी
3-	श्री सूर्य नारायण सिंह	जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
4-	श्री सांवर भारती	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा
5-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
6-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण सह प्रभारी पदाधिकारी कार्मिक कोषांग
7-	श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सारण सह प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग
8-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण

जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को दिनांक 16.5.2009 को होने वाली मतगणना की समय पूर्व तैयारी कर लेने और रणनीति बना कर कार्य करने की सलाह दिया ताकि मतगणना के दौरान कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। इस कम मे विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारीगण को निम्नलिखित निदेश दिये गयेः-

1- सामग्री कोषांग के कर्त्तव्य एवं दायित्वः-

1.1 मतदान हेतु विभिन्न आपूर्त्तिकर्त्ताओं से ली गयी अवशेष सामग्री उन्हें वापस लौटा दी जाय।

1.2 जो सामग्री आपूर्त्तिकर्त्ताओं को लौटाने योग्य नहीं हो यथा प्रपत्र इत्यादि, उन्हें जिला निर्वाचन कार्यालय मे जमा करा दिया जाय।

1.3 मतगणना मे कौन कौन सी सामग्री और प्रपत्रों का उपयोग होगा इसकी सूची उप निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त कर इनकी आवश्यकता का आकलन कर लिया जाय।

1.4 मतगणना कार्य मे कोषांग के पदाधिकारियों के सहयोग हेतु जिला प्रोग्राम कार्यालय और उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर के कार्यालय के कर्मचारियों की सेवा ली जाय।

1.5 मतगणना सामग्री आपूर्त्तिकर्त्ताओं से प्राप्त कर उनकी पैकेटिंग का कार्य दिनांक 28.4.2009 तक पूर्ण कर लिया जाय।

1.6 आपूर्त्तिकर्त्ताओं को उनके द्वारा आपूरित सामग्रियों की जांच और भंडार पंजी मे प्रविष्टि के उपरान्त उसके मूल्य का भुगतान दिनांक 25.4.2009 तक कर दिया जाय।

2- ई वी एम कोषांग के कर्त्तव्य एवं दायित्वः-

2.1 मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार से जिला मे उपलब्ध एवं प्रयुक्त ई वी एम से संबंधित प्रतिवेदन भेजने हेतु एक प्रपत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रपत्र मे सूचनायें अंकित कर आज ही उपस्थापित करें।

2.2 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रवार BU/CU कितना अवशेष है इसकी सूचना विहित प्रपत्र मे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के पास प्रेषित करना है। इसे तैयार कर दिनांक 21.4.2009 तक संचिका मे उपस्थापित करें।

2.3 ई वी एम कोषांग द्वारा मजदूरी भुगतान और अन्य व्यय हेतु जो राशि अग्रिम स्वरूप जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त की गयी है उसके समायोजन हेतु विपत्र दिनांक 22.4.2009 तक जिला निर्वाचन कार्यालय मे समर्पित कर दिया जाय। उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया जाता है कि वे इसका डी सी विपत्र तैयार करें।

2.4 ई वी एम कोषांग का महत्वपूर्ण दायित्व यह होगा कि जैसे ही मतगणना कार्य संपन्न होता जायेगा, संबंधित ई वी एम की बैट्री बाहर निकाल कर उसकी Control Unit और Ballot Unit को सील कर बाक्स मे कमवार बंद कर बाक्स को सील कर दिया जाय।

2.5 बाक्स को सील करने के उपरान्त उसमे बन्द की गयी ई वी एम का कमांक बाक्स के उपर कागज पर लिख कर बाक्स को ट्रक द्वारा समाहरणालय परिसर स्थित निर्वाचन विभाग के गोदाम मे रखवाना प्रभारी पदाधिकारी, ई वी एम कोषांग का दायित्व होगा। कार्मिक कोषांग इस हेतु उन्हें एक विधानसभा खण्ड के लिये 4 सहायक और 4 अनुसेवी उपलब्ध करायेगा। उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण एक विधानसभा खण्ड के लिये 2 मजदूर भी उपलब्ध करायेंगे। प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग एक विधानसभा खण्ड के लिये एक ट्रक की दर से 10 ट्रक उपलब्ध करायेंगे।

2.6 प्रभारी पदाधिकारी ई वी एम कोषांग इस हेतु एक प्रशिक्षण का भी आयोजन करवायेंगे।

2.7 प्रभारी पदाधिकारी, ई वी एम कोषांग दिनांक 21.4.2009 तक जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पटना के पास Ballot Unit भेजवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग इस हेतु ट्रक उन्हें ससमय उपलब्ध करा देंगे।

2.8 प्रभारी पदाधिकारी, ई वी एम कोषांग ने बताया कि उनके कोषांग मे देर रात तक कार्य करने वाले कर्मचारियों को सरकार द्वारा निर्धारित राशि प्राप्त हो चुकी है। इस मद मे अब कोई राशि बाकी नहीं है।

<u>3- कार्मिक कोषांग के कर्त्तव्य एवं दायित्वः-</u>

3.1 प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग ने बताया कि मतगणना के लिये 168 मतगणना पर्यवेक्षक, 168 मतगणना सहायक और 168 Micro Observers की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त 5% अतिरिक्त कर्मी भी सुरक्षित रूप मे रखे जायेंगे। जिलाधिकारी ने उन्हें निदेश दिया कि Micro Observers के रूप मे बैंक कर्मियों को और मतगणना पर्यवेक्षक के रूप मे गणना कार्य मे कुशल अभियन्ताओं, सांख्यिकी विभाग के कर्मियों इत्यादि को रखा जाय।

3.2 जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि मतगणना कार्य मे प्रतिनियुक्त किये जाने वाले कर्मियों का प्रथम प्रशिक्षण चार बैच मे समाहरणालय सभागार मे दिनांक 6.5.2009 से

9.5.2009 तक प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक आयोजित किया जाय। इनका द्वितीय और अन्तिम प्रशिक्षण दिनांक 13.5.2009 को गजहरूल हक एकता भवन मे प्रातः 8 बजे आयोजित किया जाय। इस प्रशिक्षण हेतु महाराजगंज और गोरेयाकोठी विधानसभा खण्ड के सहायक निर्वाची पदाधिकारियों को भी छपरा बुलवा लिया जाय।

3.3 कार्मिक कोषांग का यह दायित्व होगा कि प्रथम प्रशिक्षण के दौरान मतगणना कर्मियों का फोटोग्राफ ले कर इससे उनका मतगणना हॉल मे प्रवेश पत्र तैयार करवा लिया जाय और उसे उनके पदस्थापन कार्यालय मे भेज दिया जाय।

3.4 निर्वाची पदाधिकारी और संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के टेबल पर कार्य करने वाले कर्मचारियों का निर्णय संबंधित निर्वाची पदाधिकारी (जिलाधिकारी और अपर समाहर्त्ता) करेंगे।

3.5 मतगणना कर्मियों का प्रवेश पत्र संबंधित निर्वाची पदाधिकारी निर्गत करेंगे।

3.6 मतगणना कार्य से इतर कर्मियों यथा मजदूरों/ आपूर्त्तिकर्त्ताओं और मीडिया कर्मियों का पास उप विकास आयुक्त, सारण के हस्ताक्षर से निर्गत किया जायेगा।

3.7 मतगणना अभिकर्त्ताओं (Counting Agents) का पास संबंधित निर्वाची पदाधिकारी के स्तर से निर्गत किया जायेगा।

3.8 जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया कि वे मतगणना कर्मियों के रैण्डमाईजेशन का साफ्टवेयर पटना से अविलंब प्राप्त करना सुनिश्चित करें।

<u>4- जिला निर्वाचन कार्यालय के कर्त्तव्य एवं दायित्वः-</u>

4.1 अभी तक जितने टेलीफोन लगे हैं उनकी पूरी विवरणी उप निर्वाचन पदाधिकारी दिनांक 21.4.2009 को प्रस्तुत करें। इस विवरणी मे इस बात का उल्लेख किया जाय कि किस नंबर का टेलीफोन कब से किस कोषांग मे लगवाया गया और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है।

4.2 उप निर्वाचन पदाधिकारी मतगणना परिसर मे स्थित 12 विधानसभा खण्डों के लिये 12 टेलीफोन, निर्वाची पदाधिकारियों के लिये 1-1 टेलीफोन और प्रेक्षकगण के लिये 2 टेलीफोन दिनांक 13.5.2009 तक स्थापित करवाना सुनिश्चित करेंगे। ये सभी टेलीफोन STD और Broad Band सुविधा से युक्त होंगे।

4.3 मतगणना परिसर मे दोनो निर्वाची पदाधिकारियों के यहां एक एक फैक्स भी लगवाया जाय।

4.4 उप निर्वाचन पदाधिकारी को आदेश दिया गया कि मतगणना अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति हेतु सभी प्रत्याशियों से दिनांक 1.5.2009 तक नाम और फोटोग्राफ प्राप्त कर लिया जाय। उन्हें यह भी आदेश दिया गया कि इन मतगणना अभिकर्त्ताओं का प्रशिक्षण दिनांक 10,11,12 और 13 मई 2009 को आयोजित किया जाय ताकि उन्हें मतगणना की प्रक्रिया से परिचित कराया जा सके।

4.5 Counting Agents को मतगणना प्रशिक्षण हेतु निर्धारित चेक लिस्ट की पर्याप्त प्रतियां समय पूर्व मुद्रित करा ली जाय।

5- विविध:-

5.1 मतगणना के दिन भोजन नाश्ता की व्यवस्था की जिम्मेवारी श्री मोहन प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी, सारण को पूर्व मे ही सौंपी जा चुकी है। इस कम मे यह निर्णय लिया गया कि पुलिस बल को भोजन उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी श्री राजकुमार कर्ण, पुलिस उपाधीक्षक, द्वितीय, छपरा को सौंपी जाय।

5.2 यह भी निर्णय लिया गया कि मीडिया कर्मियों को भी नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराया जाय तथा उनके बैठने की व्यवस्था की जाय।

5.3 राउंडवार परिणाम की घोषणा करने हेतु लाउडस्पीकर की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी उप निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपी गयी।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

D Rajendra 21.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1498 /सी
छपरा,दिनांक 21 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा, सोनपुर एवं मढ़ौरा/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ प्रेक्षक कोषांग/ सामग्री कोषांग/ मीडिया कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ प्रशिक्षण कोषांग/ जिला अवर निबंधक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D Rajendra 21.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1498 /सी
छपरा,दिनांक 21 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

D Rajendra 21.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

दिनांक 21.4.2009 को डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे लोक सभा निर्वाचन-2009 के अनुभवो और कठिनाईयों की जानकारी हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी
3-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण
4-	श्री सांवर भारती	अनुमंण्डल पदाधिकारी, सदर, छपरा
5-	श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर
6-	श्री सुरेन्द्र झा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा
7-	श्री वीरेन्द्र कुमार मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण
8-	श्री नौशाद आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण
9-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण
10-	श्री अरूण कुमार सिंह	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर छपरा
11-	श्री विनय कुमार ठाकुर	प्रखंड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज
12-	श्री राजीव रंजन	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी
13-	श्री संजय कुमार	प्रखंड विकास पदाधिकारी, एकमा
14-	श्री परमानन्द कुमार	प्रखंड विकास पदाधिकारी, लहलादपुर
15-	श्री अनिल कुमार	प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनियापुर
16-	श्री मनोज कुमार	प्रखंड विकास पदाधिकारी, जलालपुर
17-	श्री लाल बाबू सिंह	प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगरा
18-	श्री अजय कुमार	प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़खा
19-	श्री अरविन्द कुमार	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मकेर
20-	मो0 राशिद अली	प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसा
21-	श्री हीरामुनि प्रभाकर	प्रखंड विकास पदाधिकारी, पानापुर
22-	श्रीमती अनिता सिंह	प्रखंड विकास पदाधिकारी, मढ़ौरा
23-	श्री देवेन्द्र कुमार दर्द	प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया
24-	श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी	प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमनौर
25-	श्री विनोद प्रसाद सिंह	प्रखंड विकास पदाधिकारी, इसुआपुर
26-	श्री रवीन्द्र कुमार	प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघवारा
27-	श्री राजयनन्द वाडियार	प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर

बैठक मे प्रखंड विकास पदाधिकारी, मशरख और दरियापुर अनुपस्थित थे। इनका न तो कोई अवकाश आवेदन पत्र उपलब्ध था और न ही संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारीगण को इनकी अनुपस्थिति के बारे मे कोई जानकारी थी। जिलाधिकारी ने इसे गंभीरता से लेते हुये इनसे स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया।

2- इसके उपरान्त जिलाधिकारी ने उपस्थित प्रखंड विकास पदाधिकारियों और अनुमण्डल पदाधिकारीगण से दिनांक 16.4.2009 को संपन्न मतदान के संबंध मे उनके अनुभवों की जानकारी चाही और यह पूछा कि उनकी राय मे किन विन्दुओं पर और अधिक सुधार की आवश्यकता है। सभी पदाधिकारियों ने कमशः अपने विचार रखे जो निम्न प्रकार हैंः-

3- श्रीमती अनिता सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मढ़ौरा अपना कोई अनुभव और प्रकिया मे सुधार की आवश्यकता नहीं बता सकीं।

4- श्री विनय कुमार ठाकुर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज ने कहा कि जिला निर्वाचन कार्यालय का विभिन्न कोषांगों से समन्वय का नितान्त अभाव था। निर्वाचन कार्यालय मात्र सरकारी परिपत्रों मे Memo लगाने का कार्य करता था और किस कोषांग या पदाधिकारी को क्या कार्य करना है, यह निदेश दे पाने मे पूर्णतया विफल रहा था। उन्होने जिला निर्वाचन कार्यालय की कार्य प्रणाली मे सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया।

5- प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगरा ने कहा कि CPMF तथा अन्य बलों का Deployment ठीक नहीं था। जिन टोलों/ मतदान केन्द्रों को उन्होने Vulnerable या संवेदनशील प्रतिवेदित किया था उन पर बल का Deployment नहीं किये जाने से मतदान के दिन उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा था। अतएव Force deployment मे प्रखंड विकास पदाधिकारियों के प्रतिवेदन को महत्व दिया जाना चाहिये।

6- श्री रवीन्द्र कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, दिघवारा ने बताया कि जिला स्तर से प्रखंडो मे कोई भी आदेश बहुत देरी से पहुँचता था जिससे उसमे निहित निदेशों के अनुपालन मे कठिनाई होती थी। उदाहरणस्वरूप उनके क्षेत्र मे प्रतिनियुक्त बल और उससे कराये जाने वाले कार्यो से संबंधित आदेश बहुत देरी से मिला जिससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। यदि यह आदेश ससमय पहुँचता तो बलों का और भी बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता था जो नहीं किया जा सका।

7- श्री हीरामुनि प्रभाकर, प्रखंड विकास पदाधिकारी, पानापुर ने कहा कि उनका प्रखंड अत्यंत दुर्गम और देहाती क्षेत्र मे स्थित है जहां फोन, फैक्स, इण्टरनेट, बिजली तथा कम्प्यूटर की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है फिर भी उन्हें Computerised report CD तैयार कर भेजने का निदेश दिया जाता था जिससे उन्हें अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता था। उन्होने सुझाव दिया कि दुर्गम वातावरण मे कार्यरत प्रखंड विकास पदाधिकारियों को हस्तलिखित प्रतिवेदन भेजने की छूट होनी चाहिये।

श्री प्रभाकर ने यह भी कहा कि उनका प्रखंड अत्यंत दुर्गम स्थल मे है। वहां पर कोई न तो कोई पर्यवेक्षक है और न ही कोई जनसेवक है। जिला स्तर से अनुसचिवीय कर्मियों का पदस्थापन भी कर्मचारियों की योग्यता और क्षमता नहीं देख कर मात्र दण्डस्वरूप किया जाता है। वर्णित परिस्थिति मे वहां पदस्थापित कोई भी कर्मी कार्यकुशल नहीं है। इस कारण उन्हें कोई भी प्रतिवेदन स्वयं तैयार करना पड़ता है जिससे अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उन्होने पर्यवेक्षकीय कोटि के कर्मचारियों का पदस्थापन करने हेतु सरकार से अनुरोध करने के अतिरिक्त कतिपय सुयोग्य कर्मियों का पदस्थापन जिला स्तर से पानापुर प्रखंड/ अंचल कार्यालय मे करने का अनुरोध किया।

8- श्री राजीव रंजन, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मांझी ने कहा कि जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न कोषांगों और Data Cell मे ताल मेल का अभाव होने के कारण एक ही प्रतिवेदन को अनेक बार प्रेषित करना पड़ा। श्री राजीव रंजन ने जिला नियंत्रण कक्ष की कार्य

प्रणाली पर असंतोष प्रकट करते हुये कहा कि जो प्रतिवेदन जिला स्तर पर अथवा जिला नियंत्रण कक्ष मे ही सहजता से उपलब्ध हो सकता था, उसकी मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी से किया जाना नितान्त अव्यवहारिक था। अतएव जिला नियंत्रण कक्ष और Data Cell मे सुयोग्य और जानकार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जानी चाहिये।

9- श्री संजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, एकमा ने निर्वाचन आयोग द्वारा सेक्टर पदाधिकारियों के प्रयोग को अभिनव बताया लेकिन उन्होने कहा कि सेक्टर पदाधिकारियों के और Briefing की आवश्यकता है। उन्होने रसूलपुर थाना क्षेत्र सहित कुछ इलाकों मे और भी Intensive patrolling की आवश्यकता पर बल दिया।

10- मो0 राशिद अली, प्रखंड विकास पदाधिकारी, परसा ने अपने कार्यालय मे कर्मियों की कमी की चर्चा किया और कहा कि पर्याप्त कर्मी नहीं रहने से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा।

11- श्री अरविन्द कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, मकेर ने बताया कि जो मतदान केन्द्र संवेदनशील थे और जहां पर पुलिस बल/ CPMF तैनात करने की आवश्यकता थी वहां पर प्रतिनियुक्ति नहीं किये जाने से कठिनाई का सामना करना पड़ा। उन्होने भविष्य मे Force deployment मे प्रखंड विकास पदाधिकारियों की राय को भी महत्व दिये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री कुमार ने जिला स्तर पर कार्यरत कतिपय कोषांग यथा कार्मिक कोषांग मे कार्यरत पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के व्यवहार मे सुधार लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होने कहा कि इस कोषांग मे कार्यरत पदाधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ समुचित व्यवहार नहीं किया जाता था जिससे उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ता था और किसी कार्य के लिये अनावश्यक रूप से इधर उधर भटकना पड़ता था।

12- श्री अजय कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, गड़खा ने कहा कि पुलिस विभाग के स्तर पर उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं प्राप्त हो सका। उन्होने कहा कि दण्डाधिकारी के साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी/ पुलिस बल को उनके नियंत्रण मे कार्य करना चाहिये किन्तु पुलिस पदाधिकारी ऐसा नहीं कर स्वेच्छा से कार्य संपादित करते थे।

13- श्री राजयनन्द वाडियार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनपुर ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला मुख्यालय से सुदूर क्षेत्र मे कार्य करते हैं। इस चुनाव मे अनावश्यक रूप से छोटी मोटी त्रुटियों अथवा जो समस्यायें दूरभाष से भी बात कर अथवा जो समस्यायें जिनका निराकरण किसी अन्य कनीय पदाधिकारी के स्तर से भी हो सकता था उनके निराकरण हेतु बारम्बार जिला स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी को बुलाया जाता था जिससे प्रखंड का कार्य प्रभावित होता था। भविष्य मे वे ऐसा नहीं होने की अपेक्षा करते हैं।

श्री वाडियार ने भविष्य मे Force deployment मे पारदर्शिता बरतने का भी अनुरोध किया।

14- श्री अरूण कुमार सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सदर छपरा ने कहा कि जिला स्तर पर कार्यरत कोषांगों और प्रखंडो के बीच समन्वय का अभाव होने के कारण कार्य करने मे कठिनाई हुई । उदाहरणस्वरूप वाहन पकड़ने का कार्य जिला और प्रखंड स्तर पर एक साथ प्रारंभ नहीं होने से वाहनों की व्यवस्था करने मे परेशानी का सामना करना पड़ा।

श्री सिंह ने भी निर्वाचन आयोग द्वारा लागू किये गये सेक्टर पदाधिकारियों की अवधारणा को सही बताया किन्तु उन्होने कहा कि इन सेक्टर पदाधिकारियों के साथ CPMF/ Force प्रतिनियुक्त नहीं किये जाने के कारण इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका।

श्री सिंह ने मतदाता सूची की त्रुटियों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि इसमे समय पूर्व सुधार कर लिया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया।

15- श्री संदीप शेखर प्रियदर्शी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अमनौर ने कहा कि मतदान केन्द्रों की पुलिस थाना से संबद्धता स्पष्ट होनी चाहिये। यह प्रतिवेदन मतदान के पूर्व ही तैयार कर लिया जाना चाहिये जो नहीं किया गया। श्री प्रियदर्शी ने भी मतदाता सूची की त्रुटियों का निराकरण किये जाने की बात पर बल दिया।

16- श्री मनोज कुमार, प्रखंड विकास पदाधिकारी, जलालपुर ने मतदान के दिन प्रखंडो मे सुरक्षित रूप से कुछ बल प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता बताया जिनका उपयोग किसी भी आकस्मिक स्थति से निबटने मे किया जा सके।

17- श्री देवेन्द्र कुमार दर्द, प्रखंड विकास पदाधिकारी, तरैया ने कहा कि ई वी एम प्रशिक्षण का कार्य Mass level पर नहीं कर छोटे छोटे समूहों मे की जानी चाहिये जिससे सभी कर्मी इससे भली भांति परिचित हो सकें।

श्री दर्द ने प्रखंड विकास पदाधिकारियें के साथ एक सेक्शन सशस्त्र बल प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता बताया ताकि कहीं से सूचना प्राप्त होने पर वे तत्क्षण वहां के लिये प्रस्थान कर सकें।

श्री दर्द ने दूरस्थ प्रखडो मे efficient staff का पदस्थापन करने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि सरकारी कार्य कुशलता से संपादित किया जा सके।

18- श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता, अनुमण्डल पदाधिकारी, सोनपुर ने प्रत्येक प्रखंड मे Striking Magistrate & Striking force प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता बतायी ताकि सघन गश्ती करवायी जा सके। श्री गुप्ता ने सेक्टर पदाधिकारियों की अवधारण को सही बताया किन्तु उन्होने कहा कि जो सेक्टर पदाधिकारी वर्षो से उसी प्रखंड मे पदस्थापित है वह प्रभावकारी रूप से और निष्पक्षता से अपना कार्य संपादित नहीं कर सकता क्योंकि उस पर स्थानीय लोग प्रभावी हो सकते हैं। अतएव श्री गुप्ता ने सेक्टर पदाधिकारियों को Interchange कर प्रतिनियुक्त करने की आवश्यकता पर बल दिया। श्री गुप्ता ने यह भी कहा कि वर्तमान चुनाव मे बनाये गये सेक्टर बहुत बड़े थे और एक एक सेक्टर पदाधिकारी को 14-15 मतदान केन्द्रों का भ्रमण करना पड़ता था अतएव छोटे छोटे सेक्टर बनाये जांय ताकि भ्रमण करने मे कठिनाई

नहीं हो और सेक्टर दण्डाधिकारी नियमित अन्तराल पर अपने से संबद्ध मतदान केन्द्रों पर पहुँच जाया करें।

19- श्री सांवर भारती, अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा ने भी प्रखंड विकास पदाधिकारी, रिविलगंज के कथन से अपनी सहमति व्यक्त करते हुये कहा कि इस निर्वाचन मे जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं कर मात्र Memo लगाने का कार्य किया गया । उन्होने जिला निर्वाचन कार्यालय के और भी प्रभावकारी रूप से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।

श्री भारती ने सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया कि अनेक समस्यायें पत्रों को गहराई से अध्ययन नहीं किये जाने के कारण उत्पन्न होती हैं अतएव यदि पत्रों को नियमित रूप से पढ़ा जाय और उनमे निहित निदेशों का अनुपालन किया जाय तो अनेक समस्याओं को अविलंब हल किया जा सकता है।

20- श्री सुरेन्द्र झा, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, मढ़ौरा ने कहा कि Vulnerability की पहचान समुचित रूप से नहीं हुयी क्योंकि इसके लिये बहुत ही कम समय मिला था। अतएव भविष्य मे निर्वाचन के काफी पूर्व ही Vulnerability की पहचान कर ली जानी चाहिये। उन्होने सेक्टर पदाधिकारियों को दिये गये मतदान केन्द्रों की संख्या भी अत्यधिक बताया और कहा कि सेक्टर पदाधिकारियों को Overutilised किया गया जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित हुयी। भविष्य मे उन्होने छोटे सेक्टर बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

21- श्री प्रकाश कुमार, उप विकास आयुक्त, सारण ने कहा कि इस निर्वाचन की घोषणा के उपरान्त निर्गत दिशा निर्देश स्पष्ट नहीं होने से इसकी तैयारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। किसी भी निर्देश मे Clarity नहीं होने, निर्गत जिला आदेश मे विभिन्न महत्वपूर्ण कोषागों की कोई चर्चा ही नहीं किये जाने, एक ही पदाधिकारी को अनेक कोषागों का प्रभार दे दिये जाने और कोषांगों के कार्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं होने से कठिनाई का सामना करना पड़ा। बाद मे स्पष्ट निदेश प्राप्त होने से कार्य मे तेजी आयी और निर्वाचन कार्य कुशलता से संपन्न कर लिया गया। उप विकास आयुक्त ने निर्वाचन कार्य हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश निर्गत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

22- अन्त मे जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को उनके बहुमूल्य सुझावों के लिये धन्यवाद दिया और कहा कि उनके द्वारा दिये गये सुझावों पर निश्चित रूप से गौर कर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

BRajendra 22/7/09

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1546 / सी
छपरा,दिनांक 24 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण/ जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण/ जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण/ उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा/ स्थापना उप समाहर्त्ता, सारण/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारण जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D Rajender 23.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1546 / सी
छपरा,दिनांक 24 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

D Rajender 23.4.2009
(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिलाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता मे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ दिनांक 21.4.2009 को संपन्न विभिन्न मदों मे दी गयी अग्रिम राशि के समायोजन और अतिरिक्त राशि के मांग से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

संलग्न परिशिष्ट पर संधारित है।

बैठक के प्रारंभ मे जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को बताया कि इस बैठक का उद्देश्य लोकसभा चुनाव-2009 के अवसर पर यात्रा भत्ता मद, आकस्मिकता मद, अर्द्ध सैनिक बल मद मे उपलब्ध करायी गयी राशि के समायोजन तथा अतिरिक्त राशि की मांग के संबंध मे विमर्श करना है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि निर्वाचन के अवसर पर जो भी राशि जिला स्तर से प्रखंडों/ अन्य कार्यालयों को उपलब्ध करायी जाती है उसका समायोजन ससमय नहीं होने पर अंकेक्षण की आपत्तियां होती हैं और इसके लिये दोषी पदाधिकारी के विरूद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जाता है। राशि उपलब्ध होने के बावजूद यदि वाहन मालिकों के मुआवजा और ईधन मद मे व्यय की गयी राशि का भुगतान नहीं किया जाता है तो उनके द्वारा बढ़ा चढ़ा कर विपत्र दिया जाता है, कार्यालय द्वारा उन्हें Black mail करने का प्रयास किया जाता है जिससे उनमे असंतोष व्याप्त होता है और भ्रष्टाचार को प्रश्रय मिलता है। इससे उनके मन मे प्रशासनिक तंत्र के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है। इस कारण भविष्य के चुनावों मे वाहन उपलब्ध हो पाने मे कठिनाई होती है। अतः राशि का समायोजन नितान्त आवश्यक है।

2- इस बैठक का एक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा लोकसभा चुनाव-2009 के अवसर पर प्रखंड कार्यालय की किसी राशि का विचलन नहीं किया गया है, सभी आपूर्त्तिकर्त्ताओं, वाहन मालिकों के मुआवजा का शत प्रतिशत भुगतान कर दिया गया हे। इसके लिये निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित हैः-

1- जो भी राशि आपके पास अवशेष है उसे नकद/ चेक के माध्यम से जिला निर्वाचन कार्यालय मे जमा करा कर नाजिर रसीद प्राप्त कर लें। यदि राशि चेक के माध्यम से लौटा रहे हैं तो चेक जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण के पदनाम से भुगतेय होगा।

2- अपने पास संधारित सभी पंजियां जिनमे मतदान पदाधिकारियों को दी गयी अग्रिम राशि का विवरण अंकित है, की छायाप्रति करा कर अपने पास रख लें

Bijendra

और मूल प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय, सारण को दिनांक 28.4.2009 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

3- यात्रा भत्ता मद मे प्राप्त राशि को आपके कार्यालय की रोकड़ बही मे प्राप्ति शीर्ष मे दर्ज किया गया होगा। इस राशि मे से जितनी राशि व्यय हुयी है, उसे व्यय शीर्ष मे संधारित कर अवशेष राशि जिला निर्वाचन कार्यालय के पास भेंज दी जाय।

4- आपको यह प्रमाण पत्र देना होगा कि लोकसभा चुनाव-2009 मे यात्रा भत्ता मद मे प्राप्त की गयी राशि के विरूद्ध कोई राशि बकाया नहीं है और सभी राशि नियमानुसार व्यय करने के उपरान्त समुचित रूप से इसका लेखा संधारित किया गया है।

5- इस संबंध मे एक बैठक समाहरणालय सभागार मे दिनांक 28.4.2009 को पूर्वाह्न 10 बजे आयोजित की गयी है। आपको निदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त कंडिका 2 एवं 3 मे वर्णित सभी पंजियां एवं अभिश्रव अपने साथ ले कर इस बैठक मे निश्चित रूप से भाग लें। इस बैठक मे सभी पंजियों की जांच कर उन्हें अंतिम रूप से निष्पादित कर डी. सी. विपत्र तैयार कर महालेखाकार, बिहार के पास भेजने की कार्रवाई की जायेगी।

6- इसी प्रकार आकस्मिकता मद मे उपलब्ध करायी गयी राशि के संबंध मे निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है:-

आकस्मिकता मद मे जो राशि आपको उपलब्ध करायी गयी है उसका उपयोग मुख्यतः वाहन के मुआवजा भुगतान, ईधन आपूर्त्ति, जेनेरेटर, कुर्सी टेबल, शामियाना, माईक, स्टेशनरी अथवा मजदूरी भुगतान मे किया गया होगा। इसके लिये उपलब्ध करायी गयी राशि के समायोजन हेतु निम्नलिखित प्रपत्र मे विवरणी जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराना है। यदि इस मद मे अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है तो उसके औचित्य को दर्शाते हुये राशि की मांग की जाय ताकि इसे आपको उपलब्ध कराया जा सके। वर्णित परिस्थिति मे आपसे निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है:-

(क)- वाहनों को मुआवजा भुगतान हेतु विवरणी आपको निम्नलिखित प्रपत्र मे समर्पित करनी है:-

1- कमांक
2- वाहन का निबंधन संख्या
3- मालिक का नाम

4- लॉगबुक खोलने की तिथि
5- वाहन कितने दिन प्रयोग किया गया
6- आपूरित ईधन की मात्रा
7- वाहन किन मतदान केन्द्रों से संबद्ध रहा
8- कुल भुगतेय राशि
9- दिया गया अग्रिम
10- भुगतान हेतु अवशेष राशि

उपर्युक्त प्रपत्र मे प्रत्येक वाहन की विवरणी तैयार करें तथा दिनांक 30.4.2009 को प्रखंड कार्यालय मे शिविर लगा कर सभी वाहन मालिकों को मुआवजा की राशि का चेक के माध्यम से अंतिम रूप से भुगतान कर दें। इस शिविर की वीडियोग्राफी भी करवायी जाय।

(ख)- ईधन आपूर्त्तिकर्त्ताओं के भुगतान हेतु भी निम्नलिखित प्रपत्र मे विवरणी तैयार की जायः-

1- पेट्रोल पम्प का नाम
2- कुल आपूरित ईधन की मात्रा
3- कुल देय राशि
4- अग्रिम दी गयी राशि
5- भुगतेय राशि

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि थाना को उपलब्ध कराये गये वाहनों और मतदानकर्मियों को मतदान केन्द्रों पर पहुँचाने के लिये उपयोग किये गये वाहनों के मुआवजा और ईधन का भुगतान भी प्रखंड कार्यालय से ही किया जाना है।

(ग)- टेन्ट शामियाना के भुगतान हेतु निम्नलिखित प्रपत्र मे विवरणी तैयार की जायः-

1- कमांक
2- अवसर
3- शामियाना का आकार वर्ग फीट मे
4- दिन
5- कुल भुगतेय राशि
6- अग्रिम दी गयी राशि
7- शुद्ध भुगतेय राशि

इसी प्रकार जेनेरेटर, माइक, लाईट पंखा, स्टेशनरी और मजदूरी की भी विवरणी तैयार की जाय और सभी विवरणी दिनांक 28.4.2009 तक जिला निर्वाचन कार्यालय मे उपलब्ध करा दिया जाय।

7- लोकसभा चुनाव-2009 के अवसर पर सेक्टर पदाधिकारियों को वाहन उपलब्ध कराया गया है। उन्हें ईधन आपूर्त्ति करने के अतिरिक्त वीडियोग्राफी करवाने हेतु अग्रिम प्रदान करने हेतु आपको राशि जिला स्तर से उपलब्ध करायी गयी है। इस राशि के समायोजन की आवश्यकता है। अतः निदेश दिया जाता है कि

निम्नलिखित प्रपत्र मे सूचनायें एक सप्ताह के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय, सारण मे उपलब्ध करा दें:-

1- कमांक
2- वाहन का निबंधन संख्या
3- वाहन का प्रकार
4- मालिक का नाम
5- सेक्टर पदाधिकारी का नाम
6- लॉग बुक खोलने की तिथि
7- वाहन मुक्त करने की तिथि
8- वाहन का कितने दिन उपयोग किया गया
9- आपूरित ईधन की मात्रा
10-कुल देय राशि
11-अग्रिम प्रदान की गयी राशि
12-अवशेष राशि जो भुगतान की जानी है

8- ऐसी ही सूचनायें ईधन मद और वीडियोग्राफी मद मे व्यय की गयी राशि के बारे मे भी उपलब्ध करवायी जांय।

9- यहां यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि अग्रिम प्रदान की गयी राशि का समायोजन कराने के साथ साथ यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो उसका औचित्य दर्शाते हुये प्रतिवेदन भी समर्पित किया जाय। अपने प्रतिवेदन मे इस आशय का प्रमाण पत्र भी दिया जाय कि लोकसभा चुनाव-2009 के अवसर पर प्रखंड कार्यालय मे किसी राशि का विचलन नहीं किया गया है, कोई राशि बकाया नहीं है, जो भी राशि प्राप्त हुयी है उसका नियमानुसार व्यय किया गया है और इसका लेखा भी नियमानुसार संधारित किया गया है।

10- लोकसभा चुनाव-2009 के अवसर पर विभिन्न प्रखंडो मे अर्द्ध सैनिक बलों का आवासन किया गया था। इन बलों को वाहन की आपूर्त्ति, उनमे ईधन की आपूर्त्ति, वाहन का मुआवजा, मोबाईल का रिचार्ज वाउचर, जेनेरेटर इत्यादि पर व्यय करने हेतु आवासन मुख्यालय के प्रखंड विकास पदाधिकारी को राशि उपलब्ध करायी गयी थी।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि कुछ वाहन अर्द्ध सैनिक बलों द्वारा बाहर से भी लाये गये थे। ये वाहन भी जितने दिन सारण जिला मे रहे हैं उनके मुआवजा का भुगतान संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। कुछ वाहन जिला वाहन कोषांग द्वारा अर्द्ध सैनिक बलों को उपलब्ध कराये गये थे, इनके मुआवजा का भुगतान भी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाना है। निदेश दिया जाता है

कि निम्नलिखित प्रपत्र मे सूचनायें एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध करायें ताकि अग्रिम राशि का समायोजन करने के उपरान्त अतिरिक्त राशि की मांग की जा सके:-

1- कमांक
2- वाहन का निबंधन संख्या
3- वाहन का प्रकार
4- मालिक का नाम
5- लॉग बुक खोलने की तिथि
6- वाहन मुक्त करने की तिथि
7- वाहन का कितने दिन उपयोग किया गया
8- कुल देय राशि
9- अग्रिम प्रदान की गयी राशि
10-अवशेष राशि जो भुगतान की जानी है

11- इसी प्रकार ईधन मद मे उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी भी निम्नलिखित प्रपत्र मे समर्पित करें:-

1- पेट्रोल पम्प मालिक का नाम
2- आपूरित कुल मात्रा
3- कुल देय राशि
4- अग्रिम दी गयी राशि
5- शुद्ध भुगतेय राशि
12- अर्द्ध सैनिक बलों के लिये जितने भी जेनेरेटर लगवाये गये उनका विवरण निम्नलिखित प्रपत्र मे समर्पित करें:-

1- कमांक
2- स्थल
3- जेनेरेटर की संख्या
4- जेनेरेटर लगाने की तिथि
5- जेनेरेटर हटाने की तिथि
6- कुल उपयोग किये गये दिनों की संख्या
7- कुल भुगतेय राशि
8- अग्रिम दी गयी राशि
9- शुद्ध भुगतेय राशि
13- यह प्रमाण पत्र देना भी अनिार्य होगा कि अर्द्ध सैनिक बलों के आवासन के लिये प्रखंड के किसी राशि का विचलन नहीं किया गया है और इस मद मे कोई राशि बकाया नहीं है।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

27.4.2009
(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी, सारण
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 744 / निर्वाचन
छपरा,दिनांक 21 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा/ सोनपुर और मढ़ौरा/ निदेशक, डी आर डी ए सारण/ प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारण जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Rajendra 21.4.2009
(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी, सारण
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 744 / निर्वाचन
छपरा,दिनांक 21 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

Rajendra 21.4.2009
(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी, सारण
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिलाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण की अध्यक्षता मे सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों के साथ दिनांक 21.4.2009 को संपन्न मतगणना की तैयारियों से संबंधित बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

संलग्न परिशिष्ट पर संधारित है।

बैठक के प्रारंभ मे जिलाधिकारी ने उपस्थित पदाधिकारियों को बताया कि इस बैठक का उद्देश्य लोकसभा चुनाव-2009 की मतगणना को पर्याप्त गुणवत्ता, और पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत संपन्न कराना है। इसके लिये वज्रगृह प्रभारी, सहायकों/ सहायक निर्वाची पदाधिकारियों और सहयोगी पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना आवश्यक है। इस परिप्रेक्ष्य मे निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः-

1- सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपनी टीम मे शामिल किये जाने वाले पदाधिकारियों/ पर्यवेक्षकों/ सहायको और अनुसेवियों की सूची एक सप्ताह के अंदर जिला निर्वाचन कार्यालय मे उपलब्ध करा दें।

21- वज्रगृह प्रभारी का दायित्वः-

2.1 सभी वज्रगृह प्रभारी दिनांक 16.5.2009 को प्रातः 6.30 बजे संबंधित वज्रगृह की चाभियों के साथ कृषि उत्पादन बाजार समिति परिसर मे उपस्थित होंगे। वे संबंधित प्रेक्षक के लायसन पदाधिकारी से संपर्क कर उनके पास रखी गयी चाभियां भी प्राप्त करने का कार्य करेंगे। इनके साथ संबद्ध सहायक और अनुसेवी भी इनके साथ उपस्थित रहेंगे।

2.2 मतगणना का कार्य चक्रवार किया जायेगा। इसके लिये चक्रवार ई वी एम की सूची जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर ली जाय तथा उसी के अनुरूप ई वी एम को मतगणना हॉल मे भेजने की जिम्मेवारी वज्रगृह प्रभारी की होगी।

2.3 वजगृह को प्रत्याशियों अथवा उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों और प्रेक्षकगण की उपस्थिति मे ही खोला जायेगा और इस पूरी प्रकिया की वीडियोग्राफी करवायी जायेगी। वज्रगृह प्रभारी इस हेतु एक वीडियोग्राफर की सेवा जिला निर्वाचन कार्यालय के माध्यम से प्राप्त करेंगे जो यथासमय वहां उपस्थित रहेगा।

2.4 जिन मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान हुआ है उनसे संबंधित पहले का ई वी एम लाल कपड़े मे बांध कर अलग कक्ष मे रखा जायेगा और उसके स्थान पर पुनर्मतदान वाला ई वी एम रखा जायेगा तथा इसी को मतगणना हेतु हॉल मे ले जाया जायेगा।

2.5 वज्रगृह प्रभारी का यह दायित्व होगा कि सहायक निर्वाची पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर ई वी एम का प्रवाह सुचारू रूप से नियमानुसार मतगणना हॉल मे सुनिश्चित करेंगे।

3- सहायक निर्वाची पदाधिकारी का दायित्वः-

3.1 सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपने सहयोगी पदाधिकारियों की कार्य तालिका समय पूर्व निर्धारित कर देंगे। इनमे से एक पदाधिकारी वज्रगृह प्रभारी से संपर्क स्थापित कर ई वी एम को कमानुसार मतगणना हॉल मे ले आयेगे और जैसे ही मतगणना समाप्त हो जाय वे उक्त ई वी एम को सीलिंग शाखा के प्रभारी से संपर्क कर उसे सील करवाना सुनिश्चित करेंगे।

3.2 एक सहयोगी पदाधिकारी प्रत्येक मतगणना टेबल से प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त मतों की चेक स्लिप प्राप्त कर चक्रवार Fly leaf मे संधारित कर सहायक निर्वाची पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। यह चेक स्लिप दो प्रतियों मे तैयार की जायेगी। एक प्रति पर प्रत्येक मतगणना टेबल पर उपस्थित काउंटिंग अभिकर्त्ताओं का हस्ताक्षर प्राप्त किया जायेगा तथा द्वितीय प्रति कम्प्यूटर शाखा मे गणना हेतु उपलब्ध करा देना इन पदाधिकारी का दायित्व होगा।

3.3 सहायक निर्वाची पदाधिकारी के टेबल पर गणना कार्य हेतु सुयोग्य अभियन्ताओं/ सांख्यिकी विभागीय कर्मियों अथवा गणना मे कुशल अन्य कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। इस टेबल पर आवश्यकतानुसार कैलकुलेटर जिला निर्वाचन कार्यालय से उपलब्ध कराया जायेगा।

3.4 एक पदाधिकारी मतगणना अभिकर्त्ताओं की आपत्तियों का निराकरण करने और मतगणना हॉल मे विधि व्यवस्था संधारण का कार्य करेगा।

3.5 एक पदाधिकारी मतगणना कार्य मे प्रतिनियुक्त कर्मियों को पानी, नाश्ता इत्यादि की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे।

3.6 एक पदाधिकारी पोस्टल बैलट पेपर के प्रभार मे रहेंगे।

3.7 एक पदाधिकारी मतगणना कर्मियों के टेबल पर बैठने के बाद उन्हें अग्रिम राशि, आवश्यक प्रपत्र और अन्य सामग्रियां उपलब्ध कराने का कार्य करेंगे।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Rajendra 21.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी, सारण
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 745 / निर्वाचन
छपरा,दिनांक 21 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी सदर छपरा/ सोनपुर और गंडौरा/ निदेशक, डी आर डी ए सारण/ प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग/ ई वी एम कोषांग/ कार्मिक कोषांग/ अर्द्ध सैनिक बल कोषांग/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सारण जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.4.2009
(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी, सारण
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 745 / निर्वाचन
छपरा,दिनांक 21 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

21.4.2009
(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिलाधिकारी, सारण
-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

दिनांक 24.4.2009 को डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे लोक सभा निर्वाचन-2009 की मतगणना के परिप्रेक्ष्य मे विभिन्न कोषांगों के प्रभारी पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सह वरीय प्रभारी पदाधिकारी
3-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण
4-	श्री सांवर भारती	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा
5-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर सह प्रभारी पदाधिकारी सामग्री कोषांग
6-	श्री मोहन प्रसाद	जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी भोजन कोषांग
7-	श्री मुश्ताक अहमद नूरी	जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण
8-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण

दिनांक 16.5.2009 को होने वाली मतगणना की तैयारियों की समीक्षा के कम मे विभिन्न कोषांगों को निम्नलिखित निदेश दिये गयेः-

1- सामग्री कोषांगः-

1.1 प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग ने बताया कि मतगणना मे प्रयुक्त होने वाली सामग्री का आकलन कर लिया गया है। जिलाधिकारी ने इन्हें निदेश दिया कि वे तदनुसार संचिका मे प्रस्ताव प्रस्तुत कर उसका अनुमोदन प्राप्त कर लें।

1.2 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे प्रपत्रों को मुद्रित कराने के पूर्व मुद्रक और उप विकास आयुक्त से एक साथ विमर्श कर लें ताकि प्रपत्रों का मुद्रण उचित प्रकार से हो सके।

1.3 मतगणना के बाद बाक्स को सील करने के लिये जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि कपड़े का एक छोटा थैला बनवा लें जिसके मुँह पर रस्सी लगी होनी चाहिये।

1.4 जिलाधिकारी ने प्रभारी पदाधिकारी, सामग्री कोषांग को निदेश दिया कि सहायक निर्वाची पदाधिकारी के टेबल पर कार्य करने वाले कर्मियों को सभी सामग्री एक पैकेट मे उपलब्ध करा देने की व्यवस्था की जाय।

2- मतदाता कल्याण कोषागः-

2.1 श्री मोहन प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी को मतगणना के दिन नाश्ता और भोजन की व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा गया है। श्री प्रसाद को निदेश दिया गया कि अच्छी गुणवत्ता के भोजन की व्यवस्था समयबद्ध रूप मे करना सुनिश्चित करेंगे। उन्हें यह भी निदेश दिया गया कि इससे संबंधित प्रारूप तैयार कर दिनांक 25.4.2009 की बैठक मे उपस्थापित करेंगे।

2.2 यह निर्णय लिया गया कि पुलिस पदाधिकारी/ बल के लिये भोजन की व्यवस्था अलग से की जायेगी। श्री मोहन प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि

दिनांक 25.4.2009 की बैठक इस बारे मे विमर्श हेतु परिचारी प्रवर और पुलिस उपाधीक्षक, द्वितीय, छपरा को भी आमंत्रित किया जाय।

2.3 प्रभारी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे मतगणनाकर्मियों के अतिरिक्त वज्रगृह और सीलिंग मे प्रतिनियुक्त कर्मियों के भोजन की भी व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। प्रत्येक कर्मी को पानी के लिये Exclusive रूप मे बोतल उपलब्ध कराने का निर्णय भी लिया गया।

2.4 मतगणना परिसर मे कर्मचारियों के स्वागत हेतु बैनर लगाने का भी निदेश जिला योजना पदाधिकारी को दिया गया।

3- विविधः-

3.1 उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को निदेश दिया गया कि वे विभिन्न कोषांगों के आगे और अन्य स्थानों पर लगाये जाने वाले शामियाना के आकार और संख्या का समय पूर्व आकलन कर मात्र एक दिन के लिये इन्हें लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

3.2 उप निर्वाचन पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया गया कि वे वाहन मालिकों के मुआवजा भुगतान से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्रों मे प्रकाशित करा दें कि वे निर्धारित तिथि को प्रखंड मुख्यालय/ एकता भवन मे अपने वाहन से संबंधित मुआवजा प्राप्त कर लें। विज्ञप्ति मे इस बात का भी उल्लेख किया जाय कि दिनांक 30.4.2009 के बाद कोई भी बकाया भुगतान नहीं किया जायेगा।

3.3 मुआवजा भुगतान कार्यक्रम की वीडियोग्राफी कराने का भी आदेश दिया गया।

3.4 जिला परिवहन पदाधिकारी सारण को आदेश दिया गया कि अन्य जिलो मे भेजे गये वाहनों के मुआवजा का भी भुगतान करवाना सुनिश्चित करेंगी।

3.5 वज्रगृह से संबंधित आदेश अभी तक नहीं निर्गत किया जा सका है। श्री गोपीचन्द सिंह, कोषागार पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया कि वे दिनांक 25.4.2009 की बैठक मे इसके साथ उपस्थित होंगे।

3.6 श्री मुश्ताक अहमद नूरी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया कि वे मीडिया सेल से संबंधित आदेश तैयार कर दिनांक 25.4.2009 तक प्रस्तुत करेंगे।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

25.4

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1552 /सी
छपरा,दिनांक 26 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ उप

समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, छपरा/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण/ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण/ जिला योजना पदाधिकारी, सारण/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25.4.2009

(डा0 वी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1552 / सी
छपरा,दिनांक 26 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

25.4.2009

(डा0 वी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

दिनांक 25.4.2009 को डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे लोक सभा निर्वाचन-2009 की मतगणना के परिप्रेक्ष्य मे विभिन्न पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सारण
3-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण
4-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण
5-	श्री सूर्य नारायण सिंह	जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण
6-	श्री सांवर भारती	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा
7-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर
8-	श्री रमेश राम	कनीय अभियन्ता, भवन प्रमण्डल, छपरा
9-	श्री नौशाम आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

दिनांक 16.5.2009 को होने वाली मतगणना की तैयारियों की समीक्षा के क्रम मे विभिन्न पदाधिकारियों को निम्नलिखित निदेश दिये गयेः-

1- उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया कि वे सभी वज्रगृह प्रभारी पदाधिकारियों को सूचित करें कि मतगणना की समाप्ति के बाद वज्रृह के ताले निर्वाचन कार्यालय मे जमा करा उसकी रसीद प्राप्त कर लेंगे।

2- जिला कल्याण पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे मतगणना के उपरान्त ई वी एम सीलिंग का प्रशिक्षण आयोजित करायें जिसमे प्रतिनियुक्त कर्मियों को विधिवत् ई वी एम सील करने का प्रशिक्षण दिया जाय। इस सीलिंग मे केवल Control Unit ही सील की जायेगी।

3- जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया किवे दिनांक 26.4.2009 को समाहरणालय सभागार मे और दिनांक 28.4.2009 को मजहरूल हक एकता भवन मे वाहन मालिकों को चेक बंटवाने की सारी तैयारियां पूर्ण कर लें और सभी वाहन मालिकों को तदनुसार सूचित कर दें।

4- जिला परिवहन पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि अन्य जिलो को निर्वाचन कार्य हेतु भेजे गये वाहनों की विवरणी और उन्हें भुगतेय मुआवजा का विवरण से अविलंब प्रस्तुत करें ताकि अन्य जिलों से इन वाहनों के मुआवजा की मांग की जा सके।

5- उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को आदेश दिया गया कि वे राजीव कुमार, पेट्रोल पम्प मालिक, मे0 अंकुर ट्रेडर्स, आपूत्तिकर्त्ता और प्रेक्षक कोषांग मे टेलीविजन सेट लगाने वाले वेण्डर के विपत्र का भुगतान अविलंब सुनिश्चित करायें।

6- पोस्टल बैलेट पेपर आने प्रारंभ हो गये हैं। इस परिप्रेक्ष्य मे उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को निदेश दिया गया कि वे प्राप्त होने वाले पोस्टल बैलट पेपर के रख

रखाव हेतु श्री गोपीचन्द सिंह, कोषागार पदाधिकारी, सारण के नेतृत्व मे एक कोषांग गठित करने का आदेश निर्गत करें।

अन्त मे सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

26.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1564. / सी
छपरा,दिनांक 26 अप्रैल,2009

प्रतिलिपि उप विकास आयुक्त, सारण/ अपर समाहर्त्ता, सारण-सह-निर्वाची पदाधिकारी, 20- सारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र/ जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण/ अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा/ सोनपुर एवं मढ़ौरा/ उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, सदर, छपरा/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण/ जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, सारण/ जिला योजना पदाधिकारी, सारण/ उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

ज्ञापांक 1564 / सी
छपरा,दिनांक 26. अप्रैल,2009

प्रतिलिपि आयुक्त, सारण प्रमण्डल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

26.4.2009

(डा0 बी. राजेन्दर)
जिलाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

सारण समाहरणालय, छपरा

(निर्वाचन प्रशाखा)

आदेश

19–महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र एवं 20–सारण लोक सभा क्षेत्र का मतगणना कार्य दिनांक–16.05.2009 को बाजार समिति, छपरा के प्रांगण में निर्धारित है । मतगणना कार्य में संलग्न पदाधिकारियों / कर्मचारियों के लिए जलपान एवं भोजन की व्यवस्था के लिए भोजन कोषांग का गठन किया जाता है । इस कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी श्री मोहन प्रसाद, जिला योजना पदाधिकारी, सारण होगें । यह कोषांग जिला योजना पदाधिकारी के कार्य कक्ष में तत्कालिक प्रभाव से कार्यरत रहेगा । इनकी सहायता हेतु निम्नांकित पदाधिकारियों / कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति इस कोषांग में की जाती है :–

क्रम	नाम	पदनाम	आवंटित विधान सभा क्षेत्र
01.	श्री लक्ष्मीनारायण दास	प्र0 आ0 पदा0, रिविलगंज	114–मॉझी
02.	श्री विकास कुमार	लेखापाल, प्रखंड संसाधन केन्द्र, रिविलगंज	114–मॉझी
03.	श्री अशोक कुमार सिंह	प्र0 आ0 पदाव0 , मॉझी	113–एकमा
04.	श्री विशाल जगनानी	लेखापाल, प्रखंड संसाधन केन्द्र, मॉझी	113–एकमा
05.	श्री धर्मवीर यादव	प्र0 आ0 पदा0, बनियापुर	115–बनियापुर
06.	श्री पंकज कुमार चौहान	लेखापाल, प्रखंड संसाधन केन्द्र, लहलादपुर	115–बनियापुर
07.	श्री मोईज्न अंसारी	प्र0 आ0 पदा0, तरैया	116–तरैया
08.	श्री अभय कुमार	लेखापाल, प्रखंड संसाधन केन्द्र, गरखा	116 तरैया
09.	श्री उमेश चन्द्र उपाध्याय	प्र0 आ0 पदा0, जलालपुर	112–महाराजगंज
10.	श्री अखिलेश कुमार	लेखापाल, प्रखंड संसाधन केन्द्र, मढ़ौरा	–तथैव–
11.	श्री अमानुल्ला खान	प्र0 आ0 पदा0, गरखा	111–गोरेया कोठी
12.	श्री पंकज कुमार	लेखापाल, प्रखंड संसाधन केन्द्र, एकमा	–तथैव–
13.	श्री अरूण बिहारी लाल	प्र0 आ0 पदा0, मकेर	118–छपरा
14.	श्री विरेन्द्र कुमार राम	लेखापाल, प्रखंड संसाधन केन्द्र, मकेर	118–छपरा
15.	श्री बलिराम सिंह	प्र0 आ0 पदा0, अमनौर	119–गरखा (अ0जा0
16.	श्री अनुरंजन कुमार	लेखापाल, प्रखंड संसाधन केन्द्र, अमनौर	–तथैव–
17	श्री श्याम किशोर प्रसाद	प्र0 आ0 पदा0, मढ़ौरा	117–मढ़ौरा
18.	श्री प्रेम कुमार	लेखापाल, प्रखंड संसाधन केन्द्र, परसा	117–मढ़ौरा
19.	श्री गोपालजी प्रसाद	प्र0 आ0 पदा0, सोनपुर	121–परसा
20.	श्री सुनील कुमार	लेखापाल, प्रखंड संसाधन केन्द्र, सोनपुर	121–परसा

कृ0उ0पृ

187

21.	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिन्हा	प्र0 आ0 पदा0, दरियापुर	120–अमनौर
22.	श्री तारकेश्वर सिंह	लेखापाल, प्रखंड संसाधन केन्द्र, दरियापुर	120–अमनौर
23.	श्री सुमन कुमार सिन्हा	प्र0 आ0 पदा0, पानापुर	122–सोनपुर
24.	श्री संजय कुमार	लेखापाल, प्रखंड संसाधन केन्द्र, दिघवारा	122–सोनपुर
25.	श्री श्याम दास चटर्जी	प्र0 आ0 पदा0, मशरक	निर्वाची पदा0, 19. महाराजगंज, लोक सभा क्षेत्र
26	श्री रवीन्द्र कुमार	लेखापाल, प्रखंड संसाधन केन्द्र, इसुआपुर	–तथैव
27.	श्रीमती नीलम कुमारी	प0 आ0 पदा0, छपरा सदर	निर्वाची पदा0, 20–सारण लोक सभा क्षेत्र
28.	श्री राजीव कुमार	लेखापाल, प्रखंड संसाधन केन्द्र, नगरा	–तथैव–
29.	श्रीमती रेनु कुमारी	प्र0 आ0 पदा0, दिघवारा	
30.	श्रीमती सुधारानी जयसवाल	प्र0 आ0 पदा0, इसुआपुर	
31.	श्री दिलीप कुमार सिंह	प्रधान सहायक, जिला योजना कार्यालय, सारण	
32.	श्री सिद्धेश्वरी नन्द प्र0 सिन्हा	व0 सा0 स0, जिला योजना कार्यालय, सारण	
33.	श्री बिष्णु देव प्रा0 सिंह	सहायक, जिला योजना कार्यालय, सारण	
34.	श्री रविरंजन राकेश	स0 सां0 पदा0, जिला सांख्यिकी कार्यालय, सारण, छपरा	
35.	श्री संतोष सिंह	तकनीकी सहायक, डी0आर0डी0ए0, सारण	
36.	श्री ज्योति आनन्द	तकनीकी सहायक, डी0आर0डी0ए0, सारण	
37.	श्री विनोद यादव	तकनीकी सहायक, डी0आर0डी0ए0, सारण	
38.	श्री शिव सेवक तिवारी	तकनीकी सहायक, डी0आर0डी0ए0, सारण	
39.	श्री म0 करीमुद्दीन	तकनीकी सहायक, डी0आर0डी0ए0, सारण	
40.	श्री राजेश कुमार	तकनीकी सहायक, डी0आर0डी0ए0, सारण	
41.	श्री संतोष कुमार	लेखापाल, डी0आर0डी0ए0, सारण	
42.	सुनील कुमार पाण्डेय	लेखापाल, डी0आर0डी0ए0, सारण	

क्रमांक– 29 से 42 तक के पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा जिला योजना पदाधिकारी सह प्रभारी पदाधिकारी, भोजन कोषांग द्वारा सौंपे गये कार्यो का सम्पादन किया जायेगा ।

कार्मिक कोषांग द्वारा चार अनुसेवियों की प्रतिनियुक्ति इस कोषांग में की जायेगी ।

जिला नजारत द्वारा इस कोषांग द्वारा की गयी अधियाचना के अनुसार दैनिक मजदूरों की प्रतिनियुक्ति की जायेगी । आवश्यकतानुसार अलग से मजदूर की भी व्यवस्था की जायेगी ।

भोजन कोषांग के कर्तव्य एवं दायित्व

1. मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/मतगणना कर्मियो/अनुसेवकों/विडियो ग्राफरों/डिजिटल कैमरा मैन/माइक्रो आब्जर्वर/बज्र गृह में प्रतिनियुक्त पदा0/कर्मचारियों/अनुसेवियो/पारा मिलिट्री फोर्स एवं EVM सीलिंग में प्रतिनियुक्त पदा0/कर्मचारियों/अनुसेवियों का आकलन कर इनकी वास्तविक संख्या ज्ञात करना ।

2. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, छपरा, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद्, सिवेलगज एवं कार्यपालक अभियंता PHED से सम्पर्क कर बाजार समिति, छपरा में उपलब्ध चापाकलों के अतिरिक्त टैंकर की व्यवस्था कराना ।

3. प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के मतगणना हॉल के बाहर दो ड्रम में पानी की व्यवस्था कराना । प्रत्येक ड्रम में बर्फ की सिल्ली डालकर उन्हें साफ कपड़ा से ढक कर रखने की व्यवस्था करना साथ ही ग्लास आदि की व्यवस्था कराना ।

4. अद्योहस्ताक्षरी से स्वीकृति प्राप्त कर दोनों लोक सभा क्षेत्रों के लिए अलग–अलग कैटरर की व्यवस्था करना ।

5. दोनों लोक सभा क्षेत्रों के लिए अलग–अलग नास्ता, खाना बनवाने की व्यवस्था कराना ।

6. निर्धारित मेनू के अनुसार नास्ता एवं भोजन नियुक्त कैटररों से बनवाना ।

7. भोजन कोषांग में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों/कर्मचारियों/अनुसेवकों तथा कैटरर के साथ संलग्न श्रमिकों के लिए मतगणना परिसर में प्रवेश हेतु परिचय पत्र बनवाना ।

8. प्रत्येक विधान सभा के लिए प्रतिनियुक्त प्र0 आ0 पदाधिकारियों के माध्यम से 6:30 बजे सुबह में प्रत्येक मतगणना हॉल में एवं Strong Room में निर्धारित मेनू के अनुसार तैयार नास्ता के पैकेट का मतगणना कार्य में बज्र गृह एवं EVM सीलिंग में संलग्न पदाधिकारियों/मतगणना कर्मियों/अनुसेवकों/बिडियो कैमरा मैन/ डिजिटल कैमरा कर्मियों इत्यादि के बीच सुव्यवस्थित ढग से वितरण कराना । प्रत्येक मतगणना टेबुल पर नास्ता पैकेटस के साथ–साथ दो–दो बोतल मिनरल वाटर की व्यवस्था भी सुनिश्चित करना ।

9. नास्ता के तुरंत बाद चाय प्रत्येक मतगणना कर्मियों को उपलब्ध कराना ।

10. प्रत्येक मतगणना हॉल में 9:30 बजे लस्सी एवं 11:30 बजे आईसक्रीम की व्यवस्था करना। इसके लिए पटना डेयरी प्रोजेक्ट के प्रबन्ध निदेशक से वार्त्ता कर आकलन के अनुसार दही, लस्सी एवं आईसक्रीम की व्यवस्था सुनिश्चित कराना ।

11. अपराहन 1:00 बजे निर्धारित मेनू के अनुसार लंच पैकेट संबंधित प्र0 आ0 पदाधिकारी के माध्यम से प्रत्येक मतगणना हॉल में मिनरल वाटर के बोतल के साथ कंडिका VIII में अंकित पदाधिकारियों/ कर्मचारियों/अनुसेवकों/कैमरा एवं विडियों कैमरा संचालकों के बीच वितरित कराना।

12. नास्ता एवं भोजन के लिए अद्योहस्ताक्षरी से विमर्श कर मेनू का निर्धारण करना ।

पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल के लिए नास्ता एवं भोजन का पैकेट्स सर्जेंट मेजर/पुलिस उपाधीक्षक–II को आकलन के अनुसार उपलब्ध कराना ।

Rajendra 28.4.2009
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा ।

ज्ञापांक 770/ दिनांक 28/4/09

प्रतिलिपि :– जिला योजना पदाधिकारी, सारण, छपरा एवं सभी प्रतिनियुक्त कार्मियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

Rajendra 28.4.2009
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा ।

ज्ञापांक 770/ दिनांक 28/4/09

प्रतिलिपि :– आरक्षी अधीक्षक, सारण, छपरा/उप विकास आयुक्त, सारण, छपरा/ अपर समाहर्त्ता सह निर्वाची पदाधिकारी, 20–सारण लोक सभा क्षेत्र/ सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी 19–महाराजगंज लोक सभा क्षेत्र एवं 20–सारण लोक सभा क्षेत्र/प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग/ प्रभारी पदाधिकारी, वाहन कोषांग/जिला नजारत उप समाहर्त्ता, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Rajendra 28.4.2009
जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–
जिला पदाधिकारी,
सारण, छपरा ।

दिनांक–16.05.09 को निर्धारित 19– महाराजगंज एवं 20–सारण लोक सभा क्षेत्रों के लिए मतगणना कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारियों/अनुसेवियों के लिए नास्ता एवं दिन के भोजन के लिए निर्धारित मेनू एवं उनके वितरण का समय :–

नारता

समय – 6:30 बजे सुबह

मेनू :–

1. खस्ता कचौड़ी (बिना सत्तू का) – 4
2. अमृति – 2
3. सुखा सब्जी (आलू एवं पटल का)
4. अचार – 1
5. दही – 1 कप
6. नारंगी – 1
7. मिनरल वाटर – 1 बोतल

चाय

समय :– 7:00 बजे सुबह

लस्सी

समय :– 9:30 बजे

आईसक्रीम

समय :– 11:00 बजे

दोपहर का भोजन

समय :– 1:00 बजे

मेनू :–

1. नान – 1/2
2. जीरा राइस/फाई राईस – 100 ग्राम
3. दाल मखनी
4. बटर पनीर सब्जी
5. मीक्स्ड सब्जी
6. काला जामुन (मध्यम आकार का) – 1
7. अचार – 1
8. सलाद
9. मिनरल वाटर – 1 बोतल

दिनांक 27.4.09 को जिला पदाधिकारी के अध्यक्षता में सभी कोषांगों के प्रभारियों के साथ की गई बैठक की कार्रवाही

उपस्थितिः- यथा पंजी में।

1. जिला पदाधिकारी, सारण के द्वारा यह निदेश दिया गया कि दिनांक 16.5.09 को होने वाले मतगणना दिवस को पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति वाले सभी बल 5.30 बजे मतगणता स्थल पर निश्चित रूप से पहुंच जायेंगे। मतगणना में प्रतिनियुक्त पुलिस बल को पूरी तरह से उसके कर्त्तव्य के प्रति जानकारी दे दी जाय। यह भी निदेश दिया गया कि प्रति विधानसभा में 10 लाठी बल और एक रेक्शन आर्म्स पार्टी की प्रतिनियुक्ति की जाय। इस के अतिरिक्त मुख्य द्वार पर 5 रेक्शन आर्म्स पार्टी एवं लाठी पार्टी प्रतिनियुक्त किया जाय। मुख्य द्वार पर पर्याप्त मात्रा में महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति की जाय। सैफ के जवान मतगणना के दिन मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त किये जायेंगे। मतगणना में कुल 250 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की जायेगी। प्रतिनियुक्त पुलिस बल के लिए 250 पैकेट नाश्ता सुबह 6.30 बजे भोजन कोषांग के प्रभारी के द्वारा सार्जेन्ट मेजर को उपलब्ध करा दिया जायेगा। जिसके वितरण की जिम्मेवारी उनकी होगी। नाश्ता एवं भोजन के वितरण के लिए सर्जेन्ट मेजर पुख्ता व्यवस्था कर लेंगे। 1.30 अपराह्न में भोजन प्रभारी के द्वारा 250 पैकेट भोजन तैयार करके उन्हें उपलब्ध कर दिया जायेगा। पुलिस बल के लिए पीने के पानी की व्यवस्था टैंकर और झाम के द्वारा की जायेगी। दिनांक 12.5.09 को मतगणना के लिए प्रतिनियुक्त बलों को जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा संयुक्त रूप से संदेश दिया जायेगा। यह सामूहिक संदेश पुलिस लाईन में आयोजित किया जायेगा। पुलिस अधीक्षक इसकी व्यवस्था करेंगे। प्रशिक्षण का समय 2.00 बजे दिन में होगा।
2. मतगणना कार्य में ए0आर0ओ0 टेबुल पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं सहायकों के बीच कार्यों का बंटवारा करते हुए पत्र कार्मिक कोषांग द्वारा निर्गत करते हुए आर0ओ0 को संसुचित कर दिया जाय।
3. दिनांक 6.5.09 को मतगणना कार्य में लगे पदाधिकारी एवं सहायकों को 80-80 के बैच में प्रशिक्षण सभा भवन में दी जायेगी। प्रशिक्षण का कार्य सुबह 9.00 बजे से प्रारंभ होगी। कार्मिक शाखा नियुक्ति पत्र के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण की सूचना देंगे। यह प्रशिक्षण दो घंटे का होगा तथा इसके लिए ट्रेनिंग मटेरियल श्री सुरेन्द्र झा, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, मढ़ौरा तैयार कर लेंगे।

दिनांक 7.5.09 को ए0आर0ओ0 के साथ सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी एवं सहायक ई0वी0एम0 सिलिंग कोषांग में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी तथा बज्र गृह कोषांग में प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी की एक सामूहिक बैठक आयोजित की जायेगी। यह बैठक विधानसभा वार 113 और 114 विधानसभा एक साथ 9.00 बजे से 10.00 बजे। 115 एवं116 विधानसभा एक साथ 10.00 बजे से 11.00 बजे तक, 117 एवं118 विधानसभा एक साथ 11.00 बजे से 12.00 बजे तक, 119 एवं 120 विधानसभा एक साथ 12.00 बजे से 1.00 बजे तक, 121 एवं 122 विधानसभा एक साथ 2.00 बजे से 3.00 बजे तक तथा 111 एवं 112 विधानसभा एक साथ 3.00 बजे से 4.00 बजे तक आहूत की जायेगी। सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी प्रशिक्षण में ससमय भाग लेना सुनिश्चित करेंगे। दिनांक 13.5.09 एवं 14.5.09 को उक्त प्रशिक्षण पुनः उसी समय के साथ आयोजित की जायेगी।

4. वाहन कोषांगः- जिला पदाधिकारी के द्वारा वाहन शाखा के प्रभारी को वाहन के बकाया भुगतान दिनांक 28.4.09 को एकता भवन में करने का निदेश दिया गया।
5. जिला पदाधिकारी के द्वारा सामाग्री कोषांग द्वारा समर्पित विपत्रों की जाँच करने के लिए उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण को निदेशित किया गया तत्पश्चात भुगतान करने का निर्णय लिया गया।
6. जिला पदाधिकारी के द्वारा जनसम्पर्क पदाधिकारी को यह निदेश दिया गया कि निर्वाचन कार्य में की गयी फोटो ग्राफी एवं विडियो ग्राफी का सी0डी0 कैसेट यथाशीघ्र समर्पित करें इसके पश्चात ही भुगतान की अनुमति दी जायेगी।
7. जिला पदाधिकारी के द्वारा मतगणना के लिए भोजन आपूर्ति के लिए तैयार मेनू की समीक्षा की गयी और उसे अनुमोदित करने हेतु संचिका बढ़ाने का निदेश दिया गया।
8. जिला पदाधिकारी द्वारा यह निदेश दिया गया कि काउंटिंग एजेंट के लिए प्रपत्र 18 आपूर्ति कर दी जाय तथा दिनांक 4.5.09 तक सभी प्रत्याशियों से प्रपत्र फोटो सहित माँग कर लिया जाय। दिनांक 11.5.09 को 9.00 बजे से 11.00 बजे तक तथा 12.00 बजे से 2.00 तक सभी काउंटिंग एजेंटों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिए हैंड आउट नौशाद आलम एवं कमरुज्जमा कार्यपालक दंडाधिकारी तैयार करेंगे तथा बैठक में इसका वितरण करेंगे।
9. जिला पदाधिकारी द्वारा यह निदेश दिया गया कि मतदान के दिन खराब हुए ई0वी0एम0 के बदले में जो ई0वी0एम0 बदले गये उसका पूर्ण विवरण सभी प्रत्याशियों को उपलब्ध करा दिया जाय। श्री नौशाद आलम, उप निर्वाचन पदाधिकारी इसके लिए संचिका बढ़ाकर आदेश प्राप्त करेंगे तथा प्रशिक्षण के दिन सभी प्रत्याशियों को उपलब्ध करा देंगे।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Rajendra 28.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिलापदाधिकारी
--सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 769 सी0 निर्वा0
छपरा दिनांक 28 वीं अप्रैल, 2009

प्रतिलिपि सभी संबंधित कोषांग/ सभी प्रभारी पदाधिकारी एवं प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

Rajendra 28.4.2009

(डा0 बी0 राजेन्दर)
जिलापदाधिकारी
--सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी,
सारण, छपरा।

दिनांक 30.4.2009 को डा0 बी0 राजेन्दर, भा. प्र. से., जिलाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी, सारण, छपरा की अध्यक्षता मे लोक सभा निर्वाचन-2009 की मतगणना के परिप्रेक्ष्य मे विभिन्न पदाधिकारियों के साथ संपन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः-

1-	डा0 बी0 राजेन्दर	जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी,सारण
2-	श्री प्रकाश कुमार	उप विकास आयुक्त, सारण
3-	श्री मदनजी पाण्डेय	अपर समाहर्त्ता, सारण
4-	श्रीमती पुनीता श्रीवास्तव	जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण
5-	श्री वीरेन्द्र मिश्र	जिला पंचायतराज पदाधिकारी, सारण
6-	श्री सांवर भारती	अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर छपरा
7-	श्री अंजनी कुमार सिन्हा	उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर
8-	श्री अजय कुमार सिन्हा	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सारण
8-	मो0 रिजवान	जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सारण
9-	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा सारण
10-	श्री नौशाम आलम	उप निर्वाचन पदाधिकारी, सारण

दिनांक 16.5.2009 को होने वाली मतगणना की तैयारियों की समीक्षा के कम मे निम्नलिखित निदेश दिये गयेः-

1- राम जयपाल कॉलेज छपरा के मुख्य हॉल मे दिनांक 6.5.2009 को 90-90 के बैच मे मतगणना पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रातः 8 बजे से 9.30 बजे तक, 10 बजे से 11.30 बजे तक आयोजित किया जायेगा।

2- दिनांक 6.5.2009 को ही मतगणना सहायकों का प्रशिक्षण राम जयपाल कॉलेज, छपरा के मुख्य हॉल मे 90-90 के बैच मे अपराह्न 2 बजे से 3.30 बजे तक और 4 बजे से 5.30 बजे तक आयोजित किया जायेगा।

3- दिनांक 7.5.2009 को प्रातः 8 बजे से से 9.30 बजे तक मतगणना कार्य मे प्रतिनियुक्त सभी Micro Observers का प्रशिक्षण राम जयपाल कॉलेज, छपरा मे आयोजित किया जायेगा।

4- दिनांक 7.5.2009 को राम जयपाल कॉलेज, छपरा के मुख्य हॉल मे ही सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, उनसे संबद्ध पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, वज्रगृह प्रभारी पदाधिकारी/ कर्मचारी, ई वी एम सीलिंग पदाधिकारी/ कर्मचारी का प्रशिक्षण निम्नलिखित समयानुसार आयोजित किया जायेगाः-

10 बजे से 11 बजे तक	एकमा और मांझी विधानसभा खण्ड
11 बजे से 12 बजे तक	तरैया और बनियापुर विधानसभा खण्ड
12 से 1 बजे तक	छपरा और गड़खा विधानसभा खण्ड
1 बजे से 2 बजे तक	भोजन अवकाश
2 बजे से 3 बजे तक	मढ़ौरा और अमनौर विधानसभा खण्ड
3 बजे से 4 बजे तक	सोनपुर और परसा विधानसभा खण्ड
4 बजे से 5 बजे तक	गोरेयाकोठी और महाराजगंज विधानसभा खण्ड

प्रभारी पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग को निदेश दिया गया कि वे उपर्युक्त कार्यक्रमानुसार कर्मियों को दिनांक 2.5.2009 तक प्रथम नियुक्ति पत्र निर्गत कर दें।